संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

सितंबर 2020

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक

एवं

मुख्य परीक्षा

संस्कृति IAS

टीम वही, कोचिंग नई

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1

भौगोलिक घटनाक्रम 6-7
कला एवं संस्कृति 8-10
सामाजिक घटनाक्रम 11-13
विश्व इतिहास 14-16

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 18-58
राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम 59-83

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3

आर्थिक घटनाक्रम 85-101
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 102-112
पर्यावरणीय घटनाक्रम 113-128
रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा 129-132

विविध

खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा: एक-दूसरे के पूरक 134
योजना, जुलाई (आत्मनिर्भर भारत) 136
मानव बलि, सजा निर्धारण एवं मृत्युदंड 143

The Most Comprehensive Online Video Course for IAS Exam
Learn with our expert mentors having experience of over 15-20 years in this field.
PRELIMS GS COURSE
MAINS GS COURSE
OPTIONAL COURSE
QUESTION-ANS DISCUSSION COURSE

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन प्रिलिम्स कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल — द्वारा - कुमार गौरव
इतिहास — द्वारा - अखिल मूर्ति

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- अगले 500 विद्यार्थियों के लिये फीस में 15% की छूट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति — इतिहास, कला एवं संस्कृति
श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) — एथिक्स
श्री ए.के. अरुण — भारतीय अर्थव्यवस्था
श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) — भारतीय राजव्यवस्था
श्री कुमार गौरव — भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन
श्री रीतेश आर जायसवाल — सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) — सामाजिक मुद्दे
एवं टीम

नोट
नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का एप डाउनलोड करें

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1

भौगोलिक घटनाक्रम

चक्रवातों की त्वरित गहनता 6

कला एवं संस्कृति

तांगम जनजातियों की लुप्त होती भाषा : जोखिम में भाषाएँ 8

ऑनलाइन शिक्षा पद्धति : चुनौती या अवसर....10

सामाजिक घटनाक्रम

ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता : समय की मांग....11

विश्व इतिहास

हिरोशिमा परमाणु हमले की 75वीं वर्षगाँठ तथा
परमाणु सुभेद्यता की गम्भीरता 14

1 भौगोलिक घटनाक्रम

चक्रवातों की त्वरित गहनता

पृष्ठभूमि

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात खतरनाक प्राकृतिक जलवायु संकटों में से एक है, जिससे जीवन व सम्पत्ति के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे की अत्यधिक हानि होती है। वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप पहले से ही उच्च तीव्रता वाले चक्रवातों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनकी गहनता में भी वृद्धि हो रही है।

चक्रवातों की त्वरित गहनता (द्रुत उत्कटता/तीव्र घनीभूतीकरण) (Rapid Intensification of Cyclone – RI)

- 24 घंटे की समयावधि में किसी चक्रवाती तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति में कम-से-कम 55 किमी./घंटा (या 30 kts) की वृद्धि को 'त्वरित गहनता' कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान 'अम्फन' की गति 24 घंटे की एक निश्चित समयावधि में 30 kts से भी दोगुनी तीव्रता से बढ़ गई थी। इस समयावधि में इसकी गति 45 kts से बढ़कर 115 kts (70 kts वृद्धि) हो गई थी।
- कई अध्ययनों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनकी त्वरित गहनता में भी वृद्धि देखी जा रही है।
- इस तरह से हवा की गति में त्वरित वृद्धि (Acceleration) का कारण 'चक्रवात की आँख' में बने दबाव के क्षेत्र में तेज़ी से गिरावट है।
- चक्रवात के निम्न दबाव के क्षेत्र को 'चक्रवात की आँख' कहा जाता है। आँख में दबाव जितना कम होगा, चक्रवात उतना ही तीव्र होगा। आँख के चारों ओर तेज़ हवाओं व भारी बारिश के क्षेत्र को 'आँख की दीवार' कहा जाता है। यह चक्रवात का सबसे विनाशकारी हिस्सा होता है।
- त्वरित गहनता (आर.आई.) के कारण चक्रवातों के पूर्वानुमान और राहत उपायों में कठिनता आ रही है। साथ ही आर.आई. के साथ तीव्र चक्रवातों की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद है।
- चक्रवात की उत्पत्ति के बाद उसकी तीव्रता व ट्रैक करने सम्बंधी पूर्वानुमान दुनिया भर में काफी परिपक्कव हैं। हालाँकि, चक्रवातों के उत्पन्न होने तथा उसमें होने वाले अचानक परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिये बहुत कम समय मिल पाता है। उदाहरणस्वरूप किसी कम दबाव वाले तंत्र का अचानक से उष्णकटिबंधीय तूफान में बदलने की घटना।

चक्रवात की उत्पत्ति तथा त्वरित गहनता के लिये ज़िम्मेदार कारक

- अभी तक की जानकारी के अनुसार, चक्रवात की उत्पत्ति के लिये वायुमंडलीय कारक ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन कारकों में सबसे महत्त्वपूर्ण किसी कम दबाव के क्षेत्र का सतह पर चक्रण करना या उसका भंवर बनना है।
- इसके अतिरिक्त, कम दबाव के तंत्र में हवा की ऊर्ध्वाधर गति, समुद्र की सतह का तापमान या उपलब्ध गर्म जल की मात्रा तथा मध्य वातावरण में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के साथ-साथ ऊर्ध्वाधर कतरनी (Vertical Shear) या सतह से ऊपरी वायुमंडल में हवाओं में परिवर्तन जैसे कारक भी चक्रवात की उत्पत्ति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी चक्रवात को उसी दिशा में चक्रण (Rotate) करने के लिये बल प्रदान करता है।

- चक्रवात एक प्रकार से टरबाइन की तरह है जो महासागर द्वारा जलवाष्प के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति द्वारा ड्राइव होता है। ऊर्ध्वाधर गति और मध्यस्तरीय आर्द्रता क्रमशः समुद्र द्वारा टरबाइन में पम्प की जाने वाली गति व ऊर्जा की मात्रा है।
- त्वरित गहनता में वृद्धि का एक और कारण महासागरों का गर्म पानी है। ऐसा माना जाता है कि महासागरों के गर्म पानी का कारण हरित गृह या ग्रीन हाउस गैसें हैं। शोध से पता चला है कि उच्च महासागरीय तापमान उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के तीव्र होने के लिये अनुकूल होता है।
- महासागरों की सतह पर अधिक तापमान या गर्म पानी के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। बंगाल की खाड़ी में जल का तापमान मई माह में रिकॉर्ड स्तर पर था। अध्ययन में पाया गया है कि प्रबल तूफानों का अनुपात एक दशक में लगभग 8% बढ़ रहा है।

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) और चक्रवात

- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है जो वैश्विक मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मौसम में बड़े बदलाव के लिये ज़िम्मेदार मानी जाती है।
- एम.जे.ओ. अक्टूबर से अप्रैल के दौरान, उष्णकटिबंधों में पश्चिमी हिंद महासागर से पूर्वी हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत महासागर में इंडोनेशियाई समुद्र के पार तक फैलकर प्रभावी रहता है।
- एम.जे.ओ. हिंद और प्रशांत महासागर के ऊपर घूर्णनकारी निम्न दबाव के तंत्र की उत्पत्ति हेतु ज़िम्मेदार है। यह विशेषकर मानसून के बाद के मौसम में, चक्रवात की उत्पत्ति में अत्यधिक सहायक होता है।
- मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर उत्तर की ओर भी तरंगों का प्रसार होता है, जिसे मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन (MISO) कहते हैं। मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन पूर्व-मानसून मौसम के दौरान चक्रवात उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं।

अन्य तथ्य

- लम्बे समय के लिये, अल नीनो और ला नीना जैसी परिघटनाएँ न केवल चक्रवात की उत्पत्ति की संख्या को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसकी स्थिति के साथ-साथ गर्म जल के विस्तार को भी प्रभावित करती हैं।
- उदाहरण के लिये जिस वर्ष ला नीना की परिघटना होती है उस वर्ष प्री-मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी में गर्म पानी के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। इस परिघटना के कारण, अल नीनो की परिघटना वाले वर्ष की अपेक्षा चक्रवात न केवल लम्बी दूरी तय करते हैं, बल्कि काफी शक्तिशाली भी होते हैं।
- दूसरी ओर, प्रशांत महासागर के ऊपर अल नीनो ही अत्यधिक मात्रा में गर्म पानी की पट्टियों का निर्माण करने के साथ-साथ अधिक तीव्र चक्रवात पैदा करता है।
- पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में ईस्टरली पवनें उत्पन्न होती हैं। ये पवनें पश्चिम में स्थल से उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में प्रसारित होते हुए अधिकांश हरिकेन की उत्पत्ति का कारण बनती हैं।

हानियाँ

- त्वरित गहनता एक गम्भीर खतरा है, क्योंकि इससे चक्रवात के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में, चक्रवात के स्थल से टकराने से पूर्व तैयारी करना मुश्किल हो जाता है।
- ऐसी सम्भावना है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही इस सदी में त्वरित गहनता की घटनाएँ लगातार होती रहेंगी।
- वर्ष 2019 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत व बांग्लादेश वर्ष 2050 तक नाटकीय वार्षिक तटीय बाढ़ का अनुभव कर सकते हैं, जिससे भारत में लगभग 36 मिलियन लोग व बांग्लादेश में लगभग 42 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की सम्भावना है।

2 कला एवं संस्कृति

तांगम जनजातियों की लुप्त होती भाषा : जोखिम में भाषाएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री **पेमा खांडू** द्वारा 'तांगम : एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश' (Tangams : An Ethnolinguistic Study of the Critically Endangered Group of Arunachal Pradesh) नामक शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक तांगम समुदाय, उनकी भाषा व भावी पीढ़ियों के लिये सहायक सिद्ध होगी।

पृष्ठभूमि

- तांगम समुदाय की भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 250 है, जो अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में केंद्रित है। भाषाई रूप से अत्यधिक विविधतापूर्ण अरुणाचल प्रदेश का यह मामला बड़े मुद्दों के साथ-साथ व्यापक समस्या को परिलक्षित करता है। भाषाओं का संकटग्रस्त होना सांस्कृतिक क्षरण का एक कारण है।

तांगम समुदाय : प्रमुख तथ्य

- अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी 'आदि जनजाति' (Adi Tribe) के अंतर्गत 'तांगम' एक छोटा-सा समुदाय है, जो ऊपरी सियांग ज़िले के पेनडेम सर्कल में कॉगिंग/कुग्गिंग (Kugging) क्षेत्र में निवास करता है।
- कुग्गिंग कस्बा, 'आदि जनजाति' के अन्य उपसमूहों, जैसे– 'शिमॉन्ग' (Shimong), 'मिन्यांग' (Minyong) के साथ-साथ 'खम्बा' (Khamba – एक बौद्ध आदिवासी समुदाय) द्वारा बसे कई गाँवों से घिरा हुआ है।

तांगम भाषा के सदस्यों की संख्या

- वर्ष 2016 से 2020 के मध्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय के **'संकटग्रस्त भाषा केंद्र'** (सी.एफ.ई.एल.) की एक टीम द्वारा व्यापक स्तर पर ज़मीनी अनुसंधान के बाद इस समुदाय का दस्तावेज़ीकरण किया गया जिसके अनुसार, इस भाषा को बोलने वाले केवल 253 लोग एक गाँव में ही केंद्रित हैं।
- यूनेस्को के 'संकटग्रस्त भाषाओं के वैश्विक एटलस' (2009) के अनुसार, 'तानी समूह' (Tani) से सम्बंधित 'तांगम' एक मौखिक भाषा है, जो वृहद् 'तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार' के तहत 'गम्भीर रूप से संकटग्रस्त' भाषा के रूप में चिह्नित है।
- पड़ोसी समुदायों के साथ संवाद करने के लिये तांगम बहुभाषी हो गए हैं, जो तांगम के साथ-साथ अन्य भाषाएँ, जैसे– शिमॉन्ग, खम्बा और हिंदी भी बोलते हैं। इस कारण वे मुश्किल से ही अपनी भाषा बोलते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में अन्य भाषाओं की स्थिति

- अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को 'सीनो-तिब्बती' (Sino-Tibetan) भाषा परिवार के तहत वर्गीकृत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को विशेषीकृत रूप से 'तिब्बती-बर्मन' और 'ताई' (Tai) भाषा समूह के अंतर्गत 'लोलो-बर्मिश', 'बोधिक', 'साल', 'तानी', 'मिशमी', 'ह्रुईश' और 'ताई' जैसे समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- यद्यपि अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अधिकांश जनजातीय भाषाओं के लिये देवनागरी, असमिया और रोमन लिपियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्थानीय अध्येताओं द्वारा 'तानी' और 'वांचो' जैसी नई लिपियों का भी विकास किया गया है।

- अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं के व्यवस्थित, वैज्ञानिक या आधिकारिक सर्वेक्षण के अभाव में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ लगभग 32 से 34 भाषाएँ बोली जाती हैं। यदि इन भाषाओं के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं या बोलियों को सूचीबद्ध किया जाए, तो इनकी संख्या 90 तक पहुँच सकती है।
- यूनेस्को के 'विश्व की जोखिमयुक्त भाषाओं के एटलस' (2009) के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की 26 से अधिक भाषाओं को संकटग्रस्त माना गया है जो 'असुरक्षित', 'निश्चित रूप से संकटग्रस्त' से लेकर 'गम्भीर रूप से लुप्तप्राय' श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं।

भाषाओं के जोखिम में होने के कारण

- अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न समुदायों के बीच भाषाओं की विविधता के कारण ये समुदाय लिंक भाषाओं, जैसे– अंग्रेज़ी, असमिया और बोलचाल वाली हिंदी के विविध रूपों (अरुणाचली हिंदी) पर अधिक निर्भर हैं।
- सी.एफ.ई.एल. के एक अनुसंधान संवाद-पत्र के अनुसार, संख्यात्मक रूप से बड़ी जनजातियाँ जैसे कि न्यिशी (Nyishi), गालो, मिशमी, तंगसा (Tangsa) आदि भी संकट से सुरक्षित नहीं हैं और असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत हैं।
- यह वर्गीकरण दर्शाता है कि इन जनजातियों की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अपनी मातृभाषा का कम-से-कम उपयोग करती है।

तांगम व विलुप्त हेतु अधिक सुभेद्य अन्य भाषाएँ

- तांगम का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इनकी आबादी काफी कम है। इसके अलावा, गम्भीर रूप से संकटग्रस्त एक अन्य भाषा मेयोर (Meyor) है। तांगम की ही तरह मेयोर भाषा बोलने वालों में भी अपनी मातृभाषा से अन्य पड़ोसी भाषाओं, जैसे– मिजू, मिश्मी और हिंदी आदि में बड़ा स्थानांतरण देखा गया है।
- अरुणाचल प्रदेश की लगभग सभी भाषाएँ संकटग्रस्त हैं, परंतु छोटे समूहों वाली भाषाएँ अधिक असुरक्षित हैं। यहाँ भाषाओं का विलुप्त होना प्रत्यक्ष तौर पर जनसंख्या के कम अनुपात से जुड़ा है।

आगे की राह

- भाषा और संस्कृति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। **बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाते हुए न केवल भाषा बल्कि रिवाज व संस्कार, लोकगीत के साथ-साथ स्थानीय खाद्य और उसकी आदतों, विश्वास व परम्परा के संरक्षण की भी ज़रूरत है।** जीवन और संस्कृति के हर पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिये, जिससे जातीय भाषा समूह के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जा सके। स्थानीय वक्ताओं और अध्येताओं के साथ मिलकर भाषा के उत्कृष्ट अनुसंधान और समकालीन प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

3 सामाजिक घटनाक्रम

ऑनलाइन शिक्षा पद्धति : चुनौती या अवसर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission – UGC) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के मद्देनज़र यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वृहद स्तर पर नि:शुल्क ऑनलाइन कोर्स (Massive Open Online Courses – MOOC) का उपयोग करने हेतु कहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- छात्रों द्वारा ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के लिये यू.जी.सी. के वर्तमान विनियमनों के अनुरूप इन पाठ्यक्रमों को पूरा करके क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है।
- ऑनलाइन कोर्स के पाठ्यक्रमों की सूची 'स्वयं पोर्टल' पर 2020 के सेमेस्टर हेतु अपलोड की जाएगी। इन कोर्स में छात्रों व शिक्षकों के साथ-साथ जीवनपर्यंत सीखने के इच्छुक लोग, वरिष्ठ नागरिक एवं गृहणियाँ भी नामांकन करा सकते हैं।

स्वयं पोर्टल (SWAYAM Portal)

- 'स्वयं पोर्टल' भारत सरकार के 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (अब शिक्षा मंत्रालय) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education–AICTE) द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से तैयार किया गया एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म है।
- 'स्वयं पोर्टल' को शिक्षा नीति के तीन सिद्धांतों की प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। ये सिद्धांत हैं: पहुँच (Access), न्यायसंगतता (Equity) और गुणवत्ता (Quality)।
- 'स्वयं प्लेटफार्म' के माध्यम से कक्षा 9 से परास्नातक स्तर तक के छात्र अपनी आवश्यकतानुसार कोर्स खरीद सकते हैं। यह प्लेटफार्म छात्रों के लिये मुफ्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission–UGC)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला एक आयोग है, जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अनुदान (Grants) भी प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिसम्बर 1953 में अस्तित्व में आया और **विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षण व अनुसंधान के मानकों के निर्धारण, समन्वय तथा रख-रखाव के लिये** वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक संगठन बन गया।

ऑनलाइन शिक्षा के लाभ

- ऑनलाइन कोर्स की सहायता से देश में सकल नामांकन की दर (Gross Enrollment Ratio) में तीव्र वृद्धि होने की सम्भावना है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन की दर को 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021 तक 25.8% से बढ़ाकर 30% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से समाज के संवेदनशील वर्ग (दिव्यांग, महिलाएँ और गरीब) तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित होती है, जिससे सामाजिक सशक्तीकरण की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलता है।
- ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में छात्र या सीखने के इच्छुक व्यक्ति देश-विदेश, कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

- ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता और छात्र दोनों के लिये कक्षा आधारित शिक्षण की तुलना में सस्ती होती है। इससे कई प्रकार के खर्च, जैसे– यातायात, कक्षा सम्बंधी अवसंरचना और यूनिफार्म में बचत होती है।

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ

- ऑनलाइन शिक्षा केवल अध्यापक आधारित शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें छात्रों की पूर्ण भागीदारी नहीं हो पाती है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक व छात्र दोनों के सीखने की क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी प्रकार का कौशल सिखाना कठिन है।
- शिक्षक एक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते छात्रों के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से उनमें रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। साथ ही भौतिक कक्षा के वातावरण में छात्र, शिक्षकों के लिये भी नए और आधुनिक पीढ़ी के विचारों का ज़रिया बनते हैं। इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियाँ ओपन शिक्षण या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सम्भव नहीं हैं।
- विद्यालयों या कक्षाओं में छात्रों के व्यक्तित्व में सुधार के साथ सम्प्रेषण कौशल में भी सुधार होता है, जो कि दूरस्थ शिक्षा व ऑनलाइन माध्यम में एक बड़ी चुनौती है।
- ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से बिना उद्देश्य के डिग्री ग्रहण करने के चलन में वृद्धि होने की सम्भावना है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आने की सम्भावना है।

आगे की राह

- इस प्रकार के प्लेटफार्म केवल लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में कक्षा के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ऑनलाइन शिक्षा पद्धति कोविड-19 संकट के दौरान शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। साथ ही इससे शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढाँचे में नए और सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं।
- इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में हर रोज़ नई सम्भावनाओं का विकास हो रहा है, इसलिये महामारी के इस अप्रत्याशित संकट के दौरान छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिये।

ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता : समय की मांग

चर्चा में क्यों?

- कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के कारण ग्रामीण महिलाओं का कार्यशील जीवन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी श्रम सहभागिता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

कोविड-19 महामारी से पूर्व ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

- लॉकडाउन से पहले भी ग्रामीण महिलाएँ निरंतर रोज़गार संकट का सामना कर रही थीं। राष्ट्रीय श्रमबल सर्वेक्षण, 2017-18 के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण युवा महिलाओं का केवल एक-चौथाई भाग श्रमबल का हिस्सा है।
- कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन के आँकड़ों से पता चलता है कि मौसमी उतार-चढ़ाव के चलते ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता की दर में भी परिवर्तन होता रहता है। हालाँकि, कटाई सीजन में लगभग सभी ग्रामीण महिलाओं को श्रमिकों की परिभाषा में शामिल कर लिया जाता है।
- महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसरों में कमी आने के कारण महिलाओं की श्रम सहभागिता में अत्यधिक कमी देखी गई है।
- घरेलू महिलाओं के कार्य को पैसों में नहीं मापा जाता है, इसलिये इस कार्य के मौद्रिक मूल्य को देश के जी.डी.पी. में भी शामिल नहीं किया जाता है। इससे देश की राष्ट्रीय आय में घरेलू महिलाओं की

आर्थिक सहभागिता नहीं हो पाती है, जबकि घरेलू महिलाएँ बाहर कार्य करने वाली किसी महिला की अपेक्षा अधिक समय तक कार्य करती हैं।

ग्रामीण महिला के रोज़गार की खराब स्थिति का कारण

- युवा और शिक्षित महिलाएँ कृषि से सम्बंधित कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के कार्यबल की संख्या में कमी आती है। इसके विपरीत, कम पढ़ी-लिखी और वृद्ध महिलाएँ मैनुअल कार्य में अधिक शामिल होती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मज़दूरी तुलनात्मक रूप से पुरुषों से अधिक होती है। बढ़ते रोज़गार के स्रोतों के साथ गैर-कृषि कार्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर मज़दूरी में असमानता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
- महिलाओं के सभी प्रकार के कार्यों की आर्थिक गतिविधियों की गणना करने से पता चलता है कि घरेलू महिलाओं के कार्य दिवस (Working Day) की अवधि अधिक होती है।

महामारी और लॉकडाउन का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव

- कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिये किसानों द्वारा कृषि कार्यों में परिवार के लोगों से ही कार्य करवाने के चलन में वृद्धि हुई है, जिससे कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सीमित हो गई है।
- कृषि से संलग्न क्षेत्रों की आय पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, जैसे– होटल आदि बंद होने से दूध की माँग में लगभग 25% तक की गिरावट हुई है।
- मछली उद्योग में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन महामारी फैलने के डर से मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने और उसके आगे की पूरी प्रक्रिया लगभग ठप्प हो चुकी है, जिससे महिलाओं के रोज़गार पर नकारात्मक असर देखने को मिला है। ध्यातव्य है कि मछली उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है।

महिलाओं के लिये गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार का संकट

- निर्माण कार्यों में ठहराव, ईंट-भट्टों पर रोक तथा स्थानीय फैक्ट्रियों में बंदी की स्थिति के कारण महिलाओं के लिये गैर-कृषि रोज़गार में अधिक गिरावट की स्थिति बनी हुई है।
- हाल के वर्षों में सार्वजनिक कार्यों में महिलाओं का पंजीकरण किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत अप्रैल के अंत तक महिलाओं के लिये रोज़गार उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
- 90 % से अधिक आशा कार्यकर्ता महिलाएँ हैं, जो कि फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन इन्हें अब तक श्रमिकों के रूप में पहचान नहीं मिली है।
- लॉकडाउन में लगभग सभी क्षेत्रों में ठहराव के चलते परिवार के सभी सदस्य घर पर ही रहे, जिनकी देखभाल व अन्य कार्यों के कारण महिलाओं पर कार्य का अधिक दबाव हो गया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- लॉकडाउन के पश्चात दिहाड़ी महिला मज़दूरों के रोज़गार में 71% की गिरावट आई है, जबकि पुरुषों के लिये यह आँकड़ा 59% है। इससे स्पष्ट होता है कि महामारी के दौर में व्यापक स्तर पर महिलाएँ बेरोज़गार हुई हैं।
- महामारी के समय में महिलाओं के लिये नीति-निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

महिला रोज़गार की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव

- मनरेगा में विस्तार करते हुए महिला रोज़गार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- महिलाओं के लिये कौशल आधारित उद्योगों में रोज़गार हेतु मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिये।

- आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिकों के तौर पर पहचान प्रदान करने के साथ ही उचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिये।
- महिलाओं के घर से कार्यस्थल तक आवाजाही के लिये सुगम और सुरक्षित यातायात पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा स्कूल में दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा बच्चों की देखभाल जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार से महिलाओं के ऊपर कार्य के बोझ में कमी आएगी।
- महिलाओं की श्रम सहभागिता में वृद्धि हेतु इनके सभी प्रकार के कार्यों को मौद्रिक मूल्य में मापकर आधिकारिक आँकड़ों में शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- यह समय की माँग है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण बदलाव के दौर में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक शक्ति एवं उनकी प्रभावशीलता में विस्तार हेतु पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना आवश्यक है।

4 विश्व इतिहास

हिरोशिमा परमाणु हमले की 75वीं वर्षगाँठ तथा परमाणु सुभेद्यता की गम्भीरता

पृष्ठभूमि

- 6 अगस्त, 1945 को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर विश्व के पहले परमाणु बम हमले को अंजाम दिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन थे। वर्ष 2020 में इस हमले की 75वीं वर्षगाँठ पर हिरोशिमा में विश्व शांति का आह्वान किया गया, साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी घटनाओं को जन्म देने के लिये राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी दी गई और वैश्विक खतरों का सामना करने के लिये एक साथ आने का आग्रह किया गया।

संक्षिप्त इतिहास

- हिरोशिमा में सुबह के समय पहला परमाणु हथियार शहर के ऊपर गिराया गया था। इस समय अधिकांश औद्योगिक श्रमिक या तो फैक्ट्रियों में थे या मार्ग में थे और बच्चे स्कूलों में थे।
- 6 अगस्त को बी-29 बमवर्षक एनोला गे ने हिरोशिमा शहर पर 'लिटिल ब्वॉय' नामक परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर हुए बम हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। इसके तीन दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम 'फैट मैन' गिराया, जहाँ लगभग 74,000 लोग मारे गए थे।
- नागासाकी का भू-भाग असमतल होने के कारण क्षति एक विशेष घाटी तक ही सीमित थी, जिस पर बम गिराया गया था।
- इन लोगों की मौत विकिरण-जनित बीमारियों, विस्फोट के दुष्परिणामस्वरूप 'ब्लैक रेन', भयानक जलन और अन्य प्रकार की चोटों के कारण हुई थी। अमेरिकी युद्ध विभाग ने कहा था कि बम फटने के बाद हिरोशिमा पर 'धूल और धुएँ के अभेद्य बादल' छा गए थे।

हिरोशिमा के चुनाव का कारण

- अमेरिका की सोच थी कि किसी मुख्य शहर पर बमबारी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसके लिये लक्षित शहरों का चुनाव सैन्य उत्पादन को ध्यान में रखते हुए किया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि लक्ष्य के लिये चुने गए शहर जापान के लिये सांस्कृतिक महत्त्व न रखते हों।
- इस बम का एक उद्देश्य जापान की युद्धक क्षमता को नष्ट करना था। उस समय हिरोशिमा जापान का सातवाँ सबसे बड़ा शहर भी था और सेकंड आर्मी के साथ-साथ चुगोकू क्षेत्रीय सेना का मुख्यालय भी था।
- इसके अतिरिक्त यह सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति डिपो के साथ-साथ सबसे महत्त्वपूर्ण सैन्य शिपिंग स्थल भी था। ध्यातव्य है कि अमेरिका में परमाणु हथियार से सम्बंधित सभी अनुसंधान व विकास मैनहट्टन परियोजना के तहत किया गया था।

75वीं वर्षगाँठ

- इस वर्ष की ऐतिहासिक वर्षगाँठ हमले से प्रभावित जीवित बचे लोगों की घटती संख्या को रेखांकित करती है, जिनको जापान में 'हिबाकुशा' के रूप में जाना जाता है। इनमें से कई लोग हमले के बाद शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित हुए।
- जापान ने 15 अगस्त, 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि इन बम विस्फोटों ने अंततः युद्ध को लगभग खत्म कर दिया, परिणामस्वरूप जमीनी युद्ध और आक्रमण बंद होने के कारण कई लोगों की जान बच गई जो सम्भवतः अधिक घातक हो सकती थी।

- हालाँकि जापान में इन हमलों को व्यापक रूप से युद्ध अपराध की श्रेणी में माना जाता है क्योंकि इसमें नागरिकों को निशाना बनाया गया था। साथ ही यह हमला अभूतपूर्व विनाश का कारण भी बना।

क्षति और भेद्यता (Damage and Vulnerability)

- परमाणु युग की शुरुआत के बाद से लगभग 1,26,000 से अधिक परमाणु हथियार बनाए जा चुके हैं।
- इनमें से 2,000 से अधिक हथियारों का प्रयोग स्थल के ऊपर और नीचे विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये परमाणु परीक्षणों में किया गया है। इससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गम्भीर व लम्बे समय तक हानि होती है।
- इन मौजूदा हथियारों में से यदि कुछ का ही प्रयोग नागरिक आबादी के खिलाफ किया जाए तो उससे होने वाला नुकसान परमाणु परीक्षणों की तुलना में बहुत अधिक होगा।
- यह सोचनीय है कि यदि दुर्घटनावश या सोच-समझकर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो बचाव के लिये कोई वास्तविक तरीका मौजूद नहीं है। अत: यह समझना चाहिये कि विश्व परमाणु हथियारों के विरुद्ध अत्यधिक सुभेद्य है।
- 1950 के दशक के अंत में बैलिस्टिक मिसाइलों का आविष्कार हुआ। इनकी अत्यधिक गति के कारण एक बार लॉन्च होने के बाद परमाणु हथियारों का अवरोध करना लगभग असम्भव-सा हो गया है।
- परमाणु हथियारों से होने वाले क्षति और सुभेद्यता को रोकने में न तो फॉलआउट शेल्टर और न ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम सफल हुए हैं। फॉलआउट शेल्टर एक ऐसा स्थान है, जिसे विशेष रूप से रेडियोधर्मी मलबे से रक्षा के लिये बनाया जाता है।

परमाणु हथियार और निवारक सिद्धांत

- परमाणु हथियार सम्पन्न देशों द्वारा इसकी सुभेद्यता और गम्भीरता पर जो विचार व्यक्त किये गए, वे स्वयं में केवल आदर्श हैं। इन विचारों के अनुसार, परमाणु हथियारों का उपयोग परमाणु सम्पन्न राज्यों के विरुद्ध निवारक सिद्धांत के कारण लगभग असम्भव है।
- परमाणु हथियार इतने विनाशकारी होते हैं कि कोई भी देश उनका उपयोग नहीं करेगा क्योंकि इससे उस देश के विरुद्ध भी परमाणु हमलों का खतरा पैदा हो जाएगा। इस प्रकार, कोई भी देश अपने नागरिकों की सम्भावित मौत के जोखिम के लिये तैयार नहीं होगा। यही निवारक सिद्धांत के पीछे का विचार है।
- निवारक सिद्धांत के उत्साही लोगों का दावा है कि परमाणु हथियार न केवल दूसरे देशों द्वारा परमाणु हमलों के खिलाफ रक्षा करते हैं, बल्कि सम्भावित युद्ध को भी रोकते हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- हालाँकि इस तरह से स्थिरता को बढ़ावा मिलने सम्बंधी सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं, जब परमाणु खतरों ने अन्य देशों में डर (निवारक) पैदा नहीं किया है। परिणामस्वरूप डर की कमी के कारण हमेशा सावधानी (निवारक उपाय) नहीं बरती गई है।
- इसके विपरीत कुछ मामलों में परमाणु खतरों से आक्रामकता पैदा हुई है और यह आक्रामकता गतिरोध को बढ़ा सकती है, जैसा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान फिदेल कास्त्रो के साथ हुआ था।
- साथ ही परमाणु निरोध को स्थिर नहीं माना जाना चाहिये। रणनीतिक नियोजक अधिकांशत: अन्य देशों की मंशा और क्षमताओं के बारे में सबसे खराब स्थिति वाली धारणाओं का ही उपयोग करते हैं, जिससे अधिक विनाशकारी क्षमताओं के विकास के लिये तार्किक आधार को बल मिलता है।
- यह सोच परमाणु शस्त्रागार के अंतहीन उत्थान को बढ़ाता देता है और नए देशों को भी परमाणु हथियारों से सम्पन्न होने के लिये आधार मिल जाता है।

परमाणु हथियार और उसके नियंत्रण का भ्रम

- परमाणु हथियारों के नियंत्रण का भ्रम भी एक अन्य चिंता का विषय है। वास्तविकता में योजनाकारों व रणनीतिकारों के लिये पूर्ण नियंत्रण रखना सम्भव नहीं है। परमाणु हथियारों को सही प्रकार से नियंत्रित करने और उसकी सुरक्षा में विश्वास अति आत्मविश्वास पैदा करती है, जो खतरनाक है।
- इस मामले में फिर से क्यूबाई मिसाइल संकट को सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है क्योंकि लगभग चार दशकों के अनुसंधान और सरकारी दस्तावेज़ों ने इस संकट के खत्म होने में भाग्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ही स्वीकार किया है, न कि नियंत्रण व निवारक उपायों को।
- ऐसे कई और मामले हैं, जब विश्व परमाणु युद्ध के करीब आ गया था परंतु परमाणु हथियार और उसके नियोजन की गोपनीयता के कारण शायद आमजन को कभी इसका आभास नहीं हो पाया।

निष्कर्ष

- सभी परमाणु हथियार सम्पन्न देशों ने इस सम्भावना को स्वीकार किया है कि निवारक उपाय विफल हो सकता है क्योंकि वास्तव में उन देशों द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग करने की योजना के साथ-साथ परमाणु युद्ध लड़ने की भी तैयारी की जाती है। इस प्रकार यह सोचना एक भ्रम है कि परमाणु युद्ध असम्भव है। हिरोशिमा में अपने सम्बोधन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 'परमाणु हथियार विहीन विश्व के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और हर समय शांति' के लिये संकल्प लिया। हाल ही में जापान के संविधान में एक प्रमुख शांतिवादी खंड को संशोधित करने के प्रयासों के लिये शिंजो आबे की आलोचना भी की गई थी। इसके अतिरिक्त यू.एन. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि परमाणु जोखिम को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र तरीका परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करना है।

करेंट अफेयर्स
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कतर के हवाई क्षेत्र के सम्बंध में निर्णय 18
ग्रीस और तुर्की के मध्य बढ़ते तनाव का कारण 20
हथियार नियंत्रण की धूमिल होती सम्भावना 23
स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020 रिपोर्ट 25
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2020 27
रूस और अमेरिका के साथ भारत के रक्षा सम्बंधों के लिये 28
सी.ए.ए.टी.एस.ए. के निहितार्थ 28
अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने के निहितार्थ 30
अमेरिका-कनाडा सीमा पर विभाजन बढ़ने का कारण 33
बेरूत विस्फोट तथा अमोनियम नाइट्रेट 34
भारत-ईरान सम्बंध और चीन की रणनीति 37
रूस-भारत-चीन त्रिकोण : भारत के लिये बढ़ता महत्त्व 40
अमेरिका द्वारा वीज़ा प्रतिबंध : कारण, प्रभाव व प्रतिक्रिया 42
गन, जर्म्स और स्टील संकट 46
चाबहार परियोजना : भारत-ईरान के तनावपूर्ण होते सम्बंध 47
जापान-भारत सहयोग 49
भारत तथा पड़ोसी देश : सम्बंधों का बदलता समीकरण 51
भारत-श्रीलंका मुद्रा विनिमय समझौता 53
मॉरीशस का नया उच्चतम न्यायालय भवन 55

राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम

उत्तर-पूर्व में परिसीमन : प्रश्न और चिंताएँ 59
आपदाओं के दौरान चुनाव और निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ 62
ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 64
राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति 65
भारत में एक व्यापक भेदभाव निषेध कानून की आवश्यकता का परीक्षण 67
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 : समय की मांग 69
डिजिटल शिक्षा सम्बंधी दिशा-निर्देश : प्रज्ञाता 70
कोविड-19 के बाद सतत विकास लक्ष्यों का स्वरूप 73
जनसंख्या परिवर्तन : चुनौती या अवसर 74
स्मार्ट सिटी मिशन के बदलते प्रतिमान 76
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 77
यातना-रोधी कानून की आवश्यकता का परीक्षण 81

5 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कतर के हवाई क्षेत्र के सम्बंध में निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कतर के हवाई परिचालन पर कुछ देशों द्वारा लगाई गई नाकेबंदी तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के सम्बंध में कतर के पक्ष में निर्णय दिया है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2017 में 4 अरब देशों ने कतर के साथ सम्बंधों को तोड़ते हुए अपने हवाई क्षेत्रों को कतर और उसकी एयरलाइन के लिये प्रतिबंधित कर दिया था। इन देशों द्वारा कतर पर पूर्ण नाकेबंदी/प्रतिबंधों (Blockade) के तीन वर्षों के बाद सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से एक बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत द्वारा उक्त 4 देशों की अपील को खारिज कर दिया गया है। यह अपील कतर के विरुद्ध इन देशों द्वारा लगाए गए हवाई प्रतिबंधों की वैधता पर निर्णय करने के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (ICAO) के अधिकारों को चुनौती देने से सम्बंधित थी। 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण', संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय विमानन एजेंसी है। हालाँकि नाकेबंदी अभी भी लागू है और अगले वर्ष आई.सी.ए.ओ. द्वारा कतर के पक्ष में निर्णय आने की आशा है, जो कतर के साथ-साथ उसके राष्ट्रीय हवाई परिवहन 'कतर एयरवेज' के लिये एक बड़ी जीत मानी जाएगी। **कतर के खिलाफ प्रतिबंध और नाकेबंदी (Blockade)**

- जून 2017 में कतर के तीन पड़ोसी देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के साथ-साथ मिस्र (Egypt) ने कतर के लिये सभी शिपिंग और हवाई मार्ग को बंद करते हुए कतर से सभी कूटनीतिक और आर्थिक सम्बंधों को तोड़ लिया था। ये तीनों देश सऊदी अरब के बड़े सहयोगी माने जाते हैं।
- सऊदी अरब और सहयोगी देशों द्वारा कतर के साथ सम्बंध खत्म करने का कारण कतर द्वारा इस क्षेत्र में कथित तौर पर आतंकवाद को समर्थन प्रदान करना और ईरान के साथ उसके सम्बंधों को बताया गया है।
- हालाँकि कतर ने इस्लामी चरमपंथ का समर्थन करने से इंकार किया है और इस तरह की नाकेबंदी को अपनी सम्प्रभुता पर स्पष्ट हमला बताया है।
- कतर के पड़ोसियों ने पूर्ववर्ती सम्बंधों को बहाल करने के लिये दोहा के सामने 13-सूत्रीय मांग रखी थी।
- इनमें कुछ प्रमुख मांगों में कतर द्वारा अल-जजीरा जैसे समाचार आउटलेट को बंद करना, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ सम्बंधों को तोड़ना, शिया-बहुल ईरान के साथ सम्बंधों में कमी लाना और देश में तैनात तुर्की सैनिकों को हटाना शामिल हैं।
- वर्ष 2017 से कतर के साथ लगने वाली एकमात्र स्थलीय सीमा (सऊदी अरब के साथ) की भी नाकेबंदी कर दी गई थी। इसमें कतर के जहाजों को सऊदी गठबंधन देशों के किसी भी बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकना भी शामिल है।
- साथ ही कतर के नागरिकों को भी इन देशों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था।
- इन देशों ने कतर के खिलाफ प्रतिबंधों को सही ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये यह उनका सम्प्रभु अधिकार था।

आई.सी.जे. का निर्णय

- सऊदी गठबंधन देशों द्वारा हवाई नाकेबंदी के विरोध में कतर ने वर्ष 1944 के 'नागरिक उड्डयन पर

अभिसमय' के तहत मुक्त हवाई आवागमन (Free Passage) के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके लिये कतर ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (ICAO) से सम्पर्क किया, जिसका गठन इसी अभिसमय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विमानन संस्था के रूप में किया गया है।

- आई.सी.ए.ओ. में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने तर्क दिया कि ऐसे विवाद को निपटाने का अधिकार केवल आई.सी.जे. के पास होना चाहिये क्योंकि यह केवल विमानन मामलों से जुड़ा मुद्दा नहीं है।
- वर्ष 2018 में आई.सी.ए.ओ. ने सऊदी गठबंधन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले की सुनवाई उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।
- इसके बाद इन चार देशों द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया, जिसने 15-1 के बहुमत से आई.सी.ए.ओ. के निर्णय और क्षेत्राधिकार का समर्थन किया।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अब आई.सी.ए.ओ. द्वारा अगले वर्ष कतर पर लगाए गए हवाई नाकेबंदी पर फैसला देने की उम्मीद है।

कतर और सऊदी के सम्बंधो में तनाव का कारण

- कतर ने लम्बे समय से अपनी विदेश नीति को अन्य अरब पड़ोसियों से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया है, जो उसके क्षेत्रीय अरब पड़ोसियों की प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाती है।
- इस नीति में शिया बहुल ईरान के साथ घनिष्ठ आर्थिक और कूटनीतिक सम्बंध शामिल हैं। ईरान को सुन्नी बहुल सऊदी का एक बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।
- इसके अलावा कतर और तुर्की भी एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं। रूस व तुर्की के सम्बंधों में घनिष्ठता तथा तुर्की व अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी का असर सऊदी और तुर्की के सम्बंधों पर भी पड़ा है।
- 6 सदस्यीय 'खाड़ी सहयोग संगठन' के अधिकतर कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मामलों की अगुवाई सऊदी अरब करता है।
- इसी की अगुवाई में 5 जून, 2017 को सऊदी अरब, यू.ए.ई. और बहरीन ने कतर के साथ सम्बंधों में कटौती करने के साथ-साथ कतर के नागरिकों को 14 दिनों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया था। मिस्र द्वारा भी दोहा के साथ कूटनीतिक सम्पर्क को तोड़ दिया गया था।

कतर की कूटनीति

- सऊदी सहयोगियों द्वारा बहिष्कार का सामना कर रहे कतर ने कुछ वर्ष पूर्व दूसरे देश के प्रवासियों हेतु अतिरिक्त अधिकारों के साथ स्थाई निवास कार्ड जारी करने सम्बंधी ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 6 सदस्यीय खाड़ी सहयोग संगठन के रूढ़िवादी समाजों में बदलाव की क्षमता को बढ़ाना था। इस निर्णय को कतर के जनसम्पर्क रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि खाड़ी देशों में नागरिकता कानून बहुत सख्त हैं।
- साथ ही कतर द्वारा इस कानून के माध्यम से व्यापार करने में दी गई छूट को निवेश बढ़ाने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।
- कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास का समर्थन करने के साथ-साथ इस्लामिक स्टेट पर अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का भी समर्थक रहा है और उसने सीरिया में बशर अल-असद के शासन से लड़ने वाले विद्रोहियों की सहायता भी की है।
- इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्षों की सदस्यता के बाद कतर ने जनवरी 2019 में 'ओपेक' की सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि कतर द्वारा इस कदम को पूर्ण रूप से व्यापारिक निर्णय बताते हुए कहा गया था कि कतर अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देगा। फिर भी माना जाता है कि यह निर्णय सऊदी नेतृत्व वाले ओपेक को कमज़ोर करने का एक राजनीतिक प्रयास था।

ग्रीस और तुर्की के मध्य बढ़ते तनाव का कारण

पृष्ठभूमि

हाल के दिनों में नाटो संगठन के दो सहयोगी देशों तुर्की और ग्रीस (यूनान) के मध्य तनाव अधिक गहरा होता जा रहा है। वर्तमान में विवाद का प्रमुख कारण तुर्की द्वारा प्रसिद्ध हागिया सोफिया इमारत को मस्जिद में बदले जाने के साथ-साथ पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में तेज़ी लाना है। इसके अतिरिक्त फरवरी माह में तुर्की द्वारा ग्रीस व यूरोपीय संघ के देशों में हज़ारों सीरियाई प्रवासियों को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करना भी एक मुद्दा रहा है।

भूमध्यसागरीय क्षेत्र में दोनों पड़ोसी देश

- सदियों से तुर्की और ग्रीस ने विविध प्रकार से इतिहास को साझा किया है। वर्ष 1830 के आस-पास ग्रीस ने आधुनिक तुर्की के पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल की थी।
- वर्ष 1923 में दोनों देशों ने अपनी मुस्लिम और ईसाई आबादी का आदान-प्रदान किया था। इतिहास में इन दोनों देशों के मध्य भारत विभाजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवसन (Migration) माना जाता है।
- साइप्रस संघर्ष के दशकों पुराने मुद्दे पर भी दोनों राष्ट्र एक-दूसरे का विरोध करते रहे हैं। दो ऐसे अवसर आ चुके हैं, जब दोनों देश एजियन सागर में अन्वेषण अधिकारों को लेकर लगभग युद्ध जैसी स्थिति में पहुँच गए थे।
- हालाँकि दोनों देश 30 सदस्यीय नाटो गठबंधन के सदस्य हैं, साथ ही तुर्की आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के लिये भी एक उम्मीदवार है। ध्यातव्य है कि ग्रीस यूरोपीय संघ का पहले से ही एक सदस्य है।

हागिया सोफिया विवाद (The Hagia Sophia Row)

- सदियों पुरानी हागिया सोफिया इमारत का निर्माण मूल रूप से एक केथेड्रल चर्च के रूप में (530-537 ईस्वी के दौरान) बाइज़ेन्टाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टीनियन प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ था।
- 1453 ईस्वी में इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य (सुल्तान मेहमत द्वितीय) द्वारा इस्तांबुल (कांस्टेंटिनोपल) पर कब्जे के बाद इस चर्च को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध यह स्थल उस्मान वास्तुशिल्प का विशिष्ट उदाहरण है।
- 1935 ईस्वी में मुस्तफा कमाल अतातुर्क (पाशा) द्वारा धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि के रूप में इसे एक संग्रहालय बना दिया गया। वस्तुत: हागिया सोफिया, आया सोफिया (तुर्की) और सेंट सोफिया (अंग्रेजी) नाम से भी प्रसिद्ध है।
- बहुत-से यूनानी अभी भी हागिया सोफिया को सम्मान की नज़र से देखते हैं। यह इमारत परम्परावादी (Orthodox) ईसाइयत के प्रमुख स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अत: पिछले माह तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा इस ढाँचे को मुस्लिम पूजा स्थल के रूप में खोलने के आदेश के बाद तनाव बढ़ गया।
- तुर्की के इस कदम को 'कमज़ोरी का प्रमाण' बताते हुए ग्रीक ने ढाँचे के रूपांतरण को '21वीं सदी की सभ्यता का तिरस्कार' कहा है। अंतत: धार्मिक मसलों के कारण दोनों देशों के मध्य एक-दूसरे को इस्लाम और धर्मनिरपेक्षता का विरोधी मानते हुए तनाव बढ़ गया है।

पूर्वी भूमध्यसागरीय विवाद

- पिछले 40 वर्षों से तुर्की और ग्रीस पूर्वी भूमध्य और एजियन सागर के क्षेत्रों पर अधिकार और दावे को

लेकर असहमत हैं। ये क्षेत्र तेल और गैस के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं।

- जुलाई के तीसरे सप्ताह में तुर्की ने समुद्र के एक विवादित हिस्से में तेल और गैस की खोज के लिये ड्रिलिंग जहाज (ओरुक रीस- Oruc Reis) भेजने की घोषणा की, जिसके जबाव में ग्रीस द्वारा सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने के बाद तनाव और बढ़ गया।
- यह ड्रिलिंग सर्वेक्षण तुर्की के दक्षिणी तट के पास ग्रीस के एक द्वीप के निकट जलीय विवादित क्षेत्र में किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण चेतावनी (Navtex) साइप्रस और क्रीट के बीच के क्षेत्र को लेकर है।
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रीस का समर्थन करते हुए तुर्की को एजियन सागर में उल्लंघन के दंडस्वरूप 'प्रतिबंधित' किये जाने की बात कही है।
- हालाँकि जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद तुर्की ने कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोक दिया है।

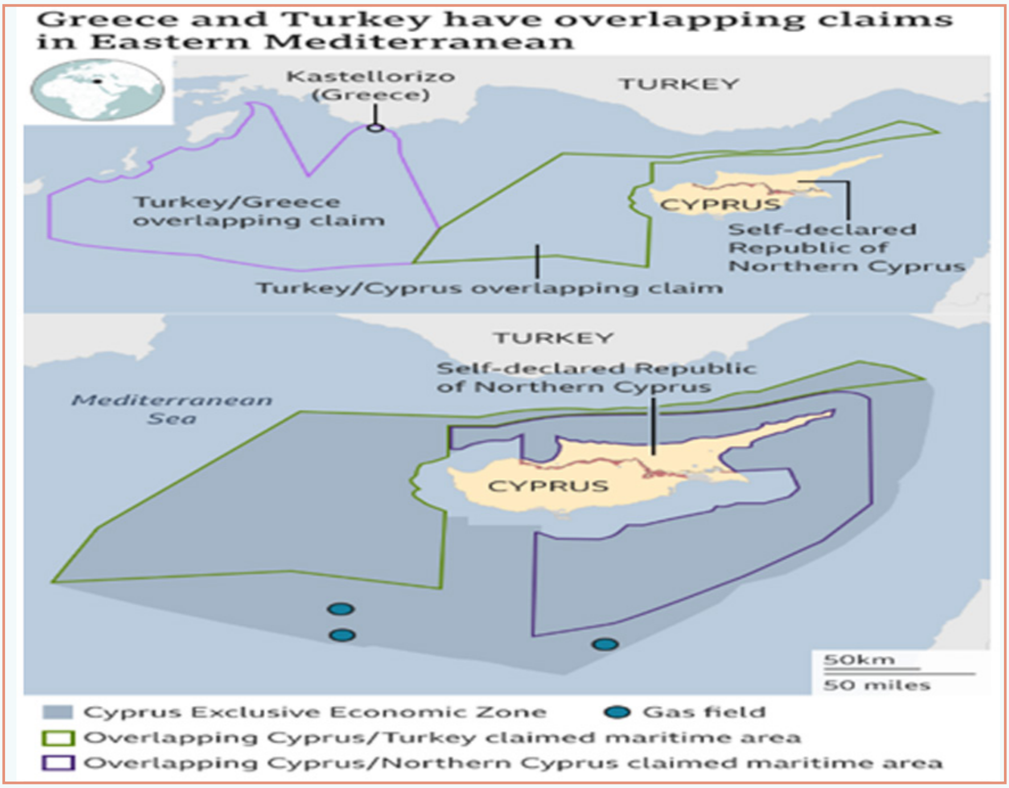

ऊर्जा संसाधन

- हाल के वर्षों में साइप्रस के जलीय क्षेत्र में गैस का विशाल भंडार पाया गया है। इसने साइप्रस सरकार, ग्रीस, इजरायल और मिस्र को संसाधनों के अधिकतम दोहन हेतु मिलकर काम करने के लिये प्रेरित किया है।
- इस समझौते के तहत भूमध्यसागर में लगभग 2,000 किमी. पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति यूरोप को की जाएगी। पूर्वी भूमध्यसागर में ऊर्जा संसाधन विकसित करने की दौड़ में तुर्की और ग्रीस आमने-सामने हैं।
- तुर्की के नियंत्रिण वाले उत्तरी साइप्रस को केवल तुर्की द्वारा ही एक गणतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। पिछले वर्ष इसी क्षेत्र में तुर्की ने साइप्रस के पश्चिम में ड्रिलिंग के कार्य को आगे बढ़ाया। तुर्की ने तर्क दिया है कि इस द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों को साझा किया जाना चाहिये।

- नवम्बर 2019 में तुर्की और लीबिया के मध्य तुर्की के दक्षिणी तट से लीबिया के उत्तर-पूर्वी तट तक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) के लिये समझौता हुआ है। मिस्र ने इसे अवैध कहा है, साथ ही ग्रीस ने भी क्रीट द्वीप के सम्बंध में इसका विरोध किया है।
- पूर्वी भूमध्यसागर में ड्रिल करने के लिये तुर्की पेट्रोलियम को कई लाइसेंस जारी किये गए हैं। इनमें यूनानी द्वीप रोड्स और क्रीट भी शामिल हैं।

कानूनी और जलीय क्षेत्र के मुद्दे

- एजियन और पूर्वी भूमध्यसागर में ग्रीस के कई द्वीप तुर्की तट के भीतर हैं, इसलिये क्षेत्रीय जल के मुद्दे काफी जटिल हैं और दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुँच चुके हैं।
- यदि ग्रीस अपने क्षेत्रीय जल की सीमा का विस्तार 6 मील से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकतम 12 मील तक करना चाहता है तो तुर्की का तर्क है कि उसके समुद्री मार्ग गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे।
- क्षेत्रीय जल के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) से सम्बंधित मुद्दे भी विवाद का विषय रहे हैं।

प्रवासियों के मुद्दे

- इसी वर्ष फरवरी-मार्च के महीने में तुर्की ने सीरिया से आने वाले प्रवासियों को यूरोप और ग्रीस में प्रवेश करने के लिये ग्रीस से सटे अपने प्रवेश द्वार खोल दिये थे।
- यह सीरियाई गृहयुद्ध में तुर्की द्वारा अधिक समर्थन प्राप्त करने और यूरोपीय संघ को भयादोहन (Blackmail) करने की कोशिश में यूरोप पर दबाव बनाने का एक स्पष्ट प्रयास था। सीरिया, तुर्की के दक्षिण में स्थित है।

तुर्की द्वारा गुप्त योजना

- जून 2020 में नॉर्डिक रिसर्च मॉनिटरिंग नेटवर्क ने कुछ गुप्त तुर्की दस्तावेज़ों का खुलासा किया है। उसमें से जून 2014 के दिनांक वाले एक दस्तावेज़ में ग्रीस के खिलाफ एक ऑपरेशन का उल्लेख किया गया है।
- इस ऑपरेशन का नाम 'टी.एस.के. (तुर्की सशस्त्र बल) काकाबेय संचालन योजना निर्देश (TSK [Turkey Armed Forces] Cakabey Operation Planning Directive) था।
- इस ऑपरेशन का नामकरण काकाबेय के नाम पर किया गया था। यह वह व्यक्ति है, जिसने एजियन सागर में स्थित द्वीपों के खिलाफ पहली बार तुर्की अभियान का नेतृत्व किया था।

आगे की राह

- दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रीय, जलीय व संसाधनों के दोहन के मुद्दों के साथ-साथ धार्मिक और भू-रणनीतिक विवाद हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक तथा प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रीस के भाग लेने जैसे मुद्दे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैचारिक मतभेद के विषय रहे हैं।
- हालाँकि दोनों देशों के मध्य सहयोग के बिंदु भी हैं। ग्रीक द्वारा यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिये तुर्की के समर्थन के कारण ग्रीस और तुर्की के बीच आधिकारिक सम्बंधों में सुधार देखा गया था।
- वर्ष 2016 में ग्रीस ने इजरायल, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुर्की को भी एक 'सम्माननीय देश' का दर्जा प्रदान किया था।
- प्रत्येक वर्ष चार देशों को ग्रीस द्वारा 'सम्माननीय देश' के रूप में चुना जाता है और उस देश के नागरिक ग्रीस में अतिरिक्त लाभ व छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- इस तरह से सहयोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही दोनों देशों के मध्य सहमति के अन्य बिंदुओं को भी खोजने की ज़रूरत है।

हथियार नियंत्रण की धूमिल होती सम्भावना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान/सिपरी (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) द्वारा एक वार्षिकी (Yearbook) जारी की गई है। इस वार्षिकी में शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी)

- स्वीडन स्थित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) वर्ष 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- यह संस्थान नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों द्वारा जुटाए गए आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण और सिफारिशें करता है।
- इस संस्थान के अनुसंधान एजेंडों, गतिविधियों और वित्तीय प्रशासन से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय गवर्निंग बोर्ड द्वारा, जबकि अन्य मामलों से सम्बंधित निर्णय निदेशक द्वारा लिये जाते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका 1750 तैनात परमाणु हथियारों के साथ शीर्ष स्थान पर है तथा इसके पास कुल 5800 परमाणु हथियार हैं। 1570 तैनात और 6375 कुल परमाणु हथियारों के साथ रूस दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन के पास कुल 215 परमाणु हथियार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, सभी परमाणु हथियार सम्पन्न देशों द्वारा निरंतर परमाणु शस्त्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही भारत और चीन द्वारा गत वर्ष में अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि की गई है।
- परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण में चीन ने महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है। चीन का परमाणु शस्त्रागार वर्ष 2019 में 290 वॉरहेड्स से बढ़कर वर्ष 2020 में 320 वॉरहेड्स हो गया।
- चीन ऐसा परमाणु त्रयी (Nuclear Triad) विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जो भूमि एवं समुद्र आधारित मिसाइल और परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम विमान से निर्मित है।
- भारत का परमाणु शस्त्रागार वर्ष 2019 में 130-140 की अपेक्षा वर्ष 2020 में बढ़कर 150 हो गया।
- पाकिस्तान भी अपनी परमाणु शक्ति और विविधता को धीरे-धीरे बढ़ा रहा है, वर्ष 2020 में पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्रागारों की संख्या 160 है।
- चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के केंद्रीय भाग के रूप में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2019 के मध्य हथियारों की खरीद में 5-5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में सैन्य सुविधाओं पर लगभग 1917 बिलियन डॉलर (लगभग 145 लाख करोड़ रुपए) व्यय हुआ था। यह पिछले 10 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक व्यय है।
- उत्तर अफ्रीकी देशों द्वारा वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में सैन्य सुविधाओं पर 67% धनराशि अधिक खर्च की गई है।

वैश्विक परिदृश्य

- परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों, यथा- अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया के पास वर्ष 2019 की शुरुआत में अनुमानित कुल 13,865 परमाणु हथियार थे, जो कि वर्ष 2020 की शुरुआत में घटकर 13,400 हो गए।
- परमाणु हथियारों में कमी का मुख्य कारण रूस और अमेरिका द्वारा पुराने परमाणु हथियारों का विघटन किया जाना है। इन दोनों देशों के पास वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक है।
- नई रणनीतिक हथियार न्यूनीकरण संधि 2010 'न्यू स्टार्ट' (New START- Strategic Arms Reduction Treaty) के तहत अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियारों में कमी की गई है। यह संधि वर्ष 2021 में समाप्त हो जाएगी। इसलिये एक नई संधि पर बातचीत के साथ-साथ ही एक नई शुरुआत की जानी चाहिये।
- न्यू स्टार्ट पर गतिरोध एवं अमेरिका और रूस के बीच 'मध्यम दूरी परमाणु संधि' को वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि रूस एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों का दौर समाप्त हो रहा है।

मध्यम दूरी परमाणु संधि (Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty)

- वर्ष 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौर में रूस ने यूरोपीय देशों को निशाना बनाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के आस-पास मध्यम दूरी की सैकड़ों मिसाइलें तैनात कर दी थी। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी।
- इसके बाद वर्ष 1987 में शीत युद्ध की स्थिति को समाप्त करने के लिये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाच्योव के बीच 'मध्यम दूरी परमाणु संधि' (आई.एन.एफ. संधि) की गई थी।
- यह संधि इन दोनों देशों को ज़मीन से मार करने वाली ऐसी मिसाइलें बनाने से रोकती है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हों एवं जिनकी मारक क्षमता 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक हो।
- इस संधि ने यूरोप में एक सम्भावित परमाणु युद्ध की आशंकाओं को दूर करने के साथ-साथ शीत युद्ध की समाप्ति में भी योगदान दिया तथा वाशिंगटन व मास्को के मध्य काफी हद तक विश्वास कायम किया।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुद्दे

- रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु सम्पन्न देशों के परमाणु हथियारों और क्षमताओं के सम्बंध में विश्वसनीय जानकारी में बड़े पैमाने पर भिन्नता है।
- शुरुआत से ही अमेरिका अपनी परमाणु भंडार और क्षमताओं से सम्बंधित जानकारी का खुलासा करता था किंतु वर्ष 2019 से अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से इस पद्धति को ही समाप्त कर दिया है।

अन्य चिंताएँ

- रूस और अमेरिका द्वारा पहले से ही अपने परमाणु वॉरहेड और डिलिवरी सिस्टम को परिवर्तित करने तथा अत्याधुनिक बनाने की घोषणा की जा चुकी है।
- रूस एवं अमेरिका दोनों देशों ने अपनी सैन्य योजनाओं और सिद्धांतों के सम्बंध में परमाणु हथियारों के लिये नई और विस्तृत भूमिकाएँ निर्धारित की हैं, जो कि परमाणु हथियारों के क्रमिक सीमांकन की प्रवृत्ति के बिलकुल उलट दिखाई पड़ती है।

आगे की राह

हथियारों और मिसाइलों की होड़ शुरू होने पर अमेरिका, रूस, चीन या उभरती हुई कोई अन्य महाशक्ति तब तक निश्चिंत नहीं हो सकती, जब तक सम्बंधित देश इसे रोकने और आपसी विश्वास बहाली के लिये मिलकर कोई रास्ता नहीं निकालते। इसके साथ ही रूस और अमेरिका जैसे देशों को, जिनके पास सम्पूर्ण परमाणु हथियारों का 90% से अधिक है, उन्हें हथियारों के न्यूनीकरण की दिशा में और गम्भीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिये।

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020 रिपोर्ट' जारी की गई, जिसमें भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से सम्बंधित आधिकारिक आँकड़े जारी किये गए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 'स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2020 रिपोर्ट', 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन', 'अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष' और 'यूनिसेफ' के साथ-साथ 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' और 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण वर्ष 2017 में जारी किया गया था।
- इस रिपोर्ट में सस्ते स्वास्थ्य आहारों की उपलब्धता के लिये खाद्य प्रणालियों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही वर्तमान में खाद्य प्रणालियों व आदतों के पैटर्न के साथ छिपे हुए स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन लागतों पर भी एक नया विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
- रिपोर्ट में सतत् विकास लक्ष्यों में भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करने के लिये सभी आवश्यक प्रयास करने की भी सिफारिश की गई है।
- यह रिपोर्ट इस बात का संकेत करती है कि खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई आज भी एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक ज़ीरो हंगर के लक्ष्य को पूरा करने हेतु गम्भीरता के साथ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

- कोविड-19 महामारी के चलते आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 8-13 करोड़ लोगों के भूखे रहने की सम्भावना है। वर्ष 2019 में दुनिया भर में लगभग 69 करोड़ लोग भूख की समस्या से प्रभावित थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 के बाद से भुखमरी में लगातार वृद्धि हो रही है और वैश्विक स्तर पर कुपोषण या भुखमरी से प्रभावित लोगों का समग्र प्रतिशत 8.9 है। वर्तमान में एशिया कुपोषित लोगों की संख्या में (लगभग 38 करोड़) पहले स्थान पर, अफ्रीका दूसरे तथा लैटिन अमेरिकी और केरेबियाई देश क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार, स्वस्थ और पोषक आहार की कीमत 143 रुपए (1.90 डॉलर) से अधिक है। विश्व में स्वस्थ आहार न पाने वाले लोगों की संख्या लगभग 300 करोड़ या चीन व भारत की संयुक्त आबादी से भी अधिक है।

अन्य प्रमुख तथ्य

- वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 21.3% (14.4 करोड़) बच्चे बौनेपन (Stunting) के शिकार हैं, जबकि लगभग 6.9% (4.7 करोड़) बच्चे दुबलेपन (Wasting) की समस्या से प्रभावित हैं तथा 5.6% बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं।
- आर्थिक मंदी बेरोज़गारी को जन्म देती है, इससे लोगों की भोजन तक पहुँच सीमित होती है, जिससे समस्या और भी जटिल हो जाती है।
- मुख्य समस्या लोगों द्वारा स्वस्थ व पोषक आहार को खरीदने की अक्षमता है।

इस रिपोर्ट में नया क्या है?

- वर्ष 2020 की रिपोर्ट में जनसंख्या के नए आँकड़े, नए खाद्य संतुलन चार्टर और चीन सहित कई अधिक आबादी वाले देशों के लिये घरेलू सर्वेक्षण सम्बंधी डाटा एवं ताजा आँकड़ों को भी उपलब्ध करवाया गया है, जो कि भुखमरी का सटीक अनुमान लगाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे।
- रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कोविड-19 महामारी का खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया है।

रिपोर्ट में सरकारों को दिये गए सुझाव

- पोषण आधारित खाद्यान्न फसलों को कृषि की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिये।
- भोजन की बर्बादी के साथ-साथ भोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण व विपणन सम्बंधी लागतों में कमी करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- स्थानीय व लघु-स्तर के अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उगाने एवं बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि बाजार तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- बच्चों के खाने में पोषण की प्राथमिकता पर बल दिया जाना चाहिये। साथ ही, शिक्षा और संचार के माध्यम से उनके खाद्य व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और निवेश रणनीतियों में पोषण को एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता के रूप में अपनाया जाना चाहिये।

आगे की राह

- कुपोषण तथा गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है, इसलिये कुपोषण से लड़ने के लिये पहले गरीबी की समस्या को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- भारत में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद व्यापक स्तर पर कुपोषण तथा भुखमरी की समस्या गहरी हैं। इसके सुधार हेतु देश के प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी तथा प्रतिक्रियात्मक बनाने पर बल दिया जाना चाहिये।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों?

30 जून, 2020 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (The United Nations Population Fund/UNFPA) द्वारा वैश्विक आबादी स्थिति रिपोर्ट, (Global Population Status Report) जारी की गई है, जिसमें महिलाओं की आबादी में गिरावट के सम्बंध में चर्चा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर केंद्रित है। महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation), बाल विवाह और लड़कियों के खिलाफ चरम पूर्वाग्रह।
- रिपोर्ट के तहत पिछले 50 वर्षों में लापता हुई महिलाओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। यह संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 14 करोड़ 26 लाख हो गई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रसव-पूर्व या प्रसव के बाद लिंग निर्धारण के प्रभाव के कारण लापता हुई लड़कियों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
- एक विश्लेषण के अनुसार, कुल लापता लड़कियों में से लगभग दो तिहाई मामले और जन्म के समय होने वाली वाली मौत के एक तिहाई मामले लैंगिक आधार पर भेदभाव के कारण लिंग निर्धारण से जुड़े हैं।
- विभिन्न प्रयासों के बावजूद दहेज प्रथा व्यापक स्तर पर विद्यमान है।
- प्रति वर्ष जन्म की संख्या के मामले में चीन और भारत सबसे आगे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, सरकारों द्वारा लिंग चयन के मूल कारणों से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत और वियतनाम द्वारा लोगों की सोच बदलने की दिशा में बेहतर प्रयास किये गए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण कुछ देशों में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया है। इस जनसांख्यिकी असंतुलन का विवाह प्रणालियों पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा।
- साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष व्यापक स्तर पर लड़कियों को ऐसी कुप्रथाओं के अधीन लाया जाता है, जो उन्हें नियमित रूप से उनके परिवार, दोस्तों और समुदायों की सहमति से भावनात्मक और शारिरिक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। महिलाओं की सहमति को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है।
- रिपोर्ट में बाल विवाह की रोकथाम के लिये भारत द्वारा किये गए सराहनीय प्रयासों की चर्चा की गई है। भारत द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों के कारण दक्षिण एशिया में बाल विवाह में 50% तक की कमी आई है। हालाँकि, वर्तमान में भी बाल विवाह के सबसे अधिक मामले इसी क्षेत्र से हैं।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट में कहा गया है कि लापता हुई महिलाओं की संख्या चीन और भारत में सर्वाधिक है। प्रत्येक वर्ष लापता होने वाली बच्चियों में से 90% से अधिक भारत और चीन में होती हैं।
- विश्व में पिछले 50 वर्षों में लापता हुई 14 करोड़ 26 लाख महिलाओं में से 58 लाख महिलाएँ भारत से हैं। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 से 2017 के मध्य भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख 60 हजार बच्चियाँ जन्म के समय ही लापता हो गईं।
- रिपोर्ट में भारत द्वारा स्कूल में उपस्थिति पर नकद हस्तांतरण के सशर्त प्रावधान के साथ ही इस क्षेत्र में शुरू की गई 'अपनी बेटी अपना धन' (नकद हस्तांतरण योजना) की विशेष रूप से सराहना की गई है।

- रिपोर्ट में वर्ष 2055 तक भारत में विवाह योग्य पुरुषों की तुलना में विवाह योग्य स्त्रियों की संख्या न्यूनतम होने की सम्भावना व्यक्त की गई है।
- भारत में 51% युवा महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं तथा 47% युवा महिलाओं को मात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं, जिनका विवाह 18 वर्ष तक की उम्र में हो जाता है।

महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation–FGM)

- महिला जननांग विकृति, जिसे महिलाओं का खतना भी कहा जाता है। इसमें लड़कियों के जननांग के बाहरी हिस्से को आंशिक तौर पर या पूरी तरह से काट दिया जाता है, जिसका कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। लड़कियों और महिलाओं को इसके गम्भीर शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं।
- महिला जननांग विकृति मानवाधिकार हनन का एक ऐसा रूप है, जो लड़कियों और महिलाओं को उनकी गरिमा से वंचित करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है।
- अफ्रीका के 28 देशों सहित कुछ एशियाई देशों की महिलाएँ व लड़कियाँ जननांग विकृति का सर्वाधिक शिकार होती हैं। हालाँकि अब यह प्रथा अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया से आए प्रवासियों के कारण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भी सर उठा रही है।

स्थिति में सुधार हेतु सुझाव

- सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2030 तक जननांग विकृति को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझीदारों से एकीकृत ढ़ंग से साथ आने का आग्रह करता है।
- महिला जननांग विकृति, बाल विवाह और अन्य हानिकारक प्रथाओं तथा लड़कियों एवं महिलाओं के खिलाफ किये गए अत्याचारों को समाप्त करने के लिये तत्काल और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।
- बाल अधिकारों पर अभिसमय जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि करने वाले देशों का कर्त्तव्य है कि वे परिवार के सदस्यों, धार्मिक समुदायों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, वाणिज्यिक सेवा उद्यमों या स्वयं राज्य संस्थाओं द्वारा महिलाओं के शोषण और अत्याचारों से संरक्षण प्रदान करें।
- कई देशों द्वारा महिला सुरक्षा की दिशा में कड़े कानूनों का निर्माण किया गया है। ऐसे मामलों में केवल कानूनों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके उचित क्रियान्वयन के साथ-साथ लोगों की सोच और व्यवहार में भी बदलाव लाना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

पुरुष प्रधान संरचना में महिलाओं की निरंतर घटती संख्या समाज तथा राष्ट्र के लिये एक गम्भीर समस्या है। नारी स्वयं एक मूल्यवान शक्ति है, जिसे अपने अधिकारों के लिये स्वयं आगे आना चाहिये। इस स्थिति में प्रशासनिक नीतियों के साथ-साथ समाज के मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है।

रूस और अमेरिका के साथ भारत के रक्षा सम्बंधों के लिये सी.ए.ए.टी.एस.ए. के निहितार्थ

पृष्ठभूमि

हाल ही में भारत ने रूस से मिग-19 लड़ाकू विमानों सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेज़ी लाई है। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत सहित अन्य देशों के संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रूस से हथियारों की खरीद पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के रुख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सी.ए.ए.टी.एस.ए. (CAATSA)

- सी.ए.ए.टी.एस.ए. का पूरा नाम- 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रु सैंक्शंस एक्ट' (Countering America's Adversaries through Sanctions Act- CAATSA) है।
- यह एक अमेरिकी संघीय कानून है जो ईरान और उत्तर कोरिया सहित रूस की आक्रामकता का सामना दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायों से करता है।
- यह विधेयक साइबर सुरक्षा, कच्चे तेल की परियोजनाओं, भ्रष्टाचार व वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ मानवाधिकारों के हनन तथा रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ लेन-देन से सम्बंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।
- इसमें उन देशों/व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं जो रूस के साथ रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण लेन-देन में संलग्न हैं।
- इस अधिनियम की धारा 231 में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ 'महत्त्वपूर्ण लेन-देन' में संलग्न व्यक्तियों पर अधिनियम की धारा 235 में सूचीबद्ध 12 प्रतिबंधों में से कम से कम 5 प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, जिनमें दो सबसे कड़े निर्णय कुछ निर्यात लाइसेंस पर प्रतिबंध तथा प्रतिबंधित व्यक्तियों द्वारा इक्विटी / ऋण द्वारा अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- जुलाई 2018 में अमेरिका ने कहा था कि वह भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम को सी.ए.ए.टी.एस.ए. प्रतिबंधों में छूट देने के लिये तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति को वित्तीय वर्ष 2019 के लिये कुछ मामलों के आधार पर सी.ए.ए.टी.एस.ए. प्रतिबंधों में छूट देने का अधिकार दिया गया था।

चिंता के कारण

- अमेरिका ने वर्ष 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। हालाँकि अमेरिका मुख्य रूप से विमान और तोपखाने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्त्ता बन गया है, फिर भी भारत अभी पनडुब्बियों और मिसाइलों जैसे रूसी उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिन उपकरणों को प्रदान करने के लिये अमेरिका तैयार नहीं हुआ है।
- भारत में प्रयोग होने वाले सैन्य साजो-सामान व हार्डवेयर के लगभग 70% का स्रोत रूस है।
- इसके अतिरिक्त भारत, रूस के साथ S - 400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद प्रक्रिया में भी संलग्न है, अतः भारत सी.ए.ए.टी.एस.ए. के अंतर्गत अमेरीकी प्रतिबंधों का भी सामना कर सकता है। चूँकि अमेरिका ने बार-बार कहा है कि भारत को यह नहीं मानना चाहिये कि उसे छूट मिलेगी।
- अमेरिका के अनुसार, यह निश्चित नहीं है कि किस प्रकार के विशिष्ट लेन-देन के परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का परिणाम कैसा होगा।
- S - 400 को रूस की सबसे उन्नत लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली की खरीद के लिये वर्ष 2014 में रूस के साथ समझौते पर मुहर लगाने वाला चीन पहला विदेशी खरीदार था।

सी.ए.ए.टी.एस.ए. प्रतिबंधों का सामना करने वाले देश

- ध्यान देने योग्य है कि रूस 6 दशकों से अधिक समय से भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्त्ता देश रहा है। साथ ही ईरान, भारत के लिये एक बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता देश रहा है।
- सी.ए.ए.टी.एस.ए. के तहत अब तक अमेरिका द्वारा दो बार पहले ही प्रतिबंध लागू किया जा चुका है और दोनों बार यह प्रतिबंध रूस से वायु रक्षा प्रणाली की खरीद करने वाले देशों पर ही लगाया गया है।
- सितम्बर 2018 में अमेरिका ने S - 400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई S - 35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

- उल्लेखनीय है कि रूस द्वारा तुर्की को S - 400 की पहली खेप सौपने के बाद अमेरिका ने तुर्की को अमेरिकी F - 35 विमान खरीदने से रोक दिया था। हालाँकि यह प्रतिबंध सी.ए.ए.टी.एस.ए. को लागू किये बिना ही कर दिया गया था।

निष्कर्ष

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ सीमा संघर्ष के बीच भारत के लिये रक्षा खरीद महत्त्वपूर्ण हो गया है। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार है, जबकि अमेरिका भी वर्तमान में भारत का बड़ा कूटनीतिक सहयोगी है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने राष्ट्रीय हित से समझौता किये बिना रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने सम्बंध को संतुलित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने के निहितार्थ

पृष्ठभूमि

- जुलाई के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से सदस्यता वापस लेने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा मई के अंत में डब्ल्यू.एच.ओ. के वित्तपोषण को रोकने और इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से बाहर निकलने की घोषणा के बाद आया है।
- ट्रम्प के अनुसार, इस निकाय ने कोविड-19 से सम्बंधित सूचनाएँ देने में देरी के साथ-साथ सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। साथ ही डब्ल्यू.एच.ओ.का दृष्टिकोण चीन केंद्रित है। इससे पूर्व मई में ही श्री ट्रम्प ने आधिकारिक तौर पर 30 दिनों के भीतर डब्ल्यू.एच.ओ. में सुधारों की मांग की थी। हालाँकि यह स्पष्ट है कि इस महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की कई कमियों और कमजोरियों को उजागर किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization– WHO)

A. 'विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त' राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये कार्य करती है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ मिलकर योजनाओं को आगे बढ़ाता है।

B. डब्ल्यू.एच.ओ. विश्व भर में स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने व नीतिगत विकल्प पेश करने का कार्य करता है। साथ ही सदस्य देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य सम्बंधी प्रवृत्तियों की निगरानी व आंकलन के लिये भी ज़िम्मेदार है।

C. वर्तमान में डब्ल्यू.एच.ओ. में 194 सदस्य हैं। यू.एन. के सभी सदस्य देश डब्ल्यू.एच.ओ. के संविधान को स्वीकार करके उसके सदस्य बन सकते हैं। इस एजेंसी में अन्य देशों को सदस्यता तभी दी जा सकती है, जब उसके आवेदन को डब्ल्यू.एच.ए. (WHA- World Health Assembly) द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया गया हो।

D. डब्ल्यू.एच.ओ. का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है और यहीं पर डब्ल्यू.एच.ए. की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस संगठन में जिनेवा सहित 150 देशों में इसके कार्यालयों तथा छह क्षेत्रीय कार्यालयों में 7,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं।

E. 07 अप्रैल, 1948 को डब्ल्यू.एच.ओ. का संविधान लागू हुआ था, अतः प्रत्येक वर्ष 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यू.एच.ओ. के वर्तमान महानिदेशक इथोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मंत्री टेड्रोस एडहानॉम (Tedros Adhanom) हैं।

वर्तमान समस्या

- वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन में संशोधन ने ऐसी सभी घटनाओं के बारे में डब्ल्यू.एच.ओ. को सूचित करना अनिवार्य बना दिया था जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन सकती है।
- साथ ही ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी के सत्यापन हेतु किये जाने वाले अनुरोधों का जवाब देना भी आवश्यक बना दिया गया था।
- हालाँकि, डब्ल्यू.एच.ओ. के पास सदस्य राज्यों द्वारा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु शक्ति सीमित है, जिसमें सदस्य राज्यों के आधिकारिक विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना भी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर कोविड-19 के लिये चीन को ज़िम्मेदार ठहराने के लिये प्रयासरत है, जिस कारण से भी डब्ल्यू.एच.ओ. दबाव में है। साथ ही कई अन्य देश कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु चीन पर अर्थदंड लगाने की मांग कर रहे हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. का वित्तपोषण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्तपोषण चार प्रकार से होता है:
  - **अनुमानित/आकलित योगदान (Assessed Contribution)–** संगठन की सदस्यता हेतु सदस्य देश इस राशि का भुगतान करते हैं। इस राशि की गणना देश की जनसंख्या और धन के अनुपात में की जाती है। हाल के वर्षों में अनुमानित योगदान में गिरावट आई है और अब इसका हिस्सा कुल राशि में एक-चौथाई से भी कम है।
  - **निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान (Specified Voluntary Contributions)–** अनुमानित योगदान के अतिरिक्त सदस्य देशों द्वारा दी गई राशि इसके अंतर्गत आती है। अन्य योगदानों में होने वाली कमी के अधिकांश भाग को स्वैच्छिक योगदान द्वारा ही पूरा किया जाता है।
  - **कोर स्वैच्छिक योगदान (Core Voluntary Contributions)–** ऐसी गतिविधियाँ जिनमें संसाधनों के बेहतर प्रवाह व कार्यान्वयन में अवरोध समाप्त करने के लिये तत्काल वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, कोर स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्तपोषित होती है।
  - **पी.आई.पी. योगदान (Pandemic Influenza Preparedness– PIP Contributions)–** वर्ष 2011 में इंफ्लुएंजा वायरस महामारी के साझाकरण को मज़बूत व विकसित करने के साथ इसमें सुधार लाने तथा विकासशील देशों तक टीके व अन्य आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु 'महामारी इंफ्लुएंजा तत्परता' (पी.आई.पी.) योगदान को शुरू किया गया था।

वर्तमान में डब्ल्यू.एच.ओ. का फंडिंग पैटर्न

- वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के अनुसार, डब्ल्यू.एच.ओ. को प्राप्त कुल योगदान लगभग $ 5.62 बिलियन था, जिसमें निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान का हिस्सा सर्वाधिक था। इसके बाद क्रमशः अनुमानित योगदान, पी.आई.पी. योगदान और कोर स्वैच्छिक योगदान की हिस्सेदारी है, अर्थात- निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान, अनुमानित योगदान, पी.आई.पी. योगदान तथा कोर स्वैच्छिक योगदान।
- अमेरिका वर्तमान में डब्ल्यू.एच.ओ. का सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जिसकी हिस्सेदारी कुल धन का लगभग 14.67% है।
- लगभग 9.76% हिस्सेदारी के साथ 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
- तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता गावी वैक्सीन अलायंस (GAVI) है, जबकि चौथे व पाँचवे स्थान पर क्रमशः यू.के. व जर्मनी हैं।
- अगले चार सबसे बड़े दानदाता अंतर्राष्ट्रीय निकाय इस प्रकार हैं:

- ❖ मानवीय मामलों के समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय > विश्व बैंक > रोटरी इंटरनेशनल > यूरोपीय आयोग

- धन आवंटन में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाले कार्यक्रम क्रमशः इस प्रकार हैं –
  - ❖ पोलियो उन्मूलन (26.51 %)
  - ❖ आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ (12.04 %)
  - ❖ रोगों के टीके (8.89 %)

निहितार्थ

- चूँकि डब्ल्यू.एच.ओ. से हटने का निर्णय श्री ट्रम्प द्वारा स्पष्ट रूप से अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना लिया गया है और साथ ही यह निर्णय अगले वर्ष 6 जुलाई से ही प्रभावी हो सकेगा। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना है कि कांग्रेस या न्यायालय इस निर्णय को पलट दे।
- इसके अलावा कांग्रेस पहले से ही शिक्षाविदों और चिकित्सा संघों से इस निर्णय को खारिज करने के लिये दबाव का सामना कर रही है।
- अमेरिका द्वारा डब्ल्यू.एच.ओ. से हटने के फैसले से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गम्भीर परिणाम होगा। इस निर्णय से डब्ल्यू.एच.ओ. को तकनीकी विशेषज्ञता के नुकसान के साथ-साथ वित्तपोषण के मामले में भी एक बड़ा झटका लगेगा।
- डब्ल्यू.एच.ओ. को अब अपने संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, देश के मतदान के अधिकार को निलम्बित करना होगा और अपनी सेवाओं तक पहुँच से रोकना होगा।
- साथ ही कोरोनावायरस के अतिरिक्त अन्य इंफ्लुएंजा की वैक्सीन विकसित करने हेतु प्रयोग किये जाने वाले वायरस के स्ट्रेन का निर्धारण अधिकार खोने के साथ-साथ अमेरिका की अनुसंधान के लिये नए इंफ्लुएंजा वायरस के नमूनों तक कोई पहुँच नहीं होगी।
- अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य में डब्ल्यू.एच.ओ. के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा, पोलियो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को मज़बूत करने में भी शामिल है। अतः अमेरिका के इस निर्णय से वैश्विक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ऐसा अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर पोलियो कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि अमेरिका द्वारा दिये जाने वाले योगदान द्वारा वित्तपोषित होती है।
- अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकने से ऐसे कार्यक्रमों में रुकावट आ सकती है जिससे डब्ल्यू.एच.ओ. पर दबाब बढ़ने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त अमेरिका की स्वास्थ्य आसूचना (Intelligence) तक पहुँच भी कमज़ोर हो जाएगी।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि इस निर्णय से केवल डब्ल्यू.एच.ओ. को कमज़ोर करने के अतिरिक्त अमेरिका को कोई अन्य लाभ नहीं होगा। डब्ल्यू.एच.ओ. के कमज़ोर होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों के मध्य समन्वय, बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने और सलाह जारी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता को पूरा करने हेतु और उचित निर्णय पर पहुँचने के लिये निर्वाचित देशों के स्थाई प्रतिनिधियों द्वारा एक निकाय का निर्माण किया जाना चाहिये।

अमेरिका-कनाडा सीमा पर विभाजन बढ़ने का कारण

पृष्ठभूमि

हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को दोनों राष्ट्रों के बीच की सीमा को चरणबद्ध तरीके से पुनः खोलने के लिये पत्र लिखा है। सीमा पर ये प्रतिबंध मार्च के तीसरे सप्ताह में लगाए गए थे, जिसकी समय-सीमा 21 जुलाई को समाप्त हो रही है। वर्तमान समय में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर लगा कड़ा प्रतिबंध पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया था। दोनों देशों के बीच सीमा पर ढील देने और उसको पुनः खोलने का मुद्दा अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालाँकि कनाडा में सीमा को अतिशीघ्र खोलने का विरोध किया जा रहा है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच सीमा पर प्रतिबंध की घटना को कथित तौर पर वर्ष 1812 के युद्ध के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है।

अमेरिका-कनाडा सीमाः प्रमुख तथ्य

- अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा की लम्बाई लगभग 8,900 किमी. है, जिसमें ग्रेट लेक्स, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के तट पर स्थित सीमा क्षेत्र भी शामिल हैं। साथ ही इसमें महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित अलास्का (अमेरिका) के साथ लगी लगभग 2,475 किमी. की सीमा भी शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि ग्रेट लेक्स पाँच झीलों, यथा- लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो के समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह विश्व की सबसे लम्बी स्थलीय सीमा होने के साथ-साथ विश्व की सबसे लम्बी गार्ड रहित सीमा भी है। गार्ड रहित सीमा से तात्पर्य है कि दोनों देशों द्वारा इस सीमा पर सामान्य संचालन के अतिरिक्त कोई विशेष सुरक्षा तंत्र मौजूद नहीं है।
- वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही और कानूनी सुविधा का संचालन 'कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी' (सी.बी.एस.ए.) और 'यू.एस. सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा' (सी.बी.पी.) द्वारा किया जा रहा है।
- चीन-अमेरिका के बाद अमेरिका-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018 में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझीदारी थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के मध्य प्रतिदिन वस्तु व सेवाओं के रूप में $ 2 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है। साथ ही दोनों देश के नागरिकों को एक-दूसरे के यहाँ लाखों की संख्या में रोज़गार प्राप्त हैं।
- इस सीमा को प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों द्वारा पार की जाती है। दोनों देशों के नागरिक किसी निर्धारित पहचान पत्र, जैसे- पासपोर्ट कार्ड आदि द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अधिकांश लोगों को आने-जाने के लिये वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है।
- दोनों देशों की एक विशाल जनसंख्या प्रवासियों के रूप में सीमा पार निवास करती है।

महामारी और सीमा प्रतिबंध

- मार्च के तीसरे सप्ताह में दोनों देशों के मध्य सीमा के माध्यम से गैर-जरूरी यात्रा को शुरुआत में 30 दिनों के लिये स्थगित कर दिया गया था।
- वायरस से निपटने के लिये मूल रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प ने सीमा पर सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई थी परंतु कनाडा द्वारा कदम पीछे खींचने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार, 81% कनाडाई लोगों का मानना है कि निकट भविष्य के लिये सीमा को बंद रखा जाना चाहिये, जबकि 14% ने कहा कि वे उन क्षेत्रों में फिर से सीमा को खोलने का समर्थन करते हैं, जहाँ संक्रमण कम हैं।

- पिछले हफ्ते कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी एक नए 'संयुक्त राज्य अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते' (UCMCA) के उपलक्ष्य में हुई बैठक में भाग लेने के लिये अमेरिका की यात्रा नहीं की थी। यह समझौता, 'उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौते' (नाफ्टा) का एक नया संस्करण है।
- रोज़गार की बढ़ती समस्या के कारण अमेरिका चरणबद्ध तरीके से सीमा को खोलना चाहता है परंतु कनाडा स्वास्थ्य और सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता दे रहा है। उसका मानना है कि अमेरिकियों के कारण देश में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं, अतः दोनों देशों के मध्य अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है।
- साथ ही कनाडा द्वारा सीमा को न खोलने का निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा कोविड-19 को नियंत्रित करने में विफल रहने का भी संदेश देता है।
- इसके अतिरिक्त कनाडाई प्रधानमंत्री ने 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन को भी समर्थन दिया है, जो अनाधिकारिक रूप से ट्रम्प के अप्रत्यक्ष एजेंडे के विरोध का परिणाम भी माना जा रहा है।
- कोविड-19 तथा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के साथ-साथ व्यापार नीतियों में अस्थिरता के परिणामस्वरूप कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के मध्य अगले वर्ष या अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक सीमा को बंद रखा जा सकता है।

बेरूत विस्फोट तथा अमोनियम नाइट्रेट

पृष्ठभूमि

- हाल ही में लेबनान की राजधानी तथा वहाँ के सबसे बड़े शहर बेरूत के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित एक बंदरगाह के गोदाम में असुरक्षित रूप से रखे हुए लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से भीषण विस्फोट हुआ, जिससे बंदरगाह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
- इस विस्फोट में सौ से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 4,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- बेरूत के केंद्रीय बंदरगाह क्षेत्र में कुल दो विस्फोट हुए जो पास की ही दो इमारतों के भीतर हुए।
- इस धमाके में शहर से 10 किलोमीटर तक दूर रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए और इसे 250 किलोमीटर तक महसूस किया गया। धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3. के भूकम्प की तीव्रता के बराबर थी।
- ध्यातव्य है कि इतनी अधिक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, छह साल तक बंदरगाह के पास अधिकारियों द्वारा जब्त और संग्रहीत किया गया था। विस्फोट के बाद बेरूत में दो सप्ताह के लिये आपातकाल लगाया गया है।

विस्फोट का असर:

- **आर्थिक:** लेबनान एक आयात-निर्भर देश है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बंदरगाह लेबनान प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार है। इस विस्फोट से देश में आवश्यक वस्तुएँ और महँगी हो जाएंगी तथा खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होगा।
  - लेबनान पहले से ही एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। स्थानीय मुद्रा के तेज़ी से अवमूल्यन और कालाबाज़ारी की वजह से अस्थिर विनिमय दर, मुद्रास्फीति, बंद होते व्यवसायों तथा बेरोज़गारी एवं गरीबी में वृद्धि हो रही है।
  - लेबनान मार्च 2020 में यूरोबॉन्ड का पुनर्भुगतान भी नहीं कर पाया था।
  - इसके अलावा लेबनान की 10 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ बातचीत भी चल रही है।
  - इस विस्फोट की वजह से देश पर बेरूत शहर के पुनर्निर्माण का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा।

- **राजनीतिक:** लेबनान को अक्तूबर 2019 में भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफा तक देना पड़ा था।
  - बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से यह विस्फोट देश में पुन: सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।
- **स्वास्थ्य:** देश की स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही कोविड-19 महामारी की वजह से चरमराई हुई है, अब विस्फोट के शिकार लोग इस पर बोझ ही बनेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- लेबनान को विभिन्न देशों जैसे यू.एस.ए, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, यूरोपीय संघ तथा तुर्की आदि द्वारा मदद की पेशकश की गई है।
- सहायता देने के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान की यात्रा करने का भी फैसला किया है।
  - इस कदम को फ्रांस के भाईचारे और एकजुटता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
- लेबनान को उसके पड़ोसी इजरायल द्वारा मानवीय सहायता की पेशकश भी की गई है, जिसके साथ उसके कटु सम्बंध हैं।
  - इजरायल लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को अपनी उत्तरी सीमा पर एक बड़े खतरे के रूप में देखता है।
  - हिजबुल्लाह मध्य-पूर्व के सबसे शक्तिशाली और सफल गुरिल्ला संगठनों में से एक है। यह लेबनान के समर्थक सीरियाई विपक्षी ब्लॉक का सबसे मज़बूत सदस्य है, जिसने साद हरीरी के नेतृत्व वाली पश्चिमी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था।

अमोनियम नाइट्रेट:

अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) एक नाइट्रोजन युक्त सफेद, क्रिस्टलीय रसायन है जो पानी में घुलनशील है। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से लाल, बदबूदार नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2) भारी मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसके सम्पर्क में आने से श्वसन तंत्र में विभिन्न गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

उपयोग:

- इसका उपयोग सामान्यत: विनिर्माण तथा खनन के लिये विस्फोटक के रूप में किया जाता है।
- यह एक प्रकार की विस्फोटक सामग्री 'अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल' (ANFO) का प्रमुख घटक भी है।
- यह कृषि उर्वरकों का एक सामान्य रासायनिक घटक है।

विस्फोटक के रूप में:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा खतरनाक सामग्री के वर्गीकरण (United Nations classification of dangerous goods) के तहत अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक (ग्रेड 5.1) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसके किसी ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ के सम्पर्क में आने से भयानक तबाही मच सकती है। अत्यधिक गर्मी के सम्पर्क में आने पर भी इसमें विस्फोट हो सकता है।
  - शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक होने के लिये प्राथमिक विस्फोटक या डेटोनेटर जैसे आर.डी.एक्स. या टी.एन.टी. की आवश्यकता होती है।
  - दुनिया भर के आतंकवादियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले कई इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में मुख्य विस्फोटक के रूप में ANFO ही इस्तेमाल होता है।

- संग्रहीत अमोनियम नाइट्रेट से आग का खतरा रहता है और यह दो तरीकों से विस्फोट हो सकता है–

1. यह कुछ विस्फोटक मिश्रणों के सम्पर्क में आ सकता है।
2. बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण गर्मी उत्पन्न हो सकती है, जिससे पहले आग और फिर विस्फोट शुरू हो सकते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में यह रसायन स्टोर होगा, विस्फोट होने पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। यह बेरूत बंदरगाह पर विस्फोट की घटना का प्राथमिक सम्भावित कारण प्रतीत होता है।

पूर्व में हुए विस्फोटः

- भारत में हुए आतंकी हमलों, यथा– पुलवामा, वाराणसी, मालेगाँव, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग आर.डी.एक्स. जैसे सर्जक विस्फोटकों के साथ किया गया था।
- वर्ष 2015 में चीन तथा वर्ष 1947 में टेक्सास में अमोनियम नाइट्रेट के आकस्मिक विस्फोट की वजह से बड़ी संख्या में मौतें हुईं थीं।

विनियमनः

- भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिये निर्माण, रूपांतरण, संग्रहण, आयात, निर्यात, परिवहन तथा कब्जे आदि को अमोनियम नाइट्रेट अधिनियम, 2012 के तहत रखा गया है।
  - विस्फोटक अधिनियम, 1884, अमोनियम नाइट्रेट को "NH_4NO_3 के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें किसी भी मिश्रण या यौगिक के वजन का 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसमें पायस (emulsions), सस्पेंशन, मेल्ट या जैल आदि शामिल होते हैं।
  - भारत के आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण अवैध है।
  - अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिये, औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
  - इसे सामान्यतः खुले और हवादार जगह पर भंडारित किया जाता है, जहाँ इस पर पानी या धूप के सीधे पड़ने की सम्भावना ना हो।

लेबनानः

- यह पश्चिमी एशिया का एक देश है, जो उत्तर-पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इज़रायल से घिरा हुआ है।
- लेबनान को 16 वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था और अगले 400 वर्षों तक उनका ही शासन रहा।
- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद (साम्राज्य के पतन के बाद) यह फ्रांस के नियंत्रण में आ गया, जिससे इसे वर्ष 1943 में स्वतंत्रता मिली।
- लेबनान में वर्ष 1975-1990 तक गृहयुद्ध चला, जो ईसाई, वामपंथी ड्रूज और मुसलमानों जैसे विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष का परिणाम था।
- यहाँ 60% लोग मुस्लिम, जिनमें शिया और सुन्नी का लगभग समान प्रतिशत है तथा लगभग 38% ईसाई रहते हैं। यहाँ की सर्वाधिक मान्य और संवैधानिक भाषा अरबी है।
- लेबनान में वर्तमान में कंफेशनलिस्ट संसदीय लोकतंत्रवादी (confessionalist parliamentary democracy) सरकार है।
  - कंफेशनलिज्म या विश्वासवाद सरकार की एक प्रणाली है जो जनसांख्यिकी संरचना के आधार पर सख्ती से लोगों के विभिन्न समूहों को अपनी विधायिका में सीटें देती है।

आगे की राह:

- लेबनान पहले से ही आर्थिक, राजनैतिक और स्वास्थ्य के स्तरों पर दिक्कत का सामना कर रहा था, अब इस विस्फोट के बाद उस पर यह बोझ और ज़्यादा बढ़ गया है।
- अब समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुटता दिखाएँ और लेबनान की ओर मदद का हाथ बढ़ाएँ।

भारत-ईरान सम्बंध और चीन की रणनीति

पृष्ठभूमि

हाल ही में, ईरान के परिवहन तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चाबहार व जाहिदान के बीच 628 किलोमीटर लम्बे रेल लिंक हेतु ट्रैक बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि भारत को इस परियोजना से बाहर रखा जा रहा है। हालाँकि, ईरान ने स्पष्ट किया है कि भारत बाद में भी इस परियोजना में शामिल हो सकता है।

अफगानिस्तान के लिये कनेक्टिविटी

- कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम करते हुए ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करने पर दिल्ली, काबुल और तेहरान वर्ष 2003 से ही सहमत हैं।

- ईरान के मकरान तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह कांडला से मात्र 1,000 किलोमीटर दूर स्थित है, परंतु चाबहार से जाहिदान और फिर उससे लगभग 200 किलोमीटर आगे अफगानिस्तान के जरंज तक के लिये सड़क व रेल सम्पर्क बनाने की ज़रूरत है।
- चाबहार की सफलता के लिये अभियांत्रिकी अध्ययनों के उपरांत यह अनुमान लगाया गया था कि 800 किलोमीटर लम्बी रेलवे परियोजना के लिये 1.6 बिलियन डॉलर के परिव्यय की आवश्यकता होगी। इस बीच, भारत ने हेरात राजमार्ग पर जरंज को डेलाराम/ दिलाराम से जोड़ने के लिये लगभग 220 किलोमीटर सड़क निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2008 में इसे पूरा कर लिया गया।
- वर्ष 2011 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के नेतृत्व में सात भारतीय कम्पनियों के एक संघ ने अफगानिस्तान में हाजीगक खानों में खनन अधिकारों के लिये सफलतापूर्वक बोली लगाई थी। हाजीगक खानों में लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार उपस्थित है। हालाँकि, अफगानिस्तान में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण हाजीगक में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

ईरान पर प्रतिबंधों का दौर तथा भारत

- वर्ष 2005 से 2013 तक अहमदीनेजाद शासन के दौरान प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के मध्य परियोजनाओं और मुद्दों पर बहुत कम प्रगति हुई।
- वर्ष 2015 में ईरान परमाणु समझौते के बाद दी गई ढील के कारण कार्यों में प्रगति देखी गई। वर्ष 2016 में श्री मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के साथ शहीद बहेश्ती बंदरगाह पर टर्मिनलों को सुसज्जित और संचालित करने के लिये समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए।
- इसी दौरान अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व पारगमन गलियारे की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी एक अन्य मील का पत्थर था।
- साथ ही ईरान में $ 85 मिलियन पूँजी निवेश के अलावा, भारत पोर्ट कंटेनर पटरियों के लिये $ 150 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के लिये भी प्रतिबद्ध था।
- चाबहार में एक 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (सेज) स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, परंतु पुनः अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सेज में निवेश धीमा हो गया है।
- हालाँकि, भारत को चाबहार पर सहयोग जारी रखने के लिये अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के विकास में सहायता मिल रही थी। लेकिन छूट के बावजूद इन परियोजनाओं में देरी हुई, क्योंकि वास्तव में अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा भारी उपकरणों, जैसे– रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स, मोबाइल हार्बर क्रेन इत्यादि के आयात को मंजूरी देने में समय लगता था।
- इस बीच ईरान की एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहिदान से मशहद (लगभग 1,000 किमी.) तक और फिर तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर सराक तक रेलवे लाइन का विस्तार करने की है। एक अन्य योजना इसको केस्पियन सागर पर बांदर अंजली की ओर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की है।

वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंध

- अमेरिका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) पारम्परिक हथियारों की खरीद के लिये ईरान पर प्रतिबंध जारी रखे।
- अमेरिका ने भले ही एकतरफा रूप में ईरान परमाणु समझौते को छोड़ दिया हो, परंतु वह ईरान द्वारा हथियारों के आयात पर प्रतिबंधों को जारी रखना चाहता है।
- इस बीच सऊदी अरब में हूती समूहों द्वारा मिसाइल हमलों और जनवरी में अमेरिकी ड्रोन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या के दावों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।
- इसके अलावा, हाल ही में, ईरान के खोजीर गैस फील्ड, नतंज संयंत्र तथा बुशहर में शिपयार्ड पर होने वाले रहस्यमयी विस्फोट में भी अमेरिका और इज़राइल का हाथ माना जा रहा है।

- अमेरिका द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंधों और 'अधिकतम दबाव' के कारण भारत के पीछे हटने के संदर्भ में ईरान नए विकल्प खोज रहा है और उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है।

ईरान का चीन की ओर झुकाव

- जनवरी 2016 में प्रतिबंधों में ढील के बाद चीनी राष्ट्रपति द्वारा तेहरान दौरे के समय एक दीर्घकालिक और व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत ईरान के बुनियादी ढाँचे में चीन द्वारा निवेश किया जाएगा और ईरान द्वारा रियायती दरों पर तेल व गैस की आपूर्ति का आश्वासन दिया जाएगा।
- हालाँकि, चीन के अत्यधिक करीब होने की अनिच्छा के कारण ईरान ने वर्षों तक इस बातचीत को जारी रखा तथा चीन ने सीमित मात्रा में वस्तु विनिमय व्यापार की अनुमति दी। चाइना पेट्रोलियम और केमिकल कॉर्पोरेशन (SINOPEC) ने यादरान ऑयल फील्ड को विकसित करने के लिये लम्बे समय तक बातचीत जारी रखी, हालाँकि, चाइना राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम (CNPC) ने पिछले वर्ष दक्षिण पारश गैस परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया।
- इसके अलावा, चीन मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के साथ-साथ अमेरिका का स्थान लेना चाहता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति अत्यधिक मज़बूत रही है। साथ ही, ईरान को भी आर्थिक रूप से मज़बूत और स्वतंत्र विदेश नीति वाले सहयोगी की आवश्यकता है। दोनों देश एक-दूसरे की ज़रूरतों के अनुसार फिट बैठ रहे हैं।
- इसी संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि ईरान और चीन के मध्य लगभग $ 400 बिलियन के एक गुप्त समझौते की बात चल रही है। यह समझौता बैंकिंग, दूरसंचार, पत्तनों और रेलवे के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में होने की आशा है। इस समझौते को 'लायन-ड्रैगन एग्रीमेंट' नाम दिया जा रहा है।
- चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में ईरान का स्थान काफी महत्त्वपूर्ण है। चीन हमेशा से ईरान को इस परियोजना में एक बड़ा भागीदार बनाना चाहता है।

तेहरान द्वारा संतुलन का प्रयास

- ईरान की वर्तमान सरकार ट्रम्प के 'अधिकतम दबाव की नीति' और देश के अंदर कट्टरपंथियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
- यू.एन.एस.सी. में अमेरिका के कदमों को वीटो करने के लिये केवल रूस और चीन ही हैं। इसके बावजूद भी कट्टरपंथियों द्वारा चीन का विरोध किया जा रहा है।
- कट्टरपंथियों ने विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ पर चीन से समझौते के तहत अनुचित गोपनीयता का आरोप लगाया है। अफवाह है कि चीन 'किश द्वीप' पर कब्ज़ा कर सकता है और चीनी निवेशों को सुरक्षित करने के लिये ईरान में चीनी सैनिकों को तैनात किया जाएगा।
- हाल ही में, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अब ईरान स्थित फरजाद-बी गैस क्षेत्र में परियोजना का हिस्सेदार नहीं है। फरजाद-बी फारस की खाड़ी में स्थित एक प्रमुख गैस क्षेत्र है।
- इन सबके बीच ईरान ने कहा है कि भारत यदि चाहे तो आगे चलकर चाबहार-जाहिदान रेल लिंक का हिस्सा बन सकता है।

लाभ और एक सबक

- ईरान चीन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी पर विचार कर सकता है, लेकिन ईरानी वार्ताकार चीन की बढ़ती व्यापारी प्रवृत्ति से सावधान हैं।
- यह सच है कि चीन के पास भारत की तुलना में अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करने की अधिक क्षमता है, परंतु ईरान को दक्षिण एशिया में अपने एकमात्र साथी के साथ काम करने का फायदा मिलता रहा

है। जैसे– भारत द्वारा चाबहार के लिये अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट प्राप्त करना, क्योंकि यह भू-आबद्ध अफगानिस्तान के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के भी साझा हित है।

- इसके अलावा, ईरान और भारत दोनों देश अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के विरोध के लिये नैसर्गिक साथी हैं। यही कारण है कि ईरान भारत के लिये दरवाज़ा खुला रखना चाहता है।
- नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका व म्यांमार आदि पड़ोसी देशों में कई भारतीय सहयोग परियोजनाएँ देरी का सामना कर रहीं हैं, जिससे लागत में वृद्धि हुई है जो चीन के लिये भारत के पड़ोस में उसके विस्तार को आसान बनाता है।

निष्कर्ष

अंततः भारत को ईरान के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े रहना चाहिये, ताकि एक-दूसरे की संवेदनशीलता और बाध्यताओं की बेहतर तरीके से विवेचना हो सके और सहयोग के क्षेत्र तलाशे जा सकें। साथ ही भारत को पड़ोसी देशों में उठाए गए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन रिकॉर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है।

रूस-भारत-चीन त्रिकोण : भारत के लिये बढ़ता महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा जून 2020 के अंतिम सप्ताह में रूस, भारत और चीन (Russia, India and China–RIC) के विदेश मंत्रियों की एक आभासी बैठक (वर्चुअल मीटिंग) में भाग लिया गया।

बैठक के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया, हालाँकि, दोनों देशों (चीन और रूस) द्वारा अलग-अलग बयान जारी किये गए।
- चीन द्वारा उस पर लगे आधिपत्यवादी गतिविधियों के आरोपों का विरोध किया गया तथा सत्ता की राजनीति से सम्बंधित आरोपों का खंडन भी किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में कानून के शासन (रूल ऑफ लॉ) का समर्थन किया गया।
- रूस द्वारा अमेरिका के भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से सम्बंधित विवादों के निपटान हेतु एकतरफा उपायों की आलोचना की गई।
- भारत ने एक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के लिये प्रमुख शक्तियों को कानून का सम्मान करने और साझेदारों के वैध हित को समझने पर बल दिया।
- चीन के साथ सीमा पर तनाव के चलते भारत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अब भारत को अपनी विदेश नीति को पश्चिम की ओर (अमेरिका और यूरोप की तरफ) संरेखित करनी चाहिये।

आर.आई.सी. (Russia-India-China – RIC)

- आर.आई.सी. एक रणनीतिक समूह है, जो 1990 के दशक के अंत में रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री के प्रयासों से अस्तित्व में आया था। इस समूह की स्थापना अमेरिका द्वारा निर्देशित अधीनस्थ विदेश नीति को समाप्त करने तथा भारत के साथ पुराने सम्बंधों को नवीनीकृत करने एवं चीन के साथ नए सिरे से दोस्ती को बढ़ावा देने के आधार पर की गई थी।
- ये तीनों देश एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु सहमत हुए थे। हालाँकि, इन तीनों देशों ने अमेरिका के साथ अपने सम्बंधों को अपनी वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक माना।

- आर.आई.सी. देश वैश्विक क्षेत्रफल का 19% हिस्सा साझा करते हैं तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनका 33% का योगदान है।
- आर.आई.सी. संवाद के प्रारंभिक वर्षों में रूस और चीन के साथ भारत के सम्बंधों में तेज़ी आई है।
- आर.आई.सी. की वैश्विक, आर्थिक और वित्तीय संरचना के लोकतंत्रीकरण का समर्थन बाद में ब्रिक देशों (ब्राजील के शामिल होने के पश्चात्) के एजेंडे में शामिल किया गया।

भारत-अमेरिका सम्बंधों में मज़बूती के कारण

- अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता और रक्षा सम्बंध भारत की रूस पर सैन्य अधिग्रहण की निर्भरता को कम करने तथा रक्षा खरीद में विविधता लाने के भारत की विदेश नीति के उद्देश्य से मेल खाता है।
- पूर्व में चीन के तेज़ी से बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका ने एशिया में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये भारत को लोकतांत्रिक मूल्य में समानता के आधार पर अपना साझीदार बनाया है।
- भारत का आर.आई.सी. से अपनी दूरी बनाने और अमेरिका एवं यूरोपीय संघ की तरफ केंद्रित होने का मुख्य कारण चीन द्वारा चीन-पकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण और हिंद महासागर में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति का विस्तार है।
- वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया को अपने क्षेत्र में शामिल किये जाने से रूस-अमेरिका सम्बंधों में तनाव के चलते अमेरिका ने भारत को एशिया में अधिक महत्त्व देना शुरू किया।
- पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग-थलग करने के अभियान का मुख्य कारण रूस और चीन की निकटता है जो रक्षा क्षेत्र में एक-दूसरे के बढ़ते सहयोग की वजह से है।
- रूस और चीन के मध्य एक अनौपचारिक समझ है कि रूस यूरेशियाई क्षेत्र में राजनैतिक सुरक्षा मुद्दों को सम्भालता है और चीन इसके लिये आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

आर.आई.सी. की चुनौतियाँ

- भारत-अमेरिका धुरी और रूस-चीन-पकिस्तान धुरी आर.आई.सी. समूह के हितों के अनुरूप नहीं हैं तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के सम्बंध में सभी सदस्यों की एक राय न होने से इस समूह का महत्त्व कम हो रहा है।
- चीन भारत-अमेरिका की हिंद-प्रशांत पहल को अमेरिकी नेतृत्व नीति के रूप में देखता है।
- रूस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोग द्वारा भारत-जापान में बढ़ती निकटता को चीन और रूस के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिये अमेरिकी चाल के रूप में देखता है।

भारत की रणनीति

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की सक्रियता रूस को यह समझाने में सहायता कर सकती है कि एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में हम दोनों के हित समान हैं, जिससे चीनी प्रभुत्व को इस क्षेत्र में कमज़ोर करने के साथ-साथ रूस-चीन धुरी को भी कमज़ोर किया जा सकता है।
- भारत को चीन के साथ हाल के घटनाक्रमों से द्विपक्षीय विषमताओं को पाटने में अपने प्रयासों में तेज़ी लानी चाहिये, क्योंकि चीन के साथ तनाव एक अच्छा विकल्प नहीं है।
- भारत को अमेरिका के साथ तीव्र गति से बढ़ती साझेदारी से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को पूरी तरह से किसी भी अन्य देश को नहीं सौंपा जा सकता है।
- रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र भारत और रूस की साझेदारी के महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हैं। रूस के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, इसलिये भारत को अमेरिका का एकतरफा पक्ष लेने से बचना चाहिये।

- भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिये तथा प्रयास करना चाहिये कि शीतयुद्ध जैसी परिघटना की पुनरावृत्ति न हो पाए।
- भारत के लिये इंडो-पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव को रोका जाना चाहिये।

निष्कर्ष

रूस भारत का पुराना साथी है, लेकिन भारत को इस बात का भी आभास है कि रूस चीन के इशारों पर कार्य करने को लेकर तनाव में है। इस वर्ष जनवरी में रायसीना डायलॉग के दौरान रूस के विदेश मंत्री द्वारा इंडो-पैसिफिक अवधारणा का खुले तौर पर विरोध किया गया था। अत: भारत द्वारा अपनी विदेश नीति में एक व्यापक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एशिया और पश्चिमी शक्तियों के मध्य एक संतुलित रास्ता अपनाए जाने की आवश्यकता है।

अमेरिका द्वारा वीज़ा प्रतिबंध : कारण, प्रभाव व प्रतिक्रिया

चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने 24 जून से विभिन्न प्रकार के गैर-आप्रवासी कार्य वीज़ा (Work Visa) की प्रक्रिया और उनको जारी करने पर लगी रोक को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिसम्बर 2020 तक अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार के 'कार्य वीज़ा' (Work Visa) जारी नहीं किये जाँएंगे। अप्रैल में, अमेरिका ने वैधानिक रूप से प्रवास करने सम्बंधी नियमों को 60 दिनों के लिये रोक दिया था, जिसका सीधा मतलब 'ग्रीन कार्ड' जारी करने पर प्रतिबंध से था।

पृष्ठभूमि

- 'संरक्षणवाद', 'व्हाइट सुप्रीमेसी' और 'अमेरिका फर्स्ट' जैसे नारों तथा कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट व रोज़गार की कमी के कारण एच-1बी (H-1B) वीज़ा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एच-2बी (H-2B) वीज़ा के साथ-साथ एल-1 (L-1), एल-2 (L-2) तथा जे-1 (J-1) जैसे वीज़ा पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा वीज़ा नीति में इस बदलाव के कारण कई प्रकार के प्रश्न उभरकर सामने आए हैं। इन प्रश्नों में सबसे महत्त्वपूर्ण भारतीय आई.टी. सेवाओं के निर्यात और भारत-अमेरिका सम्बंधों पर पड़ने वाला प्रभाव है। साथ ही यह भी देखना होगा कि इस कदम से उन भारतीय फर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो श्रमिकों को अमेरिका भेजती हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था व रोज़गार पर पड़ने वाले प्रभाव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिये चुनावी रणनीति के रूप में इसके प्रयोग पर भी सवाल हैं।

एच-1बी वीज़ा (H-1B Visa)

- एच-1बी वीज़ा अमेरिका द्वारा गैर-आप्रवासियों (Non-Immigrants) के लिये जारी किया जाने वाला एक कार्य वीज़ा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों हेतु जारी किया जाता है।
- यह वीज़ा अमेरिका के 'आप्रवासी और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA), 1952' के तहत 'संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासी सेवा' (USCIS) द्वारा जारी किया जाता है।
- एच-1बी वीज़ा की अधिकतम वैधता अवधि 6 वर्ष हो सकती है। दरअसल, यह वीज़ा सामान्यत: 3 वर्ष की अवधि के लिये जारी किया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि को 3 अतिरिक्त वर्षों के लिये बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा, इस वीज़ा के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 'स्नातक' है।

- एच-1बी वीज़ाधारक अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिये आवेदन करने का भी पात्र होता है। वस्तुतः अमेरिकी ग्रीन कार्ड वहाँ स्थाई रूप से निवास करने व कार्य करने का वैधानिक प्रमाण-पत्र होता है।
- एच-1बी वीज़ाधारकों के लिये एक विशेष सुविधा यह होती है कि वे अपने ऊपर आश्रित परिवार के सदस्यों, जैसे- पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आदि को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। हालाँकि, प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिये एच-4 वीज़ा लेना अनिवार्य होता है।

ट्रम्प प्रशासन द्वारा आव्रजन नीति में परिवर्तन का आर्थिक कारण

- वीज़ा प्रतिबंध की नीति का घोषित उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों और रोज़गार के क्षेत्र में विदेशी श्रमिकों की संख्या कम करना है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अमेरिका में रोज़गार की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

अमेरिका द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ प्रमुख वीज़ा

- अमेरिका अपनी श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्य वीज़ा जारी करता है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य वीज़ा इस प्रकार हैं-
  - **(a) G-1 वीज़ा :** शोधार्थियों व अध्येताओं (Researchers and Scholars) के लिये।
  - **(b) H-1A वीज़ा :** नर्सों के लिये।
  - **(c) H-1B वीज़ा :** तकनीकी क्षेत्र के पेशेवरों के लिये।
  - **(d) H-2A व H-2B वीज़ा :** कृषि व गैर-कृषि कार्यों सम्बंधी मौसमी गतिविधियों से जुड़े कामगारों (Seasonal Workers) के लिये।
  - **(e) H-4 वीज़ा :** H-1B वीज़ाधारक के आश्रितों, यथा-पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों आदि के लिये।
  - **(f) J वीज़ा :** विद्यार्थियों के लिये।
  - **(g) L-1 वीज़ा :** सात वर्ष तक की अवधि हेतु किसी कम्पनी के अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के लिये, जिन्हें उस कम्पनी ने किसी अन्य देश से अमेरिका स्थित इकाई में स्थानांतरित किया हो।
  - **(h) P वीज़ा :** कलाकारों (Artists) के लिये।

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान कोरोना काल में अमेरिका में बेरोज़गारी दर लगभग 14% हो गई है, जो वर्ष 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सर्वाधिक मानी जा रही है।
- ट्रम्प प्रशासन ने इससे पूर्व कुछ मुस्लिम बाहुल्य देशों से आने वाले पर्यटकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, अमेरिका में उसकी दक्षिणी सीमा से प्रवेश करने वाले गैर-अधिकृत कामगारों को रोकने के लिये सीमा पर दीवार बनाने सम्बंधी घोषणाएँ कई बार सार्वजनिक रूप से की गईं हैं।

वीज़ा प्रतिबंध सम्बंधी राजनीतिक दृष्टिकोण

- कार्य वीज़ा पर प्रतिबंध द्वारा अमेरिकी व्यक्तियों की आजीविका की रक्षा जैसे तर्क दिये जा रहे हैं, परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार के आर्थिक लाभ इस समय हासिल किये जा सकते हैं।
- इसका कारण है कि ये नवीनतम प्रतिबंध ऐसे वीज़ाधारकों पर लागू नहीं होते हैं, जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं या ऐसे लोग जो अमेरिका से बाहर हैं, परंतु उनको पहले से ही वैध वीज़ा जारी किया जा चुका है।
- यह प्रतिबंध वर्ष 2020 के अंत तक लागू रहेगा। इस कारण से यू.एस. में काम करने वाले कुशल विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर फर्में नए लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकती हैं।
- इसी आधार पर कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकियों के लिये रोज़गार को सुरक्षित किया जा सकेगा।

- हालाँकि, आर्थिक रूप से कमज़ोर वातावरण में इस वर्ष के अंत तक बहुत कम फर्मों द्वारा लोगों के नियोजन की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में वीज़ा प्रतिबंधों से अमेरिकियों के लिये रोज़गार को सुरक्षित करने में बहुत कम फर्क पड़ने की उम्मीद है। अत: इस नीति को काफी हद तक राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है।

भारत पर प्रभाव

- भारतीय आई.टी. कम्पनियाँ एच-1बी वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं और वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक वर्ष जारी किये गए वीज़ा की कुल संख्या के एक बड़े हिस्सेदार रही हैं।
- कुशल श्रमिकों (पेशेवरों) के लिये एच-1बी वीज़ा का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों को जारी किया जाता है। साथ ही एच-4 वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 तक संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासी सेवा (यू.एस.सी.आई.एस.) को लगभग 2.5 लाख एच-1बी वर्क वीज़ा आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें भारतीयों ने करीब 1.84 लाख (67%) वीज़ा के लिये आवेदन किया था।
- अमेरिका में कुल 4 लाख से अधिक एच-1बी वीज़ा धारक हैं, जिसमें तीन-चौथाई से अधिक भारतीय हैं। अमेरिका में भारतीय एल-1 वीज़ाधारकों की भी एक महत्त्वपूर्ण संख्या है।
- यू.एस.सी.आई.एस. नामक संस्था द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 85000 एच-1बी वीज़ा जारी किये जाते हैं, जिनमें तकरीबन 70% वीज़ा भारतीयों को प्राप्त होते हैं।
- इनमें से 65,000 एच-1बी वीज़ा अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों को जारी किये जाते हैं, जबकि बाकी 20,000 वीज़ा उन उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को आवंटित किये जा सकते हैं, जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा या स्नातकोत्तर की डिग्री है।
- इंफोसिस, टी.सी.एस. और विप्रो जैसी कम्पनियाँ पारम्परिक रूप से 80:20 के 'ऑफसाइट-ऑनसाइट' कर्मचारी अनुपात का पालन करती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी विशेष परियोजना को 10 कर्मचारियों को सौंपा जाता है, तो उसमें से आठ कर्मचारी भारत से और दो को अमेरिका में काम करने की आवश्यकता होती है। अत: इस मॉडल को लागू करने के लिये एच-1बी और अन्य वीज़ा की आवश्यकता होती है।
- एच-1बी वीज़ा भारतीय सेवा उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण है जो यू.एस. में लगभग 29.6 बिलियन (वर्ष 2018 में) मूल्य की सेवाओं का निर्यात करता है।
- दरअसल, भारतीय लोग काम की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए अमेरिकी नागरिकों की अपेक्षा कम वेतन में कार्य करने को तैयार रहते हैं। परिणामस्वरूप कम्पनियों के खर्च में कमी व मुनाफे में वृद्धि होती है। अत: अमेरिकी कम्पनियाँ नियोजन में भारतीयों को प्राथमिकता देती हैं।
- इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में नियोजित भारतीय लोग भारत में भी धनराशि प्रेषित करते हैं। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन खाता अनुशासित रहता है।

अमेरिका पर असर

- वास्तव में, एच-1बी वीज़ा की व्यवस्था द्वारा अमेरिका को विश्व के श्रेष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जिससे उसकी आर्थिक संवृद्धि की राह आसान हो जाती है। साथ ही इसके द्वारा अमेरिका को तकनीक, अनुसंधान और नवोन्मेष में अधिक लाभ मिलता है।
- उदाहरण के लिये सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे विश्वविख्यात भारतीयों ने अमेरिका को वैश्विक सिरमौर बनाने में महती भूमिका अदा की है।

- 'अमेरिकी आव्रजन लॉयर एसोसिएशन' (AILA) ने कहा है कि H-1B, H-2B, J-1 और L-1 वीज़ा न जारी करने से नियोक्ताओं, परिवारों, विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अस्पतालों व समुदायों को नुकसान होगा और अमेरिका की आर्थिक रिकवरी में देरी होगी।

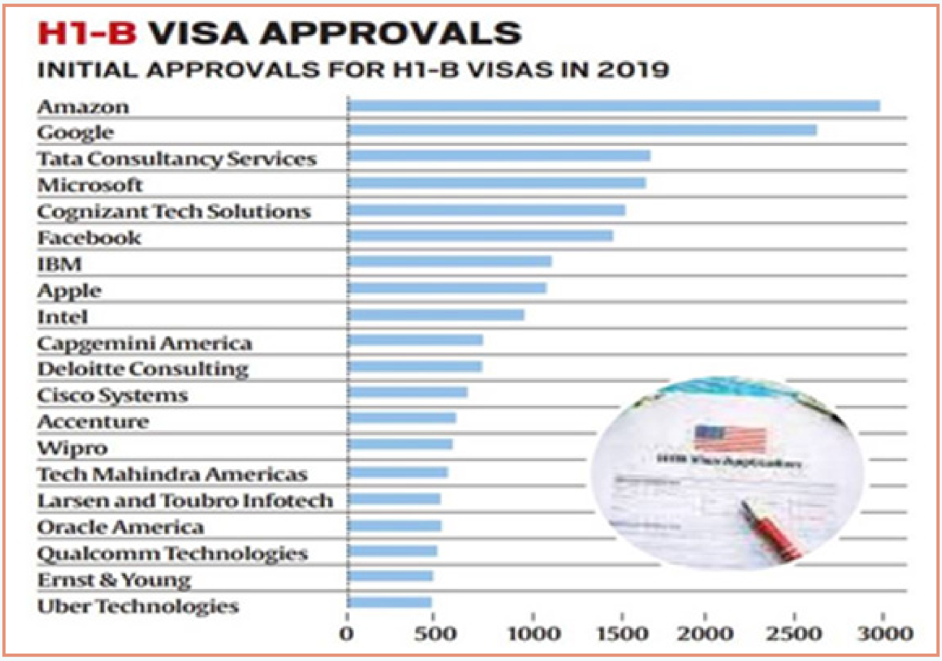

भारत-अमेरिका सम्बंध

- फरवरी 2020 में ही भारत और अमेरिका ने 'वैश्विक रणनीतिक भागीदारी समझौते' पर हस्ताक्षर किये थे। हालाँकि, आर्थिक मुद्दे दोनों देशों के मध्य सम्बंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ बातचीत को भी प्रभावित करते हैं।
- भारत से जी.एस.पी. (Generalized System of Preferences) के तहत प्राप्त लाभ को वापस लेने और एच-1बी वीज़ा जैसे मुद्दे अमेरिका को भारत के एक अस्थिर सहयोगी के रूप में सामने लाता है।

आगे की राह

- अमेरिका में फरवरी और अप्रैल 2020 के मध्य प्रमुख उद्योगों में 20 मिलियन से ज़्यादा कामगारों को नौकरियाँ गँवानी पड़ी हैं, जबकि नियोक्ता अभी भी वर्तमान में H-1B और L वीज़ा के माध्यम से पदों को भरने का अनुरोध कर रहे हैं।
- ये नीतियाँ अमेरिका इंक, वाल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही ये कम्पनियाँ बड़े स्तर की नियोक्ता हैं जिस कारण से लाखों गैर-आप्रवासी विदेशी श्रमिकों को नुकसान पहुँच सकता है।
- महामारी के कारण पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहा कॉरपोरेट अमेरिका शायद ही कार्यबलों के आधार पर होने वाले नुकसान का बोझ उठा पाने में सक्षम हो।
- भारत सरकार को भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और विभिन्न परियोजनाओं जैसे– स्मार्ट सिटी परियोजना, स्किल इंडिया मिशन और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
- सरकार को इस अवसर का उपयोग 'प्रतिभा पलायन' (Brain Drain) को रोककर नए भारत के निर्माण में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने में करना चाहिये, जो कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लिये भी आवश्यक है।

गन, जर्म्स और स्टील संकट

भूमिका

वर्तमान समय में भारत गन, जर्म्स और स्टील संकट के दौर से गुज़र रहा है। ज्ञातव्य है कि यह पद प्रसिद्ध विद्वान जेरेड डायमंड की क्लासिकल पुस्तक 'गन जर्म्स एंड स्टील: द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज' से लिया गया है।

भारत के संदर्भ में इन शब्दों के अर्थ

- गन या बंदूक का अर्थ है सीमा पर गतिरोध और चीन के साथ युद्ध की स्थिति। जर्म्स का सम्बंध वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी एवं स्टील संकट का तात्पर्य स्टील विनिर्माण और अन्य उद्योगों के दिवालियापन की स्थिति से है।
- इस समय भारत सैन्य, स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों का सामना एक साथ कर रहा है। ये संकट समग्र रूप से भावी पीढ़ियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी संकटों के समाधान हेतु पृथक रूप से विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

भारत की रणनीति

- चीन के साथ सैन्य खतरे से निपटने हेतु भारत की रक्षा तथा विदेशी मामलों से सम्बंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- कोरोना महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और अन्य सम्बंधित मंत्रालयों द्वारा समन्वित रूप से प्रयास किये जाने की ज़रूरत है।
- उपरोक्त दोनों चुनौतियों के अलावा आर्थिक महामारी के रूप में एक व्यापक समस्या भारत के समक्ष है। इससे निपटने के लिये दीर्घकालिक परिणामोन्मुख नीतियों की आवश्यकता है।
- भारत को पड़ोसी शक्ति के साथ सैन्य खतरे से निपटने के लिये बड़े स्तर पर वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत है। भारत कारगिल युद्ध के दौरान वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत को महसूस कर चुका है।
- कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के चार स्तंभों– जनता द्वारा उपभोग पर व्यय, सरकारी खर्च, निवेश और बाहरी व्यापार में गिरावट देखने को मिली है। इनमें से जनता द्वारा उपभोग पर व्यय न किये जाने से अर्थव्यवस्था पर सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी संकटों से समग्र रूप से निपटने के लिये सरकार को सम्भावित नए राजस्व स्रोतों पर विचार करना होगा।
- इन खतरों और बाधाओं से उबरने हेतु सरकार को व्यापक स्तर पर ऋण की आवश्यकता होगी, किंतु बढ़ते कर्ज़ के स्तर से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की निवेश रेटिंग में गिरावट का खतरा बना हुआ है। अत: इन कठिन परिस्थितियों में भारत को वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने पर ज़ोर देना होगा।

अन्य सुझाव

- वित्तीय संसाधनों की कमी से निपटने के लिये एक तर्क यह भी है कि सरकार की आवश्यकतानुसार रिज़र्व बैंक द्वारा नोटों की छपाई की जाए, लेकिन इसके साथ-साथ मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- इस वर्ष बेहतर कृषि प्रदर्शन के बावजूद कम उपभोग व्यय के चलते अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति बनी हुई है।
- केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिये भारत को स्वास्थ्य व्यय पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिये।

- वर्तमान समय में भारत एक ऐसी दुविधा का सामना कर रहा है जहाँ एक तरफ सीमा सुरक्षा, नागरिकों की देखभाल और आर्थिक मंदी का संकट है तो वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक ऋण के बोझ से भारत की क्रेडिट रेटिंग के कम होने से विदेशी निवेश में गिरावट का खतरा बना हुआ है।

निष्कर्ष

हालाँकि, आज भारत एक साथ कई संकटों का सामना कर रहा है, परंतु सीमा, स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से लड़ने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसे किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से निपटने हेतु अपनी सम्प्रभुता के साथ समझौता नहीं करना चाहिये, ताकि भावी पीढियाँ स्वंतत्र, गर्व और भयमुक्त जीवन जी सकें।

चाबहार परियोजना : भारत-ईरान के तनावपूर्ण होते सम्बंध

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा चाबहार रेल परियोजना के लिये समय पर वित्त न उपलब्ध कराए जाने के कारण ईरान द्वारा स्वयं ही चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना के निर्माण का फैसला लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत चाबहार से जाहेदान तक रेल लाइन का निर्माण किया जाना है।

क्या है मुद्दा?

- यह रेलवे परियोजना अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिये एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग का निर्माण करते हुए अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ त्रिपक्षीय समझौते के लिये भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी।
- यह लगभग 628 किमी. लम्बी रेलवे लाइन है जिसे अफगानिस्तान में जारंज तक बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना को अब ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड की सहायता से मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है।
- वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।
- इस रेलवे परियोजना के लिये भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा 1.6 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का वादा किया गया था। हालाँकि, सयुंक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते यह कार्य शुरू नहीं हो सका।
- यद्यपि अमेरिका द्वारा विशिष्ट रेलवे लाइन परियोजना के लिये छूट प्राप्त की गई थी, किंतु अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने से भारत को उपकरण आपूर्तिकर्ताओं का चुनाव करना मुश्किल था।

ईरान का पक्ष

- अमेरिका ने आर्थिक रूप से ईरान पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है और ऐसे समय में भारत भी अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण निवेश नहीं कर रहा है, जबकि चीन ऐसे संकट के समय में व्यापक स्तर पर निवेश के साथ लम्बी साझेदारी चाहता है।
- ईरान का कहना है कि परियोजनाएँ तभी पूरी होती हैं जब दोनों पक्षों के मध्य सम्बंध बेहतर और पारदर्शी हों। भारत अमेरिका को प्राथमिकता देते हुए ईरान के साथ सम्बंधों को कम महत्त्व दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के स्थान पर चीन का विकल्प खुला हुआ है।

भारत पर प्रभाव

- यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान चीन के साथ 25 वर्ष की आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। यह सौदा लगभग 400 बिलियन डॉलर का है। यदि इरान और चीन के

मध्य इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो चीन की ईरान में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह और रेलवे सहित अन्य कई परियोजनाओं तक व्यापक पहुँच हो जाएगी।

- ध्यातव्य है कि ईरान भारत का एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी रहा है। ऐसी स्थिति में चीन तथा ईरान के मध्य यह समझौता इस क्षेत्र में भारत की सम्भावनाओं को नुकसान पहुँचा सकता है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत और चीन के सम्बंध सीमा गतिरोध के चलते तनावपूर्ण हैं।

चाबहार बंदरगाह तथा भारत के लिये इसका महत्त्व

- चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक माल की आपूर्ति हेतु पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है।

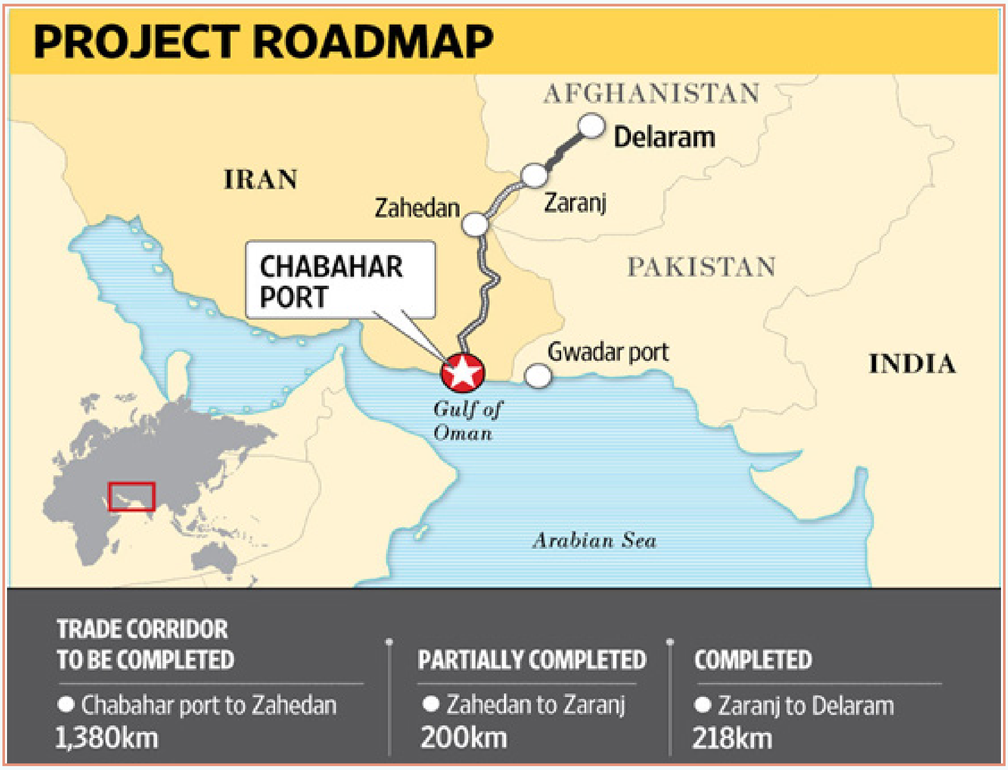

- यह बंदरगाह रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच सड़क, रेल और समुद्री मार्गों वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के प्रमुख द्वार ईरान तक भारत की पहुँच को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। यह भारत को अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भी सहायता प्रदान करेगा, जहाँ चीन द्वारा पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह विकसित करने में सहायता प्रदान की जा रही है। ग्वादर बंदरगाह से चाबहार की दूरी सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर और समुद्री मार्ग से 70 किलोमीटर है।
- कूटनीतिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह को एक ऐसे बिंदु के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जहाँ से मानवीय कार्यों का समन्वय सुगमता से किया जा सकता है।

आगे की राह

- इस द्वंद्व की स्थिति में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं। यह भारत के लिये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति है तथा इस समय भारत द्वारा अमेरिका को इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों से अवगत कराना चाहिये।

- वर्तमान परिस्थितियों में चीन ने जिस प्रकार से ईरान के ज़रिये मध्य-पूर्व में प्रवेश किया है, वह गम्भीर चिंता का विषय है। इस चुनौती से भारत अकेला नहीं लड़ सकता। भारत को अब सामूहिक रणनीति के तहत अमेरिका, इज़राइल और सऊदी अरब जैसे देशों की सहयता से चीन को रोकना चाहिये।
- भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते हैं और ये दोनों देश अब भी एक-दूसरे को मित्र के रूप में देखते हैं। ऐसे मामलों में ईरान के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े रहना ज़रूरी है।

जापान-भारत सहयोग

- हाल ही में, भारतीय और जापानी युद्धपोतों ने जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के साथ मिलकर हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास किया। यह अभ्यास "आपसी समझ को बढ़ावा देने" के लिये आयोजित किया गया था।
- अभ्यास में चार युद्धपोत शामिल थे– भारत से आई.एन.एस. राणा व आई.एन.एस. कुलुश और जापान से जे.एस. काशिमा व जे.एस. शिमायुकी (JS Kashima and JS Shimayuki)।
- ध्यातव्य है कि पिछले 3 वर्षों में यह 15 वाँ अभ्यास है। जिमेक्स शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन सहित अन्य कई द्विपक्षीय युद्धाभ्यासों में जापानी नौसेना भारतीय नौसेना के प्रमुख भागीदारों में से एक रही है। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार युद्धाभ्यास में भी भाग लेते हैं।

भारत-जापान सम्बंध

- भारत और जापान ने वर्ष 2014 में 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' (Special Strategic and Global Partnership) के बाद से अपने सम्बंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक प्रयास किये हैं।
- रेल-संचार क्षेत्र में मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (MAHSR) भारत और जापान के बीच सहयोग का एक विशेष उदाहरण है।
- अक्टूबर 2018 में 'भारत-जापान डिजिटल भागीदारी' (I-JDP) को भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें आपसी सहयोग द्वारा अन्य मौजूदा क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की नई पहल के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आई.सी.टी. पर अधिक ध्यान केंद्रित करना प्रमुख लक्ष्य था।
- अगस्त 2011 में लागू हुआ 'भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement – IJCEPA) दोनों देशों के बीच माल, सेवाओं, व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, कस्टम प्रक्रियाओं और व्यापार से सम्बंधित अन्य मुद्दों में व्यापारिक साझेदारी है।

भारत और जापान के साझा हित

- दोनों देश जी-4 समूह के सदस्य राष्ट्र हैं।
- नौसैनिक अभ्यासों के अलावा दोनों देश साथ में सैन्य, तटरक्षक और वायु सेना अभ्यास भी करते हैं।
- वर्तमान समय में समुद्री क्षेत्र में चीन का अधिक प्रभुत्व होने के कारण भारत और जापान दोनों तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हाल ही में दोनों देशों के बीच किया गया नौसेना अभ्यास अपरोक्ष रूप से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध से सम्बंधित था।
- महासागरीय क्षेत्र में चीन की बढ़ती पहुँच और शक्ति से भारत और जापान की कठिनाई एक समान है तथा यह बात दोनों देशों को रणनीतिक मुद्दों पर और मज़बूत कदम उठाने के लिये अभिप्रेरित कर रही है।
  - ❖ दोनों देशों ने चीन द्वारा एकछत्र ध्रुवीकरण किये जाने के विरोध में हमेशा से आवाज़ उठाई है।
- **चीन की दुविधा:** यद्यपि चीन ने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में हमेशा से आक्रामक रूप दिखाया है, लेकिन साथ ही वह समुद्र में अपनी सुभेद्यता को लेकर चिंतित भी रहा है। इसे मलक्का दुविधा के रूप में भी जाना जाता है।

- इसे संज्ञान में लेते हुए, भारत और जापान मुख्य रूप से हिंद महासागर में होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदब तथा मलक्का जलडमरूमध्य क्षेत्रों में अपनी साझा समुद्री क्षमता का विकास कर सकते हैं।

चीन एक खतरे के रूप में

- समुद्री क्षेत्र में चीन का दबदबा आर्थिक विकास के मामले में भारत तथा जापान दोनों के लिये भी गम्भीर खतरा है।
- नाइन-डैश लाइन के कारण चीन के इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान आदि से सम्बंध भी खराब चल रहे हैं।
- इसके अलावा, चीन ने हाल ही में भूटान के ट्रशिगंग ज़िले के पूर्वी क्षेत्र में खुद का दावा भी किया है।

चीन की 'मलक्का दुविधा' (China's 'Malacca Dilemma')

- पिछले कई वर्षों में चीनी सरकार के लिये ऊर्जा सुरक्षा और विशेष रूप से तेल आपूर्ति सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इस चिंता का केंद्रबिंदु समुद्री ऊर्जा आयात से जुड़ा डर है।
- चीन के पास अपने समुद्री लेन संचार (Sea Lanes of Communication – SLOC) की सुरक्षा के लिये आवश्यक नौसैनिक शक्ति का अभाव है। उसे यह डर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के दौरान ऊर्जा संसाधनों को ले जाने वाले जहाज़ों को उसके शत्रु देशों के नौसैनिक बलों द्वारा रोका या नष्ट किया जा सकता है।
- चीन में ऊर्जा संसाधनों के मुक्त प्रवाह में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान वहाँ की आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतार सकता है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का और लोम्बोक/मकास्सर जलडमरूमध्य (Malacca and Lombok/Makassar Straits) क्षेत्रों का चीन द्वारा अधिकाधिक उपयोग किया जाना चीन के लिये चिंता का प्रमुख कारण है। मलक्का जलडमरूमध्य इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाला एक संकीर्ण और व्यस्त जलमार्ग है, जिसके दक्षिणी सिरे पर सिंगापुर स्थित है।

नाइन-डैश लाइन

नाइन-डैश लाइन दक्षिण चीन सागर के प्रमुख हिस्से पर अपने दावों के लिये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) और चीन गणराज्य (आर.ओ.सी.) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपरिभाषित व अस्पष्ट सीमांकन रेखा को संदर्भित करती है।

जी-4

यह चार देशों– ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थाई सीटों के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

- चीन अपनी अस्थिर रणनीति और सामरिक शक्ति के साथ कई राष्ट्रों को जवाब देने में सक्षम है और इसके अलावा वह प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करके उस देश से अपने सम्बंधों पर काम कर रहा है, चाहे उनसे दोस्ती हो या दुश्मनी।
- चीन ने कई देशों का विरोध किया है, जिसे एक लाभ के रूप में भारत देख सकता है और इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और फ्रांस जैसे देशों से सहयोग के लिये सम्पर्क कर सकता है।
- चीन जितना भी मज़बूत हो उस पर रणनीतिक रूप से आक्रामक रुख अपनाकर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिये भारत को अपने समान दृष्टिकोण वाले देशों से बात कर उन्हें अपने पक्ष में लेना होगा।

- चीन पर हावी होने के लिये भारत के पास पहले से ही क्वाड जैसा रणनीतिक समूह है। इसके अलावा, मध्य एशिया और मध्य यूरोप के उन देशों के साथ भी भारत को बात करने की ज़रूरत है जिनके सम्बंध चीन से अच्छे नहीं चल रहे।

आगे की राह

- भारत और जापान के बीच सहयोग के अन्य सम्भावित क्षेत्र भी हैं जिन पर कार्य किये जाने की ज़रूरत है, जैसे–
  - आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का क्षेत्र।
  - भारत और जापान को पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता है।
  - जापान की मदद से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिये अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
  - चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा आई.टी. सेक्टर में और ज़्यादा निवेश करने और लाभ को बढ़ाने के लिये भारत और जापान को सहयोग करना चाहिये।
  - रक्षा क्षेत्र में युद्धपोतों, हथियारों, पनडुब्बियों आदि के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये जापान से सम्पर्क किया जा सकता है।
- जापान से सहायता लेने के अलावा, भारत को यह भी सोचना चाहिये कि भारतीय उत्पाद जापान तक कैसे पहुँच सकते हैं और उन्हें जापान में लाभांश कैसे मिल सकता है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को भी बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
- भारत को कोविड के बाद के सम्बंधों पर भी ध्यान देना चाहिये, ताकि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ भी अच्छे सम्बंध सुनिश्चित किये जा सकें।

भारत तथा पड़ोसी देश : सम्बंधों का बदलता समीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के कारण भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों में तनाव देखा जा रहा है। भारत को अपने निकटतम पड़ोसियों (नेपाल, भूटान और बांग्लादेश) के साथ भी आर्थिक और सामरिक सुरक्षा संकटों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान सम्बंध

- कुछ समय पहले तक भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हालिया परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण भारत को अपनी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में कई अड़चने आ रही हैं।
- भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का वास्तविक नेता है। लेकिन सदस्य देशों में आपसी मतभेद के चलते यह संगठन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल न हो सका तथा वर्तमान में यह संगठन अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है।
- भारत का नेपाल के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बंध हैं। किंतु नेपाल द्वारा नए मानचित्र को अपनाए जाने तथा पुनः सीमा निर्धारण के चलते दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं।
- भारत के श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ पारम्परिक सद्भावना और भाईचारे के सम्बंध रहे हैं। लेकिन वर्तमान के कुछ घटनाक्रम, जैसे– श्रीलंका के चीन की तरफ झुकाव के कारण तथा बांग्लादेश द्वारा भारत के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर सम्बंधों में कुछ खटास देखने को मिली है।

- भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश के ज़रिये तथा काबुल में तालिबान के हितधारकों के साथ अपने सम्बंधों में संतुलन स्थापित किया। वर्तमान में अफगानिस्तान एक बड़े संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है तथा वहाँ हाल ही में होने वाली एक बहुदलीय वार्ता से भी भारत को बाहर रखा गया है।
- भारत द्वारा मध्य एशिया में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से ईरान को प्रवेश द्वार के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इन परियोजनाओं को समय पर वित्त न उपलब्ध कराए जाने के कारण ईरान ने स्वयं ही कुछ परियोजनाओं को पूरा करने का फैसला लिया है, जिससे भारत-ईरान सम्बंधों में तनाव देखा जा रहा है
- भारत एक ही समय में चीन के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा की नीति का अनुसरण कर रहा है तथा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक गम्भीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है।

सम्बंधों में तनाव के कारण

- भारत की आधिकारिक नीति बहुपक्षवाद के समर्थन की है, जब से भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी को मज़बूत करना शुरू किया है तब से ही भारत अमेरिका के हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है, जिससे अन्य देशों के साथ सम्बंध लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं, जिसका ईरान सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सबके अलावा अमेरिका से गहराते सम्बंधों के कारण भारत की सामरिक स्वायत्तता में भी लगातार गिरावट आई है।
- हाल ही के एक मूल्यांकन के अनुसार, वर्तमान भारत-चीन सम्बंधों में तनाव का मुख्य कारण भी भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती गहरी निकटता ही है। चीन ने यह मान लिया है कि भारत अब अमेरिका का वास्तविक सहयोगी बन चुका है, इसलिये वह सांकेतिक रूप में सीमा विवाद के माध्यम से अपना विरोध जता रहा है।
- भारत द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के पारित किये जाने का पाकिस्तान तथा बांग्लादेश द्वारा खुले तौर पर विरोध किया गया, साथ ही अफगानिस्तान में भी भारत विरोधी प्रदर्शन देखे गए।
- जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति का दर्जा वापस लिये जाने की घटना ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिये हथियार थमा दिये हैं।
- जम्मू और कश्मीर की यथास्थिति में बदलाव एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसने चीन को लद्दाख की सीमा में आक्रामक तरीके से बढ़ने के लिये प्रेरित किया।

भारत के प्रयास

- भारत ने न सिर्फ द्विपक्षीय तौर पर बल्कि सार्क तंत्र के ज़रिये भी मैत्री के विभिन्न क्षेत्रों को मज़बूत बनाने और अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा और हित कल्याण को बढ़ावा देने के लिये आगे बढ़कर कार्य किया है। हालाँकि, सार्क ने आशा के अनुरूप उपलब्धि हासिल नहीं की। लेकिन कोविड-19 संकट के दौर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया।
- भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास सहयोगी रहा है, जिनमें भैतिक अवसंरचना, जल संसाधन, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, विद्युत, पर्यटन तथा कृषि जैसे बड़े क्षेत्र शामिल हैं।

आगे की राह

- भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने के लिये आवश्यक है कि वह अपने पड़ोसी सम्बंधों को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ विश्वास निर्माण (Confidence Building) की दिशा में नए सिरे से तात्कालिक प्रभावी कदम उठाए।

- पड़ोसी देशों के साथ सम्बंध भारत की विदेश नीति का केंद्रीय तत्त्व रहा है। भारत का मानना है कि शांतिपूर्ण परिवेश से हमें विकास के अनिवार्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। यह भी स्पष्ट है कि एक स्थिर एवं समृद्ध दक्षिण एशिया से भारत की समृद्धि में भी योगदान मिलेगा।
- पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बंधों की रूपरेखा का आधार स्पष्ट होना चाहिये, जिससे अच्छे सम्बंध कायम होने के साथ ही समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।
- भारत को किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में आकर अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सामाजिक सम्बंधों को खराब नहीं करना चाहिये।

निष्कर्ष

- भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे खास है, इसलिये भारत की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि पड़ोसियों के साथ उसके सम्बंध गतिशील हों न कि ठहरे हुए।
- सामान्य संदर्भ में भारत अपने पड़ोसी देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। फ्रौस्ट ने कहा था कि 'अच्छी दूरी अच्छे पड़ोसी बनाती है' (Good Fences Make Good Neighbors)। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अच्छे पड़ोसियों के साथ सम्बंध स्थापित करने के लिये लोगों के बीच सम्पर्क ('People to People' Contact), व्यापार और राजनैतिक समझ की ज़रूरत होती है।

भारत-श्रीलंका मुद्रा विनिमय समझौता

- हाल ही में, भारत और श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एक आभासी बैठक की थी। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों और एग्जिम बैंक (Export-Import (Exim) Bank) के अधिकारियों ने भाग लिया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक श्रीलंका को 400 मिलियन अमरीकी डालर की विनिमय सुविधा देने के लिये सहमत हो गया है, ताकि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिल सके और उसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- एक्जिम बैंक भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान (Premier Export Finance Institution) है।
- ध्यातव्य है कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय तरलता सम्बंधी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से श्रीलंका द्वारा यह समझौता किया जा रहा है। यह मुद्रा विनिमय समझौता नवम्बर 2022 तक मान्य होगा।

मुख्य बिंदु

- यह समझौता कोविड महामारी के दौरान न सिर्फ श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को मज़बूती भी प्रदान करेगा। यह फैसला श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नई दिल्ली दौरे के 5 महीने बाद आया है। इसके आलावा कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका द्वारा भारत का ऋण चुकाने पर भारत-श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय चर्चा भी हुई थी।
- गौरतलब है कि श्रीलंका का भारत पर 960 मिलियन अमरीकी डॉलर बकाया है। दोनों देशों की सरकारों और उद्योग प्रतिनिधियों व अन्य संस्थानों ने फिक्की (Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry) द्वारा आयोजित 'भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने' पर एक वेबिनार में भी भाग लिया था।
- गैर-टैरिफ अवरोधों (Non-tariff Barriers) द्वारा लगातार उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को हल करने के लिये श्रीलंका ने FICCI से आग्रह किया है कि वह नई दिल्ली में श्रीलंकाई मिशन के साथ मिलकर श्रीलंका के मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करे तथा इसके लिये भारतीय बाज़ार को लक्षित करे।

मुद्रा विनिमय समझौता (Currency Swap Agreement)

- मुद्रा विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा ऋणों को एक बेहतर ब्याज दर पर प्राप्त करने के लिये किया जाता है अन्यथा इतनी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये विदेशी बाज़ारों से उधार लेना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है।
- केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये या भुगतान संतुलन (Balance of Payment) के संकट से बचने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित होने तक अन्य देशों के या उनके केंद्रीय बैंकों के साथ अक्सर मुद्रा विनिमय समझौता करती हैं।
- मुद्रा विनिमय का प्रमुख उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाज़ार और विनिमय दर में स्थिरता लाना तथा अन्य वित्तीय जोखिमों से बचना होता है।

भारत-श्रीलंका सम्बंधों की वर्तमान गतिशीलता

- विगत वर्ष जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) भारत के राजनयिक दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लिये 45 करोड़ डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit) की घोषणा की थी, जो दोनों देशों के बीच सम्बंधों की प्रगाढ़ता की दिशा में विशेष कदम माना जा रहा था। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये 'सुआ सेरिया' नामक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने में भी श्रीलंका सरकार की मदद की है।
- विगत वर्ष ही श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ कोलम्बो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (East Container Terminal) बनाने को लेकर भी एक समझौता किया था। यद्यपि विभिन्न विरोधों के चलते इस बाबत अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- गौरतलब है कि श्रीलंकाई सरकार पर भारत को राष्ट्रीय सम्पत्ति देने का आरोप लगाते हुए वहाँ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जबकि इसका 100% स्वामित्व श्रीलंका के बंदरगाह प्राधिकरण के पास ही है।
- इसके अलावा, श्रीलंका ने वर्तमान में चल रहे भारत-चीन गतिरोध पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि ऐसा अपेक्षित था कि श्रीलंका अपरोक्ष रूप से भारत का समर्थन करेगा।
- ध्यातव्य है कि भारत ने वर्ष 1983 में श्रीलंकाई तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के बीच हुए गृह युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा इस संघर्ष के समाधान के लिये वर्ष 1987 में श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गए थे। इसके द्वारा श्रीलंका में नौ प्रांतों (जिसे तेरहवें संशोधन के रूप में भी जाना जाता है) के लिये एक प्रांतीय परिषद प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।

आगे की राह

- तुलनात्मक रूप से भारत और श्रीलंका के सम्बंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
- वर्तमान महामारी के समय में, अनेक भारतीय कम्पनियाँ वैक्सीन विकसित करने की दौड़ में शामिल हैं, जिस वजह से भारत के पास पड़ोसी देशों के साथ अपनी सद्भावना को और सुदृढ़ करने का बेहतरीन अवसर है और भारत को इस दशा में प्रयास करने चाहिये।
- दोनों देश टेक्सटाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय में सम्भावित सहयोग की दिशा में काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में भारत की स्थिति बहुत मज़बूत है।
- श्रीलंका को भारतीय निवेशकों के लिये उदार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिये।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बंध शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिये महत्त्वपूर्ण आधारशिला हैं। इन सम्बंधों को मज़बूत होना दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिये भी आवश्यक है।
- सिंगापुर-मलेशिया और न्यूज़ीलैंड-ऑस्ट्रेलिया के उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी छोटे देश की आर्थिक सफलता उसके बड़े पड़ोसी के साथ मज़बूत सम्बंधों पर निर्भर करती है। अतः श्रीलंका को भारत के साथ अपने सम्बंध प्रगाढ़ रखने के लिये प्रयास करने चाहिये तथा भारत को भी यथासम्भव सहयोग करना चाहिये।

मॉरीशस का नया उच्चतम न्यायालय भवन

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये शुभारम्भ किया। इस दौरान मॉरीशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- ध्यातव्य है कि इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान की सहायता से किया गया है और यह मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढाँचा परियोजना है।

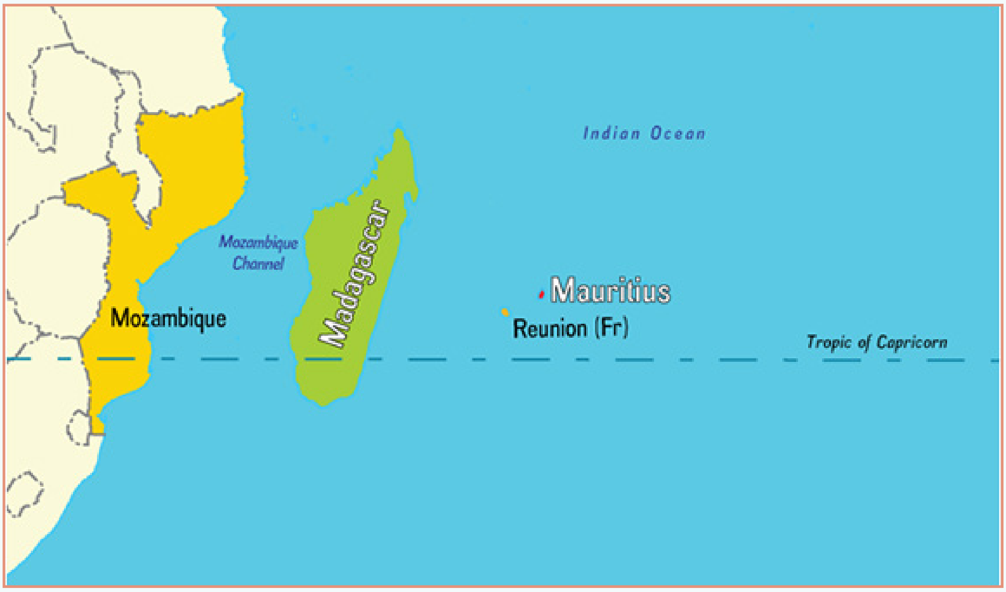

मुख्य बिंदु

- भारत सरकार ने पाँच परियोजनाओं के लिये वर्ष 2016 में मॉरीशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 'विशेष आर्थिक पैकेज' दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाली पहली परियोजना, यह उच्चतम न्यायालय है।
- यह परियोजना तय समय-सीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है।
- 10 मंज़िल वाली यह इमारत लगभग 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल (बिल्ट अप एरिया) 25,000 वर्ग मीटर है।
- आधुनिक डिज़ाइन और हरित विशेषताओं वाली इस इमारत में तापीय और ध्वनि अवरोधन तथा उच्च ऊर्जा दक्षता पर ज़ोर दिया गया है।
- नए भवन में मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय की सभी शाखाएँ और कार्यालय आ जाएँगे, जिससे उसकी दक्षता में सुधार होगा।
- नया उच्चतम न्यायालय भवन शहर के बीचों-बीच एक अहम स्मारक होगा और दोनों देशों के बीच मज़बूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक रहेगा।

मॉरीशस की अन्य परियोजनाओं में भारत का सहयोग

- प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ई.एन.टी. अस्पताल परियजोना का शुभारम्भ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है।

- मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 के अंतर्गत, बीते साल सितम्बर में मेट्रो लाइन के 12 किलोमीटर लम्बे हिस्से का निर्माण पूरा हो गया था, जबकि फेज-2 के अंतर्गत मेट्रो लाइन के 14 किलोमीटर लम्बे हिस्से का निर्माण कार्य जारी है।
- ई.एन.टी. परियोजना के माध्यम से भारत ने मॉरीशस में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण में सहयोग दिया है।
- भारत के सहयोग से मॉरीशस में बन रही उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं का सफल और समयबद्ध निर्माण पूरा होने से न सिर्फ मॉरीशस बल्कि उस क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के लिये भी व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत-मॉरीशस सम्बंध

- दोनों देशों के बीच हमेशा से ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बंध रहे हैं। भारत और मॉरीशस के बीच वर्ष 1730 से ही सम्बंध रहे हैं, जबकि औपचारिक राजनयिक सम्बंध वर्ष 1948 में स्थापित हुए। मॉरीशस वर्ष 1968 में एक स्वतंत्र देश बना।
- भारत ने मॉरीशस को हमेशा से प्रवासी भारतीयों के चश्मे से देखा है। भारत का यह दृष्टिकोण अन्यथा नहीं है, क्योंकि मॉरीशस की 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है, जिन्हें आमतौर पर इंडो-मॉरीशस के रूप में जाना जाता है।
- मॉरीशस भारत द्वारा मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का प्रमुख भागीदार देश है। यह दिवस भारतीय प्रवासियों से जुड़े मुद्दों के लिये एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है।

महत्त्व

- **भू-रणनीतिक महत्त्व (Geo-Strategic Importance):** भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस के रणनीतिक महत्त्व को नए सिरे देखना शुरू कर दिया है।
  - वर्ष 2015 में, भारत ने भारत नियंत्रित आठ तटीय निगरानी रडार स्टेशनों की स्थापना के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
  - मॉरीशस, भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय कमान नियंत्रित संचार खुफिया नेटवर्क (Indian Navy's National Command Control Communication Intelligence Network) के तटीय निगरानी रडार (Coastal Surveillance Radar – CSR) स्टेशन सहित भारत के सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है।
  - वर्ष 2015 में भारत ने सागर (SAGAR– Security and Growth for All) नामक एक महत्त्वाकांक्षी नीति की शुरुआत की थी। यह हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में भारत की पहली महत्त्वपूर्ण नीति थी।
  - सागर नीति के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने और उन देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- वर्ष 2015 में, भारत और मॉरीशस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो भारत को मॉरीशस में सैन्य ठिकानों की स्थापना के लिये अनुमति देता है।
  - उपरोक्त समझौते में बहुत से महत्त्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जैसे– भारत के एंटी-पायरेसी अभियान के अलावा अवैध मछली पकड़ने, अवैध शिकार, ड्रग और मानव तस्करी में लिप्त व्यक्तियों/समूहों सहित सभी सम्भावित आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिये अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी हेतु भारत के प्रयास।

भू-आर्थिक महत्त्व (Geo-Economic Significance)

- एक 'केंद्रीय भौगोलिक बिंदु' के रूप में, मॉरीशस हिंद महासागर में वाणिज्य और संचार के लिये अत्यधिक महत्त्व रखता है।
- अफ्रीकी संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) के सदस्य के रूप में मॉरीशस की भौगोलिक महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
- भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वर्ष 2007 से हिंद महासागर स्थित इस द्वीपीय देश के लिये माल और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी रहा है।
- मॉरीशस सिंगापुर के बाद भारत के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है।
- अफ्रीका से मॉरीशस में होने वाले नए निवेश के रूप में, मॉरीशस भारत की अफ्रीका तक आर्थिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सबसे बड़ा केंद्र साबित हो सकता है।
    - भारत तकनीकी नवाचार के लिये एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मॉरीशस के विकास में योगदान दे सकता है, इसलिये भारत को उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिये मॉरीशस की सहायता करनी चाहिये।
    - मॉरीशस क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये एक मूल्यवान क्षेत्र भी बन सकता है।
- **द्वीपीय नीति की धुरी के रूप में:** भारत अभी तक दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर के वनीला द्वीपों (कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, मैयट, रीयूनियन और सेशेल्स) के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करता था।
    - यदि भारत इन द्वीपों से सामूहिक रूप से बात करना चाहे तो मॉरीशस को भारत की द्वीपीय नीति की धुरी बनाया जा सकता है।
    - यह दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में कई भारतीय वाणिज्यिक गतिविधियों, जैसे– पर्यटन, बैंकिंग गेटवे आदि के लिये सहयोग प्रदान कर सकता है।
- **चीन के साथ समीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण:** विदित है कि 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति के तहत चीन ने हिंद महासागर में ग्वादर (पाकिस्तान), हंबनटोटा (श्रीलंका) तथा क्युकुपी (म्याँमार) तक अपने महत्त्वपूर्ण सम्बंध स्थापित किये हैं।
    - इसलिये, भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने की नीति के रूप में मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स जैसे हिंद महासागर के देशों की मदद करनी चाहिये और उनसे बेहतर सम्बंध स्थापित करने पर ज़ोर देना चाहिये।

चुनौतियाँ

- यह वैश्विक अवधारणा पूर्णत: गलत है कि मॉरीशस भारत का विस्तार मात्र है। मॉरीशस एक सम्प्रभु देश है जिसकी हिंद महासागर में विशेष द्वीपीय स्थिति की वजह से तथा एक सम्पन्न आर्थिक केंद्र और रणनीतिक क्षेत्र होने की वजह से अपनी खुद की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है।
- **चीन की नीतियाँ:** हिंद महासागर के उत्तरी भाग में चीन की तेज़ी से बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों की तैनाती भारत के लिये एक बड़ी चुनौती है।
    - भारत पर अक्सर अपने अपेक्षाकृत छोटे पड़ोसियों के साथ सम्बंधों में आत्मकेंद्रित होने का आरोप लगता रहा है। भारत को अपनी यह छवि बदलने की ज़रूरत है।
    - जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसे कुछ मुद्दों पर भारत को मॉरीशस के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिये।

- मॉरीशस एक द्वीपीय देश होने के कारण, दुनिया के बाकी हिस्सों से भौतिक रूप से कटा हुआ है। इसके बावजूद यदि विश्व में कुछ भी बड़ा घटनाक्रम घटित होता है तो अक्सर देखा गया है कि मॉरीशस पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे वैश्विक आर्थिक संकट, एफ.डी.आई. में गिरावट, ट्रेड-वार आदि।
  - इसलिये भारत को इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के अलावा अपने अन्य दृष्टिकोणों को भी व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
- जैसे-जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, विश्व के विभिन्न देशों ने मॉरीशस को अपने नए सुरक्षा सर्किट के अभिन्न अंग के रूप में देखना शुरू कर दिया है।
  - चीन की बढ़ती मौजूदगी और छोटे देशों का लाभ उठाने के लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यू.के. जैसे देशों की कोशिश भारत के लिये चिंता का विषय है।

आगे की राह

- मॉरीशस में पंजीकृत कम्पनियाँ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत हैं, जिस वजह से भारत के लिये मॉरीशस से अपनी द्विपक्षीय कर संधि को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण हो गया है, विशेषकर उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करना, जिनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाभ को कृत्रिम रूप से कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोका जा सकता है।
- जैसा भारत दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में अपने सुरक्षा सहयोग का एक एकीकृत दृष्टिकोण रखता है, उसके लिये मॉरीशस एक प्राकृतिक विकल्प है। इसलिये भारत को अपनी पड़ोसी प्रथम नीति (Neighborhood First Policy) में सापेक्षिक सुधार करने होंगे।

उत्तर-पूर्व में परिसीमन : प्रश्न और चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

विधि मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्व के चार राज्यों के लिये परिसीमन आयोग के गठन हेतु इस वर्ष मार्च में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके सम्बंध में विशेषज्ञों द्वारा कुछ चिंताएँ व्यक्त की जा रहीं हैं।

पृष्ठभूमि

भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अंतिम बार परिसीमन का कार्य वर्ष 2002 से प्रारम्भ हुआ था, जो वर्ष 2008 में सम्पन्न हुआ। इस परिसीमन के तहत उत्तर-पूर्व के 4 राज्यों को शामिल नहीं किया गया था। इन राज्यों में परिसीमन करने के लिये केंद्र द्वारा परिसीमन आयोग की स्थापना के आदेश को चुनाव आयोग (ई.सी.) के पूर्व कानूनी सलाहकार एस. के. मेंदीरत्ता ने 'असंवैधानिक' और 'अवैध' कहा है। इस सम्बंध में मेंदीरत्ता द्वारा लिखे गए पत्र को चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को भेज दिया है। एस. के. मेंदीरत्ता के अनुसार, विधि मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' का उल्लंघन करती है।

एस.के. मेंदीरत्ता : व्यक्ति परिचय

i. एस.के. मेंदीरत्ता 50 वर्ष से अधिक समय तक चुनाव आयोग के कानूनी सलाहकार रह चुके हैं, अतः ऐसे मामलों में उनकी राय महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

ii. उन्हें परिसीमन का विशेषज्ञ माना जाता है और वह वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के सलाहकार थे।

iii. मेंदीरत्ता ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत उत्तराखंड के 70 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य में चुनाव आयोग की सहायता की थी।

परिसीमन : परिभाषा और आवश्यकता

- 'परिसीमन' का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया।
- जनसंख्या में हुए परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिये लोक सभा व विधान सभा सीटों की सीमाओं के पुनर्गठन और पुनर्वितरण का कार्य परिसीमन कहलाता है। नियमानुसार परिसीमन का कार्य हाल की जनगणना के अनुसार किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में, किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में परिवर्तन किया भी जा सकता है और नहीं भी। हालाँकि, किसी राज्य में एस.सी. और एस.टी. सीटों की संख्या को जनगणना के अनुसार बदल दिया जाता है।
- परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों के लिये विधायिका में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्रों का इस प्रकार से उचित विभाजन करना है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल को कोई अतिरिक्त लाभ न हो।
- साथ ही परिसीमन का उद्देश्य 'एक मत एक मूल्य' के सिद्धांतों का अनुपालन करना भी है।

- उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आदेश लोक सभा और सम्बंधित राज्य विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, परंतु इसमें संशोधनों की अनुमति नहीं होती है।

परिसीमन : कब और कितनी बार?

- अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया जाता है। इस तरह का पहला कार्य सन् 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की मदद से किया गया था।
- वर्ष 1952 में 'परिसीमन आयोग अधिनियम' के बाद से परिसीमन का कार्य वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित किये गए परिसीमन आयोगों द्वारा सम्पन्न हुए हैं। इस प्रकार, अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है।
- वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान का नतीजा था कि किसी राज्य में लोक सभा की सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात, जहाँ तक व्यावहारिक है, सभी राज्यों के लिये समान हों।
- यद्यपि इसका तात्पर्य यह था कि जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि रखने वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार आदि) को संसद में अधिक सीटें प्राप्त हो रही थीं, जबकि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को कम सीटें प्राप्त हो रही थीं।
- इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में किये गए संविधान संशोधन (42वें) द्वारा वर्ष 2001 तक परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था।
- 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया है। ऐसा इस अनुमान के मद्देनज़र किया गया था कि वर्ष 2026 तक देश एक समान जनसंख्या वृद्धि दर को हासिल कर लेगा। इस प्रकार, भविष्य का परिसीमन 2031 की जनगणना पर आधारित होगा।
- अत: वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जुलाई 2002 से 31 मार्च, 2008 के मध्य सम्पन्न अंतिम परिसीमन द्वारा केवल मौजूदा लोक सभा और विधान सभा सीटों की सीमाओं को पुन: व्यवस्थित करने के साथ आरक्षित सीटों की संख्या के परीक्षण का कार्य किया गया।

परिसीमन : वर्ष 2002-08 और कुछ राज्यों का अपवर्जन

- वर्ष 2002-08 के परिसीमन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के विभिन्न संगठनों द्वारा परिसीमन हेतु संदर्भ वर्ष के रूप में 2001 की जनगणना के उपयोग को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- असम ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) को अद्यतन नहीं किये जाने के कारण परिसीमन के कार्य को स्थगित करने की मांग की थी।
- वर्ष 2008 में परिसीमन अधिनियम में संशोधन किया गया और फरवरी 2008 में उक्त चार राज्यों में परिसीमन को स्थगित करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किये गए थे।

परिसीमन : 4 राज्यों में पुन: शुरू करने का निर्णय– कब और क्यों?

- इसी वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा फरवरी 2008 के आदेश को रद्द करते हुए 4 राज्यों में परिसीमन का कार्य पुन: शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया गया।
- इससे सम्बंधित ताज़ा आदेश को विधि मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा मार्च माह में अधिसूचना के रूप में जारी किया गया, जिसके अनुसार परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिकल्पित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अब किया जा सकता है। साथ ही इसके लिये एक परिसीमन आयोग के गठन को भी अधिसूचित किया गया।

- यह ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र में विद्रोह की घटनाओं में कमी आई है, जो परिसीमन के लिये काफी अनुकूल स्थिति पैदा करती है।
- इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर सहित चार राज्यों में परिसीमन का निर्णय सी.ए.ए. के कारण उपजी अशांति को भी माना जा रहा है।

परिसीमन : आयोग की संरचना

- अनुच्छेद 82 के तहत, संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- इसकी संरचना इस प्रकार होती है:
    1. उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में)
    2. मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित अन्य चुनाव आयुक्त (पदेन सदस्य)
    3. सम्बंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त (पदेन सदस्य)
- वर्तमान में परिसीमन आयोग में अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को नामित किया गया है।
- ज्ञात हो कि इससे पूर्व वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग का गठन न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।

परिसीमन : राज्यों में सीटों की संख्या में परिवर्तन

- संविधान द्वारा वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या में परिवर्तन को स्थगित कर दिया गया है, अतः इन राज्यों में केवल सीटों की सीमा को क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है न की संख्या में।
- साथ ही, यह आयोग जनगणना के अनुसार एस.सी. और एस.टी. की सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड की लोक सभा और विधान सभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- हालाँकि, पूर्व की असामान्य परिस्थितियों के कारण, परिसीमन के बाद अब जम्मू और कश्मीर में विधान सभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएँगी, जिससे जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिये 24 सीटें शामिल हैं।
- जम्मू और कश्मीर का अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में किया गया था जब यह राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा वर्ष 2002 में जम्मू और कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी।
- उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर का परिसीमन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के कारण वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित होगा।

परिसीमन : इन 4 राज्यों के लिये इसके असंवैधानिक और अवैध होने का तर्क

- एस. के. मेंदीरत्ता के अनुसार, विधि मंत्रालय द्वारा मार्च में जारी की गई अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करती है।
- वर्ष 2008 में, राष्ट्रपति द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद संसद द्वारा निर्णय लिया गया था कि भविष्य में इन चार पूर्वोत्तर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के परिसीमन के सीमित उद्देश्य हेतु एक अन्य परिसीमन आयोग का गठन करने के बजाय यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करते हुए धारा 8A को जोड़ा गया था।

- संसद को इस तथ्य द्वारा निर्देशित किया गया था कि चुनाव आयोग में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रधानता निहित है। चुनाव आयोग द्वारा ही दिल्ली को वर्ष 1991-92 में और उत्तराखंड को वर्ष 2000 में सीमांकित किया गया था।
- इस प्रकार, विधि मंत्रालय की अधिसूचना और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8A के मध्य अंतर्विरोध हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार इन चार उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग के पुनर्विचार के दायरे में आता है। अतः इस उद्देश्य के लिये केंद्र को अलग से एक परिसीमन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं करनी चाहिये था। इस नए परिसीमन आयोग को अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा परिणामस्वरूप यह केवल सार्वजनिक धन का अपव्यय होगा।

आपदाओं के दौरान चुनाव और निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

पृष्ठभूमि

लोक सभा या विधान सभा का चुनाव उसके कार्यकाल या अवधि समाप्ति होने के 6 माह पूर्व से किसी भी समय कराया जा सकता है। स्थानिक आपदाओं या अन्य किसी तार्किक कारणों व विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कुछ सीटों पर चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है। समय पर चुनाव न करा पाने की स्थिति में यह माना जाता है कि राज्य और संवैधानिक निकाय सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आगामी कुछ माह में बिहार विधान सभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और कोविड-19 के कारण चुनाव प्रक्रिया में समस्याएँ आने की सम्भावना है। कुछ दलों तथा विशेषज्ञ समूहों का मत है कि चुनाव की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसी स्थिति में इस बात का परीक्षण करना ज़रूरी हो जाता है कि कब, केसे और किन परिस्थितियों में विधान सभा या संसदीय चुनावों को स्थगित किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में विलम्ब करने के अधिकार का परीक्षण

- कानून के तहत यह अनिवार्य है कि निर्वाचन आयोग (ई.सी.) लोक सभा या विधान सभा का पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व की समयावधि के दौरान किसी भी समय चुनाव कराए।
- चुनाव की तिथियाँ इस तरह से तय की जानी चाहिये जिससे कि निवर्तमान सदन के विघटन के दिन नई विधान सभा या लोक सभा के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो। उदाहरणस्वरूप, बिहार के मामले में, निर्वाचन आयोग द्वारा आम तौर पर 29 नवम्बर को विधान सभा की समयावधि की समाप्ति से पूर्व विधान सभा चुनाव कराए जाने चाहिये।
- किसी सदन के समय पूर्व विघटन के मामले में, निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होता है कि यथासम्भव विघटन के छह महीने के भीतर नई लोक सभा या विधान सभा का गठन हो जाए।
- अधिकांशतः यह देखा जाता है कि चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होता है। हालाँकि, कुछ असाधारण मामलों में, चुनावी प्रक्रिया को इसकी घोषणा के बाद स्थगित या यहाँ तक की रोका भी जा सकता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये मतदान पैनल चुनाव की समयावधि को बढ़ा सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी विस्तार लोक सभा या विधान सभा के सामान्य विघटन की तिथि से आगे नहीं जाना चाहिये।
- वर्ष 1991 में, संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ उपरोक्त प्रावधान का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में राजीव गाँधी की हत्या के बाद तीन सप्ताह तक संसदीय चुनावों को स्थगित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से सम्बंधित है। इसके अलावा, इस वर्ष मार्च में, कोविड-19 महामारी के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव स्थगित कर दिये गए थे।

निर्वाचन आयोग और चुनाव सम्बंधी कुछ प्रमुख तथ्य

I. संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद-324 से 329 तक निर्वाचन आयोग व निर्वाचन सम्बंधी प्रावधानों का उल्लेख है।

II. निर्वाचन आयोग अंतिम रूप से वर्ष 1993 से तीन सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वैधानिक रूप से वे ही आयुक्तों को हटा सकते हैं।

III. निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सेवा, शर्तें व कार्य संचालन अधिनियम, 1991 के अनुसार, निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भाँति वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।

IV. मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य भी होता हैं।

V. दिनेश गोस्वामी समिति तथा इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से सम्बंधित हैं।

VI. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के खंड-8 (A) में भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यताओं का उल्लेख है।

VII. निर्वाचन आचरण नियम, 1961 में डाक मतपत्र एवं ई.वी.एम. (EVM) से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है।

बिहार विधान सभा चुनाव का उदाहरण और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153

- महत्त्वपूर्ण रूप से यह उल्लेखनीय है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही धारा 153 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।
- यदि निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव को स्थगित करना चाहता है, तो उसे अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना होगा। हालाँकि, इसके लिये निर्वाचन आयोग को समय पर चुनाव कराने में असमर्थता के बारे में सरकार को सूचित करना होगा।
- इसके बाद, सरकार और राष्ट्रपति भविष्य की स्थितियों को तय करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति शासन को लागू करने या निवर्तमान मुख्यमंत्री/विधान सभा को अतिरिक्त छह महीने के कार्यकाल की अनुमति देना शामिल है।

राष्ट्रीय दल

A. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार, वर्तमान में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं : कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सी.पी.आई, सी.पी.आई.-एम, एन.सी.पी., अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)।

B. राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें–

(a) उस दल ने लोक सभा के अंतिम आम चुनाव में 2% सीटे प्राप्त की हो तथा ये सीटें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों में प्राप्त की गई हों, अथवा

(b) उस दल को कम-से-कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(c) कोई दल लोक सभा या विधान सभा चुनावों में कम से कम चार राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो, साथ ही किसी राज्य या राज्यों से इसने चार लोक सभा सीटों पर विजय प्राप्त की हो।

C. राष्ट्रीय दलों को पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिये सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं।

D. राष्ट्रीय दल के पास चुनाव प्रचार के दौरान 40 'स्टार प्रचारक' हो सकते हैं, जबकि अन्य में 20 'स्टार प्रचारक' हो सकते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव स्थगित करने की परिस्थितियाँ

- निर्वाचन आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के अनुसार, ऐसा कोई भी विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता हो, जिसके तहत चुनाव को स्थगित किया जा सकता है।
- कानून और व्यवस्था, भूकम्प तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ या कोई अन्य ऐसी परिस्थितियाँ जो चुनाव आयोग के नियंत्रण से बाहर हैं, आयोग के लिये इस मामले में निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शक कारक सिद्ध होंगी।
- चुनावों के स्थगन पर फैसला आमतौर पर ज़मीनी वास्तविकता तथा केंद्र व राज्य सरकारों से इनपुट लेने के बाद किया जाता है।

ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

हाल ही में, मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- कुछ समय पूर्व, महाराष्ट्र सरकार के राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गए 'सरकारी प्रस्तावों' (Government Resolutions – GRs) तथा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के विरोध में मुम्बई उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, जिनकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश पारित किया।
- ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में निजी व्यक्तियों की नियुक्ति से सम्बंधित 'सरकारी प्रस्तावों' तथा अध्यादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी।
- ध्यातव्य है कि याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 151 में अभीष्ट संशोधन करने वाले अध्यादेश को भी चुनौती दी थी। विदित है कि इस संशोधन में किसी प्राकृतिक आपदा, महामारी, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या प्रशासकीय आपातकाल के कारण या उस दौरान राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव नहीं कराये जाने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निजी प्रशासकों की नियुक्तियाँ विधिसम्मत नहीं हैं तथा इस प्रकार की नियुक्तियों से स्थानीय प्रशासन तथा उसकी स्वायत्तता पर पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।
- याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यद्यपि ग्राम पंचायतों में राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा यह निर्णय राजनीतिक लाभ की मंशा से लिया गया है।

राज्य सरकार के तर्क

- राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महामारी के कारण राज्य में ग्राम पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया बड़े स्तर पर बाधित हुई है। इसी वजह से विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिये पंचायतों का परिचालन आवश्यक है एवं इस कारण प्रशासकों की तत्काल आवश्यकता है।
- राज्य ने यह भी कहा कि चूँकि राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या काफी अधिक है तथा सरकारी कर्मचारियों पर पहले से ही काफी अधिक कार्यभार है, अत: प्रशासक के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाना मुश्किल है।

न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने अंतरिम उपाय के रूप में आदेश दिया कि एक सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।

- यदि सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तथा निजी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है तो उन कारणों को प्रत्येक आदेश में दर्ज किया जाएगा, जिनके कारण यह पता चल सके कि अधिकारी उपलब्ध क्यों नहीं थे।
- किसी मापदंड के रूप में प्रशासकों के लिये 'गाँव का निवासी तथा मतदाता सूची में उनका नाम होना' ज़रूरी नहीं है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिये सबसे पहले किसी स्थानीय प्राधिकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)

- ग्राम पंचायतें पंचायती राज प्रणाली का हिस्सा हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
- पंचायती राज प्रणाली की यह व्यवस्था लोगों के बीच सहयोग, लोकतांत्रिक भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई थी।
- देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें (GPs) गाँवों में बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने और स्थानीय आर्थिक विकास और सुशासन को मज़बूत करने में लगी हुई हैं।

ग्राम सभा (Gram Sabha)

- ग्राम सभा उन सभी व्यक्तियों का निकाय है, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल किये जाते हैं।
- यह शब्द भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है।
- गाँव के सभी पात्र मतदाता ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं।
- ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय ग्राम सभा के अलावा किसी अन्य निकाय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता।

राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति

चर्चा में क्यों?

- राजनीति में अपराधीकरण के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय को आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में लागू किया जाएगा।
- राजनीति में अपराधियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2004 में 24% अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित थे, जबकि ये मामले वर्ष 2019 में बढ़कर 43% हो गए हैं।

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का प्रभाव

- नौकरशाही का राजनीतिकरण।
- इससे चुनाव परिणामों में हेराफेरी की सम्भावना बढ़ जाती है।
- इस प्रकार की प्रवृत्तियों से प्रत्याशियों की जीत के लिये राजनीतिक मूल्यों का पतन होता है।
- राजनीति में अपराधीकरण से शासन भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होता है।
- नागरिक समाज और व्यापार में राजनीति के बढ़ते प्रभुत्व से अधिकार व स्वतंत्रता सीमित होते जाते हैं, जो अंततः लोकतंत्र के पतन का कारण बनते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य प्रावधान

- राजनीतिक दलों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे उम्मीदवार से सम्बंधित लम्बित आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिये भी जारी करें।

- राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन सम्बंधी कारणों का भी उल्लेख करना होगा। उम्मीदवारों के चयन का कारण उनकी योग्यता और उपलब्धियों से सम्बंधित होना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये सभी विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर या नामांकन दाखिल करने की तिथि से कम-से-कम दो सप्ताह पहले ही प्रकाशित किये जाने चाहिये।
- इसके पश्चात राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन (Compliance) सम्बंधी रिपोर्ट चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन न करने की दशा में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा न्यायालय की अवमानना के दायरे में लाया जाएगा।

निर्णय का महत्त्व

- इस निर्णय के माध्यम से पहली बार राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व की राजनीतिक अपराधीकरण के लिये सार्वजनिक रूप से जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
- यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सम्पत्ति के खुलासे, नोटा विकल्प, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष अदालतों से सम्बंधित प्रावधान, जैसे– चुनाव सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह नागरिकों के लिये सूचना की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें प्रतिनिधि को चुनते समय अच्छी तरह से सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

निर्णय के समक्ष चुनौतियाँ

- अपराधीकरण से सम्बंधित कई कानूनों और अदालती फैसलों को लागू करने सम्बंधी चुनौतियों के चलते इस निर्णय से बहुत अधिक सहायता नहीं मिल सकी है।
- चुनाव और न्यायिक प्रणाली अभी तक कानूनी और तकनीकी बाधाओं के चलते आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय जानकारी के आधार पर बेहतर विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करता है।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश भर के लोग शासन की गुणवत्ता तथा सीमित विकल्पों की उपलब्धता से नाखुश हैं। चुनावी बॉन्ड की गोपनीय प्रक्रिया के चलते राजनीतिक फंडिंग में भी पारदर्शिता का अभाव है।

आगे की राह

- सिविल सोसाइटी द्वारा उम्मीदवारों के शपथ-पत्रों की प्रभावी निगरानी के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उम्मीदवारों से सम्बंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो, जिसे मतदाताओं तक शीघ्र प्रसारित किया जा सके।
- चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन के दुरुपयोग, अनुचित उपहार और अन्य प्रलोभनों से सतर्क रहना चाहिये।
- राजनीति में धन-बल की शक्ति को रोकने के लिये कानूनों को और अधिक कठोर बनाए जाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

भारत में एक व्यापक भेदभाव निषेध कानून की आवश्यकता का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हालिया घटनाक्रम के अनुसरण में, असामनता के मुद्दे पर कहा गया है कि भारत में नस्लवाद त्वचा के रंग से परे है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि लोगों या समूहों द्वारा धर्म के आधार पर घर के साथ-साथ अन्य सम्पत्ति को खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन्हें भी पूर्वाग्रह (Prejudices) के रूप में देखा जाना चाहिये।

पृष्ठभूमि

भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ समानता के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी उससे सम्बंधित कोई व्यापक कानून नहीं है। जब भी भेदभाव का मामला सामने आता है तो भेदभाव करने वाला पक्ष (पार्टी) दावा करता है कि वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है। यहाँ तक कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायलय ने भी प्रतिबंधात्मक व्याख्या (Restrictive Interpretation) का समर्थन किया है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत में एक व्यापक भेदभाव निषेध कानून की आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष और अनायास भेदभाव

- आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारतीय समाज संरचनात्मक भेदभाव से ग्रस्त है। ये पूर्वाग्रह आधारभूत वस्तुओं तक पहुँच से लेकर शिक्षा और रोज़गार तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, किंतु कई अवसरों पर यह भेदभाव अप्रत्यक्ष और आदतन होता है।

ग्रिग्स बनाम ड्यूक पॉवर कम्पनी मामला (1971)

- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रिक्स बनाम ड्यूक पॉवर कम्पनी मामले (1971) में भेदभाव के स्वरूप को स्पष्टता से समझाया है। वहाँ की अदालत ने पॉवर कम्पनी को अमेरिका के नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 के अंतर्गत निजी कार्यस्थल (Private Workplace) पर नस्लीय भेदभाव को अवैध माना था।
- कम्पनी ने प्रवेश स्तर की नौकरियों हेतु अभ्यर्थियों के लिये एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था, जो कि उपरी तौर पर नस्लीय रूप से तटस्थ (Racial- Neutral) थी, किंतु कम्पनी ने अफ्रीकी-अमेरिकियों के साथ-साथ भेदभाव किया था।
- इस मामले में न्यायाधीश ने कहा था कि रोज़गार या पदोन्नति के लिये केवल परीक्षण या मानदंड अवसर की समानता प्रदान नहीं की जा सकती है, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी समानता के मूल्य का पालन करना होगा। इस मामले में कार्यस्थल पर हुए विभिन्न भेदभावों का हवाला दिया गया।

मधु बनाम उत्तर रेलवे मामला

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में मधु बनाम उत्तर रेलवे मामले में ग्रिग्स के फैसले का उल्लेख किया गया था।
- इस मामले में रेलवे द्वारा एक कर्मचारी की पत्नी और बेटी को स्वास्थ्य उपचार देने से मना कर दिया गया था, जो कि नियमों के तहत हकदार थे। इसमें रेलवे का तर्क था कि उस कर्मचारी ने स्वास्थ्य कार्ड (Medical Card) से अपनी पत्नी व बेटी का नाम कटवा दिया था।
- इस मामले में अदालत द्वारा कहा गया कि चिकित्सा सेवाएँ एवं आवश्यक लाभ कर्मचारी द्वारा की गई घोषणा (Declaration) के तहत आते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर असमान प्रभाव पैदा करते हैं।
- ऐसे मामले में राज्य द्वारा इस प्रकार के भेदभाव, जैसे– आवास, स्कूल तथा रोज़गार हेतु प्रवेश सम्बंधी बाधाएँ निजी अनुबंधों (Private Contracts) के तहत आते हैं।

जोरास्टरियन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम ज़िला रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ (शहरी) और अन्य मामले

- इस मामले में वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारसी हाउसिंग सोसाइटी के उप-कानून (Bye-Law) का पक्ष लेते हुए प्रतिबंधात्मक बंधन (Restrictive Bond) का समर्थन किया गया था। इसमें पारसी हाउसिंग सोसाइटी ने किसी गैर-पारसी के लिये सम्पत्ति हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर रखा था। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(2) को नज़रंदाज़ करता है।

- प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 15(2) कुछ हद तक सीमित लग सकता है, परंतु इसमें प्रयुक्त 'दुकानें' शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिये। संविधान सभा ने इरादतन ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, जिससे किसी समूह विशेष के बहिष्कार का खतरा हो। उदाहरण के लिये, जब कोई व्यक्ति ग्राहक की आस्था के आधार पर अपनी सम्पत्ति को पट्टे (Lease) पर देने से मना करता है तो यह समानता के अधिकार के विरुद्ध होगा।

परिवर्तन के प्रयास

हाल ही में, भारत में कुछ प्रयास किये गए हैं। सांसद शशि थरूर द्वारा निजी स्तर पर एक विधेयक (तरुनभ खेतान द्वारा तैयार) पेश किया गया, जबकि सेंटर फॉर लॉ एंड पालिसी रिसर्च द्वारा गत वर्ष समानता से सम्बंधित विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। इन प्रयासों द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि राज्य द्वारा प्रदान की गई नागरिक स्वतंत्रताएँ किसी निजी व्यक्ति या संस्था के कृत्यों से उत्पन्न खतरे से लड़ने में सक्षम हैं।

आगे की राह

- अनुच्छेद 15(2) के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिसॉर्ट्स में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद यह अधिकार केवल ऊपरी तौर पर लागू होता है।
- न्याय की कोई भी उचित अवधारणा समाज में गहराई से जकड़े हुए वर्तमान ढाँचे से परे तथा नए सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देने वाली होनी चाहिये। इस सम्बंध में दक्षिण अफ्रीका का अवलोकन किया जाना चाहिये, जहाँ संवैधानिक गारंटी को सर्वव्यापी कानून द्वारा संवर्धित किया जाता है।
- भारत को एक ऐसा कानून बनाने के सम्बंध में विचार करना होगा जो भारतीय संस्कृति में व्याप्त भेदभाव की जड़ों को खत्म करने के साथ-साथ समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करे, तभी भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताएँ पूरी हो सकेंगी।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 : समय की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसदीय स्थाई समिति द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 पर एक रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को सौंपी गई है। यह समिति बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद भृतहरि महताब की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ

- रोज़गार की समाप्ति के पश्चात् कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान की समय-सीमा को मौजूदा पाँच वर्ष से घटाकर केवल एक वर्ष किया जाना चाहिये।
- ग्रेच्युटी के प्रावधान का विस्तार सभी श्रेणी के कर्मचारियों तक किया जाना चाहिये, जिनमें ठेका मज़दूर, मौसमी मज़दूरों (Seasonal Workers), निश्चित अवधि के लिये कर्मचारी और दैनिक कर्मचारी शामिल हैं।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का प्रावधान संहिता में एक अलग श्रेणी के रूप में किया जाना चाहिये।
- समिति द्वारा राज्य सरकारों को काम के घंटे बढ़ाने (8 से 12 घंटे) के लिये सुझाव दिया गया है।
- श्रमिकों के लिये विशेष रूप से एक कल्याण कोष बनाया जाना चाहिये। इस कोष का वित्तपोषण फंड प्राप्त करने वाले राज्यों, ठेकेदारों, प्रमुख नियोक्ताओं और पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाना चाहिये।

- इस कोष का उपयोग विशेष रूप से उन श्रमिकों या कर्मचारियों के लिये किया जाना चाहिये, जो किसी अन्य कल्याणकारी फंड के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल और पंजीकृत प्रतिष्ठानों के साथ प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस बनाया जाना चाहिये, जिसमें भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी भी शामिल होने चाहिये।
- कृषि और गैर-कृषि श्रमिक तथा अनुबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ स्व-नियोजित श्रमिकों का पंजीकरण कई संगठनों के बजाय एक निकाय के अंतर्गत किया जाना चाहिये, जो देश में सभी प्रकार के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी प्रावधानों के लिये उत्तरदायी हो।
- नियमों और कानूनों में जहाँ भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ केंद्र के नियम और कानून राज्यों पर बाध्य होंगे
- राज्यों के मध्य भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष की पोर्टेबिलिटी हेतु एक सक्षम तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिये, ताकि लाभार्थियों को किसी भी राज्य में धनराशि का सुगमता से भुगतान किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 पिछले वर्ष दिसम्बर में लोक सभा में पेश किया गया था। लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर चिंताएँ जताई गईं, जिसके कारण विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजा गया था।
- यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित नौ कानूनों को प्रतिस्थापित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और इससे सम्बंधित अन्य मुद्दों को कानून में संशोधन और समेकन करने पर केंद्रित है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- श्रमिकों से सम्बंधित योजनाओं तथा कानूनों में अस्पष्टता तथा दोहराव की समस्या बनी हुई है।
- भारत की अधिकांश श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में है, जो एक बेहतर भविष्य की कामना रखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को इस क्षेत्र के लिये दिया जाने वाला कम योगदान एक प्रमुख समस्या है।
- विधेयक में कुछ प्रावधानों को पुराने कानूनों से ज्यों-का-त्यों प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसका कोई कारण तथा समाधान इस नए विधेयक में नहीं दिया गया है।

आगे की राह

- राज्यों के मध्य अधिक समानता लाने के लिये एक मॉडल कम्पोजिट स्कीम का अपनाया जाना अनिवार्य है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विकलांगता, पेंशन आदि विषय शामिल किये जाने चाहिये।
- केंद्रीय डाटाबेस को प्रवासी श्रमिकों, जिसमें निर्माण और स्वरोज़गार श्रमिक भी शामिल हैं, के डाटाबेस के साथ जोड़ा जाना चाहिये, ताकि अगर कोई श्रमिक स्थान परिवर्तन करता है, तो उसका विवरण डाटाबेस और पोर्टेबिलिटी लाभ में स्वतः ही अपडेट हो जाए।
- समिति की अनुशंसाओं में अनुबंधित श्रमिकों की परिभाषा को और स्पष्ट और विस्तारित किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही इनके लिये सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लाभों की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन की संकटग्रस्त परिस्थितियों में श्रमिकों के प्रवास के चलते राष्ट्रीय स्तर के डाटाबेस की आवश्यकता और महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- इसलिये तात्कालिक रूप से डाटाबेस का निर्माण कर श्रमिक लाभों को शीघ्र अंतरित किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। सरकार को लम्बे समय से लम्बित संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये और मौजूदा श्रम कानूनों को वास्तव में सरल बनाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिये।

डिजिटल शिक्षा सम्बंधी दिशा-निर्देश : प्रज्ञाता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्री (अब शिक्षा मंत्री) श्री रमेश पोखरियाल द्वारा डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के सम्बंध में 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये गए।

पृष्ठभूमि

कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद हैं और इससे देश भर के स्कूलों में नामांकित 240 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। स्कूलों के इसी तरह से आगे भी बंद रहने की सम्भावना है, जिससे बच्चों के सीखने (अधिगम) के अवसरों में कमी आ सकती है। शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये स्कूलों को न केवल अब तक पढ़ाने व सिखाने के तरीके को बदलकर शिक्षा प्रदान करने के नए मॉडल तैयार करने होंगे, बल्कि 'घर पर स्कूली शिक्षा' और 'स्कूल में स्कूली शिक्षा' के एक स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक उपयुक्त विधि भी पेश करनी होगी।

प्रज्ञाता दिशा-निर्देश

- डिजिटल शिक्षा पर 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देश ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करता है।
- यह दिशा-निर्देश कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों के लिये एक दिन में ऑनलाइन सत्रों की समयावधि और उनकी संख्या से सम्बंधित है।
- जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिये कक्षा का समय 30 मिनट के लिये है, जबकि कक्षा 1-8 के लिये 30 से 45 मिनट तक के दो ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9-12 के लिये चार सत्र आयोजित किये जा सकते हैं।
- इन दिशा-निर्देशों में, ऐसे छात्रों जिनके पास डिजिटल उपकरण तक पहुँच है और जिनके पास डिजिटल उपकरण तक सीमित या कोई पहुँच नहीं है, दोनों के लिये, एन.सी.ई.आर.टी. के वैकल्पिक शैक्षणिक केलेंडर के उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।

- 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के आठ चरण, यथा : योजना (Plan), समीक्षा (Review), व्यवस्था (Arrange), मार्गदर्शक (Guide), याक/बात (Yak/Talk), असाइन (Assign), ट्रैक (Track) और सराहना (Appreciate) शामिल हैं।
- ये आठों चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीकों से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। इन आठों चरणों को इस प्रकार से समझा जा सकता है:
  - **योजना :** ऑनलाइन शिक्षा के लिये शिक्षक द्वारा विधिवत विवरणों सहित पाठ योजना तैयार किया जाना।
  - **समीक्षा :** शिक्षक द्वारा मोबाइल के माध्यम से बच्चों/छात्रों के साथ मिलकर डिजिटल उपकरणों तक उनकी पहुँच के बारे में पता लगाने के लिये 4 स्तरीय एक संक्षिप्त सर्वेक्षण किया जाना।
  - **व्यवस्था :** सर्वेक्षण के बाद शिक्षक कुछ तरीकों से डिजिटल शिक्षा तक छात्रों की पहुँच सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल और डिवाइस की तत्काल आवश्यकता वाले छात्रों पर तुरंत ध्यान देना शमिल है। साथ ही शिक्षक व्यवस्था और परिस्थिति के अनुसार किसी विषय या थीम का चुनाव कर सकता है।
  - **मार्गदर्शक :** शिक्षक बच्चों के माता-पिता से सम्बंधित विषय पर वीडियो दिखाने या उन्हें इस विषय पर चर्चा करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत गतिविधि है, जिसमें माता-पिता भी भाग ले सकते हैं।
  - **बात :** शिक्षक द्वारा शंका-समाधान सत्र की व्यवस्था करना और शिक्षार्थियों से बात करने के लिये पूर्व-निर्धारित समय पर उपलब्ध रहना।
  - **असाइन :** छात्रों को सम्बंधित विषय या चुनी गई थीम पर चित्र बनाने, उनके कार्यों को सूचीबद्ध करने या उसके बारे में कुछ लिखने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना। किसी भाषा को सीखना भी इस गतिविधि का एक एकीकृत हिस्सा हो सकता है।
  - **ट्रैक :** बच्चों द्वारा बनाए गए चार्ट या पोस्टर या डेटशीट को अभिभावकों द्वारा ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों को भेजा जाना। शिक्षक प्रत्येक असाइनमेंट पर छात्रों की प्रगति को ट्रैक करेंगे और शिक्षार्थियों को रचनात्मक प्रतिक्रिया देंगे।
  - **सराहना :** शिक्षकों द्वारा कुछ समय के लिये प्रत्येक समूह में हिस्सा लेने की आवश्यकता। शिक्षकों को असाइनमेंट पूरा होने पर बच्चों और माता-पिता की सराहना करने की आवश्यकता। इससे बच्चों और माता-पिता दोनों की ऑनलाइन शिक्षा के प्रति रुचि और प्रेरणा बनी रहेगी।
- ये दिशा-निर्देश स्कूल प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुझाव भी प्रदान करते हैं:

1. मूल्यांकन की ज़रूरत।
2. ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के हिसाब से सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों आदि से सरोकार।
3. हस्तक्षेप के तौर-तरीके जिनमें संसाधन अवधि, कक्षा के हिसाब से उसका वितरण आदि शामिल हैं।
4. डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती।
5. साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिये सावधानियों और उपायों सहित साइबर सुरक्षा और नैतिक प्रथा।
6. विभिन्न पहलों के साथ सहयोग और सम्मिलन।

- शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिये दिशा-निर्देश इस बात पर ज़ोर देता है कि लम्बे समय तक डिजिटल उपकरणों के उपयोग के कारण बच्चों को अत्यधिक खिंचाव या तनाव न हो। साथ ही वे नकारात्मक (बैठने के दोष, नेत्र सम्बंधी समस्याएँ और अन्य शारीरिक समस्याएँ) रूप से प्रभावित न हों।
- इस पहल में 'स्वयंप्रभा', 'दीक्षा', 'स्वयं मूक्स', 'रेडियो वाहिनी', 'शिक्षा वाणी', 'विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिये विशेष सामग्री' और 'आई.टी.पी.ए.एल.' शामिल हैं।

लाभ

- 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण के अनुसार विकसित किये गए हैं, जो लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिये ऑनलाइन/मिश्रित/डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित हैं।
- विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षकों व छात्रों सहित हितधारकों के विविध समूहों के लिये ये दिशा-निर्देश प्रासंगिक और उपयोगी साबित होंगे।
- ये दिशा-निर्देश देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित करने के लिये डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से सम्बंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
- ये दिशा-निर्देश स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिये साइबर सुरक्षा और गोपनीयता उपायों को सुनिश्चित करते हुए डिजिटल शिक्षा को लागू करने के लिये मूल्यांकन की आवश्यकता, योजना और इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं।

निष्कर्ष

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा के डिजिटल साधनों पर आगे के लिये विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर के संगठनों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को बदलाव के लिये आपस में हाथ मिलाने की ज़रूरत है ताकि यह व्यवस्था कोविड-19 के बाद भी कारगर बनी रहे।

कोविड-19 के बाद सतत विकास लक्ष्यों का स्वरूप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सतत विकास पर 'वर्चुअल उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच' ने सरकारों और हितधारकों को इन वैश्विक लक्ष्यों पर नज़र रखते हुए बेहतर निर्माण नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि

कोरोना महामारी ने विश्व के लगभग सभी हिस्सों में लगभग हर प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रभावित किया है। एशिया सबसे पहले कोविड-19 की चपेट में आया और इसके विनाशकारी सामाजिक व आर्थिक प्रभावों को महसूस किया। सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की प्राप्ति में पहले से ही पीछे चल रहे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये लॉकडाउन में छूट के बाद भी सामान्य स्थिति में वापस आना बहुत कठिन है। महामारी के खिलाफ चल रही जद्दोजेहद से स्पष्ट है कि गरीबी और भुखमरी के शिकार कितने लोग अभी भी समाज में हैं।

महामारी के दौरान एस.डी.जी. की प्रगति : आशावाद के लिये एक आधार

- एस.डी.जी. (SDGs) के रूप में वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता कठिन समय में आशा की एक किरण के रूप में काम कर सकती है।
- इस महामारी ने कई प्रमुख प्रणालियों में भंगुरता और प्रणालीगत अंतराल को उजागर किया है। हालाँकि, देशों ने विकास लक्ष्यों से सम्बंधित प्रगति में तेज़ी लाने के साथ-साथ लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये महामारी के दौरान व्यावहारिक रणनीतियों का उपयोग किया है।

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का विस्तार करने और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिये देशों ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सुभेद्य तथा कमज़ोर लोगों के लिये नकद हस्तांतरण व खाद्य वितरण प्रणाली शामिल है। इन प्रयासों के लिये सटीक और नियमित डाटा की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- वंचित लोगों तक वित्तपोषण की पहुँच तथा छोटे व मध्यम आकार के उद्यमों के लिये सरकार द्वारा दिये जा रहे वित्तीय सहयोग से भी बड़े स्तर पर सहायता मिल रही है। इसके अलावा, कई देशों ने भेदभाव के विभिन्न स्वरूपों के सम्बंध में व्यापक कदम उठाए हैं, विशेषकर लिंग असमानता और लिंग आधारित हिंसा से सम्बंधित क्षेत्रों के लिये।
- निजी क्षेत्र और वित्तपोषण संस्थानों के साथ भागीदारी ने रचनात्मक समाधानों को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया और ये सभी अनुभव आशावाद के लिये नैतिक बल के साथ-साथ एक आधार प्रदान करते हैं।

एक क्रांतिकारी पहल की जरूरत : एशिया-प्रशांत देशों में पर्यावरण अनुकूल रिकवरी पर फोकस

- एशिया और प्रशांत के कई देश विकास के लिये पर्यावरण अनुकूल रिकवरी (Green Recovery) और समावेशी दृष्टिकोण के लिये महत्त्वाकांक्षी नई रणनीतियों का विकास कर रहे हैं। हाल ही में, दक्षिण कोरिया ने दो केंद्रीय स्तम्भों पर आधारित एक नए मसौदे या योजना की घोषणा की। ये दो स्तम्भ हैं : डिजिटलीकरण और अकार्बनीकरण।
- प्रशांत क्षेत्र के कई देश 'ब्लू रिकवरी' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे मत्स्य प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के अवसर का लाभ उठाया जा सके। ब्लू रिकवरी महासागरीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्षतिपूर्ति पर आधारित है।
- हाल ही में, भारत ने इस क्षेत्र में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की है। साथ ही चीन जीवाश्म ईंधन से सम्बंधित उद्योगों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक नौकरियाँ पैदा कर रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र और एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थान इस संकट के प्रति एक साझा प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिये एकजुट होकर आगे बढ़े हैं।

नीति-निर्माताओं के लिये सुझाव

- इसके लिये नीतिगत मानसिकता के साथ-साथ व्यवहार्य में क्रांतिकारी बदलाव या आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों में महत्त्वपूर्ण भाग हैं:
  - समावेशी और जवाबदेह शासन प्रणाली
  - भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये लचीलेपन के अनुकूल संस्थाएँ
  - सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा
  - मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा

आगे की राह

कोविड-19 संकट के प्रति की जाने वाली जवाबी कार्यवाही लोगों की भलाई, उन्हें सशक्त बनाने और समानता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिये। लोगों के स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिये व्यक्ति-पर्यावरण गठजोड़ में ताकतवर और सकारात्मक परिवर्तन एक सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। अब यह महत्त्वपूर्ण हो गया है कि एस.डी.जी. के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये देशों को आगे बढ़ने के लिये उस समर्थन को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो उन्हें सक्षम कर सकें। महामारी के प्रकोप के साथ, एस.डी.जी. को प्राप्त करने की दिशा में देशों को रिकवरी और प्रगति की गति को और मज़बूत करना चाहिये। कोरोना के बीच और लॉकडाउन में ढील के बाद 'सतत विकास लक्ष्यों' की प्राप्ति के लिये समग्र, व्यापक और अग्रगामी नीतियों की आवश्यकता है।

जनसंख्या परिवर्तन : चुनौती या अवसर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट जर्नल द्वारा वैश्विक जनसंख्या में परिवर्तन को लेकर एक विश्लेषण जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2017 में 1.38 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2048 में लगभग 1.6 बिलियन तक होने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में 32% की गिरावट होने के साथ ही यह वर्ष 2100 तक 1.09 बिलियन हो जाएगी।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2100 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा।
- वर्ष 2017 में भारत में 20-64 आयु-वर्ग के कामकाजी उम्र के वयस्कों की संख्या 762 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2100 में घटकर 578 मिलियन तक होने का अनुमान है।
- हालाँकि, भारत में वर्ष 2020 के मध्य तक चीन की कार्यशील आबादी से भी अधिक आबादी होने की उम्मीद है। वर्ष 2017 की कामकाजी आबादी 950 मिलियन है जो घटकर वर्ष 2100 तक 357 मिलियन हो सकती है।
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों की सूची में सुधार की सम्भावना है, इसमें नॉमिनल जी.डी.पी. के संदर्भ में इसकी रैंक 7 से 3 तक पहुँचने का अनुमान है।
- वर्ष 2019 में देश की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) घटकर 2.1 से नीचे आ गई है और अनुमान है कि वर्ष 2040 तक निरंतर गिरावट होगी और वर्ष 2100 तक टी.एफ.आर. 1.29 तक पहुँचने का अनुमान है।
- उल्लेखनीय है कि टी.एफ.आर. 15-49 वर्षों के प्रजनन काल के दौरान एक महिला से जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या को इंगित करता है।
- भारत में वर्ष 2100 तक दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध अप्रवासन होने का अनुमान है।
- इस अध्ययन में भारत और चीन जैसे देशों में कामकाजी आयु की आबादी में अभूतपूर्व गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होने के साथ-साथ वैश्विक शक्तियों में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है।
- सयुंक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा कार्य वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने के चलते और भारत के एक विकासशील देश के होने के नाते यहाँ विनिर्माण बाज़ार में बड़ी संख्या में ऐसे अप्रवासियों को स्वीकार करने की क्षमता है, जो यहाँ कार्य करने के इच्छुक हैं।
- वर्ष 2064 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9.7 बिलियन होने का अनुमान है तथा इसके बाद सदी के अंत तक जापान, थाईलैंड, इटली और स्पेन सहित 23 देशों की आबादी 50 प्रतिशत से भी अधिक कम होने के साथ ही वैश्विक आबादी 8.8 बिलियन तक गिरने का अनुमान है।
- वर्ष 2100 तक कुल 195 देशों में से 183 देशों में प्रति महिला जन्म के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी नीचे टी.एफ.आर. होगा। वैश्विक टी.एफ.आर. वर्ष 2017 में 2.37 से घटकर वर्ष 2100 तक 1.66 तक पहुँचने का अनुमान है, जो कि 2.1 की न्यूनतम दर से भी नीचे है।
    - **प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर,** आवश्यक बच्चों की वह संख्या है जो वृद्ध लोगों की मृत्यु के पश्चात् उनका रिक्त स्थान भर सके।
- विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक आयु संरचना में भारी बदलाव होने की सम्भावना है। वर्ष 2019 में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 703 मिलियन थे, जिनके वर्ष 2100 तक 2.37 बिलियन तक होने की सम्भावना है।

चुनौतियाँ

- ये नए जनसंख्या पूर्वानुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा निरंतर वैश्विक वृद्धि के संदर्भ में दिये गए आँकड़ों के विपरीत हैं।
- जनसंख्या विश्लेषण पर प्रस्तुत आँकड़े आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ वृद्ध लोगों की बढ़ती आबादी से स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग प्रणालियों पर अत्यधिक बोझ बढ़ने के संकेत प्रदान करते हैं।
- सबसे अधिक चिंता का विषय तो यह है कि जनसंख्या में वृद्धि तो निरंतर हो रही है, लेकिन पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं।
- एक ही समय में सभी उम्र के लोगों की आबादी में वृद्धि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण होगी।

सुझाव

- कार्यशील आबादी में गिरावट के संदर्भ में आर्थिक विकास हेतु उदारवादी प्रवासन नीतियों को एक अस्थाई समाधान के रूप में अपनाया जा सकता है।
- प्रवासी श्रम बाज़ार में नवाचार और आधुनिक तकनीक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कामकाजी उम्र की आबादी को स्वीकृति प्रदान करने से देश में कौशल निर्माण के साथ-साथ मानव पूंजी के निर्माण में भी अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी।
- आधुनिक तकनीक में निवेश की सम्भावनाओं को तलाश करने से मानव श्रम की कमी की भरपाई की जा सकती है।
- महिलाओं में प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण उन्हें अधिक आर्थिक स्वंत्रता प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी शर्तों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक तंत्र के सामने अपना पक्ष पुरज़ोर तरीके से रख सकें।

आगे की राह

- भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन की सही दिशा में अग्रसर है, यदि नीति-निर्धारक इस परिवर्तन के साथ विकासात्मक नीतियों को संरेखित करते हैं तो भारत तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकेगा।
- जनसांख्यिकी परिवर्तन अपने साथ जटिल चुनौतियाँ भी लेकर आता है। यदि इस बढ़े हुए कार्यबल को पर्याप्त रूप में कौशल, शिक्षा और लाभकारी रोज़गार प्रदान नहीं किया गया तो भारत को जनसांख्यिकी लाभांश के बजाय जनसांख्यिकी संकट का सामना करना पड़ेगा।
- कामकाजी आबादी के प्रवासन का लाभ उठाने के लिये शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करके मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है।
- भारत को आर्थिक विकास हेतु वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने वाले देश जापान और दक्षिण कोरिया से सीख लेकर घरेलू चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस महत्त्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

स्मार्ट सिटी मिशन के बदलते प्रतिमान

चर्चा में क्यों?

जून 2020 में भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन को पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में इस मिशन का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।

पृष्ठभूमि

भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% हिस्सा शहरों में निवास करता है। सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान लगभग 63% है। वर्ष 2030 तक भारत की आबादी का लगभग 40% हिस्सा शहरी क्षेत्र का होगा, जिसके लिये भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के व्यापक विकास की आवश्यकता होगी। ये सभी तत्त्व लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा अधिक निवेश को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य

- स्मार्ट सिटी मिशन ऐसे शहरों को बढ़ावा देता है, जो मूल बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ नागरिकों के लिये गुणवत्तापूर्ण जीवन और स्वच्छ व टिकाऊ पर्यावरण हेतु समाधान प्रस्तुत कर सकें।
- मिशन में मुख्य रूप से क्षेत्र आधारित विकास मॉडल के माध्यम से 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत शहर के एक छोटे से हिस्से को रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। मिशन में टिकाऊ और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो अन्य शहरों के लिये मार्गदर्शक का काम करेगा।

स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान चुनौतियाँ

- कोरोनावायरस महामारी काफी हद तक एक शहरी संकट रही है। अधिकांश स्मार्ट शहर अब कोविड-19 संकट की चपेट में हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मेगासिटी महामारी से अत्यधिक प्रभावित हैं।
- भारतीय शहर न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक मुद्दों और आजीविका का संकट भी इनके समक्ष एक बड़ी चुनौती है।
- लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में शहरी निवासियों का रोज़गार समाप्त हो चुका है, साथ ही निकट भविष्य में भी रोज़गार मिलने की सम्भावना कम ही दिखाई दे रही है। महामारी के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन की संरचना का लाभ उठाया गया है। कुछ शहरों में वायरस के प्रसार के बारे में वास्तविक समय में आँकड़ों की निगरानी हेतु इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग वॉर रूम के रूप में किया जा रहा है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गईं परियोजनाएँ अपने निर्धारित समय से काफी पीछे हैं। 100 शहरों में 5151 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से 4700 परियोजनाओं की निविदा जारी की गई थी, लेकिन इनमें से केवल 1638 परियोजनाओं को ही पूरा किया गया है।
- इस मिशन के तहत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की गई है। इस मिशन के अंतर्गत 5,000 से अधिक परियोजनाओं में से केवल 69 परियोजनाएँ स्वास्थ्य बुनयादी ढाँचे से सम्बंधित थीं।
- इस मिशन ने स्थानीय सरकारों को और कमज़ोर कर दिया है। विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के समानांतर शासन संरचनाओं के होने से स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व में कमी आई है।

आगे की राह

- महामारी के दौर में केरल राज्य ने यह साबित कर दिया है कि मज़बूत स्थानीय सरकारों के साथ विकेंद्रीकृत राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली तथा उच्च निवेश किस प्रकार स्थानीय सार्वजानिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रभावी हो सकता है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम, जिन पर अभी तक कम ध्यान दिया गया है, को और अधिक संसाधन प्रदान कर व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं के स्थान रिक्त हैं। शहरी स्वास्थ्य ढाँचे को मज़बूती प्रदान करने हेतु इन्हें शीघ्रता से भरा जाना चाहिये।

- शहरी निवासियों की रोज़गार सुरक्षा के लिये एक 'राष्ट्रीय शहरी रोज़गार गारंटी कार्यक्रम' की शुरुआत की जानी चाहिये (केरल राज्य में वर्ष 2010 से ऐसी योजना कार्यान्वित की जा रही है)।
- वर्तमान समय में भारतीय शहर एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहे हैं। समय की मांग है कि ऐसे कार्यक्रमों में निवेश किया जाए, जो शहरी विकास की प्राथमिकताओं को आधार बनाकर अपने निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और आजीविका प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने हेतु शहरों के आस-पास हरित क्षेत्र विकसित किये जाएँ। शहरों की अवसंरचनाओं और सेवाओं में तकनीक, सूचना और आँकड़ों के प्रयोग से इन क्षेत्रों में एक व्यापक सुधार देखने को मिलेगा, जिससे रोज़गार सृजन के साथ-साथ उपेक्षित वर्गों की आय में वृद्धि होगी, फलत: शहर समावेशी बन सकेंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल से कॉलेज स्तर तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को मंजूरी दी है। NEP 2020 का लक्ष्य 'भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाना है।

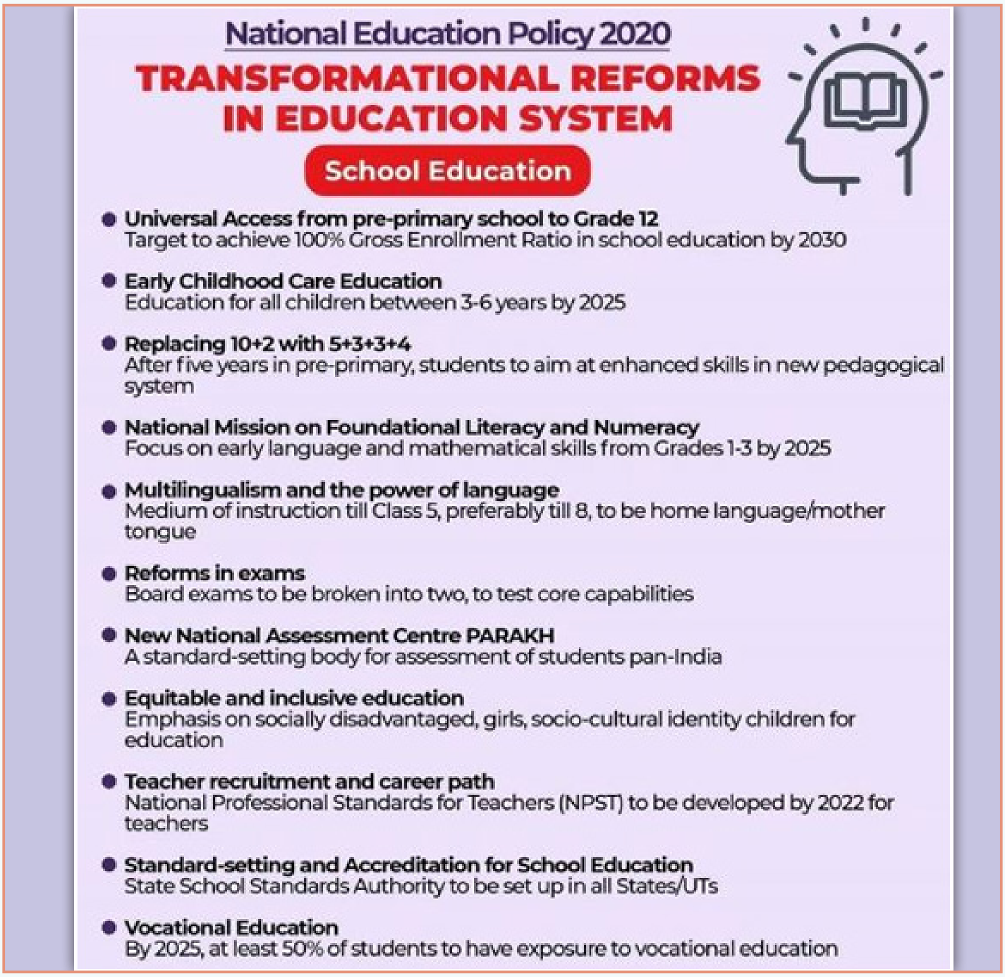

- केबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी है।
- ध्यातव्य है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था।
- यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में हुआ तीसरा प्रमुख सुधार है। पूर्व की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और वर्ष 1986 में लाई गई थीं।
- एन.ई.पी., 2020 में पाठ्यक्रमों के ऐसे प्रारूप और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर ज़ोर दिया गया है जिसके तहत छात्रों में पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए 21वीं सदी के लिये योग्य कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

प्रमुख बिंदु

विद्यालयी शिक्षा:

- वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) के साथ स्कूल-पूर्व स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। मुक्त विद्यालयी प्रणाली (Open Schooling) के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना।
- वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमश: 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

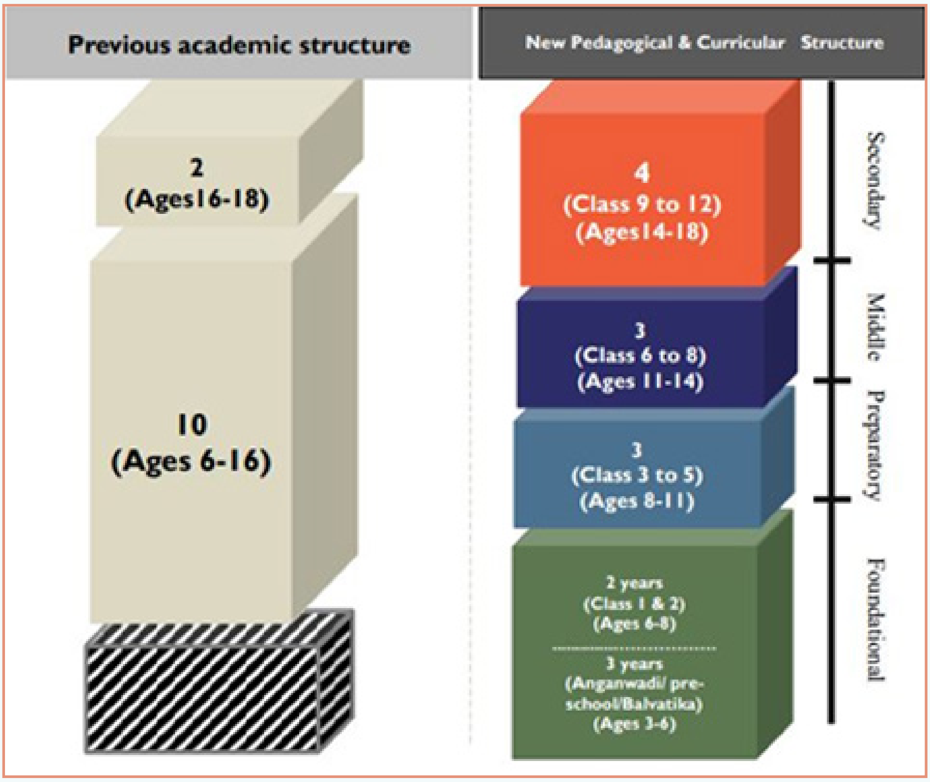

- इस नीति के तहत 3-6 साल के अनियोजित आयु समूह के बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा। इस आयुवर्ग को वैश्विक स्तर पर एक बच्चे के मानसिक स्तर के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण चरण (Crucial Stage for Development) के रूप में मान्यता दी गई है।

- इस शिक्षा नीति में कुल मिलाकर तीन साल की आंगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इस नीति के तहत कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिये, याद किये जाने वाले तथ्यों के बजाय मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने पर ज़ोर दिया जाएगा, सभी छात्रों को दो बार परीक्षा देने की अनुमति होगी।
- इसमें एक नए मान्यता ढांचे (Accreditation Framework) और सार्वजनिक व निजी दोनों स्कूलों को विनियमित करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ स्कूल प्रशासन व्यवस्था को बदलने की बात की गई है।
- फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी (Foundational Literacy and Numeracy) पर ज़ोर दिया जाएगा तथा स्कूलों में अकादमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम के बीच कोई भेद नहीं रखा जाएगा।
- इस नीति के तहत कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत।
- कम-से-कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
- 360 डिग्री की समग्र प्रगति के साथ ही मूल्यांकन सुधार, शिक्षण के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिये छात्र की प्रगति पर नज़र रखना।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री करने का लक्ष्य।

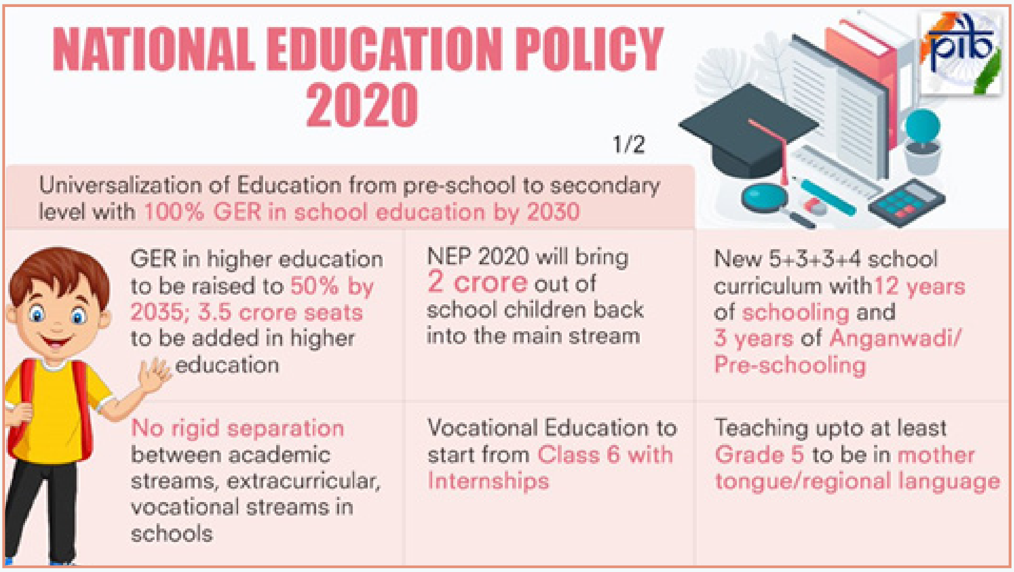

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio – GER) बढ़ाकर 50% किये जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएँगी।
- उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात 26.3% है।
- पाठ्यक्रम में लचीलेपन के साथ ही स्नातक की समग्र शिक्षा अवधि 3 या 4 साल की हो सकती है तथा इस दौरान स्नातक पाठ्यक्रम से कई निकास विकल्पों को भी रखा गया है। जैसे यदि प्रथम वर्ष में कोई पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में छोड़ता है तो डिप्लोमा और तृतीय वर्ष में छोड़ता है तो डिग्री या ऐसे ही विकल्प।
- एम.फिल. के पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा और स्नातक, स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंत:विषय (Interdisciplinary) कर दिये जाएँगे।

- ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credits) की स्थापना पर ज़ोर दिया जाएगा।
- आई.आई.टी. व आई.आई.एम. के साथ ही बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (Multidisciplinary Education and Research Universities – MERUs) को देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के लिये (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) एकल संयुक्त निकाय के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) को स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिये समान मानदंड होंगे। इसके अलावा, एच.ई.सी.आई. में चार स्वतंत्र भाग होंगे:
  - विनियमन के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (National Higher Education Regulatory Council – NHERC)
  - मानक सेटिंग के लिये सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council – GEC)
  - वित्तपोषण के लिये उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council – HEGC)।
  - मान्यता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council– NAC)।

अन्य परिवर्तन

- शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन तथा प्रशासन को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिये एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF) का निर्माण किया जाएगा।
- छात्रों के शिक्षा स्तर का आकलन करने के लिये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख 'PARAKH' बनाया गया है।
- यह शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
- यह वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये लिंग समावेश निधि (of Gender Inclusion Fund) तथा विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर ज़ोर देती है।
- पाली, फारसी और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- इस नीति का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6% तक करने का भी है।
- वर्तमान में भारत अपनी कुल जी.डी.पी. का लगभग 4.6% शिक्षा पर खर्च करता है।

भारत में शिक्षा

- भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (एफ) में राज्य द्वारा वित्तपोषण के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education – RTE) का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है। यह समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है।
- इसके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि कार्यक्रम पूर्व की शिक्षा नीतियों के ही परिणाम हैं।

आगे की राह

- नई शिक्षा नीति का लक्ष्य छात्रों के समावेशन, भागीदारी और उनके दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है। यह शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव है। इस नीति की निर्धारित संरचना बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगी और संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ-साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता पर भी उचित ध्यान देगी।
- यदि इस शिक्षा नीति को इसकी वास्तविक अवस्था में लागू किया जाता है, तो यह नई संरचना शिक्षा के क्षेत्र में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ला सकती है।

यातना-रोधी कानून की आवश्यकता का परीक्षण

पृष्ठभूमि

विगत दिनों तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में पूछ-ताछ के दौरान पिता और पुत्र की मौत हो गई थी। तमिलनाडु के सत्तनकुलम (Sattankulam) शहर में पिता व पुत्र की कथित यातना ने एक बार फिर से प्रताड़ना के खिलाफ एक अलग कानून की मांग को जन्म दे दिया है। ऐसी स्थिति में इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि क्या हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिये वर्तमान कानून अपर्याप्त है।

यातना और भारतीय कानून

- भारतीय दंड संहिता में 'यातना' (Torture) को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 'प्रताड़ना' (Hurt) व 'गम्भीर प्रताड़ना' (Grievous Hurt) की परिभाषाएँ स्पष्ट की गईं हैं।
- हालाँकि, 'प्रताड़ना' की परिभाषा में मानसिक यातना को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय अदालतों द्वारा यातना के दायरे में मानसिक यातना, स्वाभाविक रूप से बल प्रयोग या ज़बरदस्ती करना, थका देने वाली लम्बी पूछताछ के साथ-साथ लोगों में घबराहट पैदा करने व भयभीत करने वाले तरीकों को शामिल किया गया है।

गिरफ्तारी बनाम हिरासत (Arrest Vs Custody)

A. गिरफ्तारी और हिरासत पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक केद में रखना गिरफ्तारी कहलाता है। हिरासत का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति पर नियंत्रण या नज़र रखना है। इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध होता है।

B. गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। उदाहरणस्वरूप, जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो वह हिरासत में होता है।

उच्चतम न्यायालय तथा अभिरक्षा (हिरासत) में मौतें

- 'डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य', 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय हिरासत में यातना पर न्यायिक दृष्टिकोण के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।
- 'नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य' के मामले में अदालत के फैसले ने सुनिश्चित किया कि राज्य अब सार्वजनिक कानून के मामलों में देयताओं से बच नहीं सकते हैं और ऐसे मामलों में राज्यों को मुआवजा देने के लिये मजबूर होना पड़ा।

- इसी प्रकार, कई मामलों में न्यायालय ने कहा है कि हिरासत में मौत के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिये।
- अत: ऐसे मामलों से निपटने के लिये न तो उदाहरणों की कोई कमी है और न ही मौजूदा कानून में कोई कमी है। वास्तविक कमी कानूनों के अनुपालन की है।

पुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत

a) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब एक व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया बताया जाता है। पुलिस हिरासत का उद्देश्य अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिये संदिग्ध से पूछताछ करने के साथ-साथ संदिग्ध द्वारा सबूतों को नष्ट करने व गवाहों को प्रभावित करने से बचाना है। यह हिरासत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं हो सकती।

b) पुलिस हिरासत में आरोपी की शारीरिक हिरासत होती है, इसलिये पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जिससे पूछताछ के लिये पुलिस की पहुँच आरोपी तक हर समय होगी।

c) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने की स्थिति में आरोपी को पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में भेजने के रूप में दो विकल्प होते हैं।

d) न्यायिक हिरासत में, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है और उसको जेल भेजा जाता है। न्यायिक हिरासत में रखे गये अभियुक्त से पूछताछ हेतु पुलिस को सम्बंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।

विधि आयोग का दृष्टिकोण

- विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों से सम्बंधित अपराधों को छोड़कर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।
- विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार या दंड रोधी अभिसमय' के अनुमोदन की सिफारिश की गई है।
- यद्यपि भारत द्वारा सी.ए.टी. (CAT) पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, परंतु अभी तक इसका अनुमोदन किया जाना लम्बित है।
- हालाँकि, मामूली विसंगतियों को छोड़कर, यातना से सम्बंधित भारत में प्रचलित कानून केट के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त और सही हैं।

संयुक्त राष्ट्र का 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार या दंड रोधी अभिसमय'

1. The United Nation's 'Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' को सामान्य तौर पर यातना-रोधी संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (United Nations Convention against Torture – UNCAT) कहा जाता है।
2. यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक दंड और अत्याचार को रोकना है।
3. इस अभिसमय का मसौदा 10 दिसम्बर, 1984 को तैयार किया गया और 26 जून, 1987 से यह प्रभाव में आया।
4. इसी अभिसमय के उपलक्ष्य में 26 जून 'यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य सुरक्षात्मक उपाय

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों के लिये केमरे की नज़र में शव परीक्षण करने हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, हिरासत में होने वाली प्रत्येक मौत की जाँच एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

अभी तक के प्रयास

- विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिये वर्ष 2017 में 'अत्याचार निवारण विधेयक' का एक नया मसौदा जारी किया गया था।
- यह विधेयक न केवल अस्पष्ट था, बल्कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के साथ यह असंगत भी था। इसमें यातना के रूप में 'गम्भीर या लम्बे समय तक पीड़ा या कष्ट' को शामिल तो किया गया था, परंतु इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया था।
- इसके अतिरिक्त, हिरासत में मौत के मामले में प्रस्तावित सज़ा बहुत कठोर थी। विधि आयोग की 262 वीं रिपोर्ट में आतंकी गतिविधियों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड को खत्म करने की सिफारिश के बावजूद भी मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया गया था।
- इस विधेयक में यातना की प्रत्येक शिकायत की एफ.आई.आर. के रूप में पंजीकरण का प्रस्ताव भी अनुचित था। साथ ही यातना के आरोपी लोकसेवकों को अग्रिम ज़मानत से इनकार करना भी अतार्किक था।
- कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रस्तावित विधेयक बहुत नया और सुधारवादी नहीं था।

समस्या व समाधान

- पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता के अनुसार, हमें पहले से उपलब्ध कानून को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे निपटने के लिये वे पर्याप्त हैं।
- जाँचकर्ता और अभियोजक निष्पक्ष नहीं हैं, पहले इन्हें सुधारा जाना चाहिये। इसके लिये पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है।
- पुलिस द्वारा पूछ-ताछ करने के लिये थर्ड-डिग्री टॉर्चर विधियों के उपयोग की जगह वैज्ञानिक कौशल का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- इस प्रकार, समस्या के मूल को पहचानकर उस पर प्रहार करने के साथ-साथ आवश्यक सुधार लाने के लिये विभिन्न आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना समय की मांग है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल — द्वारा - कुमार गौरव
इतिहास — द्वारा - अखिल मूर्ति

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- अगले 500 विद्यार्थियों के लिये फीस में 15% की छूट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) भारतीय राजव्यवस्था
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे	एवं टीम

नोट
नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से
SANSKRITI IAS
का एप डाउनलोड करें

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करेंः 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करेंः 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

करेंट अफेयर्स

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3

आर्थिक घटनाक्रम

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) का उद्भव व विकास:........85

आपदाओं के समय कितना कारगर........85

बैड बैंक: अवधारणा एवं स्थापना का प्रस्ताव........89

डेयरी क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर भारत : चुनौतियाँ........92

राजकोषीय परिषद: वित्तीय निगरानी हेतु वैकल्पिक तंत्र........94

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण........96

रेलवे का निजीकरण: कितना प्रासंगिक........98

खजान कृषि प्रणाली........99

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड : नैटग्रिड........102

प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से सम्बंधित मुद्दे........103

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र–3 का महत्त्व........107

विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना की शुरुआत :
स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम 110

पर्यावरणी घटनाक्रम

एरियल सीडिंग तकनीक: अरावली क्षेत्र में पौधारोपण हेतु पहल........113

जैव-विविधता शासन : समझौते और कानून........115

भविष्य में महामारियों से बचाव: जलवायु परिवर्तन पर अंकुश व पर्यावरण की रक्षा........117

भू-जल स्तर में गिरावट : कारण तथा समाधान........119

भारत में बढ़ती बाघ संख्या : चुनौतियाँ एवं रणनीति........122

भारत के प्राकृतिक आपदा सम्बंधी अनुमान........124

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति, 2020 का मसौदा........129

श्रम आपूर्ति तथा बढ़ती मानव तस्करी 130

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) का उद्‌भव व विकास: आपदाओं के समय कितना कारगर

पृष्ठभूमि

भारत ने स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों से निपटने में मदद करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) प्रणाली को नियोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 100 मिलियन प्रवासी मज़दूर लॉकडाउन के कारण आजीविका खो चुके हैं। इस दौरान, 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से प्रवासी मज़दूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पी.एम.जे.डी.वाई. को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिये वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इन खातों को आधार संख्या और मोबाइल नम्बर के साथ भी जोड़ दिया गया है। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना की घोषणा की गई। इसके माध्यम से भी प्रवासी मज़दूरों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है।

लॉकडाउन : प्रमुख आँकड़े

- 31 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान सड़कों के माध्यम से प्रवास कर रहे 0.6 मिलियन से अधिक **लोगों को रोककर अस्थाई आवास प्रदान किया** गया, जबकि 22 मिलियन से अधिक लोगों को राशन प्रदान किया गया।
- इस संख्या में वृद्धि की सम्भावना है और स्थिति सामान्य होने से पूर्व कम से कम तीन महीने तक लोगों को नकदी के साथ-साथ भोजन के रूप में सहायता की आवश्यकता होगी। शहरों और गाँवों में लाखों ऐसे लोग हैं, जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता होगी। उन्हें पहचान कर सहायता प्रदान करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 16 अप्रैल को ज़ारी इकोव्रैप (Ecowrap) रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 70% आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं।
- देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े योगदानकर्त्ता राज्यों, यथा– महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोविड-19 मामलों के कारण आर्थिक स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। अप्रैल में एच.डी.एफ.सी. बैंक के अनुसार, इन तीन राज्यों की भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 30% की हिस्सेदारी है।
- इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के वे क्लस्टर जहाँ कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, ये राज्य भारत की विनिर्माण गतिविधियों में 34% के हिस्सेदार हैं। इस कारण से निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः शुरू करना अपेक्षाकृत कठिन है।

कोविड-19 और डी.बी.टी.

- लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री द्वारा मार्च में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (पी.एम.जी.के.वाई.) के अंतर्गत 800 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु डी.बी.टी. के माध्यम से 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि 800 मिलियन जनसंख्या भारत की कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।
- डी.बी.टी. पैकेज में 'नकद' और 'इन-काइंड' के रूप में सहायता शामिल है। डी.बी.टी. के माध्यम से नकद सहायता के रूप में पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत लगभग 200 मिलियन महिलाओं को 500 रुपए और करीब 87 मिलियन किसानों को पी.एम.-किसान के तहत 2,000 रुपए हस्तांतरित किये जाएंगे।

- इस राहत पैकेज के नकद घटक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मज़दूरी में भी वृद्धि की गई है, जिसके तहत लगभग 136 मिलियन लाभार्थी परिवारों को प्रतिदिन 182 रुपए के साथ अतिरिक्त 20 रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- इन-काइंड के रूप में सहायता तीन महीने के लिये है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इसमें मुफ्त सहायता के रूप में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूँ या चावल, 1 किलो दालें और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी.एम.यू.वाई.) के तहत रसोई गैस की तीन रिफिल शामिल हैं।
- नई घोषणा के अनुसार, इस सहायता को अतिरिक्त पाँच महीने के लिये बढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत नवम्बर तक करीब 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
- डी.बी.टी. को सही तरीके से लागू करना सरकार के लिये वास्तविक परीक्षा होगी क्योंकि अभी तक कई ऐसे पात्र वर्ग हैं, जिनको सहायता राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) ने अनुमान लगाया है कि देश के कुल प्रवासी श्रमिकों में से केवल एक-तिहाई तक ही राहत उपाय पहुँच पाए हैं।

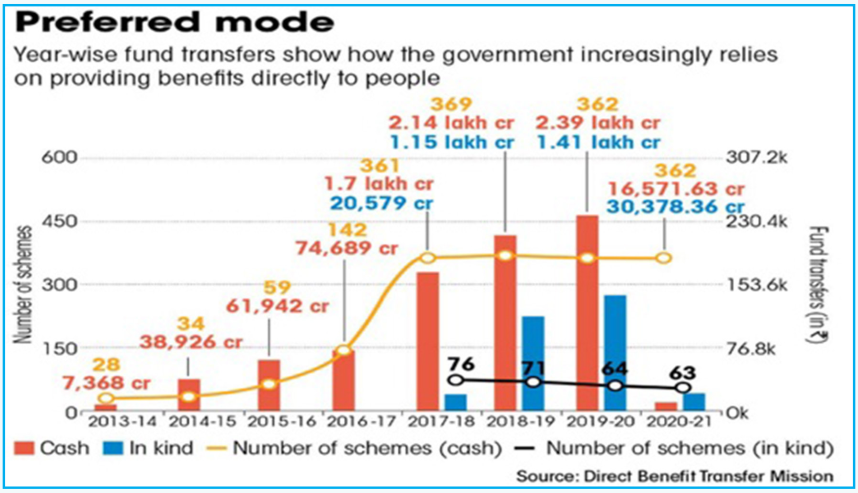

डी.बी.टी. का उद्‌भव व विकास

- वर्तमान में, देश भर में 400 से अधिक योजनाओं का लाभ डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इनमें से 63 इन-काइंड सब्सिडी हैं, जबकि शेष या तो नकद हैं या नकद व इन-काइंड सब्सिडी का मिश्रण हैं।
- पूर्ववर्ती योजना आयोग ने वर्ष 2011 में नकद हस्तांतरण पद्धति का खाका तैयार किया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के वितरण में आने वाले अत्यधिक खर्च को कम करने के साथ-साथ वितरण में तेज़ी लाने के लिये डी.बी.टी. के विचार को मज़बूती मिली।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2000 में विकास के लिये दिये गए 'एक रुपए की डिलीवरी या वितरण में 3.65 रुपए खर्च' किये।
- केंद्रीय बजट 2011-12 में सरकार ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में डी.बी.टी. के लिये एक कार्य बल की घोषणा की।
- जनवरी 2013 में भारत द्वारा पहली बार सात केंद्र प्रायोजित योजनाओं को डी.बी.टी. मोड के अंतर्गत लाया गया। साथ ही योजना आयोग के तहत डी.बी.टी. मिशन की स्थापना की गई।

- **वर्ष 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में 'जैम त्रयी (JAM Trinity):** जन धन बैंक खाता, सत्यापन उपकरण के रूप में आधार कार्ड और व्यक्तिगत ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मोबाइल फोन' को प्रस्तावित किया गया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में लगभग 220 मिलियन लोगों तक डी.बी.टी. के माध्यम से घरेलू स्तर पर सभी बुनियादी जरूरतों और लाभों को वितरित करने के लक्ष्य का निर्देश दिया। इन बुनियादी पहलों में आवास, रोज़गार, रियायती खाद्यान्न, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य बीमा, कृषि नकदी सहायता और बीमा शामिल हैं। बाद में इस सूची में पाइप द्वारा जलापूर्ति को भी जोड़ा गया।

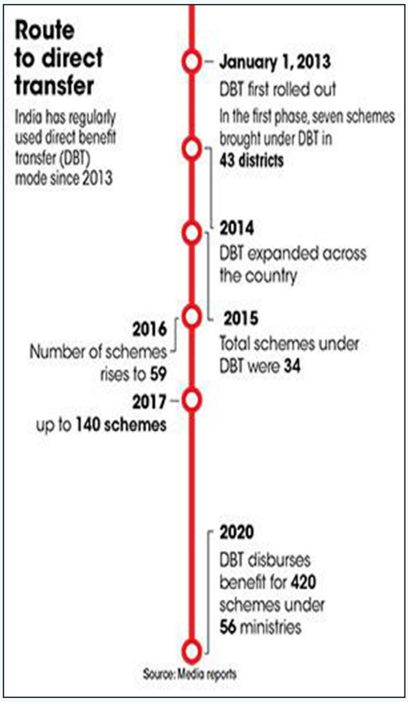

- भारत ने इस मोड के माध्यम से वितरण द्वारा अनुमानत: 900 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाया है।
- डी.बी.टी. मिशन की वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने केंद्र सरकार के कल्याणकारी और सब्सिडी बजट का लगभग 60% वितरण सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया है।
- वर्ष 2019-20 में डी.बी.टी. के तहत कुल हस्तांतरण वर्ष 2013 में डी.बी.टी. की शुरुआत के प्रथम वर्ष का लगभग 40 गुना है।
- डी.बी.टी. के तहत योजनाओं के लिये वर्ष 2020-21 के कुल कृषि बजट का आवंटन लगभग 81% है, जो प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की मात्रा को इंगित करता है।
- सरकार के अनुसार, डी.बी.टी. ने न केवल वितरण प्रणाली को सटीक बनाया है, बल्कि चोरी और प्रशासनिक लागत को कम करके पैसे बचाने में भी मदद की है। डी.बी.टी. मिशन वेबसाइट के अनुसार, जून 2020 तक यह बचत लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए रही, जो करीब कोविड-19 राहत पैकेज की पहली राशि के समान है।

सब्सिडी/वस्तुओं के रूप में लाभ (Benefits In-Kind)

- इसके माध्यम से लगभग 63 'इन-काइंड' प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रमुख रियायती राशन का वितरण (पी.डी.एस. के माध्यम से), आँगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से पूरक पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजनाएँ (Mid-Day Meal), उर्वरक सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजनाएँ शामिल हैं।
- 'इन-काइंड' के तहत सरकार या उसकी एजेंसी लक्षित लाभार्थियों को मुफ्त या रियायती दरों पर सामान खरीदने और प्रदान करने के लिये आंतरिक व्यय करती है।

लाभार्थी और बहिष्करण

- डी.बी.टी. का सबसे आधारभूत और परेशान करने वाला पहलू लाभार्थियों की पहचान है। मनरेगा तथा पी.एम. - किसान या पी.एम.यू.वाई. जैसी कुछ योजनाओं को छोड़कर डी.बी.टी. योजनाओं में से अधिकांश का प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक डी.बी.टी. योजना के लिये सरकार के पास एक अलग मानदंड, लाभार्थी सूची और वितरण चैनल होते हैं।
- समस्या यह है कि किसी आपदा के दौरान, सरकार यादृच्छिक रूप से लाभार्थी सूचियों का चयन करती है, जिससे कई पात्रों का समावेश नहीं हो पाता है।

- इसके अतिरिक्त कई मामलों में, पात्रों की सूचियाँ ठीक से लक्षित या सम्पूर्ण नहीं होती हैं। उदाहरणस्वरूप देश में वर्ष 1997 में पहला बी.पी.एल. का सर्वेक्षण किया गया था, उसके बाद से ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गईं।
- दूसरा उदाहरण पी.एम.-किसान का लिया जा सकता है जो भारत की सबसे बड़ी नकद आय सहायता योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का प्रारंभिक अनुमान 140 मिलियन था, जिसे बाद में घटाकर 87 मिलियन कर दिया गया। साथ ही इसमें बटाईदार किसानों और पशुपालकों को लाभार्थी नहीं माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों के लिये किसी प्रकार का डाटाबेस न होना भी एक समस्या है।
- वर्ष 2017 में केंद्र ने गरीबी रेखा के बजाय सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) -2011 डाटा का उपयोग करने लाभार्थियों की पहचान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक योजनाओं के लिये धन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। यह एक अच्छी शुरुआत है परंतु डाटाबेस पुराना होने के कारण इन्हें अद्यतन करने और दुबारा जाँचने की भी जरूरत है।

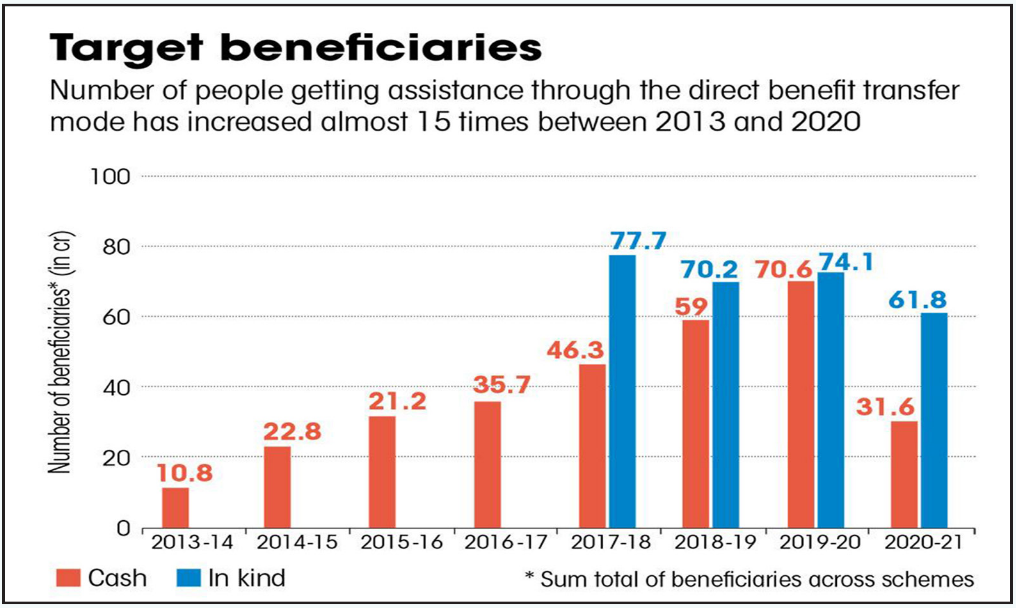

जैम और बैंकिंग में अंतराल

- 'जन-धन खाते' का प्रयोग वित्तीय संस्थानों तक समावेशी पहुँच बढ़ाने और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी के नकद हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिये किया गया था, परंतु ऐसे खाते खोलने के लिये पात्रता मानदंड अस्पष्ट है।
- जन-धन खाते ऐसे ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये थे, जिनके पास खाता नहीं है परंतु इसका भी सत्यापन नहीं किया जा सका।
- सरकार के अनुसार, जनवरी 2020 तक लगभग 15% भारतीयों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है जो संख्यात्मक रूप में लगभग 160 मिलियन है। 2014-19 में सरकार द्वारा 1.257 बिलियन से अधिक आधार कार्ड ज़ारी किये गए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, भारत के सबसे गरीब लगभग 40 फीसदी लोगों में से करीब 23% का किसी भी वित्तीय संस्थान में खाता नहीं है। साथ ही निष्क्रिय खातों की बड़ी संख्या चिंता का दूसरा कारण है। भारत में गरीबों के कुल खातों में से लगभग 45% निष्क्रिय हैं। साथ ही जुलाई 2018 तक 60 मिलियन से अधिक जन-धन खाते निष्क्रिय थे।

- बैंक और शाखा रहित क्षेत्रों के लोग राहत उपायों का लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। इसके लिये शाखा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये सरकार के पास लगभग 126,000 बैंक मित्र हैं।
- इसके अलावा, डिजिटल वित्तपोषण सेवाओं की बुनियादी संरचना की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों में निराशाजनक है। वर्ष 2017 में वित्तीय समावेशन पर नाबार्ड द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण आबादी के 2% से भी कम खाताधारक मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पर निर्भर हैं।
- बैंकिंग क्षेत्र में एक और बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी है। वर्ष 2019 तक देश के कुल ए.टी.एम. का केवल 19% ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

आगे की राह

वर्तमान संकट के दौर में सरकार को केवल जन धन खाताधारकों को लक्षित करने के बजाय, मनरेगा और एन.एफ.एस.ए, दोनों सूचियों का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंक इस विशाल राहत अभियान के केंद्र में रहे हैं लेकिन बैंकिंग केंद्रों की कमी भी एक समस्या है। हालाँकि, सरकार द्वारा योजना की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद ही खातों में सहायता राशि का आना उस गति की गवाही है, जिस पर डी.बी.टी. अवसंरचना कार्य कर सकती है। जिस गति से लाभ दिया जाता है, वह गेम चेंजर साबित हो सकता है। डी.बी.टी. के लिये वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और राशि तक वास्तविक समय में पहुँच आवश्यक शर्तें हैं। डी.बी.टी. के रूप में इस समय सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, क्योंकि यह योजनाओं तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। यदि सरकार को राशन भेजना है तो उसे एक रसद शृंखला बनानी होगी, अनाजों की खरीद करनी होगी और इसे राशन की दुकानों में पहुँचाना होगा, जिसमें यह काफी सहायक साबित होगा।

बैड बैंक: अवधारणा एवं स्थापना का प्रस्ताव

पृष्ठभूमि

- हाल ही में 'भारतीय बैंक संघ' (Indian Banks Association - IBA) की अगुवाई में बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त मंत्रालय और आर.बी.आई. के समक्ष बैड बैंक की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पेश किया। बैड बैंक की स्थापना का विचार विशेषकर चर्चा में तब आता है, जब निकट भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में तनाव बढ़ने का अनुमान हो। कोविड-19 बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। साथ ही कम्पनियों और व्यक्तिगत कमाई में गिरावट के कारण गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (NPA) में वृद्धि हो सकती है। एन.पी.ए. में वृद्धि का कारण बैड लोन तथा बैड एसेट में वृद्धि है।
- उल्लेखनीय है कि 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (IBC) तथा बैंकों द्वारा बैड लोन को राइट-ऑफ करने के बाद एन.पी.ए. में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही थी। विभिन्न विश्लेषकों का सुझाव है कि आगामी कुछ वर्षों में, बैंकिंग प्रणाली में संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों (StressedAssets) का अनुपात वर्तमान के लगभग 11% से बढ़कर 18% तक हो सकता है। इस प्रकार की चुनौती से निपटने के लिये बैंकिंग उद्योग ने सरकार की हिस्सेदारी वाले बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

बैड बैंक : अवधारणा

- बैड बैंक एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है, जिसके तहत बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक (बैड बैंक) में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो कर्ज में फँसी राशि और परिसम्पतियों को खरीदने के साथ-साथ उससे निपटने का भी कार्य करते हैं।

- बैड बैंक की स्थापना से अन्य बैंकों पर संकटग्रस्त कर्ज की वसूली और रिकवरी का दबाव कम हो जाएगा, परिणामस्वरूप बैंक नए ऋण के वितरण पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि बैड बैंक की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति पोर्टफोलियो सम्बंधी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से पिट्सबर्ग में प्रस्तुत किया गया था।

बैड बैंक का हालिया प्रस्ताव

- बैड बैंक उन बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के बैड लोन तथा अन्य गैर-नकदी स्वामित्त्व (ILLIQUID HOLDINGS) को खरीदता है, जो उनकी बैलेंस शीट को क्लियर करता है।
- आई.बी.ए. द्वारा प्रस्तावित बैड बैंक की स्थापना में सरकार और बैंकों की इक्विटी (शेयर पूंजी) अंशदान का भी विचार दिया गया है।
- बैड बैंक का विचार पी.एन.बी. के पूर्व अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता वाले एक पैनल पर आधारित है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों के तेज़ी से समाधान व प्रबंधन के लिये गठित किया गया था।
- इस पैनल ने दो वर्ष पूर्व ही बड़े स्तर के बैड लोन के शोधन व समाधान हेतु एक सम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी (ए.एम.सी.)- 'सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट' का प्रस्ताव दिया था। विदित है कि सर्वप्रथम बैड बैंक की चर्चा वर्ष 2017 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में की गई थी।

एन.पी.ए. में वृद्धि का अनुमान

- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 के प्रभाव और सम्बंधित नीतियों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 (FY21 and FY22) के मध्य निजी क्षेत्र के शीर्ष 500 उधारकर्ताओं से 1,67,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज के संकटग्रस्त होने या फँसने की सम्भावना है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी की शुरुआत से पहले अनुमानित 2,54,000 करोड़ रुपए के बैड लोन के अतिरिक्त है। इस प्रकार, कुल संकटग्रस्त हो सकने वाले कर्ज की धनराशि 4,21,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
- बकाया ऋण का 11.57% पहले से ही संकट में है। इस बकाया ऋण के अनुपात में 18.21% तक वृद्धि होने की सम्भावना है।

बैड बैंक पर सरकार का दृष्टिकोण

- वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से बैड बैंक के प्रस्ताव पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है, परंतु संकेत दिया है कि सरकार शेयर पूंजी को बैड बैंक में लगाने (Infuse) के लिये उत्सुक नहीं है।
- सरकार का विचार है कि बैड लोन का समाधान बाज़ार-आधारित तरीके से होना चाहिये क्योंकि निजी क्षेत्र में पहले से ही कई परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियाँ संचालित हो रही हैं।
- हालिया वर्षों में, सरकार ने सरकारी स्वामित्त्व वाले बैंकों में काफी हद तक पूंजी डालने (Capitalized) के साथ-साथ सरकारी बैंकों का विलय भी किया है।
- पिछले तीन वित्तीय वर्ष में सरकारी स्वामित्त्व वाले बैंकों में 2.65 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी सरकार द्वारा डाली गई है।
- सरकार की तरफ से इस प्रकार के कदमों के साथ आई.बी.सी. के तहत दिवाला शोधन को बैड लोन की चुनौती से निपटने के लिये पर्याप्त माना जा रहा है।

- साथ ही ऋण लेने के बाद कानूनी कार्रवाई से बचने हेतु देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों के लिये 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' के तहत भी कार्यवाही की जाती है।
- मई के अंत में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की बैठक में बैड बैंक के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, परंतु इसे कोई समर्थन नहीं मिला।

बैड बैंक पर आर.बी.आई. का दृष्टिकोण

- केंद्रीय बैंक ने कभी भी प्रमुख प्रमोटर के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के समर्थन से बैड बैंक की स्थापना का पक्ष नहीं लिया। आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वाणिज्यिक बैंकों के अधिक शेयर के साथ बैड बैंक स्थापित करने के विचार का विरोध किया था।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित बैड बैंक ऋण को सिर्फ एक जगह से (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) दूसरी जगह (बैड बैंक) स्थानांतरित ही करेगा, न कि यह देखेगा कि इन मामलों में कैसे सुधार होगा।
- यह भी सुझाव है कि बैड बैंक को दी जाने वाली पूंजी को सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दे दी जानी चाहिये।

बैड बैंक का विकल्प

- आर्थिक नीति-निर्माण में शामिल कई उद्योग विशेषज्ञों व सरकारी अधिकारियों का तर्क है कि आई.बी.सी. को अधिनियमित करने से बैड बैंक की आवश्यकता कम हो गई है क्योंकि सभी उधारदाताओं के लिये दिवाला शोधन व समाधान के लिये एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया उपलब्ध है।
- रिकवरी के लिये दावा की गई राशि की वसूली के सम्बंध में आर.बी.आई. के नवीनतम आँकड़े उपलब्ध है। इन आँकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा 2018-19 में आई.बी.सी. (IBC) के माध्यम से रिकवरी हेतु दावा की गई राशि में से औसतन 42.5% वसूली की गई, जबकि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI) के माध्यम से 14.5% तथा लोक अदालतों के माध्यम से 5.3% के साथ-साथ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के माध्यम से 3.5% की वसूली की गई।
- इस तरह से इस विचार को बल मिला है कि आई.बी.सी. अधिनियम के माध्यम से होने वाला ऋण शोधन समाधान अथवा ए.आर.सी. (ARC) को बैड लोन की बिक्री जैसी प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है जो सरकार द्वारा वित्तपोषित बैड बैंक के बजाय एन.पी.ए. समस्या से निपटने के लिये एक बेहतर तरीका है।
- विरल आचार्य ने बैंकों की संकटग्रस्त सम्पत्तियों की समस्या को हल करने के लिये दो मॉडल प्रस्तावित किये।
- पहले मॉडल के अनुसार, एक 'निजी एसेट मैनेजमेंट कम्पनी' (PAMC) का गठन किया जा सकता है।
- दूसरा मॉडल एक 'नेशनल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी' (NAMC) के गठन के रूप में प्रस्तावित है।
- नेशनल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिये ऋण जुटाएगा तथा इसमें सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी कम होगी। साथ ही ए.आर.सी. व निजी इक्विटी की भाँति परिसम्पत्तियों को प्रबंधित करने के लिये परिसम्पत्ति प्रबंधक भी होंगे।

आगे की राह

बैंकिंग क्षेत्र में एन.पी.ए. की समस्या दिनोंदिन जटिल होती जा रही है। ऐसी समस्या से निजात पाने के लिये पहले से उपस्थित नियमों, कानूनों, संस्थाओं और नियामकों को और मज़बूत किया जाना चाहिये। ऋण के वितरण के समय ही रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखा जाना चाहिये। साथ ही ऋण वितरण में प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

डेयरी क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर भारत : चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

- आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को कोविड-19 महामारी संकट के पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण के जरिये आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें डेयरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह क्षेत्र वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में भी अभूतपूर्व भूमिका निभा सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दो विषयों पर ज़ोर देकर हासिल किया जा सकता है: एक 'वोकल फॉर लोकल' और दूसरा 'स्थानीय से वैश्विक'।

दुग्ध क्षेत्र का महत्त्व

- भारत पिछले 22 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत का दुग्ध उत्पादन लगभग 188 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि विश्व के दुग्ध उत्पादन का लगभग 21% है।
- यह क्षेत्र लगभग 100 मिलियन ग्रामीण परिवारों के लिये आय का प्राथमिक स्रोत है, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे या सीमांत किसानों के लिये।
- भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले 20 वर्षों में 4.5% की दर से बढ़ा है, जबकि दुनिया में इसकी औसत वृद्धि दर 2% से भी कम है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में लगभग 28% का योगदान डेयरी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
- इस क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर ने भारत को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाने में अत्यधिक सहायता प्रदान की है।
- भारत ने दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता दशकों पहले ही हासिल कर ली थी। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत का दुग्ध उत्पादन अमेरिका के दूध उत्पादन की तुलना में केवल एक-तिहाई और यूरोपीय संघ का केवल 20% था। वर्तमान में भारत का दुग्ध उत्पादन अमेरिका से दोगुना और यूरोप से 25% अधिक है।
- 1970 के दशक के दौरान अधिकतर डेयरी किसानों को दलालों की एक लम्बी शृंखला तथा एक संगठित बाज़ार के अभाव में उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हो पाता था, किंतु अमूल द्वारा ऑपरेशन फ्लड के दौरान त्रिस्तरीय सहकारी मॉडल अपनाए जाने से दुग्ध किसानों तथा कामगारों को उचित पारिश्रमिक दिये जाने की प्रवृत्ति में बदलाव आया है।
- इस सहकारी मॉडल के कारण ही भारत विश्व में न केवल दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना, बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी बन गया है। भारत में प्रतिदिन दूध की उपलब्धता लगभग 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत 300 ग्राम प्रति व्यक्ति है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में डेयरी उत्पादों का सकल मूल्य पूरे देश में गेहूँ व चावल के संयुक्त मूल्य से अधिक है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) ने वर्ष 2001 से दूध की वैश्विक उपयोगिता के महत्त्व को समझते हुए प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक स्तर पर दुग्ध दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रचार-प्रसार किया जा सके।
- लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा डेयरी और मत्स्य उद्योग के विकास हेतु वित्तीय पैकेज ज़ारी किये गए, जिससे इन क्षेत्रों में तीव्र विकास की सम्भावना है।

भारतीय डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ

- भारत में दूध तथा इसके उत्पादों के लागत मूल्यों पर नियंत्रण एक प्रमुख चुनौती है। साथ ही भारतीय दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता भी दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।
- भारत वैश्विक स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है लेकिन व्यापक उपभोग के चलते भारत का दुग्ध निर्यात संतोषजनक नहीं है।
- अगले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल डेयरी उत्पादों जैसे– स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर की कीमत लगभग स्थिर रहने की सम्भावना है, जबकि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिये आगत कीमतों में वृद्धि एक चिंता का विषय है।
- कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते दूध की आपूर्ति में बाज़ार आधारित मांग की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिससे दुनियाभर में दूध की कीमतों में गिरावट आई है। यह दुग्ध उत्पादक किसानों और डेयरी संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिये ही गम्भीर चिंता का विषय है।

चुनौतियों से निपटने हेतु सुझाव

- भारत का दुग्ध उत्पादन एवं विपणन बाज़ार विश्व में सबसे बड़ा है। इस उद्योग को आर्थिक उदारीकरण और आयात से बचाते हुए घरेलू दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।
- भारतीय दुधारू पशुओं के कम उत्पादकता को प्रौद्योगिकी उपयुक्त प्रयोग तथा नवोन्मेष से हल करना होगा।
- भारत का डेयरी उद्योग लगभग 10 करोड़ से भी अधिक डेयरी उत्पादकों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह उद्योग सामाजिक-राजनैतिक दृष्टि से भी अत्यधिक सम्वेदनशील है, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- भारत की डेयरी सहकारिता निजी क्षेत्र के सहयोग से अगले एक दशक में प्रति दिन 4.3-4.8 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है।
- भारत को दुग्ध क्षेत्र में आगतों को नियंत्रित करने हेतु आपूर्ति शृंखला की विसंगतियों को दूर कर उसे और अधिक दक्ष बनाना होगा।
- भारत को दूध के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ एक प्रभावी दुग्ध निर्यात नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय दुग्ध किसानों की वैश्विक बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण दुग्ध क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के अंतर को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दुग्ध उत्पादकों, प्रसंस्करण संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से संतुलन स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे दुग्ध उत्पादन हेतु समग्र आर्थिक हितों का समायोजन किया जा सके एवं डेयरी उद्योग निरंतर आगे बढ़ सके।

निष्कर्ष

- भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत में पहले से ही दुग्ध तथा इनके उत्पाद नैसर्गिक रूप से समाहित हैं।
- वर्तमान में भारत को दुग्ध क्षेत्र के गुणवत्ता में सुधार, पशुओं की नस्ल में सुधार, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, एक समग्र दुग्ध निर्यातक नीति, सुगम ऋण सुविधा और ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को शहरी बाज़ार से जोड़ने जैसे महत्त्वपूर्ण सुधारों पर बल देना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।

राजकोषीय परिषद: वित्तीय निगरानी हेतु वैकल्पिक तंत्र

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने राजकोषीय परिषद (Fiscal Council) की आवश्यकता पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।
- वर्तमान में सरकार को आवश्यकता है कि वह संवेदनशील परिवारों (Vulnerable Families) की सहायता हेतु तथा अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिये और अधिक ऋण ले ताकि अर्थव्यवस्था के मांग में वृद्धि हो सके।

बाज़ार में विश्वास को बनाए रखते हुए ऋण लेने हेतु विकल्प

- सरकार द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने तथा बाज़ार में विश्वास बनाए रखने के लिये एक विश्वसनीय राजकोषीय विनियमन योजना का ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये।
- सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) को सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय परिषद जैसे संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) पर विचार किया जाना चाहिये।

ऋण वृद्धि की चुनौतियाँ

- वर्तमान में सरकार द्वारा ऋण लिये जाने से भावी पीढ़ियों पर ऋण तथा ब्याज भुगतान के दबाव में वृद्धि के साथ ही उनकी ऋण लेने की क्षमता में भी कमी आएगी।
- सरकार की वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) के चलते बाज़ार विश्वास (Market Confidence) में कमी आने से घरेलू तथा विदेशी निवेश में कमी आती है।
- अधिक ऋण लेने से सरकार या देश की सम्प्रभु रेटिंग (Sovereign Rating) में गिरावट आती है, जिससे सरकार के लिये भविष्य में ऋण लेने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- सरकार द्वारा अधिक ऋण लिये जाने से निकट भविष्य में महँगाई दर (Inflation Rate) बढ़ने का खतरा बना रहता है, जिससे देश की जनता को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

राजकोषीय परिषद के बारे में

- दो विशेषज्ञ समितियों (Expert Committees) द्वारा राजकोषीय परिषद की सिफारिश की गई है।
- वर्ष 2017 में राजकोषीय नियमों (Fiscal Rules) की समीक्षा पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एक स्वंतत्र राजकोषीय परिषद के निर्माण का सुझाव दिया गया था, जो सरकार के राजकोषीय लक्ष्यों (Fiscal Targets) के विचलन की स्थितियों पर सलाह प्रदान कर सके।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSO) द्वारा डी.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजकोषीय आँकड़ों (Fiscal Statistics) पर गठित समिति ने भी राजकोषीय परिषद का सुझाव दिया था, जो सरकार को सभी स्तरों पर समन्वय प्रदान करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं का वार्षिक मूल्यांकन कर सके और इस मूल्यांकन को सार्वजनिक रूप से पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करा सके।
- ये सिफारिशें 13वें और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से मिलती-जुलती हैं, जिनमें सरकार के राजकोषीय नियमों के पालन की समीक्षा करने और बजट प्रस्तावों के आकलन प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र वित्तीय एजेंसी की स्थापना का समर्थन किया गया था।
- राजकोषीय परिषद एक स्थाई एजेंसी होने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से सरकार की राजकोषीय योजनाओं (Fiscal Plans) का मूल्यांकन व्यापक आर्थिक परिदृश्य (Macroeconomic Outlook) के अनुसार करेगी। ये सभी मूल्यांकन एवं सम्बंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध (Public Domain) होगी।

- इस प्रकार के स्वतंत्र मूल्यांकन सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सहायता प्रदान करेंगे, जिससे बाज़ार में स्थिरता का वातावरण बन सकेगा। साथ ही विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा।
- इससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ ही संसद में इसकी रिपोर्ट पर महत्त्वपूर्ण चर्चा भी हो सकेगी।

राजकोषीय परिषद के कार्य

- राजकोषीय परिषद आगामी कई वर्षों के लिये राजकोषीय स्थिरता (Fiscal Stability) हेतु विश्लेषण तैयार कर उसका अनुमान लगाएगी।
- यह परिषद केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन (Fiscal Performance) का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगी, जिससे सरकार राजकोषीय नियमों के तहत उनका अनुपालन करेगी।
- परिषद द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय रणनीति में उपयुक्त परिवर्तन की सिफारिश की जाएगी।
- परिषद द्वारा वार्षिक वित्तीय रणनीति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
- उपर्युक्त कार्यों के साथ-साथ यह स्थाई संस्था सरकार के वित्तीय लेन-देन की निगरानी भी करेगी।

राजकोषीय परिषद की आवश्यकता

- विभिन्न उपकरों (Cesses) और अधिभारों (Surcharges) में राजस्व के हिस्से को सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत तंत्र की आवश्यकता है, ताकि राजस्व संग्रहण का उचित बँटवारा हो सके और एक मज़बूत सहकारी संघवाद को सुनिश्चित किया जा सके।
- जी.एस.टी. परिषद और वित्त आयोग के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। वर्तमान में न तो जी.एस.टी. परिषद को वित्त आयोग के कार्य के सम्बंध में कोई जानकारी होती है, न ही वित्त आयोग को यह जानकारी होती है कि जी.एस.टी. परिषद क्या कर रही है।
- संविधान के अनुच्छेद-293 के अंतर्गत, राज्य सरकार के ऋण सम्बंधी प्रतिबंधों का उल्लेख है परंतु केंद्र सरकार पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध और उत्तरदायित्व नहीं है।
- इसलिये केंद्र के राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) पर निगरानी रखने और राजकोषीय नियमों को लागू करने के लिये राजकोषीय परिषद जैसे वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

राजकोषीय परिषद के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act, 2003) को भी राजकोषीय समस्स्याओं में सुधार हेतु लाया गया था, लेकिन इन समस्याओं में अभी तक ऐसा कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला है।
- इस अधिनियम द्वारा सरकार के राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, जिन्हें प्राप्त करने में सरकार असफल रही और साथ ही असफलता के कारणों को स्पष्ट करने में भी असमर्थ रही।
- सरकार की वित्तीय नीति के सम्बंध में संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं होती है।
- सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पहले से बजट तैयार किया जाता है, इसलिये राजकोषीय परिषद के निर्माण की आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न है।
- वित्त मंत्रालय के कार्यों को किसी और संस्था को सौंपने से वित्त मंत्रालय के उत्तरदायित्व में कमी आएगी। अगर वित्तीय अनुमानों में किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो ये संस्थाएँ एक-दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी, जिससे पारदर्शिता का अभाव होगा तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में भी अस्पष्टता आएगी।

- वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और रिज़र्व बैंक द्वारा वृद्धि दर और अन्य व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार, राजकोषीय परिषद के अनुमान से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- जब पहले से ही सरकार के वित्तीय लेखे-जोखे की जाँच हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) है, तो सरकार के वित्तीय लेखे-जोखे की निगरानी हेतु राजकोषीय परिषद की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न है।

निष्कर्ष

- यद्यपि इस परिषद की अनेक उपयोगिताओं के बावजूद एक धड़ा यह मानता है कि इस प्रकार एक और नौकरशाही संस्था की स्थपाना से वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, अतः मौजूदा संरचना का ही व्यावहारिक तौर पर पालन करने से परिस्थितियों में सुधार सम्भव है।
- कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था में ठहराव ला दिया है तथा बाज़ार में भी विश्वास की कमी दिखाई पड़ रही है। इन समस्याओं से निपटने हेतु सरकार को आवश्यकता है कि वह और अधिक खर्च करे, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूम सके। ऐसे समय में राजकोषीय परिषद का महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

लेखा परीक्षा नियामक "राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण" (National Financial Reporting Agency -NFRA) द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरू के प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक 'तकनीकी सलाहकार समिति' का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे। यह समिति एन.एफ.आर.ए. के 'कार्यकारी निकाय' को लेखांकन और अंकेक्षण मानकों के प्रारूप या मसौदा सम्बंधी मुद्दों पर सलाह देगी।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्तूबर, 2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (1) के तहत किया गया था।
- कई लेखांकन घोटालों के कारण तथा ऑडिटिंग मानकों के बेहतर प्रवर्तन एवं ऑडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र नियामक के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि कम्पनियों और निवेशकों की वित्तीय जानकारी की पारदर्शिता से जनता में विश्वास बढ़ाया जा सके।
- कम्पनी अधिनियम के तहत, एन.एफ.आर.ए. के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे।

कार्य एवं कर्त्तव्य

- केंद्र सरकार के अनुमोदन से कम्पनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और अंकेक्षण नीतियों तथा मानकों की सिफारिश करना।
- लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करना।
- इस प्रकार के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित व्यवसायों की सेवा गुणवत्ता पर निगरानी रखना और आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- उपरोक्त कार्यों और कर्त्तव्यों के प्रवर्तन हेतु आवश्यक और आकस्मिक कदम उठाना।

एन.एफ.आर.ए. की शक्तियाँ

- यह सूचीबद्ध कम्पनियों और ऐसी गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों की जाँच कर सकता है, जिनकी गत वित्त वर्ष में भुगतान पूंजी (Paid-up Capital) कम-से-कम 500 करोड़ रुपए हो या वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, अथवा जिनके पास कम-से-कम 500 करोड़ का कुल ऋण, ऋणपत्र या जमा हो। छोटी सूचीबद्ध कम्पनियाँ आई.सी.ए.आई. के अधिकार में आती हैं।
- इस संस्थान द्वारा स्वत: संज्ञान के तहत या केंद्र सरकार के निर्देश पर चार्टेड अकाउंटेंट या सी.ए. फर्मों पर पेशेवर कदाचार की जाँच की जा सकती है तथा उन पर जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

एन.एफ.आर.ए. का महत्त्व

- एन.एफ.आर.ए. के संविधान के तहत, भारत अब इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स का सदस्य बनने योग्य है। ध्यातव्य है कि भारत को पहले एक स्वतंत्र ऑडिट संस्था के अभाव में इसकी सदस्यता प्रदान करने से मना कर दिया गया था।
- इससे घरेलू स्तर के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत के प्रति निवेशकों के विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू तथा विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ समन्वय करके वैश्वीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- एन.एफ.आर.ए. भारतीय ऑडिटिंग पेशे को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करेगी।

आई.सी.ए.आई. (ICAI)

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (The Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना आई.सी.ए.आई. अधिनियम, 1949 के तहत की गई थी।
- यह संस्थान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा इसका उद्देश्य देश में चार्टर्ड एकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करना है।

चुनौतियाँ एवं समाधान

- एन.एफ.आर.ए. के पास व्यावसायिक गुणवत्ता की निगरानी और मध्यम एवं बड़े आकार की ऑडिट फर्म के लिये अनुशासन सम्बंधी नियमों एवं मानकों के लिये दिशा-निर्देश देने हेतु पर्याप्त संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक क्षमता का अभाव है।
- एन.एफ.आर.ए. को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें सत्यनिष्ठा के मूल्य का अनुसरण करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों का समावेश होना चाहिये।
- एन.एफ.आर.ए. और आई.सी.ए.आई. के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। इन दोनों संस्थाओं के अपने विशेष क्षेत्राधिकार हैं, इसलिये दोनों संस्थाओं को सह-अस्तित्व की भावना के साथ आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने के साथ एक-दूसरे को पूरक के रूप में देखना चाहिये।
- एन.एफ.आर.ए. को आई.सी.ए.आई. के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इससे नियामक टकराव (Regulatory Conflict) की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- एन.एफ.आर.ए. को कम्पनी सचिवों पर भी निगरानी रखनी चाहिये जो वर्तमान में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा शासित होते हैं, क्योंकि कम्पनी के नियमों के अनुपालन के सम्बंध में उनकी समान रूप से भूमिका होती है।

रेलवे का निजीकरण: कितना प्रासंगिक

चर्चा में क्यों?

01 जुलाई, 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र के लिये 109 गंतव्यों पर 151 आधुनिक रेलों के परिचालन हेतु आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। यह प्रक्रिया दो चरणों में छह माह की अवधि में पूरी की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में भारत में आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा तीन निजी रेलगाड़ियाँ (Private Train) चलाई जा रही हैं, यथा– लखनऊ से नई दिल्ली, अहमदाबाद से मुम्बई और वाराणसी से इंदौर (काशी–महाकाल एक्सप्रेस)।
- वर्ष 2018 में भारत में 68,443 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा (अमेरिका, चीन और रूस के बाद) रेलवे नेटवर्क है।
- वर्तमान में देश में 13,000 रेल चलाई जा रही हैं तथा मांग और आपूर्ति के बीच समानता लाने के लिये अतिरिक्त 7,000 रेलगाड़ी चलाए जाने का प्रस्ताव है।
- रेलवे द्वारा इन 151 रेलगाड़ियों से सम्बंधित परियोजनाओं को 35 वर्ष के लिये निजी कम्पनियों को सौंपा जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 में रेलवे सुधारों पर विवेक देवराय समिति ने रेलवे के उदारीकरण पर बल देते हुए कहा था कि भविष्य में बड़े शहरों के मध्य और अधिक यात्री रेलों की आवश्यकता होगी। सरकार के आँकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
- सब्सिडी के ज़रिये सस्ती यात्रा की व्यवस्था हमेशा से भारतीय रेलवे की पहचान रही है। रेलवे के परिचालन में सरकार का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, जिसके कारण समय के साथ रेलवे की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।
- रेलवे के निजीकरण में तेज़स रेलों का उदाहरण दिया जाता है। तेज़स का परिचालन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग कॉर्पोरेशन अर्थात आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा किया जाता है, जो कि भारतीय रेलवे की एक सहायक कम्पनी है। ऑनलाइन टिकट बिक्री में यह संस्था काफी सफल रही, जबकि खान–पान से सम्बंधित सेवाओं को लेकर इसकी निरंतर आलोचना होती रही है।

रेलवे के निजीकरण का महत्त्व

- रेलवे के निजीकरण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ लोगों को एक बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त हो सकेगा।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता से रेलवे के नेटवर्क में और अधिक तथा तीव्रता के साथ विस्तार हो सकेगा।
- रेलवे का तर्क है कि निजीकरण की परियोजनाओं से रेलवे में नई एवं आधुनिक तकनीक आएगी, मरम्मत का खर्च घटेगा, यात्रा का समय कम होगा तथा नौकरियाँ बढ़ने के साथ–साथ सुरक्षा बढ़ेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्राप्त होंगी।
- रेलवे में निजी क्षेत्र को साझीदार बनाने से लगभग 30000 करोड़ के निवेश की सम्भावना है।
- रेलवे में निवेश के महत्त्व को इस आकलन से समझा जा सकता है कि रेल क्षेत्र में 1 रुपए के निवेश से अन्य क्षेत्रों में 2.5 रुपए का आउटपुट प्राप्त होता है।

- विवेक देवरॉय समिति ने अवलोकन किया था कि सुगम और गुणवत्तापूर्ण सुविधा के लिये यात्री अधिक किराया देने की इच्छा रखते हैं।
- सरकार द्वारा रेलवे के निजीकरण से रेलवे की अचल सम्पत्तियों (Immovable Properties) का मुद्रीकरण सम्भव हो सकेगा।

रेलवे के निजीकरण की चुनौतियाँ

- रेलवे एक अत्यधिक विस्तृत उद्योग है, इतनी कम संख्या में रेलों का परिचालन निजी क्षेत्र को सौंपे जाने से निकट भविष्य में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
- रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार-प्रदाता (Employer) है तथा इसके निजीकरण से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का ऑफर दिया जाएगा। रेलवे में इनकी संख्या लगभग 3 लाख है।
- निजी क्षेत्र हमेशा लाभ के लिये कार्य करता है, जन सेवा-भाव या जनकल्याण इनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होता है।
- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रेलों का किराया सरकार द्वारा चलाई जा रही रेलों से अधिक होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ के रूप में सामने आएगा।
- रेलवे के निजीकरण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधर के साथ ही किराये में भी वृद्धि निश्चित है, जिससे एक नई प्रकार की आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी।

आगे की राह

- रेलवे के निजीकरण के साथ ही एक स्वायत्त नियामक की स्थापना की जानी चाहिये, जिससे निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान रूप से परिचालन में स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।
- रेलवे में सुविधा बढ़ाने तथा गाँव और देश के विभिन्न हिस्सों को रेल मार्ग से जोड़ने के लिये बड़े स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

खजान कृषि प्रणाली

चर्चा में क्यों?

विभिन्न कारणों के चलते गोवा की खजान कृषि प्रणाली अस्तित्व के संकट से गुज़र रही है। उल्लेखनीय है कि यह गोवा के सलीम अली पक्षी अभयारण्य में एक परम्परागत कृषि प्रणाली है, जिसे 'खजान कृषि' कहा जाता है।

खजान कृषि तथा इसकी कार्यप्रणाली

- पुर्तगालियों के गोवा आने से पहले इसमें संसाधनों के प्रबंधन का कार्य स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता था। इन समुदायों को ग्राम-संघ कहा जाता था। पुर्तगाली शासन के दौरान इन संघों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया था।
- खजान नदी या समुद्र की भूमि का ही हिस्सा होता है। इसमें मैड़ों (भंडारण के लिये चारों तरफ दीवार) का एक नेटवर्क होता है, जो कृषि क्षेत्रों और आस-पास के गाँव को ज्वार (Tide) के प्रवाह से बचाता है।
- खजान भूमि में तीन विशेषताएँ होती हैं- स्लुइस फाटक, पोइम और दो प्रकार के मैड़।
- बाहरी मैड़ नेटवर्क नदी के ज्वार प्रवाह से क्षेत्र की रक्षा करता है। इस मैड़ का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और चिकनी मिट्टी द्वारा किया गया है।

- मिट्टी का प्रयोग बाहरी मैड़ की दो परतों के बीच में भराव के रूप में किया जाता है, जो ज्वार की लहरों की भेधता का सामना करने में सक्षम होती हैं।
- आंतरिक मैड़ पुआल, मिट्टी और पत्थरों से बने होते हैं, जो पोषक तत्त्वों को संरक्षित रखते हैं।
- मैंग्रोव भी ज्वार की लहरों के प्रभाव को कम करते हैं तथा प्राकृतिक ब्रेकर के रूप में जाने जाते हैं।
- 'स्लुइस फाटक' लकड़ी या कंक्रीट से निर्मित होते हैं जो खेत के मुहाने पर बनाए जाते हैं। यह तंत्र उच्च ज्वार के दौरान जल-स्तर को नियंत्रित करता है। इन फाटकों को निरंतर मरम्मत की आवश्यकता होती है।
- खजान भूमि के आखिरी छोर पर एक गड्ढा होता है, जिसे 'पोइम' कहते हैं। यह कृषि क्षेत्र को उच्च ज्वार से होने वाले नुकसान से बचाता है तथा अतिरिक्त जल के लिये एक भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें मछली, केकड़ा और झींगे का पालन-पोषण किया जाता है, जो ज्वार प्रवाह के दौरान एक बड़े जाल की सहायता से फँस जाते हैं।
- इस प्रणाली द्वारा जल की अधिकता को नियंत्रित करके उसका उपयोग धान की खेती के लिये किया जाता है।
- खजान भूमि का प्रत्येक हिस्सा महत्त्वपूर्ण है, जिसे कुशलता से प्रयोग किया जाता है। इन मैड़ों का उपयोग विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाने में किया जाता था।

पतन के कारण

- खजान कृषि प्रणाली के समाप्त होने का मुख्य कारण लोगों की मत्स्य पालन में बढ़ती रुचि है।
- सरकारी सहायता की कमी के चलते यह प्रणाली अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रही है।
- इस तंत्र की समाप्ति का एक कारण यह भी है कि आधुनिक पीढ़ी विशेष रूप से युवा आबादी कृषि में कम रुचि रखती है।
- विशेष रूप से वर्ष 1961 के कृषि सुधारों के बाद तथा वर्तमान समय में कई कारणों के चलते यह भूमि परती और क्षय की स्थिति में है।
- कम उत्पादकता तथा रख-रखाव की कमी के चलते यह भूमि प्राकृतिक रूप से मैंग्रोव के पुनर्ग्रहण हेतु उपयुक्त हो गई है।
- मैंग्रोव (वनों) को कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अतः इनकी कटाई अवैध है तथा जिन क्षेत्रों में ये पेड़ उगाए जाते हैं, वे तटीय विनियमन क्षेत्र के दायरे में आते हैं। वर्ष 2011 की अधिसूचना के अनुसार, मैंग्रोव क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र-I (CRZ-I) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें विकास की गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

महत्त्व

- खजान प्रणाली किसानों और मछुआरों को समन्वय के साथ कार्य करने का मौका प्रदान करती है, जो गोवा की मछली, करी और चावल को प्रधान व्यंजन के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है।
- गोवा तथा भारत के अधिकांश राज्यों के स्थानीय समुदाय के लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। यह प्रणाली किसानों की आजीविका का मुख्य साधन बनने की क्षमता रखती है। साथ ही यह सरकार के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- यह प्रणाली सामुदायिक कृषि का एक अभूतपूर्व उदाहरण है, जिसे वर्तमान समय में सहकारी कृषि के रूप में अपनाया जा रहा है।

सलीम अली पक्षी अभयारण्य

- सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है। इसमें लगभग दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरे-भरे मैंग्रोव वन हैं।
- यह अभयारण्य चोराव पर स्थित है जो कि एक एस्चुअरी द्वीप है, यह गोवा की राजधनी पणजी से पाँच किलोमीटर दूर मंडोवी नदी के किनारे है।
- यह अभयारण्य और इसके चारों ओर का क्षेत्र मगरमच्छ, चिकने ऊदबिलाव, चमगादड़, सर्प, केकड़े, और मृदा झींगुर का आवास है।

आगे की राह

- वर्तमान में बहुत ही कम खजान किसान बचे हैं। किसानों की घटती संख्या का मुख्य कारण है कि पुराने समय में इस प्रणाली का अच्छी तरह से रख-रखाव किया जाता था और लोग आराम से खेती कर सकते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ खजान किसानों के बिल्कुल विपरीत हैं।
- खजान की बहाली के लिये सरकार से कई बार अपील की गई किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, केवल कुछ स्थानों पर स्लुइस फाटकों की मरम्मत की गई लेकिन इन स्थानों पर किसान खजान प्रणाली के महत्त्व को नहीं समझते हैं।
- वर्ष 2012 के बाद से खजान भूमि विधयेक की चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य मैड़, पोइम और स्लुइस फाटकों की देखभाल के साथ-साथ इस प्रणाली को बनाए रखने हेतु कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं। इस विधयेक को पारित किया जाना चाहिये क्योंकि यह इस कृषि प्रणाली को पुनर्जीवित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड : नैटग्रिड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (National Intelligence Grid - NATGRID) ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के साथ एफ.आई.आर. और वाहनों की चोरी पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस का उपयोग करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

नैटग्रिड : पृष्ठभूमि

- नैटग्रिड से सम्बंधित अवधारणा वर्ष 2008 के मुम्बई आतंकी हमले के बाद आतंकवाद-रोधी उपाय के रूप में सर्वप्रथम वर्ष 2009 में सामने आई।
- यह भारत सरकार की मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के डाटाबेस को जोड़ने वाला एकीकृत खुफिया ग्रिड है। नैटग्रिड दूरसंचार विभाग, कर रिकॉर्ड के साथ-साथ बैंक तथा आव्रजन आदि सहित 21 संस्थाओं से डाटा संग्रहण करेगा।
- नैटग्रिड का उद्देश्य सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के लिये आव्रजन प्रवेश और निकास से सम्बंधित डाटाबेस तथा किसी संदिग्ध के बैंकिंग और टेलीफोन से सम्बंधित विवरण हेतु एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के रूप में वन-स्टॉप केंद्र बनाना है। इस वर्ष 31 दिसम्बर तक इस परियोजना को लाइव करने का लक्ष्य है।
- सी.सी.टी.एन.एस. और नैटग्रिड के मध्य हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. द्वारा नैटग्रिड को 'अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम' (सी.सी.टी.एन.एस.) डाटाबेस तक पहुँच प्राप्त होगी, जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाला मंच है।
- ध्यातव्य है कि सभी राज्य पुलिस को सी.सी.टी.एन.एस. में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना अनिवार्य है।

नैटग्रिड की आवश्यकता व महत्त्व

- नैटग्रिड विभिन्न डाटा स्रोतों, जैसे– बैंक, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, आव्रजन तथा ट्रेन व हवाई यात्रा के विवरण के साथ-साथ खुफिया एजेंसियों से संवेदनशील सूचनाओं को निकालने के लिये एक सुरक्षित केंद्रीकृत डाटाबेस बन जाएगा।
- यह खुफिया और जाँच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R &AW) जैसी अन्य कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों हेतु डाटा तक पहुँच प्राप्त करने के लिये एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म व माध्यम होगा।
- अत्यधिक डाटा और एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से नैटग्रिड द्वारा प्रौद्योगिकी-गहन समाधान प्रस्तुत किये जाएंगे, जिसमें कई हितधारक शामिल हैं।
- नैटग्रिड जैसे माध्यमों का प्रयोग करके पुलिस आदि द्वारा किसी प्रकार की जानकारी तथा सूचना प्राप्त करने के लिये कठोर और अपमानजक तरीकों के प्रयोग को रोका जा सकता है। इससे संदिग्धों की पहचान में तेज़ी आने के साथ-साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित किये जाने से बचाया जा सकता है, जिससे मानवाधिकार की स्थितियों में सुधार होगा।

- नैटग्रिड के माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी। पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति से सम्बंधित सभी प्रकार के डाटा तक पहुँच होगी, जिसके माध्यम से इनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Recorods Bureau)

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और एम.एच.ए. टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह अपराध और अपराधियों की सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है ताकि अपराध के मामलों में जाँचकर्ताओं की सहायता की जा सके। इसके द्वारा 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट ज़ारी की जाती है, जो देश भर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को समझने में सांख्यिकीय उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- इसद्वारा वर्ष 2009 में सी.सी.टी.एन.एस. का विकास किया गया, जिसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाकर सभी स्तरों पर प्रभावी पुलिसिंग के लिये एक व्यापक व एकीकृत प्रणाली तैयार करना है।

आलोचनाएँ व चिंताएँ

- नैटग्रिड से सम्बंधित प्रमुख आशंका निजता के सम्भावित उल्लंघन तथा निजी व गोपनीय सूचनाओं के लीक होने से सम्बंधित है, जिसके आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है।
- आतंकवाद रोधी उपायों में इसकी उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया गया है, क्योंकि राज्य एजेंसियों या पुलिस बल के पास नैटग्रिड डाटाबेस को एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, जिससे तात्कालिक व प्रभावी कार्रवाई पर अंकुश लग सकता है।
- इसके अतिरिक्त डिजिटल डाटाबेस के दुरुपयोग सम्बंधी भी चिंताएँ है। हालिया दिनों में आतंकवादियों द्वारा डिजिटल उपकरणों का उपयोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिये किया जा रहा है।
- इसके अलावा नैटग्रिड सोशल मीडिया अकाउंट को भी केंद्रीय डाटाबेस से जोड़ना चाहता है, किंतु डर है कि इन अकाउंट को संवेदनशील सरकारी डाटा के साथ जोड़ने से ट्रोजन अटैक बढ़ सकती है।
- साथ ही खुफिया विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि उनके कार्य और कार्यप्रणाली के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को जानकारी लीक होने से उनका कार्य-क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से सम्बंधित मुद्दे

पृष्ठभूमि

प्लास्टिक एक सर्वव्यापी पदार्थ है, जो मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्थल के साथ-साथ जलीय स्रोत और महासागर भी प्लास्टिक से भर गए हैं। वर्तमान स्वास्थ्य आपातकाल में वायरस से सुरक्षा के रूप में प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि नियंत्रित और प्रबंधित चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के अभाव में ये प्लास्टिक कचरे की वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और विश्व

- वर्ष 2018 में चीन द्वारा प्लास्टिक को पुन: प्रसंस्कृत करने के लिये प्लास्टिक कचरे के आयात को रोकने हेतु एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया, तब इस वास्तविकता का पता चला कि व्यापार को प्राथमिकता देने वाले चीन ने भी प्लास्टिक पुनर्चक्रण को लाभप्रद नहीं पाया।

- चीन द्वारा वर्ष 2018 के प्रतिबंध से पहले पुनर्चक्रण के लिये एकत्रित किये गए यूरोपीय संघ के लगभग 95% और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब 70% प्लास्टिक कचरे को बेच दिया गया था।
- चीन पर निर्भरता का आशय था कि पुनर्चक्रण मानक कमज़ोर हो गए थे और उद्योगों ने इन कचरों से नए उत्पाद, डिजाइन और रंग बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी।
- इन सबका मतलब यह कि अपशिष्ट अधिक दूषित थे और इनकी रीसाइक्लिंग मुश्किल हो गई थी। चीन द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध दर्शाता है कि पुन: प्रसंस्करण का व्यापार लाभप्रद नहीं था।
- इसके बाद, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई अन्य देशों ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट वाले कार्गो के जहाज़ों को वापस कर दिया।
- वैश्विक उद्योग समूहों ने तर्क दिया कि इस अत्यधिक टिकाऊ पदार्थ का उपयोग ज़ारी रखा जा सकता है क्योंकि अंतत: इसका पुनर्चक्रीकरण किया जाता है।

भारत और प्लास्टिक अपशिष्ट

- भारत की प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या अमीर देशों की अपेक्षा कम है, परंतु इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। प्लास्टिक कचरे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, गोवा जैसे समृद्ध राज्य प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 60 ग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा करते हैं।
- दिल्ली में यह औसत प्रतिदिन 37 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
- दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे-जैसे समाज अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं, वे और अधिक अपशिष्ट पैदा करते जा रहे हैं।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान:

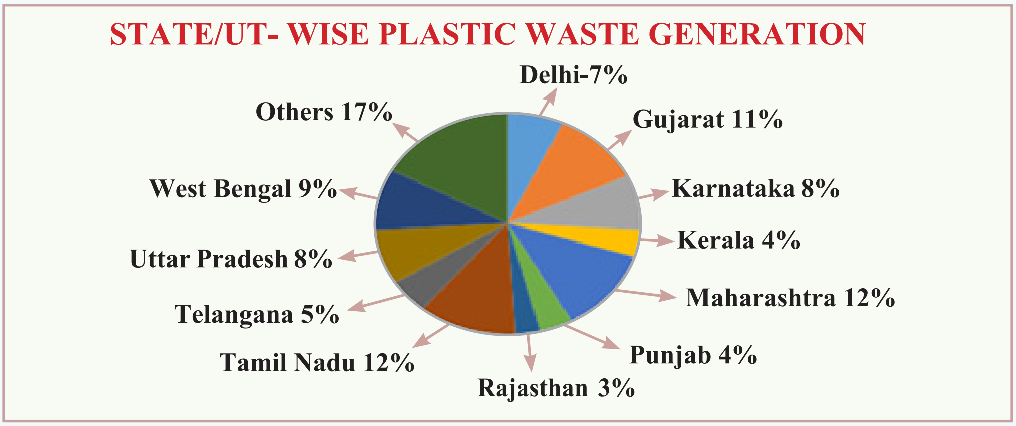

गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक

- धातुकृत प्लास्टिक का प्रयोग स्नैक्स, शैम्पू और तम्बाकू की पैकेजिंग के लिये किया जाता है। आकर्षक दिखने के लिये इस प्रकार की प्लास्टिक धातु की एक अतिरिक्त परत के साथ आता है और यह गैर-पुनर्चक्रणीय होता है।
- पुनर्चक्रित न किये जा सकने वाले प्लास्टिक अपशिष्टों के सम्बंध में अध्ययन व शोध काफी सीमित हैं। इन अध्ययनों के अनुसार, नालियों और लैंडफिल में पुनर्चक्रित न किये जा सकने वाले प्लास्टिक अपशिष्टों की मात्रा सबसे अधिक होती है।

- पुनर्चक्रित न होने लायक अपशिष्टों में मल्टीलेयर प्लास्टिक/पैकेजिंग आदि हैं। इस पैकेजिंग में खाद्य सामग्रियों को पैक करने वाली प्लास्टिक, पाउच (गुटखा, शैम्पू आदि) और प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल हैं।
- वर्ष 2016 के प्लास्टिक प्रबंधन नियमों में इस समस्या को शामिल किया गया तथा पाउच पर प्रतिबंध लगाने व सभी मल्टीलेयर प्लास्टिक के उपयोग को दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात कही गई।
- हालाँकि वर्ष 2018 में मोटे तौर पर इसमें संशोधन किया गया तथा कहा गया कि पुनर्चक्रण न हो पाने योग्य अपशिष्टों को ही चरणबद्ध तरीके से बाहर किये जाने की आवश्यकता है।

सिंगल-यूज प्लास्टिक

- सिंगल-यूज प्लास्टिक का अर्थ ऐसे उत्पादों से है जो एक बार उपयोग किये जाते हैं। इसमें पानी की बोतलों सहित भारी मात्रा में पैकेजिंग अपशिष्ट शामिल होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एच.डी.पी.ई, एल.डी.पी.ई, पी.ई.टी, पी.एस, पी.पी तथा ई.पी.एस. के पॉलिमर से जो भी प्लास्टिक बनाया जाता है, वह सिंगल-यूज प्लास्टिक होता है।

प्लास्टिक पुनर्चक्रण पर रोक

- वर्ष 2019 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' के प्रयोग को छोड़ने की अपील के साथ-साथ प्लास्टिक में कटौती करने के लिये महत्त्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की थी।
- हालाँकि उद्योग समूहों ने एक बार फिर से नीति निर्माताओं को यह समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि प्लास्टिक कचरा कोई विशेष समस्या नहीं है क्योंकि उद्योगों द्वारा लगभग सब कुछ पुनर्चक्रित किया जाता है।
- वर्ष 2015 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा, जो भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 40% है।

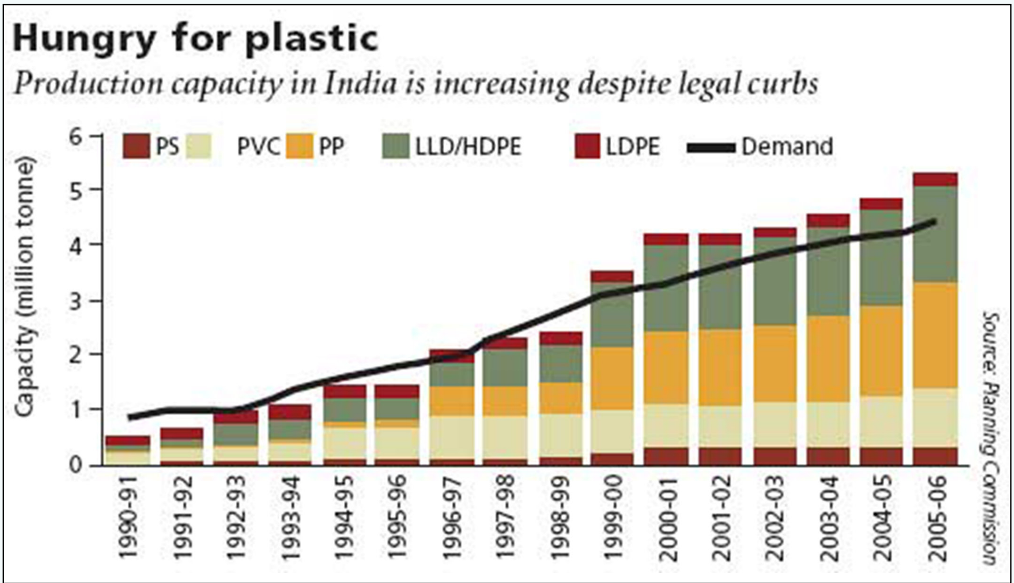

- जिस प्रकार तम्बाकू और उसके उत्पादों के धूम्रपान पर रोक लगाने से किसान प्रभावित होंगे, उसी प्रकार यदि प्लास्टिक और उसके पुनर्चक्रण उद्योग को बंद कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग प्रभावित होंगे क्योंकि प्लास्टिक उद्योग का संचालन छोटे स्तर पर और अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक होता है।

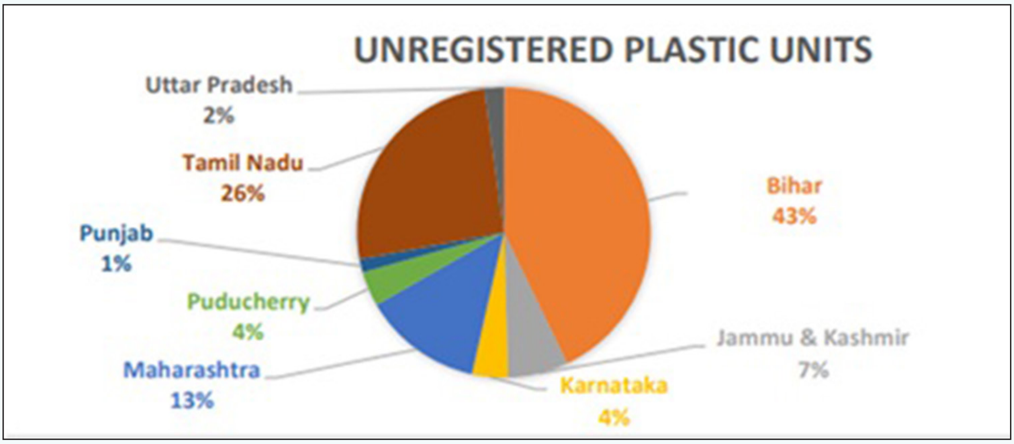

प्लास्टिक कचरे के निपटान से सम्बंधित मुद्दे

- बहुलकीकरण की प्रक्रिया के दौरान होने वाला उत्सर्जन।
- उत्पाद विनिर्माण के दौरान हानिकारक गैसों, जैसे– कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड आदि का उत्सर्जन।
- प्लास्टिक कचरे के अव्यवस्थित निपटान के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है।
- पॉलीविनाइल क्लोराइड (पी.वी.सी.) सहित प्लास्टिक कचरे को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइऑक्सिन, नाइट्राइड्स, स्टाइलिन, बेंजीन, CCl4 और एसीटैल्डिहाइड जैसे विषाक्तों का उत्सर्जन।
- भूमि पर प्लास्टिक कचरे के गैर ज़िम्मेदार तरीके से डम्पिंग के कारण लेड और केडमियम जैसे जहरीले धातुओं का भूमिगत जल में पहुँचना।
- मल्टीलेयर, धातुकृत पाउच और अन्य थर्मोसेट प्लास्टिक की निपटान समस्याएँ।
- कम मानक वाले प्लास्टिक कैरी बैग तथा पतली पैकेजिंग फिल्में आदि संग्रहण, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग में समस्या पैदा करती हैं।
- गंदे और मिश्रित प्लास्टिक अपशिष्ट इसके लाभकारी उपयोग को बाधित करते हैं।

समस्याएँ

- प्लास्टिक अपशिष्ट का गीले और सूखे के रूप में पृथक्करण व छँटाई का न होना एक समस्या है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट के सम्बंध में शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम स्तर के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- मल्टीलेयर प्लास्टिक या पाउच के साथ सबसे बड़ी समस्या इनके पृथक्करण (Segregation), एकत्रीकरण (Collection) और इन खाली और ठोस पाउच के परिवहन की है।
- एक तथ्य यह भी है कि प्लास्टिक के पुनर्चक्रण हेतु घरेलू स्तर पर सावधानी से पृथक्करण की आवश्यकता होती है और यह दायित्व स्वयं के साथ-साथ स्थानीय निकायों का है।
- प्लास्टिक पर प्रतिबंध से भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर भारी असर पड़ेगा क्योंकि भारत में प्लास्टिक की खपत में 40% की हिस्सेदारी पैकेजिंग की है।

आगे की राह

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में प्लाज़्मा पायरोलिसिस तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, क्योंकि यह एक अत्याधुनिक तकनीक है, जो पायरोलिसिस प्रक्रिया के साथ प्लाज़्मा के थर्मो-केमिकल गुण को एकीकृत करती है।

- इसके अलावा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- ऐसे तंत्रों की आवश्यकता है जो न केवल नागरिकों के बीच पर्यावरणीय-चेतना में सुधार करें बल्कि व्यापक प्रयासों को सशक्त और प्रोत्साहित करें।

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र–3 का महत्त्व

पृष्ठभूमि

हाल ही में गुजरात के तापी जिले में स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KakraparAtomic Power Project : KAPP - 3) की तीसरी इकाई क्रिटिकली (सामान्य परिचालन स्थिति में आना) अवस्था में आ गई है। सामान्य परिचालन स्थिति में आने वाली यह इकाई भारत की स्वदेशी डिजाइन पर आधारित सबसे बड़ी इकाई है। यह एक प्रकार की प्रेशराइज़्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (दाबित भारी जल संयंत्र: PHWR-पी.एच.डब्ल्यू.आर.) इकाई है।

इस उपलब्धि का महत्त्व

- यह भारत के घरेलू असैन्य परमाणु कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक क्षण है। ज्ञातव्य है कि KAPP-3 देश की पहली 700MWe इकाई है और दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है।
- दाबित भारी जल संयंत्र ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं, जो भारत के परमाणु संयंत्रों का मुख्य आधार है।
- अभी तक स्वदेशी डिजाइन द्वारा विकसित सबसे बड़ा संयंत्र 540MWe (मेगावाट विद्युत) इकाई का दाबित भारी जल संयंत्र था, जिनमें से दो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किये गए हैं।
- भारत के पहले 700MWe संयंत्र का परिचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को इंगित करता है। यह उपलब्धि दाबित भारी जल संयंत्र की डिजाइन के अनुकूलन और 540MWe संयंत्र की डिजाइन में बिना कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये उत्पादन क्षमता में सुधार से सम्बंधित है।
- दाबित भारी जल संयंत्र की इस नई इकाई के डिजाइन का अनुकूलन अतिरिक्त 'थर्मल मार्जिन' की समस्या को हल करती है। थर्मल मार्जिन से तात्पर्य है कि रिएक्टर का ऑपरेटिंग तापमान उसके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान से कितना कम है।
- यह संयंत्र 12 रिएक्टरों के एक नए समूह के लिये रीढ़ साबित होगा। इन 12 रिएक्टरों को सरकार ने वर्ष 2017 में प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय मंजूरी दी थी, जिन्हें एक श्रृंखला के तहत स्थापित किया जाना है।

PROJECTS ACCORDED ADMINISTRATIVE APPROVAL, FINANCIAL SANCTION

Plant	Location	Capacity
KKNPP 5&6	Kudankulam, Tamil Nadu	2X1000
Chutka 1&2	Chutka, Madhya Pradesh	2X700
Kaiga 5&6	Kaiga, Karnataka	2X700
Mahi Banswara 1&2	Mahi Banswara, Rajasthan	2X700
GHAVP 3&4	Gorakhpur, Haryana	2X700
Mahi Banswara 3&4	Mahi Banswara, Rajasthan	2X700

**Being implemented with Russian assistance, VVER-1000 reactors*

***Being implemented by state-owned BHAVINI*

Note: All projects that have been accorded administrative approval and financial sanction, barring KKNPP 5&6, are coming up in fleet mode

Source: NPCIL

THE 700 MWe PHWR: INDIA'S NEW NUCLEAR MAINSTAY

The new 700MWe reactors, along with the Russian VVER-1000 reactors at Kudankulam, Tamil Nadu, are set to be India's main nuclear reactors in the future. The new projects on the anvil:

PROJECTS UNDER IMPLEMENTATION

Plant	Location	Capacity	Expected commissioning, operationalisation
KAPP 3	Kakrapar, Gujarat	700	Oct 2020
KAPP 4	Kakrapar, Gujarat	700	Sept 2021
RAPP 7	Rawatbhata, Rajasthan	700	Mar 2022
RAPP 8	Rawatbhata, Rajasthan	700	Mar 2023
KKNPP 3	Kudankulam*, Tamil Nadu	1,000	Mar 2023
KKNPP 4	Kudankulam*, Tamil Nadu	1,000	Nov 2023
PFBR	Kalpakkam**, Tamil Nadu	500	Dec 2021

- भारत 6,780MWe की अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2031 तक बढ़ाकर 22,480MWe करने पर तेज़ी से कार्य कर रहा है, अत: इस संयंत्र की क्षमता इस योजना का एक बड़ा घटक होगी।
- वर्तमान में जनवरी 2020 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के 2% से भी कम है।
- भारत असैन्य क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा प्रयोग के अगले व उच्च स्तर पर जाने के लिये तत्पर है, जिसमें स्वदेशी डिजाइन द्वारा 900MWe के दाबित जल संयंत्र (पी.डब्ल्यू.आर.) का निर्माण किया जाना है। इसमें बड़े स्तर के 700MWe रिएक्टर के डिजाइन को क्रियान्वित करने का अनुभव काम आएगा। यह अनुभव विशेष रूप से उच्च दबाव वाहिकाओं (Large Pressure Vessels) को बनाने की बेहतर क्षमता से सम्बंधित है।
- साथ-साथ अगले दशक में नई पीढ़ी के इन रिएक्टरों को शक्ति (विद्युत) प्रदान करने के लिये आवश्यक समृद्ध यूरेनियम ईंधन के आपूर्ति हिस्से के रूप में आइसोटोप संवर्धन संयंत्र विकसित किये जा रहे हैं।

700 मेगावॉट की इस परियोजना पर कार्य की शुरुआत

- इस परियोजना पर वर्ष 2010-11 में कार्य शुरू हुआ था और इस इकाई को मूलत: वर्ष 2015 तक कमीशन प्राप्त होने की उम्मीद थी।
- इन परियोजनाओं के लिये पूंजी निवेश 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में किया जा रहा है, जिसमें इक्विटी का हिस्सा आंतरिक संसाधनों और बजटीय समर्थन के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।

सामान्य परिचालन स्थिति में आने (क्रिटिकल) का तात्पर्य

- रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का सबसे प्रमुख भाग होता है, जहाँ एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया सम्पन्न होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग वाष्प उत्पन्न करने के लिये किया जाता है जो विद्युत उत्पादन के लिये टरबाइन को घुमाता है।
- विखंडन की प्रक्रिया में किसी परमाणु का नाभिक दो या अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है।

- जब नाभिक का विभाजन होता है तो विखंडित अंशों की गतिज ऊर्जा ईंधन के अन्य परमाणुओं में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है।
- कोई परमाणु रिएक्टर सामान्य परिचालन की स्थिति में तब आता है, जब विखंडन की प्रत्येक अभिक्रिया एक सतत शृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिये पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन मुक्त करता है।

भारत में दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) तकनीक का विकास

- भारत में दाबित भारी जल रिएक्टर तकनीक की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई, जब 220MWe के पहले रिएक्टर का निर्माण राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS-1) के रूप में हुआ। इस रिएक्टर को कनाडा के डगलस प्वाइंट रिएक्टर की तरह डिजाइन किया गया था। इसको संयुक्त रूप से भारत-कनाडा परमाणु सहयोग के तहत निर्मित किया गया था।
- कनाडा ने इसकी पहली इकाई के लिये सभी मुख्य उपकरणों की आपूर्ति की, जबकि निर्माण, स्थापना और कमीशन की ज़िम्मेदारी भारत की थी।
- भारत द्वारा दूसरी इकाई (RAPS-2) के विकास के लिये काफी हद तक सामग्रियों के आयात पर निर्भरता कम की गई और प्रमुख उपकरणों का स्वदेशीकरण किया गया था।
- पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद वर्ष 1974 में कनाडा द्वारा समर्थन को रोके जाने के बाद भारतीय परमाणु इंजीनियरों ने निर्माण कार्य को पूरा किया। इस प्रकार इस संयंत्र का परिचालन भारत में बनाए जाने वाले अधिकांश घटकों के साथ शुरू किया गया।
- आवश्यकताओं के अनुरूप, 540MWe की पी.एच.डब्ल्यू.आर. की डिजाइन का विकास किया गया और तारापुर में ऐसी दो इकाइयाँ बनाई गईं। 700MWe क्षमता में अपग्रेड करने हेतु अतिरिक्त अनुकूलन किया गया तथा के.ए.पी.पी.-3 इस प्रकार की पहली इकाई है।

700MWe की इकाई और उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ

- पी.एच.डब्ल्यू.आर. तकनीक में कई अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं। पी.एच.डब्ल्यू.आर. डिजाइन का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें उच्च दबाव वाहिकाओं के स्थान पर पतली दीवार वाले दबाव ट्यूबों का उपयोग किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त 700MWe पी.एच.डब्ल्यू.आर. की डिजाइन में एक समर्पित 'निष्क्रिय क्षय ताप निष्कासन प्रणाली' (Passive Decay Heat Removal System) के कारण अतिरिक्त सुरक्षा होती है, जो किसी अन्य प्रचालक क्रिया के बिना रिएक्टर कोर से क्षय ताप को निष्कासित कर सकती है। क्षय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय के परिणामस्वरूप मुक्त होती है।
- यह वर्ष 2011 में जापान में हुई फुकुशिमा जैसी दुर्घटना की सम्भावना को निष्फल करने के लिये 'III$' पीढ़ी के संयंत्रों हेतु अपनाई गई तकनीक पर आधारित है।
- KAPP की तरह 700MWe पी.एच.डब्ल्यू.आर. इकाई किसी भी रिसाव को कम करने के लिये स्टील-लाइन पर आधारित रोकथाम प्रणाली से सुसज्जित होती है।

निष्कर्ष

- इस प्रकार स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 मेगावाट विद्युत (Megawatt Electric-MWe) इकाई का के.ए.पी.पी.-3 संयंत्र 'मेक इन इंडिया' का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। साथ ही यह इस तरह की अनगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चित तौर पर अग्रणी और अनुगामी कदम है।

विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना की शुरुआत: स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिणी फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी 'परमाणु संलयन परियोजना' के पाँच वर्षीय असेम्बल चरण की शुरुआत की गई। इसमें वर्ष 2025 के अंत तक उत्पादन की आशा के साथ प्रथम बार अल्ट्रा-हॉट प्लाज़्मा (अति तप्त प्लाज़्मा) का प्रयोग किया गया है।

पृष्ठभूमि

विश्व की इस सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना का मूल नाम 'अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर' (ITER- आई.टी.ई.आर.) है। आई.टी.ई.आर. मूल रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन अनुसंधान और इंजीनियरिंग मेगाप्रोजेक्ट है, जो विश्व का सबसे बड़ा चुम्बकीय परिशोधन प्लाज़्मा भौतिकी प्रयोग होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत € 20 बिलियन है। इस विशालकाय रिएक्टर को असेम्बल करने के लिये लाखों घटकों का उपयोग किया जाएगा अत: इसका सम्पूर्ण वजन लगभग 23,000 टन होगा। इस परियोजना को अब तक के इतिहास में सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रयास माना जा रहा है। आई.टी.ई.आर. समूह के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया। उन्होंने इस ऊर्जा कार्यक्रम को 'शांति के वादे' के रूप में प्रस्तुत किया है।

उद्देश्य

- यह परियोजना उन अभिक्रियाओं को दोहराएगी, जिनसे सूर्य को शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होती है।
- यह एक प्रयोगात्मक टोकामक (Tokamak) परमाणु संलयन रिएक्टर है। टोकामक एक ऐसा उपकरण है, जो एक विशेष प्रकार की आकृति (टोरस) में तप्त प्लाज़्मा को परिबद्ध करने के लिये शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। टोकामक को संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिये डिजाइन किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य संलयन शक्ति को व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित किये जा सकने की क्षमता का प्रदर्शन करना है।

महत्त्व

- आई.टी.ई.आर. महानिदेशक के अनुसार, इस प्रकार से स्वच्छ ऊर्जा के अनन्य उपयोग को सक्षम करना इस ग्रह के लिये एक चमत्कार सिद्ध होगा। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संलयन, परिवहन तथा इमारतों और उद्योगों को विद्युत से चलाने में सहायक होगा।
- आई.टी.ई.आर. इंजीनियरों के अनुसार, उनकी विशाल परियोजना इस आकार की है जो सिद्ध करती है कि प्रौद्योगिकियों का वितरण किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर (International Thermonuclear Experimental Reactor)

- आई.टी.ई.आर. परियोजना की परिकल्पना जेनेवा महाशक्ति शिखर सम्मेलन के दौरान सन् 1985 के अंत में की गई थी। प्रारम्भ में यूरोपीय संघ, जापान, सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा इसके डिजाइन का प्रस्ताव किया गया। सदस्य राज्यों द्वारा वर्ष 2001 में अंतिम योजना को अनुमोदित किया गया था।
- वर्ष 2003 में दक्षिण कोरिया, चीन और भारत इस कार्यक्रम में शामिल हुए तथा इसके दो वर्ष बाद निर्माण स्थल का चुनाव किया गया।
- इस परियोजना के लिये वित्तपोषण प्रत्येक सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मेजबान सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ द्वारा 45% का योगदान तथा अन्य सदस्यों द्वारा लगभग 9.1% का वित्तपोषण किया जा रहा है।
- प्रत्येक सदस्य को भिन्न-भिन्न प्रकार के घटकों व प्रणालियों का कार्य सौंपा गया है। इसमें से भारत व अमेरिका संयुक्त रूप से शीतल जल प्रणालियों के उत्पादन के प्रयासों में शामिल हुए।

प्रक्रिया

- परमाणु संलयन की अभिक्रिया तब होती है, जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक नया परमाणु और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं।
- इन परमाणुओं को तप्त प्लाज़्मा में डाल दिया जाता है, जहाँ अत्यधिक तापमान उनके प्रतिकर्षण को कम करके उन्हें आपस में संलयित होने के लिये मज़बूर कर देते हैं।
- नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जब भारी हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयित हो जाते हैं। इसके लिये लगभग 150 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि सूर्य के कोर के तापमान से भी 10 गुना अधिक है। ध्यातव्य है कि हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से तीन समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम (भारी हाइड्रोजन) और ट्राइटियम।
- उल्लेखनीय है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6,000^{0}C और इसके कोर का तापमान 15 मिलियन ^{0}C तक पहुँच जाता है। आई.टी.ई.आर. टोकामक में तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा।
- हाइड्रोजन ईंधन समुद्री जल से प्राप्त होता है और इसके लिये कुछ ही ग्राम हाइड्रोजन ईंधन की आवश्यकता होती है। हालाँकि एक विशेष आकार के निर्वात कक्ष में प्लाज़्मा को परिबद्ध करने के लिये अधिक मात्रा में चुम्बक की आवश्यकता होती है।

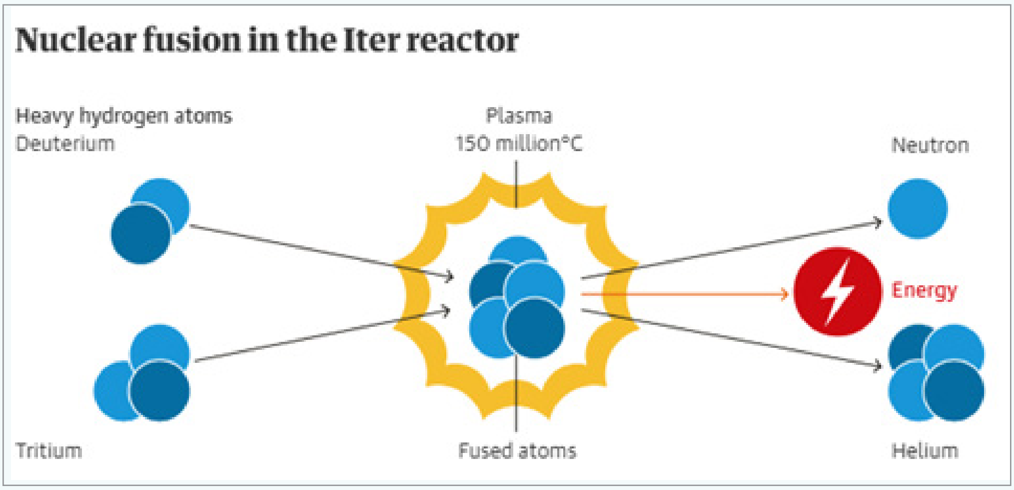

परमाणु संलयन व परमाणु विखंडन की तुलना

- किसी ईंधन के प्रति ग्राम परमाणु विखंडन से उत्पादित ऊर्जा की अपेक्षा परमाणु संलयन की अभिक्रिया में चार गुना ऊर्जा उत्पादित होती है।
- पारम्परिक परमाणु विखंडन रिएक्टरों की तरह ही इस प्रक्रिया में भी जलवायु तापन के लिये जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है परंतु संलयन रिएक्टर अपेक्षाकृत काफी कम मात्रा में रेडियोसक्रिय अपशिष्ट का उत्पादन करता है।

इस परियोजना की विशिष्टता

- आई.टी.ई.आर. परियोजना 'बर्निंग' या 'सेल्फ-हीटिंग प्लाज़्मा' (स्व: उत्तापक) को प्राप्त करने का प्रथम प्रयास होगा। साथ ही किसी भी पिछले प्रयास की तुलना में इसमें 10 गुना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने की सम्भावना है।
- कार्यशील अवस्था में चुम्बक और वैज्ञानिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण मात्रा में विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग करेगा। हालाँकि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर संलयन की अवधारणा को सिद्ध करना है, न कि भविष्य के वाणिज्यिक रिएक्टरों के लिये डिजाइन करना।

- असेम्बल किये जा रहे घटकों में भारत द्वारा निर्मित 30 मीटर व्यास का एक क्रायोस्टैट है, जो रिएक्टर को चारों ओर से घेरता है और आवश्यकता के अनुरूप इसे कम तापमान पर रखता है।
- इलेक्ट्रोमैग्नेट्स (वैद्युत चुम्बक) में से एक, जिसे 'सेंट्रल सॉलीनॉयड' या केंद्रीय परिनालिका कहा जाता है, यह किसी विमान वाहक को उठाने की चुम्बकीय शक्ति होगी।
- किसी जम्बो जेट से भी भारी लगभग 3,000 टन अतिचालकता युक्त चुम्बक (सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट) 200 किमी. लम्बे अतिचालक केबलों से जुड़ा होगा। इन सभी को विश्व के सबसे बड़े क्रायोजेनिक संयंत्र द्वारा $-269^{0}C$ पर रखा गया है।

अन्य वैश्विक प्रयास

- टोकामक एनर्जी सहित निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियाँ कई छोटे उपकरणों के माध्यम से परमाणु संलयन का कार्य कर रहीं हैं।
- ऐसा विश्वास है कि इस क्षेत्र में कार्बन-मुक्त ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होने के साथ-साथ निजी निवेश, मॉड्यूलर डिजाइन, नई सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा तीव्र प्रगति सम्भव है।
- ट्राई अल्फा एनर्जी सहित अन्य परमाणु संलयन कम्पनियाँ 'पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रौद्योगिकी' (ParticleAccelerator Technology) का उपयोग करती हैं, साथ ही प्लाज़्मा को परिबद्ध करने के लिये पिघले हुए सीसे व लीथियम के वर्टेक्स का उपयोग करने वाली गूगल और जनरल फ्यूजन के साथ कार्य कर रहीं हैं।

आगे की राह

संलयन एक ऐसी परमाणु अभिक्रिया है जो सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह सुरक्षित, कार्बन उत्सर्जन से मुक्त और वस्तुतः असीम ऊर्जा का एक सम्भावित स्रोत है। इसके बावजूद 60 वर्षों के शोध के उपरांत भी संलयन से अत्यधिक मात्रा में उत्पादित ऊर्जा के दोहन की तकनीकी चुनौतियों को दूर किया जाना बाकी है। यह परिवर्तनकारी नवाचार जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक मुद्दों को हल करने और एक स्थाई कार्बन मुक्त समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन प्रिलिम्स कोर्स

वैकल्पिक विषय

भूगोल द्वारा - कुमार गौरव | **इतिहास** द्वारा - अखिल मूर्ति

GS (PT & Mains) Ques-Ans. Discussion Course

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- अगले 500 विद्यार्थियों के लिये फीस में 15% की छूट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति — इतिहास, कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) — एथिक्स

श्री ए.के. अरुण — भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) — भारतीय राजव्यवस्था

श्री कुमार गौरव — भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

श्री रीतेश आर जायसवाल — सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) — सामाजिक मुद्दे

एवं टीम

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का एप डाउनलोड करें

पताः 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

9 पर्यावरणीय घटनाक्रम

एरियल सीडिंग तकनीक: अरावली क्षेत्र में पौधारोपण हेतु पहल

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 'फेफड़ा' कहे जाने वाले अरावली पहाड़ियों पर विशेष ध्यान देते हुए हरियाणा वन विभाग द्वारा पूरे राज्य में 'एरियल सीडिंग तकनीक' के प्रयोग द्वारा प्रायोगिक तौर पर बीजारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

उद्देश्य

- इस प्रायोगिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य एरियल सीडिंग तकनीक व इसके फैलाव व इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने के साथ-साथ वनीकरण में वृद्धि करने के सम्भावित उपायों का परीक्षण करना भी है।
- अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक अरावली के उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण में वृद्धि करेगी, जहाँ ढलान बहुत तीव्र हैं। साथ ही इसके द्वारा उन क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा, जो या तो पहुँच से बाहर हैं या पूरी तरह से दुर्गम हैं।
- पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस पद्धति का उपयोग करके 100 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।
- फरीदाबाद से पहले यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में भी कुछ समय पूर्व ही इस पद्धति का उपयोग शुरू किया गया था।

एरियल सीडिंग तकनीक

- 'एरियल सीडिंग' वृक्षारोपण की एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बीज को मृदा, कम्पोस्ट खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से आवृत कर देते हैं। मृदा, कम्पोस्ट खाद व अन्य घटकों से कोटिंग (ढँके) किये हुए इन बीजों को 'सीड बॉल' कहते हैं।
- इन ढँके हुए बीजों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन जैसे उपकरणों की सहायता से ज़मीन पर बिखेर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एरियल सीडिंग कहा जाता है।

इस तकनीक की कार्यप्रणाली

- सीड बॉल को कम ऊँचाई पर उड़ने वाले ड्रोन जैसे उपकरणों की मदद से ज़मीन पर एक लक्षित क्षेत्र में फैला दिया जाता है। ध्यातव्य है कि मृदा, कम्पोस्ट खाद व अन्य घटकों द्वारा बीज का कोटिंग या लेपन (बीज को ढँकने की क्रिया) हवा में इधर-उधर फैलने के बजाय पूर्व निर्धारित स्थान पर गिराने के लिये आवश्यक वजन प्रदान करती है।
- पर्याप्त वर्षा की उपस्थिति में फैलाए गए इन बीजों का अंकुरण होगा तथा कोटिंग में प्रयोग किये पोषक तत्त्व इन बीजों के प्रारंभिक विकास में मदद करेंगे।

अरावली पहाड़ियाँ

- अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 692 किमी. लम्बी एक पर्वत- शृंखला है। यह शृंखला दिल्ली से प्रारम्भ होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुज़रते हुए गुजरात में समाप्त होती है।
- इस पर्वत-शृंखला की सबसे ऊँची चोटी (लगभग 1,722 मीटर) का नाम गुरु शिखर है।
- अरावली भारत में वलित पर्वत की सबसे पुरानी शृंखला है जो आज अपने अवशेष के रूप में उपस्थित है।

- अरावली पर्वत-शृंखला में विविध खनिज पदार्थों का भंडार है, जिस कारण यह खनन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
- वर्तमान समय में तीव्र विकास के चलते अरावली क्षेत्र में खनन क्रियाओं व वनोन्मूलन के कारण मरुस्थलीकरण का विस्तार तथा पर्यावरण को भारी क्षति हुई है।
- इन समस्याओं को देखते हुए इस क्षेत्र में खनन क्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अनेक प्रकार के नए उपायों द्वारा इस क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

एरियल सीडिंग तकनीक का महत्त्व

- तीव्र ढलान वाले या खंडित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ वनाभाव वाले क्षेत्रों के लिये यह तकनीक महत्त्वपूर्ण है। साथ ही पारम्परिक वृक्षारोपण की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों को भी एरियल सीडिंग तकनीक द्वारा लक्षित किया जा सकता है।
- इन बीजों के प्रसार के बाद इस पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन बीजों में अंकुरण व विकास की प्रक्रिया स्वतः सम्पन्न होती है। एक प्रकार से इस तकनीक को वृक्षारोपण के 'दागो और भूल जाओ' या 'लगाओ और भूल जाओ' तकनीक के रूप में जाना जाता है।
- इस तकनीक में मिट्टी में जुताई व खुदाई की आवश्यकता नहीं होती हैं। साथ ही बीजों के रोपण की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही मिट्टी, पोषक तत्त्वों और सूक्ष्मजीवों से आवृत होते हैं।
- लेपित किये गए मिश्रण में अन्य पदार्थों व रसायनों का प्रयोग बीजों को पक्षियों, चींटियों और चूहों से भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह तकनीक वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मरुस्थलीकरण व मृदा क्षरण को रोकने जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकती है। एरियल सीडिंग तकनीक अरावली के अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र में वृक्षारोपण को आसान बनाएगी।

एरियल सीडिंग में प्रयुक्त बीजों की प्रमुख प्रजातियाँ

- एरियल सीडिंग के लिये चयन किये गए बीजों की प्रजातियों का सम्बंध उस क्षेत्र विशेष से होना चाहिये। साथ ही ऐसे बीजों की परत कठोर होने के साथ-साथ उन बीजों व वृक्षों के जीवित रहने का दर भी उच्च होना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त बीज का एक उपयुक्त व अनुकूल आकार होना चाहिये, जिससे बीजों को लेपित करके निश्चित आकार एवं वजन का 'सीड बॉल' तैयार करने में आसानी हो।
- साथ ही पौधारोपण के लिये भी उपयुक्त समय का होना आवश्यक है।

सुझाव

- एरियल सीडिंग तकनीक को पारम्परिक वृक्षारोपण तकनीक के स्थान पर प्रयोग किये जाने के लिये वृहद् स्तर पर अनुसंधान की आवश्यकता है।
- एरियल सीडिंग तकनीक की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिये प्रायोगिक आधार पर बीजारोपण किये जाने के साथ-साथ वृक्षों के विकास व लागत का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- वनीकरण के पारम्परिक तरीकों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है परंतु एरियल सीडिंग तकनीक का प्रयोग पूरक के रूप में किया जा सकता है।

जैव-विविधता शासन : समझौते और कानून

पृष्ठभूमि

विगत दशकों में जैव-विविधता में व्यापक हानि ने विकसित व विकासशील सभी देशों को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस कारण से 'वैश्विक जैव-विविधता शासन' के विकास को गति मिली है। प्रजातियों के विलुप्त होने, अति-कटाई, विदेशी प्रजातियों को अपनाने, निवास स्थान के नुकसान, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के कारण हाशिये पर स्थित समुदायों के जोखिम में वृद्धि हुई है। जैव-विविधता के नुकसान की इन चिंताओं ने मानव जाति की आवश्यकताओं के साथ संसाधन उपलब्धता को एकीकृत व समन्वित करने के क्रमिक पुनर्मूल्यांकन का प्रयास किया है।

आरम्भ

- जैव-विविधता में तीव्र गति से हो रहे नुकसान के परिणामस्वरूप इसके कारणों पर चिंतन हेतु दुनिया भर के देश वर्ष 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में साथ आए।
- इसी सम्मलेन के दौरान ही प्रकृति की सुरक्षा के लिये जैविक विविधता पर अभिसमय [Convention of Biological Diversity - CBD : (सी.बी.डी.)] सहित मुख्य रूप से बाध्यकारी अन्य अभिसमयों को अपनाया गया था।
- 197 देशों द्वारा सी.बी.डी. का पक्षकार बने हुए 25 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। इनमें से कई देशों ने जैव-विविधता की रक्षा के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

जैविक विविधता पर अभिसमय (सी.बी.डी.)

- जैविक विविधता पर अभिसमय (सी.बी.डी.) कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। इसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं।
- इन तीन लक्ष्यों में शामिल है- जैविक विविधता (या जैव-विविधता) का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।
- 5 जून, 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सी.बी.डी. पर हस्ताक्षर के लिये प्रस्ताव लाया गया था तथा 29 दिसम्बर, 1993 को यह अभिसमय लागू हुआ।

सी.बी.डी. की सफलता

- सी.बी.डी. ने लक्ष्यों के अनुरूप जैव-विविधता के अनुचित प्रयोग पर नैतिक रोक लगाने की नींव रखी। साथ ही इसके अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 8(जे) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसके लक्ष्यों व प्राथमिकताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया।
- सी.बी.डी. के अनुच्छेद 15 द्वारा राज्यों को उनके आनुवंशिक संसाधनों के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि अनुच्छेद 8(जे) के माध्यम से समुदायों को उनके पारम्परिक ज्ञान के अधिकारों को मान्यता दी गई है।
- इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सी.बी.डी. के अधिकांश हस्ताक्षरकर्त्ता देश वर्ष 2010 में जापान के नागोया में पुन: मिले तथा नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य सी.बी.डी. के निष्पक्ष व न्यायसंगत बँटवारे के प्रावधानों को प्रभावी बनाना है।

सी.बी.डी. के अंतर्गत दो प्रमुख प्रोटोकॉल

- सी.बी.डी. के दो पूरक समझौते भी हैं– पहला कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol) तथा दूसरा नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)।

- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (LMO) के संचालन को नियंत्रित करती है।
- नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर ध्यान देता है। सरल शब्दों में, नागोया प्रोटोकॉल द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के वाणिज्यिक और अनुसंधानगत उपयोग को इस प्रकार सुनिश्चित किया गया, जिससे ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले देशों और समुदायों के साथ लाभों को साझा किया जा सके।
- सी.बी.डी. के अनुसार, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच राष्ट्रीय सरकार के पास निहित होने के साथ-साथ यह विषय राष्ट्रीय कानून के अधीन है। इस निर्णय ने जैव संसाधनों के उपयोग की शक्ति संतुलन को उपयोगकर्त्ता देशों से प्रदाता देशों में स्थानांतरित कर दिया।

भारत द्वारा किये गए प्रयास

- एक प्रमुख वृहद्-जैव-विविधता वाले देश भारत ने वर्ष 2002 में जैव-विविधता के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से जैविक विविधता अधिनियम (बी.डी. एक्ट) पारित किया।
- बी.डी. अधिनियम भारत की विशाल जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह एक अग्रणी कानून माना जाता है क्योंकि इस कानून द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सम्प्रभु अधिकार को मान्यता दी गई।
- सी.बी.डी. के अनुसरण में बी.डी. अधिनियम द्वारा अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकार को मान्यता मिली। साथ ही इससे जैव-संसाधनों के अन्य उपयोगकर्त्ता देशों को प्रतिबंधित भी किया गया।
- बी.डी. अधिनियम एक प्रकार से गेम-चेंजर था जो संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। इससे लाभों के उचित साझाकरण में स्थानीय आबादी को बढ़ावा मिला है।

जैव-विविधता अधिनियम के प्रमुख पहलू

- बी.डी. अधिनियम के तहत, एक महत्त्वपूर्ण नियामक तंत्र द्वारा स्थानीय आबादी तक संसाधनों के पहुँच और लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing -ABS : ए.बी.एस.) पर ज़ोर दिया गया था।
- सी.बी.डी. के एक दशक के भीतर ए.बी.एस. को एकीकृत करने के बाद, भारत को एक अग्रणी देश के रूप में माना जाने लगा। सी.बी.डी. पर हस्ताक्षर करने वाले 197 देशों में से केवल 105 देश ने ही जैव संसाधनों के विनियामक उपयोग के लिये राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया।
- बी.डी. अधिनियम इन संसाधनों पर देश की सम्प्रभुता या समुदाय के अधिकारों से समझौता किये बिना सम्भवतः सबसे विकेंद्रीकृत तरीके से जैव संसाधनों के प्रबंधन सम्बंधी मुद्दों का समाधान करता है। इसके माध्यम से संसाधनों के वास्तविक मालिकों के लिये लाभ को भी सुनिश्चित किया गया।
- यह अधिनियम उन परिस्थितियों और शर्तों को भी सूचीबद्ध करता है, जिनके तहत व्यक्ति, वाणिज्यिक फर्म और अन्य संस्थान जैविक संसाधनों तथा उससे सम्बंधित सूचना तक पहुँच सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिये किया जा सकता है।
- यह अधिनियम इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किसी सक्षम अधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के बिना भारत में उत्पन्न आनुवंशिक सामग्री के हस्तांतरण पर यह प्रतिबंध लगाता है।
- इसके तहत देश में त्रि-स्तरीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव-विविधता बोर्ड (SSB) तथा स्थानीय स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन किया गया।
- इससे यह संदेश दिया गया कि आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से गरीब लोगों को बाईपास नहीं किया जाना चाहिये।

संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing :ABS)

- बी.डी. अधिनियम को अपनाने के साथ ही सी.बी.डी. के सिद्धांतों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह महसूस किया गया कि सभी देशों के लिये स्वीकार्य एक कुशल व प्रभावी तंत्र तथा जैव संसाधनों सम्बंधी मुद्दों के लिये एक संदर्भ बिंदु को अपनाने की आवश्यकता है।
- सी.बी.डी. के साथ वर्ष 1992 में शुरू हुई एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही नागोया प्रोटोकॉल के तहत विस्तृत कार्रवाई बिंदुओं को अपनाया गया था।
- जल्द ही देशों ने नियामक ढाँचों को अपनाने के लिये राष्ट्रीय कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें भी भारत ने अग्रणी नेतृत्व करते हुए वर्ष 2014 में ए.बी.एस. दिशानिर्देशों को अपनाया।

भारत के लिये लाभ

- भारत आनुवंशिक संसाधनों और इससे जुड़े पारम्परिक ज्ञान के दुरुपयोग या जैव-चोरी (Bio-Piracy) का शिकार था जो अन्य देशों में पेटेंट किये गए थे। इसके प्रसिद्ध उदाहरणों में नीम व हल्दी शामिल हैं।
- जैव-चोरी के शिकार भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने इन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में कड़ा संघर्ष किया और जीत हासिल करने में सफल रहे।
- उम्मीद है कि ए.बी.एस. पर नागोया प्रोटोकॉल ने इस चिंता का समाधान किया है, जिस समस्या को सी.बी.डी. में स्थान नहीं दिया गया था।

भविष्य में महामारियों से बचाव: जलवायु परिवर्तन पर अंकुश व पर्यावरण की रक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ समूह ने महामारियों और भविष्य में उनकी रोकथाम के सम्बंध में एक रिपोर्ट ज़ारी की है।

पृष्ठभूमि

प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को 'विश्व पशुजन्य रोग दिवस' (World Zoonoses Day) मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1885 में फ्रांसीसी जीवविज्ञानी लुई पाश्चर ने सफलतापूर्वक रेबीज का पहला टीका (Vaccine) तैयार किया था। विदित है कि रेबीज भी एक जूनोटिक बीमारी (Zoonotic Disease- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग) है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, भूमि क्षरण, वन्यजीव शोषण, गहन कृषि और जलवायु परिवर्तन कोरोना वायरस जैसी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को जन्म दे रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI) ने संयुक्त रूप से ऐसी बीमारियों (जूनोटिक) के लिये ज़िम्मेदार सात प्रवृत्तियों की पहचान की है। साथ ही भविष्य में ऐसी महामारियों की रोकथाम के लिये सरकारों से कदम उठाने का आह्वान किया।

जूनोटिक बीमारियों के लिये ज़िम्मेदार सात प्रवृत्तियाँ

- विशेषज्ञों ने जिन सात प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, वे अग्रलिखित हैं:
  - पशुजन्य प्रोटीन की बढ़ती मांग
  - प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और शहरीकरण
  - गहन और असंधारणीय कृषि

- ❖ वन्यजीवों का शोषण
- ❖ यात्रा और परिवहन में हो रही वृद्धि
- ❖ खाद्य आपूर्ति सम्बंधी बदलाव
- ❖ जलवायु परिवर्तन

- विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि वन्यजीवों का शोषण करने के साथ-साथ पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट किया जाता रहा तो आने वाले समय में जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली इन बीमारियों की एक विस्तृत शृंखला देखी जा सकती है।

मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं में वृद्धि

- मनुष्यों में ज्ञात संक्रामक रोगों में लगभग 60% और सभी उभरते हुए (नए) संक्रामक रोगों में से लगभग 75% बीमारियाँ जूनोटिक हैं। बड़े पैमाने पर इसका कारण मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच बढ़ता टकराव है।
- इस बात की सम्भावना सबसे अधिक है कि कोरोनावायरस भी चमगादड़ से मनुष्यों में फैला है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इबोला, मध्य-पूर्व रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS-CoV), पश्चिमी नील ज्वर (West Nile Fever), जीका वायरस, सार्स (SARS) और रिफ्ट वैली फीवर सहित कई बीमारियाँ हैं जो हालिया वर्षों में वाहक पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित हुई हैं।
- प्रत्येक वर्ष लगभग दो मिलियन लोग उपेक्षित या नजरंदाज कर दिये जाने वाले जूनोटिक रोगों से मर जाते हैं। इन मरने वाले लोगों में से ज़्यादातर आबादी विकासशील देशों से है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों के दौरान जूनोटिक रोगों से $100 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें कोविड-19 से हुए नुकसान को शामिल नहीं किया गया है, जिसके अगले कुछ वर्षों में $9 ट्रिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश की आवश्यकता

- जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के अधिकांश प्रयासों में 'सक्रियता' के बजाय 'प्रतिक्रिया' देखी जाती है। सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य, धारणीय कृषि, वन्यजीवों के अति-शोषण पर रोक तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने सम्बंधी उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों ने कहा कि अफ्रीका जूनोटिक रोगों की वृद्धि के मामले में उच्च जोखिम पर है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन होने के साथ-साथ मानव आबादी में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- मौजूदा जूनोटिक रोगों के तीव्र होने और नए रोगों के उद्भव व प्रसार के लिये अफ्रीका महाद्वीप की वर्तमान परिस्थितियाँ अत्यधिक उपयुक्त हैं। हालाँकि इबोला और अन्य उभरती बीमारियों के अनुभवों के कारण अफ्रीकी देश बीमारी के प्रकोप को प्रबंधित करने के लिये सक्रिय तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं।
- कुछ अफ्रीकी देशों ने 'एकल स्वास्थ्य' का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण विशेषज्ञता को एकजुट किया जाता है। यह बीमारियों के मनुष्यों में फैलने से पूर्व जानवरों में उसकी पहचान करने के साथ-साथ इलाज करने में मदद कर सकता है।
- विशेषज्ञों ने सरकारों से भूमि के सतत उपयोग व पशुपालन के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने तथा खाद्य उत्पादन के लिये ऐसी रणनीति का विकास करने का आग्रह किया है, जो निवास-स्थानों और जैव-विविधता के विनाश पर न निर्भर हो।

आगे की राह

- इस प्रकार के प्रकोपों से न केवल गम्भीर बीमारी व मौतें होती हैं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे गरीब लोगों के लिये बड़े आर्थिक नुकसान भी होते हैं। भविष्य में इस तरह के प्रकोपों को रोकने के लिये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के बारे में और अधिक विचारशील होने की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण विशेषज्ञता को भी समन्वित करने की जरूरत है।

भू-जल स्तर में गिरावट : कारण तथा समाधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) द्वारा वाणिज्यिक भू-जल के उपयोग हेतु सख्त प्रावधान तय किये गए हैं। यह आदेश भू-जल स्तर में गिरावट की जाँच करने की दिशा में मांग करने वाली एक याचिका के संदर्भ में आया है। एन.जी.टी. द्वारा केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण के वर्ष 2020 के दिशानिर्देशों को अनुचित बताते हुए कहा कि ये कानून के अनुपालन हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

एन.जी.टी. के नए प्रावधान

- वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये भू-जल की निकासी से सम्बंधित परमिट सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात ही ज़ारी किये जाएँ।
- अधिकरण द्वारा वाणिज्यिक संस्थाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) के बिना भू-जल की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- भू-जल निकासी के लिये परमिट जल की निर्दिष्ट मात्रा के लिये ही ज़ारी किये जाने चाहिये और डिजिटल मीटर की सहायता से इनकी निरंतर निगरानी की जानी चाहिये, साथ ही तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट भी किया जाना चाहिये।
- ऑडिट में विफल होने वाली संस्थाओं और इकाइयों पर अभियोजन और प्रतिबंध सहित सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।
- भू-जल का दोहन करने वाली इकाइयों को जल मानचित्रण (Water Mapping) की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। इसके लिये अधिकारियों को तीन माह का समय दिया जाएगा ताकि वे भू-जल की उपलब्धतता के अनुसार क्षेत्रों को ध्यान में रखकर एक जल प्रबंधन योजना तैयार कर सकें।
- भू-जल वह जल होता है, जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है तथा भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भू-जल जमा होता है, उन्हें जलभृत कहा जाता है। सामान्य तौर पर जलभृत बज़री, रेत, बलुआ-पत्थर या चुना-पत्थर से बने होते हैं।

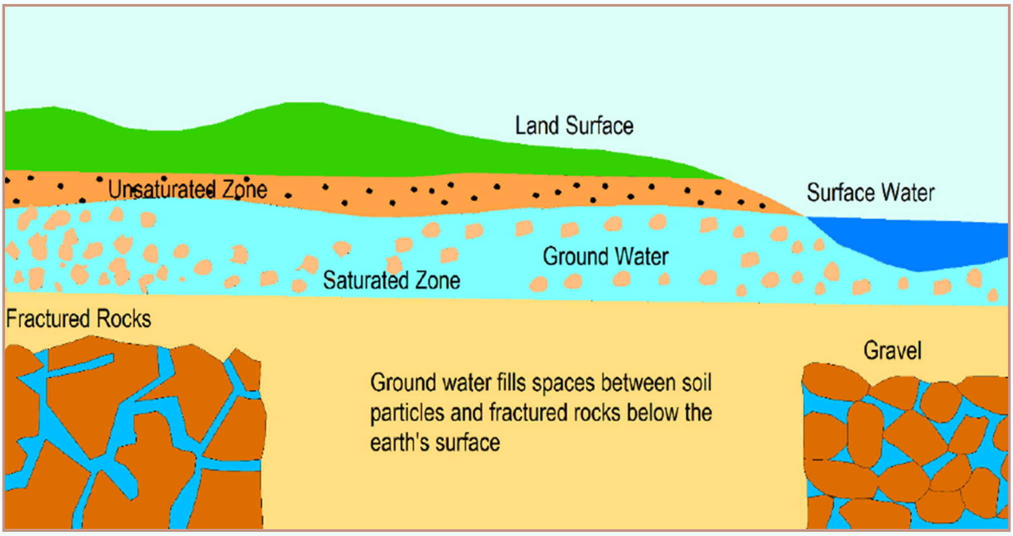

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- ग्लोबल वार्मिंग के एक वैश्विक चिंता के रूप में उभरने के साथ ही भारत में भी एक विशेष पर्यावरणीय अदालत की आवश्यकता महसूस की गई।
- इसी दिशा में वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई।
- एन.जी.टी. की मुख्य शाखा नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को तीव्र गति से निपटाना तथा उच्च न्यायालय के मुकदमों के भार को कम करना है।

नए प्रावधानों से उत्पन्न समस्याएँ

- एन.जी.टी. द्वारा ज़ारी की गई नई शर्तें वर्तमान समय में लॉकडाउन के कारण व्यवसायियों की समस्याओं को और अधिक बढ़ा देंगी, जिससे देश में व्यावसायिक वातावरण के खराब होने की आशंका है।
- इन नए सख्त प्रावधानों से वाणिज्यिक निकायों का आर्थिक शोषण होने की सम्भावना है। अगर भू-जल स्तर किसी और कारण से गिरता है तो अधिकारियों द्वारा इसका आरोप वाणिज्यिक इकाइयों पर लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है।
- एन.जी.टी. का यह कदम जल शक्ति मंत्रालय के विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को ठेस पहुँचती है, साथ ही यह एक नए विवाद को जन्म दे सकता है।
- अब तक भू-जल स्तर में सुधार से सम्बंधित कोई दावा नहीं किया गया है और न ही भविष्य में इसके सुधार का आकलन ज़ारी किया गया है।
- भारत की जल गुणवत्ता सूचकांक में स्थिति काफी चिंताजनक है, 122 देशों की इस सूची में भारत का 120वाँ स्थान है।
- भारत द्वारा बड़े स्तर पर भू-जल की निकासी की गई है, जिसमें कुल निकाले गए सालाना वैश्विक जल का 25% हिस्सा निकाला जा चुका है।

भू-जल स्तर में गिरावट के कारण

- भारत के 54% कुओं के जल-स्तर में कमी आई है तथा वर्ष 2020 तक भारत के 21 प्रमुख शहरों में भू-जल स्तर में अत्यधिक गिरावट की आशंका है।
- पिछले चार दशकों में कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 84% की वृद्धि का मुख्य कारण भू-जल है, साथ ही अतिदोहन का मुख्य कारण भी कृषि के लिये भू-जल की बढ़ती मांग है। इसके अलावा अधिकांश क्षेत्रों में भू-जल उपलब्धता पर ध्यान दिये बिना फसलों के पैटर्न और मात्रा के सम्बंध में फैसले लिये गए।
- भू-जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण और आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा लवणता जैसे संदूषकों की मौजूदगी के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रित और भू-जल को बहाल करने के लिये केंद्र या राज्यों द्वारा कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू नहीं किया गया।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदियों, झीलों और भू-जल स्रोतों में होने वाले जल प्रदूषण की निरंतर निगरानी नहीं की जाती है।
- वर्ष 2014 में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर शांता कुमार की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने पाया कि 23 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में प्रभावी मूल्य समर्थन केवल धान और गेहूँ पर दिया गया है, जिन्हें पनपने के लिये बहुत अधिक हद तक भू-जल पर निर्भर रहना पड़ता है।

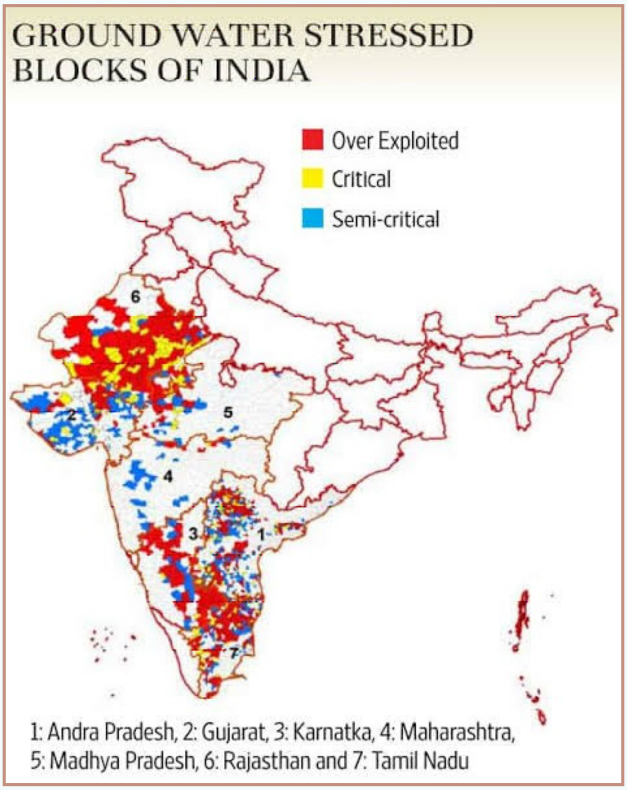

भू-जल स्तर में सुधार हेतु सुझाव

- भू-जल के अतिदोहन की समस्या से निपटने हेतु कृषि में मांग प्रबंधन का प्रयोग किया जाना चाहिये। इससे कृषि में भू-जल पर निर्भरता कम होगी।
  - भू-जल निकासी, मानसून में वर्षा और जल-स्तर को देखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिये शुष्क मौसम की फसल की योजनाएँ बनानी चाहिये। इसमें उच्च मूल्य वाली और कम जल का उपभोग करने वाली फसलों को भी चुना जा सकता है।
  - ड्रिप और स्प्रिंकलर (फव्वारा) प्रणाली जैसी आधुनिक सिंचाई की तकनीकों को अपनाना, जिससे वाष्पीकरण और कृषि में जल के गैर लाभकारी प्रयोग को कम किया जा सके।
  - विनियामक उपायों के माध्यम से भू-जल के पृथक्करण या प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु प्रतिबंध लगाना जैसे– सिंचाई के कुओं की गहराई निर्धारित करना, कुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तय करना एवं उसे कठोरता से अमल में लाना।
- राष्ट्रीय जल प्रारूप विधयेक, 2013 में यह सुझाव दिया गया था कि भू-जल निकासी के लिये बिजली के प्रयोग को विनियमित करके भू-जल के अत्यधिक दोहन को कम किया जा सकता है।
- किसानों की आवश्यकताओं और भू-जल के उपयोग के मध्य संतुलन के सम्बंध में राष्ट्रीय जल नीति, 2020 में सुझाव दिया गया था कि भू-जल निकासी हेतु विद्युत सब्सिडी पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- भू-जल का प्रबंधन सामुदायिक संसाधन के रूप में किये जाने की आवश्यकता है तथा अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जल संसाधन को होने वाले नुकसान के लिये भू-स्वामी को कानूनी रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

- सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह सार्वजनिक प्रयोग के लिये निर्धारित संसाधनों को निजी स्वामित्व में परिवर्तित होने से रोके तथा लाभार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण जल की पहुँच को भी सुनिश्चित करे, जो कि प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार भी है।

भारत में बढ़ती बाघ संख्या : चुनौतियाँ एवं रणनीति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत की नवीनतम बाघ गणना को 25000 से अधिक कैमरों की पहुँच में रखने और 35 मिलियन से अधिक फोटो खींचने के लिये भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। यह पूरी प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की सहायता से की गई थी।
  - यह दुनिया भर में किसी भी देश द्वारा किया गया बाघों का सबसे बड़ा गणना अभ्यास था।
  - भारत ने बाघों की आबादी को दोगुना करने हेतु 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत निर्धारित लक्ष्य को चार वर्ष पहले ही हासिल कर लिया।

पृष्ठभूमि

- भारत एक प्रकृति प्रेमी राष्ट्र है, जो विश्व में बाघों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। वर्तमान में बाघों की वैश्विक आबादी का 70% भारत में है, जिनकी संख्या 2967 है। यह भारत के लिये एक बड़ी संरक्षण सफलता के साथ ही एक समृद्ध जैव-विविधता का प्रतीक भी है। यह उपलब्धि देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है।
  - भारत के पास दुनिया का केवल 2.5% भूमि क्षेत्रफल है तथा 4 प्रतिशत ताजे वर्षाजल के संसाधन हैं, जबकि दुनिया की 16% मानव और मवेशी आबादी यहीं रहती है। फिर भी यहाँ दुनिया की 8% जैव-विविधता मौजूद है। यह मानव अस्तित्व के साथ तालमेल तथा प्रकृति को जीवन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार करने के कारण ही सम्भव हो पाया है।

बाघ संरक्षण की चुनौतियाँ

- निरंतर बढ़ती आबादी और तीव्र गति से होते शहरीकरण के कारण जंगलों में अनियोजित विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे बाघों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।
- बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन की खुली छूट के कारण बाघों की तस्करी में वृद्धि हुई है। दरअसल बाघ तस्कर पर्यटन के बहाने से डिजिटल कैमरे का उपयोग कर बाघों की तस्करी की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। चीन में कई देशी दवा, औषधि और शक्तिवर्धक पेय बनाने में बाघ के अंगों का उपयोग किया जाता है।
- बाघों में कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि अभयारण्य के आस-पास रहने वाले कुत्ते संक्रामक रोग फैला रहे हैं, जो बाघों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हैं।
- इन सब के अलावा बाघों का आपसी संघर्ष, रेल-रोड दुर्घटना और कई बार तो जहर देकर मारने के मामले भी सामने आए हैं।
- वनों की कटाई तथा वनों में जल के अभाव के कारण बाघ, मानव बस्तियों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे मानव-जानवर संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

बाघ संरक्षण हेतु उठाए गए कदम तथा भारत की रणनीति

- भारत में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा वर्ष 1972 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। देश के बड़े हिस्सों में इसकी मौजूदगी के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था।

- वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केवल 9 टाइगर रिज़र्व के साथ हुई थी। वर्तमान में भारत में 72,000 वर्ग किलोमीटर में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इन सभी टाइगर रिज़र्व का मूल्यांकन एक स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाता है।
- सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत बाघों की स्मार्ट निगरानी के लिये एक कार्यक्रम 'मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस' (MSTrIPES) शुरू किया गया है। इसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है तथा इसका विस्तार सभी 50 टाइगर रिज़र्व तक किया गया है, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं।
- भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु समृद्ध जैव-विविधता को आधार मानकर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 वर्षों में 2.5 बिलियन टन कार्बन सिंक करने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत में वृक्षों का आवरण तेज़ी से बढ़ने के कारण यह लक्ष्य निर्धारित समयावधि में ही प्राप्त कर लिया जाएगा।
- सरकार कोयला उत्पादन पर 6 डॉलर प्रति टन की दर से कर लगा रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर पहले से ही एक प्रकार का कार्बन टैक्स लगाया हुआ है। इसके साथ ही भारत ने एक दशक में 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि की बहाली का लक्ष्य भी तय किया है। इस प्रकार भारत पेरिस समझौते पर अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है।
- भारत ने थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और कम्बोडिया के अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की हैं तथा बाघ प्रजनन सम्बंधी अनुभवों को कम्बोडिया और रूस के साथ साझा किया है। सुंदरवन में बाघ की स्थिति के आकलन पर बांग्लादेश और भारत द्वारा सयुंक्त रिपोर्ट भी ज़ारी की गई है।
- भारत द्वारा बाघ संरक्षण हेतु लिडार आधारित सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें लेजर लाइट और संवेदकों की सहायता से हेलीकॉप्टर या विमान द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।
- बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष 29 जुलाई को 'विश्व बाघ दिवस' मनाया जाता है।
- वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु को मारने पर सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन नियमों और कानूनों का उचित रूप में पालन न करने के चलते कम लोगों पर कार्रवाई हो पाती है।

सुझाव

- वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जंगल टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिये तथा उसे पुलिस के समकक्ष अधिकार दिये जाने चाहिये।
- वन्यजीव और जंगल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिये विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही सूखा, आग या किसी अन्य आपदा की स्थिति में प्रभावी नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन टीमों का गठन किया जाना चाहिये।
- वन विभाग को आधुनिक साजो-सामान और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे वे अवैध शिकारों और लकड़ी तस्करों पर रोक लगा सकें।
- जन सामान्य को भी वन्यजीवों के प्रति दया एवं सहानुभूति भरा व्यवहार किया जाना चाहिये, साथ ही ऐसे उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिये, जिनमें वन्यजीवों के अंगों का उपयोग किया जाता हो।

निष्कर्ष

- पारिस्थितिकी पिरामिड और आहार श्रृंखला में बाघ महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज बाघ संरक्षण केवल भारत के लिये ही नहीं बल्कि विश्व के समक्ष भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इनके संरक्षण के अभाव में हमें बाघ से मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिये बाघों का संरक्षण न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है।
- अंततोगत्वा हमें समझना होगा कि विकास अगर विरासत में मिले जल, जंगल और जमीन को क्षति पहुँचा रहा है तो वह विकास नहीं बल्कि विनाश है।

स्रोत: द हिंदू, TOI

भारत के प्राकृतिक आपदा सम्बंधी अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहली बार 'भारतीय भू-भाग पर जलवायु परिवर्तन का आकलन' नामक रिपोर्ट ज़ारी की गई है।

पृष्ठभूमि

इस रिपोर्ट में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, आँधी व तूफान (Thunders Storms), हीट वेव्स (Heat Waves), बाढ़ एवं सूखे से सम्बंधित चेतावनी का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही रक्षोपायों को जल्द से जल्द अपनाए जाने की बात कही गई है। यह अनुमान मुख्यत: 21वीं सदी के उत्तरार्ध के दशकों से सम्बंधित है। इस रिपोर्ट में तापमान, मानसून, बाढ़ और सूखा के साथ-साथ समुद्री जल-स्तर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हिमालयी हिमावरण और इसके कारणों व प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव-प्रेरित वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा की गई है।

तापमान

- भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी क्षेत्रों में अधिक ऊष्मन या तापन हुआ है। यह ऊष्मन मुख्यत: शीत ऋतु के दौरान हुआ है।
- हाल के 30 वर्षों की अवधि (1986-2015) में, वर्ष के सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रात के तापमान में क्रमश: 0.63 °C और 0.4 °C की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है।
- वर्ष 1976 से 2005 के दशक के सापेक्ष गर्म दिनों की आवृत्ति में 55% की वृद्धि और गर्म रातों की आवृत्ति में 70% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- सदी के अंत तक अप्रैल से जून के दौरान होने वाली हीट वेव (ताप लहर) की औसत अवधि में दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। साथ ही वर्ष 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में इसकी आवृत्ति भी 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। तापमान में वृद्धि का कारण हरितगृह गैसों का उत्सर्जन है। तापमान में इस घातांकीय वृद्धि के कारण ताप लहर में वृद्धि होगी।
- सन् 1976 से 2005 के दौरान औसत तापमान के सापेक्ष 21वीं सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 4.4 °C की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- सन् 1951 से 2015 की अवधि के दौरान उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में औसतन 1°C प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है।
- रिपोर्ट में, सबसे खराब स्थिति परिदृश्य को आर.सी.पी. 8.5 (Representative Concentration Pathways - RCP) से परिभाषित किया गया है, जो वायुमंडल में बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण 8.5 वाट प्रति वर्ग मीटर के एक विकिरण बल (Radiative Force) की गणना करता है।
- विकिरण बल (Radiative Force) पृथ्वी (इसके वायुमंडल सहित) द्वारा अवशोषित सूर्य की प्रकाश ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस आने वाली ऊर्जा के बीच का अंतर है।
- आर.सी.पी. 4.5 के एक मध्यवर्ती परिदृश्य के तहत देश के औसत तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र के तापमान में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है, जहाँ औसत तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह क्षेत्र तापमान, वर्षा और बर्फबारी में जलवायु से सम्बंधित परिवर्तनशीलता के लिये पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील है।

मानसून और वर्षा

- सन् 1951-2015 के दौरान भारत में वार्षिक वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। यह कमी मध्य भारत, केरल और सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1 से 5 मिमी. के बीच रही है।
- इसके विपरीत, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
- आने वाले दशकों में मानसूनी वर्षा की औसत, चरम स्थिति और अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता में काफी वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2100 तक मानसून परिवर्तनशीलता (Monsoon Variability) 14% अनुमानित है और यह 22.5% तक भी बढ़ सकती है।
- वर्ष 1950 से 2015 की समयावधि के दौरान, ग्रीष्म मानसून (जून से सितम्बर तक) के दौरान वर्षा में 6% की कमी आई है। वर्षा में उल्लेखनीय कमी सिंधु-गंगा व पश्चिमी घाट क्षेत्र में देखी गई है।
- इसके अलावा, स्थानीयकृत भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय : इतिहास

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को प्रारम्भ में जुलाई 1981 में महासागर विकास विभाग (Department of Ocean Development - DOD) के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय यह सीधे प्रधनमंत्री के प्रभार के तहत कैबिनेट सचिवालय का एक हिस्सा था। मार्च 1982 में यह एक अलग विभाग बन गया।
- फरवरी 2006 में भारत सरकार ने इस विभाग को 'महासागर विकास मंत्रालय' के रूप में अधिसूचित किया। 12 जुलाई, 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अस्तित्व में आया।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) इस मंत्रालय द्वारा शासित होते हैं।

सूखा और बाढ़

- 1950 के दशक से भारी वर्षा की घटनाओं और शुष्क दिनों की आवृत्ति व तीव्रता बढ़ गई है। यह प्रवृति क्रमशः दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितम्बर) और पूर्वोत्तर मानसून (अक्तूबर-दिसम्बर) के दौरान मध्य भारत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुखता से देखी जा रही है।
- वर्ष 1901 से मानसून के दौरान ही भारत में 22 सूखे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त सूखे के अंतर्गत क्षेत्र में प्रति दशक 1.3% की वृद्धि हुई है। साथ ही सन् 1951 से 2016 की अवधि के दौरान इसकी आवृत्ति और भयानकता में भी वृद्धि हुई है।
- ग्रीष्म मानसून वर्षा में कमी के कारण विशेष रूप से मध्य भारत, दक्षिण-पश्चिम तट, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्वी भारत में सूखे की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, मध्य और उत्तरी भारत में प्रति दशक एक या दो सूखे की वृद्धि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 1976 से 2005 के दौरान पड़ने वाले ऐसी अपेक्षा पूर्वी भारत प्रति दशक दो अतिरिक्त सूखे की घटनाओं का सामना कर सकता है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में ऐसी घटनाओं की संख्या में एक या दो की कमी का अनुमान है।
- पूर्वी तट, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण के साथ-साथ मुम्बई, चेन्नई व कोलकाता जैसे क्षेत्रों एवं शहरों में बाढ़ का खतरा अधिक है।
- तेज़ गति से हिमनद व बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय बेसिन के बाढ़ के मैदानों में वृहत एवं भयंकर बाढ़ का अनुमान है। बाढ़ की इन प्रमुख घटनाओं का अनुमान ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदियों में किया गया है।

समुद्र जल-स्तर

- वर्ष 1993-2015 के दौरान उत्तरी हिंद महासागर (अरब सागर व बंगाल की खाड़ी) के समुद्र के स्तर में प्रतिवर्ष 3.3 मिमी. की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 'समुद्री स्तर के वैश्विक औसत' की वृद्धि के बराबर है।
- इस सदी के अंत तक उत्तरी हिंद महासागर के स्तर में 300 मिमी. तक वृद्धि का अनुमान है।
- रिपोर्ट द्वारा अनुमानित चरम जलवायु परिदृश्य में, आंध्र प्रदेश और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा बेसिनों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वर्ष 2030 तक उत्तरी हिंद महासागर के तटीय और उसके द्वीपों पर निवास करने वाले लगभग 340 मिलियन निवासी तटीय जोखिमों का सामना कर सकते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- 20वीं सदी (1951-2018) के मध्य से उत्तरी हिंद महासागर बेसिन के ऊपर उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वार्षिक आवृत्ति में उल्लेखनीय कमी आई है।
- इसके विपरीत, मानसून के उपरांत भीषण चक्रवाती तूफान की आवृत्ति पिछले दो दशकों में काफी बढ़ गई है।
- वर्ष 1950 से पूर्व बंगाल की खाड़ी में लगभग 94 गम्भीर चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुए। 1950 के बाद यह संख्या बढ़कर 140 हो गई, इसी अवधि में अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या 29 से बढ़कर 44 हो गई है।
- अरब सागर में उठने वाले तूफान अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। साथ ही इस प्रवृत्ति के जारी रहने का भी अनुमान है। पिछले दो दशकों में अरब सागर में बनने वाले अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

हिमालय पर हिमाच्छादन/आवरण (Himalaya Snow Cover)

- पिछले सात दशकों के दौरान हिंदुकुश हिमालय के औसत तापमान में प्रति दशक 0.2°C का ऊष्मन हुआ है, जिस कारण पिछले चार से पाँच दशकों में हिमावरण और ग्लेशियरों में गिरावट आई है। इसके विपरीत, काराकोरम हिमालय में शीत ऋतु के दौरान उच्च हिमपात देखा गया है जो इस क्षेत्र में हिमनद संकुचन को रोकता है।
- इसके अलावा, इस सदी के अंत तक हिंदुकुश हिमालय के तापमान में 2.6 से 4.6 °C तक वृद्धि का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन के कारण व प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन में मुख्य योगदानकर्ता एंथ्रोपोजेनिक (Anthropogenic) गतिविधियाँ हैं, जो हरितगृह गैसों की सांद्रता में वृद्धि करती हैं। इनसे तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- जलवाष्प की उच्च सांद्रता मानसून के दौरान तीव्र वर्षा का कारण बनती है। तापन (Heating) से वाष्पीकरण होता है, जो सीधे तौर पर मृदा की नमी में कमी से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सूखे की घटनाएँ होती हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परिघटना के कारण खाद्य उत्पादन में कमी के साथ-साथ पेयजल की उपलब्धता में भी कमी हो सकती है।
- साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते जल-स्तर के कारण भारत के बड़े शहर अपरदन की चपेट में आ सकते हैं जो तटीय परियोजनाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- हरितगृह गैस और तापन भारत जैसे देशों के लिये चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं क्योंकि इनसे सूखे की तीव्रता बढ़ जाएगी और मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता में भी वृद्धि होगी।

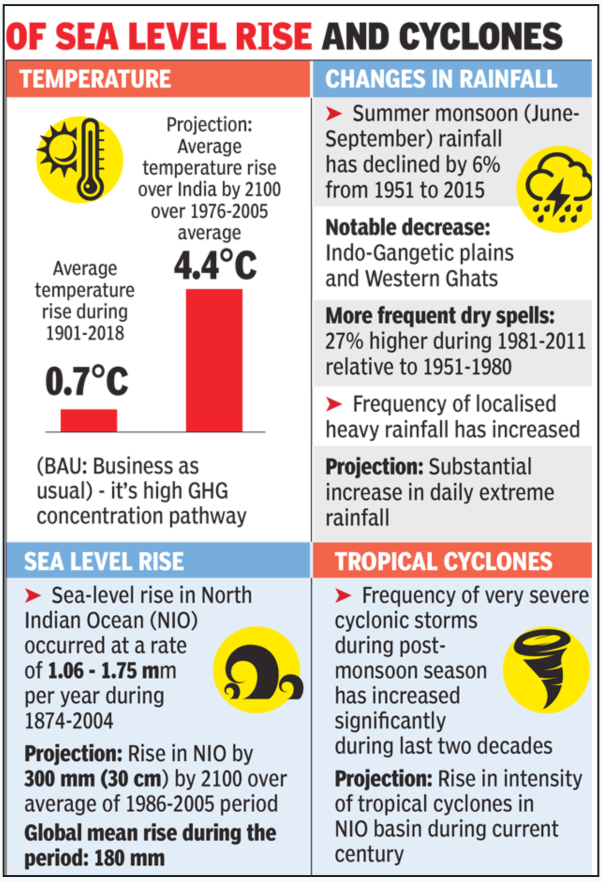

जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु सुझाव

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की क्षेत्रीय भिन्नताओं को समझने के लिये और अधिक अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों की आवश्यकता है।
- जल संचयन (Water Harvesting) को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
- धारणीय कृषि (Sustainable Farming) एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वनीकरण (Afforestation) के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिये।
- जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- कार्बन कराधान (Carbon Taxation) के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिये।
- जनसंख्या के सबसे संवेदनशील वर्ग को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

रिपोर्ट का महत्त्व

- भारत के लिये यह पहली जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट है। यह भविष्य के सम्भावित जलवायु परिवर्तन अनुमानों पर एक स्पष्ट एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिये अत्यधिक उपयोगी है।
- यह पहला ऐसा मूल्यांकन है, जहाँ मौजूदा अनुमानों को भूमि एवं समुद्र के तापमान, मानसूनी वर्षा, बाढ़ तथा सूखा आदि को ऐतिहासिक रुझानों के संदर्भ में रखकर आकलन किया गया है।

- इस रिपोर्ट की एक कमी भी है कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के वित्तपोषण के मुद्दे पर मौन है (यह मुद्दा रिपोर्ट के दायरे से बाहर है)।

रिप्रजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे (Representative Concentration Pathways - RCPs)

- वर्ष 2013-14 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की पाँचवीं आकलन रिपोर्ट (Assessment Report 5 -AR5) जारी की गई, जिसके निष्कर्ष एक नए सेट पर आधारित होंगे, जो "उत्सर्जन परिदृश्य पर विशेष रिपोर्ट" (Special Report On Emissions Scenarios) के मानकों को प्रतिस्थापित करते हैं, जिन्हें पिछली दो रिपोर्टों में भी शामिल किया गया था। इन्हीं नए परिदृश्यों को रिप्रजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे (RCPs) कहते हैं। इनकी संख्या चार हैं: RCP8-5, RCP6, RCP4-5, RCP2-6 (RCP3-PD)।

आगे की राह

- यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ-साथ अर्थशास्त्रियों और छात्रों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। नीति निर्माताओं के लिये भविष्य के सम्भावित जलवायु परिवर्तन अनुमानों पर एक स्पष्ट व व्यापक दृष्टिकोण रखना महत्त्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट आपदा और आपदा प्रबंधन में सहायक होगी। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मानवीय गतिविधियों ने क्षेत्रीय जलवायु में इन परिवर्तनों को प्रभावित किया है, अतः मानवीय गतिविधियों के उचित प्रबंधन के साथ-साथ शमन उपायों को भी लागू करना महत्त्वपूर्ण है।

10 रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति, 2020 का मसौदा

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रति चीन के खुले तौर पर जुझारू रवैये के कारण भारत द्वारा युद्ध की तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी पृष्ठभूमि को केंद्र में रखकर भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति, 2020 (Draft Defence Promotion and Export Promotion Policy - DPEPP 2020) का मसौदा तैयार किया गया है।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं तथा सेवाओं का घरेलू उत्पादन करना है।
- इसमें से 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य शामिल है।
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा वैश्विक रक्षा मूल्य शृंखलाओं का हिस्सा बनने पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस नीति के तहत हथियारों की एक नकारात्मक सूची ज़ारी की जाएगी, जिसके तहत अधिसूचित हथियारों तथा निर्धारित प्लेटफॉर्मों से आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- इस नीति के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ (TechnologyAssessment Cell - TAC) का निर्माण किया जाएगा, जो कि रक्षा उपकरण तथा हथियारों के डिजाइन, विकास तथा उत्पादन के लिये औद्योगिक क्षमता का आकलन करेगी।
- इसमें विभिन्न रणनीतिक पहलों को शामिल किया गया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, संवेदक, स्टील्थ पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों को आधुनिक तकनीक प्रदान कर स्वदेशी विकास में सहायता करेंगी।
- इस नीति के अंतर्गत उपकरण तथा हथियार प्रणालियों के रख-रखाव हेतु आवश्यकताओं के आकलन के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit) की स्थापना की जाएगी।

रक्षा क्षेत्र से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस समय भारत के रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय 40:60 के अनुपात में बँटा हुआ है, यानि 40% घरेलू उत्पादन के लिये तो 60% धन विदेशी हथियार खरीदने में व्यय किया जाता है।
- सरकारी रक्षा कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 तक अपने कुल राजस्व का 25% हिस्सा निर्यात के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही विदेशों में भी भारतीय कूटनीतिक मिशन अर्थात दूतावास और वाणिज्यिक दूतावासों को निर्देश दिया गया है कि वे भारत की रक्षा निर्यात की सम्भावनाओं की आक्रामक ढंग से मार्केटिंग करें।
- भारत के रक्षा मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपना रक्षा उपकरण निर्यात 4,682 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,745 के स्तर तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है।
- इसी वर्ष फरवरी में हुए डिफेंस ट्रेड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर बल दिया था कि भारत को अगले पाँच वर्षों में अपने रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए के वार्षिक स्तर तक पहुँचाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाना चाहिये।

स्वदेशी क्षमता के अभाव के कारण

- स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान के वार्षिक आँकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया में हथियारों के आयातक देशों में लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। इन आँकड़ों से भारत को अपने सैन्य औद्योगिक क्षेत्र की दयनीय स्थिति का पता चलता है।
- भारत में रक्षा उपकरण निर्माण की क्षमता देश की सार्वजनिक कम्पनियों के पास ही है। इन सरकारी रक्षा उत्पादन कम्पनियों के पास वैश्विक स्तर का कोई विशेष हथियार नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे संगठन लम्बे समय से आर्टिलरी के उत्पादन तक ही सीमित हैं, लेकिन न तो वे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं और न ही निर्यात में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- भारतीय लड़ाकू विमान या तो बनावट के आधार पर खारिज हो जाते हैं या वे बहुत महँगे होते हैं या उनमें ये दोनों ही खामियाँ होती हैं।

सरकार के प्रयास

- रक्षा क्षेत्र में स्वचालित माध्यम से विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। इससे विदेशी कम्पनियों को देश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने में सहायता प्राप्त होगी।
- विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि करने से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
- ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण (Corporatization) को स्वीकृति प्रदान किये जाने से इसकी कार्यशैली में परिवर्तन आएगा तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही ओ.एफ.बी. को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिससे उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
- सरकारी नीतियों के चलते जहाँ भारत 1990 के दशक में हथियारों का पता लगाने वाले रडार को अमेरिका और इजराइल से प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहा था, वहीं इस वर्ष हमने यही रडार आर्मेनिया को बेचने में सफलता प्राप्त की है। यह समझौता 4 करोड़ डॉलर का था।

निष्कर्ष

- वर्तमान समय की मांग है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाए और सरकारी उपक्रमों के बजाय रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रतिद्वंद्विता का अवसर उपलब्ध कराए क्योंकि निजी क्षेत्र पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक निर्यात करने में सफल रहा है।
- हालाँकि भारत के रक्षा निर्यात का सफर अब तक काफी उल्लेखनीय रहा है, लेकिन रक्षा निर्यात में विकास की इस गति को बनाए रखने और 5 अरब डॉलर के वार्षिक स्तर तक पहुँचने के लिये अभी और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: लाइव मिंट और ORF

श्रम आपूर्ति तथा बढ़ती मानव तस्करी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैलाश सत्यार्थी के चिल्ड्रन फाउंडेशन (गैर-सरकारी संगठन) द्वारा किये एक अध्ययन में लॉकडाउन के पश्चात श्रम उद्देश्य हेतु मानव तस्करी में वृद्धि की उच्च सम्भावना पर चिंता व्यक्त की गई है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

- अध्ययन में कहा गया कि लॉकडाउन के पश्चात श्रम आवश्यकताओं के चलते बच्चों एवं वयस्कों की तस्करी सबसे बड़े खतरों में एक होगी तथा इसका मुख्य कारण लॉकडाउन अवधि में लोगों की आय में कमी तथा रोज़गार का खत्म होना है।

- अध्ययन में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के पश्चात श्रम आवश्यकताओं तथा यौन शोषण के उद्देश्य से मानव तस्करी में वृद्धि की आशंका है।
- अध्ययन में बताया गया है कि लोगों द्वारा लॉकडाउन अवधि में कम आय के चलते या रोज़गार खत्म होने की दशा में स्थानीय साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने के परिणामस्वरूप वे बड़ी संख्या में ऋण जाल (Debt Trap) में फँस सकते हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के बाद बाल विवाह की घटनाओं में भी वृद्धि होगी।
- अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन अवधि के पश्चात बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होगी, जिसका मुख्य कारण आर्थिक संकट होगा तथा गरीबी के चलते वे एक दिन में भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते।
- घरेलू सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि 21% परिवार अपनी बढ़ती आर्थिक समस्याओं के कारण अपने बच्चों को बाल श्रम में भेजने के लिये तैयार हैं।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी के चलते तथा आर्थिक तंगी के कारण लोग अपने बच्चों को बाल श्रम के लिये भेजने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ से इनकी तस्करी आसानी से की जा सकती है।
- तस्करी का एक मुख्य कारण देह व्यापार है। देह व्यापार के मज़बूत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चलते आज इसने एक उद्योग का रूप ले लिया है।
- अन्य कारणों में घरेलू दास, जबरन विवाह, आपराधिक गतिविधियों हेतु भीख मंगवाना, बच्चों की पोर्नोग्राफी, ड्रग पेडलिंग और मानव अंग निकालना आदि शामिल हैं।
- संगठित सूक्ष्म ऋण प्रणाली के अभाव के चलते लोग उच्च दरों पर ऋण प्राप्त कर लेते हैं और गरीबी, बेरोज़गारी या कम आय के चलते अपने बच्चों को बाल श्रम या देह व्यापार में भेजने के लिये मज़बूर हो जाते हैं।
- मानव तस्करी में संलिप्त अपराधियों की राजनैतिक और प्रशासनिक पहुँच के चलते उन पर कानूनी कार्यवाही नहीं होने से इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- अगर कुछ मामलों में अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज हो भी जाते हैं तो देश की लचर न्यायिक व्यवस्था के चलते निर्णय आने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिससे पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और उनका शोषण होता रहता है।

मानव तस्करी की रोकथाम हेतु किये गए प्रयास

- वर्ष 2011 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स, 2000 और मानव तस्करी के निवारण, उसके शमन और दंड से सम्बंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी।
- संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है।
- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 वाणिज्यिक यौन शोषण की रोकथाम हेतु प्रमुख विधान है।
- बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिये एक विशेष कानून है।
- भारत में मानव तस्करी मुख्यतया भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत एक अपराध है। इसमें तस्करी का अर्थ है, बलपूर्वक तरीके से शोषण के लिये किसी व्यक्ति की भर्ती, उसका परिवहन, उसे जबरन कैद करके रखना तथा उसे ट्रांसफर करना या उसकी प्राप्ति करना।
- इसके अतिरिक्त ऐसे कानून भी हैं, जो विशिष्ट कारणों से की गई तस्करी को विनियमित करते हैं, जैसे– यौन उत्पीड़न के लिये मानव तस्करी के सम्बंध में अनैतिक तस्करी (निवारण) अधिनियम, 1986 है। इसी प्रकार बंधुआ मज़दूरी के शोषण से सम्बंधित बंधुआ मज़दूरी विनियमन अधिनियम, 1986 और बाल श्रम विनियमन अधिनियम, 1986 है। इनमें से प्रत्येक अधिनियम की स्वतंत्र कानूनी प्रवर्तन प्रणाली है।

- मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाने और उनके पुनर्वास का प्रावधान करता है।

मानव तस्करी रोकथाम के लिये सुझाव

- इस दिशा में पहला कदम बच्चों और महिलाओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिये।
- ग्रामीण स्तर पर अधिक निगरानी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- बच्चों को तस्करी से बचाने के लिये तस्करी के स्रोत क्षेत्रों में एक व्यापक सुरक्षा जाल फैलाया जाना चाहिये।
- प्रशासनिक तंत्र द्वारा रेड लाइट एरिया में कड़ी निगरानी रखनी चाहिये तथा पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिये उचित संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- मानव तस्करी की रोकथाम हेतु विभिन्न संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठन, पुलिस और जाँच एजेंसियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोजिटरी का निर्माण किया जाना चाहिये, जिसमें अपराधियों तथा इस प्रकार के मामलों की जानकारी को एकीकृत रूप से रखा जा सके तथा वास्तविक समय में सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
- बाल श्रम तथा देह व्यापार को अपनाने का मुख्य कारण गरीबी या आर्थिक असमानता है, इसलिये सरकार को संवेदनशील परिवारों को रोज़गार मुहैया कराने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष

- लॉकडाउन अवधि में जो परिवार अपनी आजीविका के साधन खो चुके हैं, वे आर्थिक संकट यहाँ तक कि भुखमरी का सामना भी कर रहे हैं। यह स्थिति तस्करी सहित शोषण के अन्य तरीकों के लिये उत्प्रेरक का कार्य करती है। इनके समाधान हेतु समस्या की मूल जड़ गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोज़गारी को समाप्त करने की दिशा में ठोस और व्यावहारिक प्रयास किये जाने चाहिये।

स्रोतः इंडिया टुडे, PRS और Rs ज़ट

करेंट अफेयर्स

विविध

खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा:
एक-दूसरे के पूरक 134

जिस्ट

योजना, जुलाई (आत्मनिर्भर भारत) 136

मानव बलि, सजा निर्धारण एवं मृत्युदंड 143

खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा: एक-दूसरे के पूरक

पृष्ठभूमि

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 'खाद्य सुरक्षा तथा पोषण की वैश्विक स्थिति, 2020' (SOFI) रिपोर्ट ज़ारी की गई, जिसमें भुखमरी, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण सम्बंधी स्थिति व आँकड़ो का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तैयार की जाती है।

रिपोर्ट के उद्देश्य

- सतत विकास लक्ष्य- 2030 के संदर्भ में 'भूख की समस्या' को समाप्त करने की दिशा में प्रगति, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्तर में सुधार की सूचना देने इस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रदान करना।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2016 से 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 17 विकास लक्ष्यों में प्रथम 'गरीबी उन्मूलन' से, जबकि द्वितीय 'भुखमरी समाप्त करने' से सम्बंधित है।
- इस वर्ष SOFI 2020 रिपोर्ट में पहली बार एक नए आँकड़े, 'विश्व में स्वस्थ आहार की लागत एवं सामर्थ्य' (Cost and Affordability of Healthy Diets Around the World) के विस्तृत विवरण को सम्मिलित किया गया है।

महत्त्व

- खाद्य और कृषि संगठन के नए विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से भी ऊपर के लाखों लोग स्वस्थ या पौष्टिक आहार ले पाने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $1.90 क्रय शक्ति समता (PPP) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है।
- यह विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारत में कुपोषण की समस्या काफी हद तक अच्छे व पोषण-युक्त आहार को प्राप्त कर पाने की असमर्थता है। साथ ही कुपोषण का कारण पोषण सम्बंधी जानकारी का अभाव, खाद्य अभिरुचि या खाद्यों से सम्बंधित सांस्कृतिक प्राथमिकताएँ नहीं हैं।
- भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा संतुलित आहार का खर्च वहन कर पाने में असमर्थ है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में करीब 18% लोग पर्याप्त पोषण-युक्त आहार (Adequate Nutrient Diet) ले पाने में असमर्थ हैं तथा लगभग 58% दक्षिण एशियाई लोग स्वस्थ आहार (Healthy Diet) ले पाने में सक्षम नहीं हैं।
- पिछले तीन माह के दौरान भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश कामगारों के रोज़गार खत्म होने और आय में कमी आने के कारण स्वस्थ आहार ले पाने में असमर्थ लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आहार के प्रकार

- मुख्य रूप से तीन प्रकार के आहार को परिभाषित किया गया है। इसमें आयु के अनुसार ऊर्जा की मात्रा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व व उसके लिये मूल्यमान (Price) को शामिल किया गया है।
- **ऊर्जा-युक्त मूल या आधारभूत आहार (Basic Energy Sufficient Diet):** इस आहार में आवश्यक कैलोरी की मात्रा को सबसे सस्ते रूप में उपलब्ध स्टार्च-युक्त अनाजों, जैसे– गेहूँ या चावल के सेवन

से पूरी की जाती है। इसके लिये किसी 30 वर्षीय स्वस्थ युवती के लिये 2,329 किलो कैलोरी की आवश्यकता को मानक संदर्भ के रूप में लिया गया है।

- **पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्वों से युक्त आहार (NutrientAdequate Diet):** इस प्रकार के आहार में, आवश्यक कैलोरी मानक तथा 23 मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्त्व सम्मिलित किये जाते हैं। इस आहार में विभिन्न खाद्य समूहों से न्यूनतम मूल्य वाली खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है।
- **स्वस्थ आहार (Healthy Diet):** इस प्रकार के आहार में आवश्यक कैलोरी मानक के साथ-साथ मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के मानकों को समाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों से तैयार विविध आहारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।
- स्वस्थ आहार को परिभाषित करना अन्य दो आहारों की तुलना में अधिक जटिल है। उल्लेखनीय है कि एफ.ए.ओ. चयनित देशों के लिये वास्तविक संस्तुतियों का उपयोग करता है।
- भारत द्वारा की गई संस्तुतियों में छह खाद्य समूहों से वस्तुओं की खपत को शामिल किया गया है। इसमें स्टार्च-युक्त अनाज, प्रोटीन-युक्त भोजन (जैसे- फलियाँ, मांस और अंडे), डेयरी उत्पाद, सब्जियाँ, फल और वसा हैं।

आहार का मूल्य

- आहार के प्रत्येक प्रकार के लागत-मूल्य की पहचान लगभग 170 देशों में वस्तुओं की खुदरा मूल्यों के आँकड़ों का उपयोग करते हुए 'रैखिक कार्यक्रम निर्माण' तकनीकों द्वारा किया जाता है।
- दक्षिण एशिया के लिये आहार लागत निष्कर्षों के अनुसार, $1.9 प्रतिदिन आय वाला व्यक्ति ऊर्जा-युक्त मूल या आधारभूत आहार को ले पाने में समर्थ है।
- दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्वों से युक्त आहार की कीमत $2.12 प्रतिदिन है। यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से अधिक है। SOFI रिपोर्ट मानती है कि एक व्यक्ति भोजन पर कुल खर्च का 63% से अधिक खर्च नहीं कर सकता है।
- आहार के तीसरे प्रकार, स्वस्थ आहार की लागत $4.07 प्रतिदिन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के दोगुने से भी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वस्थ आहार गरीबी रेखा से दोगुने स्तर के लोगों की पहुँच से भी पूरी तरह बाहर है।
- स्वस्थ आहार में प्रतिदिन 30 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दालें, 50 ग्राम मांस/चिकन/मछली के साथ-साथ 50 ग्राम अंडे, 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम सब्जियाँ व फल तथा 5 ग्राम तेल को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह किसी भी वस्तु की अधिकता के बिना एक संतुलित और स्वस्थ आहार है।

आगे की राह

- वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में ₹33 प्रतिदिन आय वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹27 प्रतिदिन अथवा इससे कम आय वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है, अतः गरीबी रेखा के निर्धारण को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय पी.पी.पी. कीमतों पर यह लगभग $1 प्रतिदिन के आस-पास है।
- भारत को कुपोषण व खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने हेतु स्वस्थ आहार लेने की सामर्थ्य सम्बंधी समस्या का भी समाधान करना होगा।
- खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ भारत को अपनी जनसंख्या की पोषण सुरक्षा के लिये भी प्रयास करना होगा।

निष्कर्ष

- इस प्रकार, भारत में जिनको आधिकारिक तौर पर गरीब माना जाता है, वे पोषक तत्त्वों से भरपूर आहार लें पाने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से दोगुनी आय वाले लोग भी स्वस्थ आहार नहीं ले सकते। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक स्वागत योग्य कदम है परंतु कुपोषण की व्यापक और बढ़ती समस्या को दूर करने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

जिस्ट

योजना, जुलाई (आत्मनिर्भर भारत)

1. मूलभूत बातें सार रूप में

अर्थ

किसी देश के लिये आत्मनिर्भर होने का अर्थ प्रचुर उत्पादन वाले पारिस्थितिकी तंत्र से सम्पन्न होना है, जिसमें सभी के लिये रोज़गार एवं विकास के अवसर हों।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ

1. अर्थव्यवस्था
2. अवसंरचना
3. व्यवस्था
4. जनसांख्यिकी
5. मांग

लक्ष्य

- **अल्पावधि–** कोविड 19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना
- **दीर्घावधि–** अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाना
- यह किसानों, उद्योगों तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किफायती लागत वाले स्थानीयकृत समाधान, गुणवत्ता वाले उत्पादों और कुशल प्रणालियों को सुनिश्चित कर देश को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रतिस्पर्धा के लिये सक्षम करेगा।
- भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में की गई पहलों और योजनाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेम ट्रिनिटी, स्टार्ट-अप इंडिया एवं मेक इन इंडिया ऐसी ही कुछ महत्त्वपूर्ण पहले है

उदाहरण : इतने अल्प समय में पी.पी.ई. किट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक सफलतम उदाहरण है।

2. आत्मनिर्भर भारत के लिये नैतिक धन सृजन

- देश को आत्मनिर्भर बनाना उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने से ही प्रारम्भ होगा। इससे सभी के लिये रोज़गार उपलब्ध करवाते हुए समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अर्थव्यवस्था के ट्रिकल डाउन सिद्धांत को परखना भी आवश्यक है। आत्मनिर्भरता हेतु निजी क्षेत्र एवं सरकार की भूमिका की पहचान करना आवश्यक है ताकि उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सके। साथ ही उत्पादन प्रक्रिया निचले पायदान के व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए करना होगा। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत हेतु कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, अत: इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नैतिक रूप से धन सृजन करना होगा तथा पर्यावरण के पहलू को ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति बनानी होगी। यह बात भी समझनी होगी कि आत्मनिर्भरता का अर्थ सब कुछ स्वयं करना ही नहीं है।

आत्मनिर्भर भारत अर्थात आत्मनिर्भर नागरिक

- आत्मनिर्भर भारत का निर्माण आत्मनिर्भर नागरिकों द्वारा ही किया जा सकता है।
- सरकार कौशल विकास के अवसर प्रदान कर इस प्रक्रिया को तेज़ कर सकती है।

- नागरिकों को उनका आत्मसम्मान बनाए रखते हुए सरकारी सहायता उपलब्ध करवाना होगा। इसलिये सब्सिडी या अनुदान आत्मनिर्भर भारत के लिये उपयुक्त नहीं है, विशेषकर वह अनुदान जिसके लाभार्थी अपेक्षाकृत सम्पन्न हो।
- सब्सिडी या अनुदान के खर्च का उपयोग शिक्षा और नागरिकों के कौशल विकास में किया जाना चाहिये।

समावेशी विकास

- समावेशी विकास आत्मनिर्भरता से जुड़ी विकास की रणनीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य वैसी आर्थिक नीतियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विकास के साथ ही आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जा सके।
- अर्थव्यवस्था के ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अनुसार, जी.डी.पी. में वृद्धि का निश्चित अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों की आय जी.डी.पी. वृद्धि के अनुसार ही बढ़ेगी। उदाहरणस्वरूप कई देशों और क्षेत्रों में सामान्य कुशल मज़दूरों की आय स्थिर है परंतु क्षेत्र या देश की जी.डी.पी. में वृद्धि हो रही है।
- समानता और विकास एक दूसरे के पूरक होने चाहिये, जहाँ समावेशी विकास के मूल में समानता है, वहीं रोज़गार सृजन समावेशी विकास के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत: परिवार के एक व्यक्ति को संगठित क्षेत्र में रोज़गार मिलता है तो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है, अत: रोज़गार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये।

निजी एवं सरकारी क्षेत्र की पूरक भूमिका

- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये बाज़ार की भूमिका एवं शक्ति की पहचान करना आवश्यक है, साथ ही सरकारी क्षेत्र की भूमिका का परीक्षण भी ज़रूरी है।
- सामान्य परिस्थिति में निजी उद्यम हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में कुछ अहम क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- निजी क्षेत्र के आर्थिक लाभ अर्जन को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमें शुभ-लाभ की अवधारणा को ध्यान में रखना होगा, जिसके अनुसार लाभ बुरी चीज़ नहीं है।
- वस्तुत: लाभ व्यक्ति के प्रयासों के लिये प्रेरणास्रोत हैं। सामाजिक समृद्धि और व्यावसायिक लाभ को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, अत: आत्मनिर्भरता का अर्थ लाइसेंस परमिट राज की वापसी या सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना नहीं है।

रिद्धि-सिद्धि की अवधारणा

भारतीय कारोबार में रिद्धि (अर्थात धन और समृद्धि) एवं सिद्धि (अर्थात कौशल/विशेषज्ञता) को एकसाथ स्थान दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत के लिये दोनों ही आवश्यक हैं।

नागरिक कौशल सीखें अर्थात सिद्धि प्राप्त करें

- कौशल प्राप्त नागरिक मध्यम एवं लघु उद्योगों के लिये तकनीक एवं कौशल-युक्त श्रम उपलब्ध करवाएँ, जिससे उद्योग एवं श्रमिक दोनों को रिद्धि अर्थात धन एवं समृद्धि की प्राप्ति हो।
- इसके अतिरिक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिये शोध एवं विकास (R&D), डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं चिकित्सकीय शोध जैसे क्षेत्रों में नवाचारी शोध पर निवेश किया जाना चाहिये।
- इसके लिये पृथ्वी के संसाधनों का सार्थक एवं विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए तकनीकी विकास किये जाएँ अंतत: इस रिद्धि एवं सिद्धि द्वारा विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिये।

बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना

- भारत के लिये विकास की ऐसी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें वैसे उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन हो जो अधिकांश निम्न आय वाली जनसंख्या की पहुँच में हो।
- उद्योगों को धन कमाने के लिये उत्पाद को ग्राहकों के अनुसार तैयार करना होगा। सैशे क्रांति इस प्रकार की रणनीति का एक उपयुक्त उदाहरण है, जिसमें छोटे-छोटे पैकेट में शैम्पू तथा तेल आदि की पैकेजिंग होती है।
- गरीब उपभोक्ता की ज़रूरत को पूरा करने वाले इस विकास मॉडल से भारत एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील बाज़ारों तक अपनी पहुँच बना सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के लिये कृषि का महत्त्व

- भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से निम्नलिखित लाभ होंगे–
  - खाद्य सुरक्षा
  - भुगतान संतुलन बेहतर बनाना
  - खाद्य प्रसंस्करण
  - कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि
  - कृषि से जुड़ी अन्य सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी
- कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उपाय
  - निर्यात करने योग्य उच्च मूल्य की फसलों की पहचान करना तथा कृषि व्यवस्था को तकनीकी तौर पर उन्नत करना।
  - कृषि से जुड़े कौशल का अन्य क्षेत्र में प्रयोग करना
- कृषि क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन से शहरों में पलायन की समस्या के साथ पलायन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सकेगा तथा आय में वृद्धि होगी। इससे कई स्तरों पर लाभ होगा और कुल मांग में वृद्धि होगी।

नैतिक धन सृजन

- ऐतिहासिक तौर पर भारत लम्बे समय तक विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में इसका कारण बताया गया कि हमारी प्राचीन परम्पराओं में नैतिक रूप से धन कमाने को एक योग्य मानवीय लक्ष्य माना गया है।
- भारतीय परम्परा में आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक आयामों को शामिल करते हुए सुनिश्चित किया गया है कि निजी लाभ सामाजिक स्तर पर बर्बादी का कारण न बने।
- भारत को विशेष तौर पर मितव्ययी नवाचार के लिये पहल करनी होगी ताकि बड़े पैमाने पर मानवता के कल्याण के लिये धरती माता के संसाधनों का विवेकपूर्वक इस्तेमाल किया जा सके। भारत को इस मामले में अगुवाई करते हुए सम्पूर्ण विश्व को मितव्ययी नवाचार की अहमियत बताना चाहिये।

आत्मनिर्भरता का अर्थ सब कुछ स्वयं करना नहीं

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने का मतलब देश के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उनमें निवेश करना है ताकि संवेदनशील दौर में भी किसी और पर निर्भरता कम से कम हो।

3. आत्मनिर्भर भारत के लिये निर्यात रणनीति

- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निर्यात संवर्धन की प्रभावशील रणनीति आवश्यक है। इसके लिये प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण एक मूल शर्त है। हमें आत्मनिर्भरता और सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता का अंतर समझना होगा। साथ ही अन्य मूलभूत विषय, जैसे– स्वदेशी बड़ा बाज़ार, निर्यात का स्वरूप, अनुसंधान एवं विकास का महत्त्व, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एम.एस.एम.ई. की परिभाषा एवं एफ.डी. आई. का महत्त्व आदि के संदर्भ में निर्यात सम्बंधी रणनीति बनानी होगी।

इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है–

- **आत्मनिर्भरता (Self-reliance):** आत्मनिर्भरता व्यावहारिक और सकारात्मक होती है, जिसका उद्देश्य आयात पर प्रतिबंध लगाए बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना है।
- **सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता (Self sufficiency):** यह अव्यावहारिक, अंतर्मुखी और नकारात्मक होती है। यह डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के भी विरुद्ध है, इस सिद्धांत के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में देशों के 'तुलनात्मक लाभ' में अंतर का परिणाम है।
- **अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुसार–** यहाँ पर आत्मनिर्भरता का अर्थ कोविड-19 महामारी के कारण निर्यातक देशों से ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने के संदर्भ में है। भविष्य में ऐसी स्थिती में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बाधित नहीं होना चाहिये।
- **विश्वसनीयता बनाम कौशल–** नि:संदेह वर्तमान समय में हमारी स्वदेशी आपूर्ति बहुत कुशल नहीं है परंतु यह विश्वसनीय अवश्य है। विश्वसनीयता एवं कौशल के मध्य चुनाव करना हो तो प्राथमिकता विश्वसनीयता को देना चाहिये। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि यह मध्यम एवं दीर्घावधि में प्रतिस्पर्धी बन सके।
- **मज़बूत और प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण–** निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता है, जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों (विशेषकर साझीदारों के प्रशुल्क मुक्त आयात) के सामने टिक सके।
- **आयात पर निर्भरता कम करने का वास्तविक अर्थ–** इसका अर्थ आयात के लिये अपने दरवाजे बंद करना नहीं बल्कि स्वदेशी क्षमता एवं कौशल का विकास करना है। यह तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा कच्चे माल और उत्पादों से वंचित कर देती है।
- **बड़े स्वदेशी बाज़ार का महत्त्व–** आयात पर निर्भरता तभी घटाई जा सकती है, जब स्वदेशी उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिये पर्याप्त बड़ा बाज़ार हो। कई देश आयात पर निर्भरता घटाने की रणनीति बड़ा बाज़ार नहीं होने के कारण नहीं अपना पाते हैं। भारत के पास ये विशेष योग्यता है, जिसका लाभ लिया जाना चाहिये।
- **आयात शुल्क बढ़ाना आवश्यक नहीं–** आत्मनिर्भरता के लिये आयात शुल्क बढ़ाना आवश्यक नहीं है, बल्कि निर्माताओं को समान अवसर वाला वातावरण उपलब्ध किया जाना महत्त्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि निर्माताओं को रियायती ऋण, प्रतिस्पर्धी दर पर बिजली और कुशल तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिये। आयात शुल्क में वृद्धि केवल प्रतिकूल प्रशुल्क ढाँचे से निपटने या किसी विशेष लक्ष्य के लिये उपयोग में लाई जा सकती है।
- **स्वदेशी स्तर पर एकाधिकार से भी सावधान–** आयात शुल्क केवल विशेष परिस्थिति में सीमित समय के लिये ही होना चाहिये। हमें ध्यान रखना होगा कि भारतीय निर्माता लापरवाह होकर अकुशल न हो जाएँ। स्वदेशी स्तर पर गुटबंदी या एकाधिकार नहीं हो, इस पर भी नज़र रखना होगा अन्यथा मूल्य बढ़ेंगे और कच्चे माल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

- **निर्यात के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता–** भारतीय निर्यात समय के साथ काफी बढ़ा है परंतु हमारे निर्यात का विकास परम्परागत रूप से नहीं हुआ है, इसमें एक विरोधाभास है। एक ओर उन्नत सेवा क्षेत्र उच्च प्रौद्योगिक सेवाओं का निर्यात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सुस्त निर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत कम मूल्य के उत्पादों का निर्यात करता है।
- निर्यात के इस स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है। वैश्विक निर्यात में 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, पेट्रोलियम सामग्री, मशीनरी, वाहन और प्लास्टिक के सामानों का है, परंतु हमारे निर्यात में इनका हिस्सा 33 प्रतिशत से भी कम है। सम्पूर्ण वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 2019 में 1.7 प्रतिशत था, परंतु इन उत्पादों में हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है।
- **अनुसंधान और विकास एवं नवाचार की आवश्यकता–** गतिशील और परिवर्तनकारी बाज़ार में बने रहने के लिये हमें अनुसंधान और विकास एवं उत्पाद नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में कर कटौती के रूप में अनुसंधान एवं विकास के वित्तीय समर्थन में कमी आई है। चूँकि अनुसंधान एवं विकास में समय अधिक लगता है, साथ ही यह ज़ोखिम भरा भी होता है इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देते हुए टैक्स कटौती में उदारता बरतनी चाहिये।
- **खाद्य उत्पादों में अवसर एवं चुनौती–** कोविड-19 के परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में चीन की छवि को नुकसान पहुँचने से भारत को अवसर मिला है। हालाँकि बढ़ते न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण वर्तमान समय में कई कृषि उत्पादों का निर्यात अलाभकारी हो गया है। नि:संदेह MSP का एक व्यापक लक्ष्य है परंतु निर्यात के मूल सिद्धांतों को भी नज़रंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हानि की स्थिति में निर्यात नहीं करेगा, अत: सरकार को चाहिये कि निर्यातकों को MSP और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने के लिये कोई प्रणाली बनाए।
- **कृषि क्षेत्र में सुधार–** आवश्यक वस्तु अधिनियम में ढिलाई दिये जाने से निर्यातक जमाखोरी के जोखिम के बिना कृषि उत्पादों की खरीद एवं भंडारण करने के लिये प्रोत्साहित होंगे। राज्यों के बीच परिवहन पर रोक हटाए जाने से कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय ढुलाई कुशलतापूर्वक सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। किसान निर्यातकों व कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से सीधी पहुँच बना सकेंगे।
- **एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में परिवर्तन–** सरकार ने एम.एस.एम.ई. की योग्यता के लिये कुल व्यापार से निर्यात की रकम को हटा दिया है, परिणामस्वरूप ज़्यादा कम्पनियाँ एम.एस.एम.ई. का दर्ज़ा प्राप्त कर सकेंगी। मध्यम कम्पनियों के लिये निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे ये कम्पनियाँ अधिकाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित होंगी जो निर्यात में प्रतिस्पर्धी बनने में सहायक होगा।
- **एफ.डी.आई. को उदार बनाना–** एफ.डी.आई. से केवल पूंजी ही नहीं आती है बल्कि प्रौद्योगिकी और बाज़ार तक पहुँच भी बढ़ती है जो कि निर्यात के लिये अहम है। अधिक उदारीकरण द्वारा एफ.डी.आई. बढ़ाने के लिये हमें सभी स्तरों पर व्यवसाय के माहौल को बेहतर बनाने तथा नियामक और अन्य मंजूरियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- **कुछ क्षेत्र जिसमें विस्तार आवश्यक–** पर्यटन,वित्तीय तथा परिवहन सेवाओं में हम अपनी क्षमता से बहुत पीछे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आई.टी.ई.एस.) में हम अच्छा कर रहे हैं परंतु विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उदीयमान देशों की तरफ अपना विस्तार करने की भी आवश्यकता है।
- अकाउंटिंग और वित्तीय सेवाओं में विकास को बढ़ावा देने के लिये हमें स्वदेशी लेखांकन और ऑडिटिंग क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देनी चाहिये।
- शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर देना चाहिये। साथ ही छात्रों और शिक्षा सेवा प्रदाताओं के लिये वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाना चाहिये।

- **फिल्म और ऑडिओ–** वीडियो सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये फिल्म उद्योग में बीमा जैसे उपायों की आवश्यकता है।
- कोविड-19 से डिजिटाइजेशन को बल मिलेगा तथा नेटवर्किंग सेवाओं, दूरचिकित्सा और एनिमेशन एवं गेमिंग में हमारे सामने विशाल अवसर होंगे।

निष्कर्ष

- अगर कोई व्यापार निजी व्यापारियों के लिये अलाभकरी है तो ऐसे व्यापार राष्ट्र के लिये लाभकारी नहीं रहती। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार और निर्यातकों को मिलकर काम करना चाहिये। निर्यात को राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल करना चाहिये। केंद्र और राज्य सरकारों, नियामक और संवर्धन एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं तथा उद्यमियों समेत सभी हितधारकों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 का श्रमिकों पर प्रभाव

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी और लॉकडाउन ने श्रम बाज़ार को बुरी तरह प्रभावित किया है। श्रम क्षेत्र में यह प्रभाव भिन्न-भिन्न रूप से हुआ है, जैसे–

- महामारी का प्रवासियों और कामकाजी गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इससे उनकी आजीविका को आंशिक या पूर्ण नुकसान पहुँचा है।
- वहीं अन्य क्षेत्र, जैसे– स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं में महामारी के परिणामस्वरूप काम के बोझ और शेड्यूल में भारी वृद्धि का अनुभव किया गया है।
- सेवा क्षेत्र में महामारी से न केवल छंटनी और अस्थाई निलम्बन (ले-ऑफ) हुआ है, बल्कि कार्यस्थल परिवर्तन भी हुआ है।
- अधिकांश तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी, (विशेष रूप से सेवा क्षेत्रों में) दूरस्थ कार्य व्यवस्था के माध्यम से घर से अपना काम ज़ारी रखने में सक्षम रहे हैं। इससे अक्सर उनके कार्य और जीवन के बीच संतुलन (Work Life Balance) में बदलाव आया है, जिसके कारण अंतिम उत्पादकता प्रभावित हुई है।
- अधिकांश कर्मचारियों ने अक्सर महामारी के कारण तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य किया है, जिससे उनकी प्रेरणा के साथ-साथ ध्यान में भी कमी हुई है।
- इस प्रकार महामारी से विश्व भर में लाखों श्रमिकों का जीवन ले-ऑफ, काम के घंटे और मज़दूरी में कमी के कारण बाधित हुआ है।

श्रम संगठन एवं विश्व बैंक के अनुमान

- वैश्विक स्तर पर काम के घंटों और रोज़गार पर महामारी के भयावह प्रभावों पर ज़ोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 6.7% काम के घंटे समाप्त होने की सम्भावना है, जो कि 195 मिलियन पूर्णकालिक श्रमिकों के बराबर है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था भी 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से श्रम उत्पादकता में एक दशक से गिरावट का सामना कर रही है।
- अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि महामारी का श्रम उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- 35 उन्नत और 129 उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाले डेटा सेट वाले विश्व बैंक के अध्ययन से पता चलता है कि 2000-18 की अवधि के दौरान चार महामारियों के प्रकोप के कारण अनिश्चितता में वृद्धि तथा निवेश में गिरावट हुई, जिससे श्रम उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- इसी प्रकार मौजूदा वैश्विक महामारी और इसकी अवधि की अनिश्चितता के कारण व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है।

- हालाँकि यह उम्मीद की गई थी कि महामारी के परिणामस्वरूप होने वाले व्यवहार परिवर्तन से नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेज़ी आएगी तथा व्यवसायों के बीच वैज्ञानिक नवाचार की गति बढ़ेगी, फलस्वरूप इसके परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे।

महामारी के पहले और बाद में अर्थव्यवस्था की स्थिति

- कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महामारी की शुरुआत से पहले ही विकास दर बहुत कमज़ोर थीं। यह महामारी के प्रभावों से जुड़कर गहरी मंदी (Deep Recessions) के दीर्घकालिक प्रभावों को बढ़ाएगा।
- महामारी आने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी से गुज़र रही थी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि लगातार नौ तिमाहियों में गिर गई थी।
- वैश्विक स्तर पर ज़ोखिम को देखते हुए निजी और कॉर्पोरेट निवेश में पुनरुद्धार की सम्भावना में देरी होने का अनुमान है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार, महामारी के बीच मानव शक्ति की कमी को कम करने के लिये विनिर्माण क्षेत्र रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों को भी अपना सकता है। इससे मौजूदा नौकरियों में 10%-20% की कटौती होगी, विशेषकर श्रम प्रधान क्षेत्रों में।
- भारत जैसे देशों में श्रम अधिशेष के साथ श्रम को विस्थापित करने वाली तकनीकों को अपनाने से रोज़गार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि जो नई नौकरियाँ सृजित होंगी, उनमें उच्च कुशल श्रमिकों का 5%-10% तक समायोजन अपेक्षित है।

श्रम उत्पादकता

संगठित विनिर्माण क्षेत्र में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ए.एस.आई.) के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि श्रम उत्पादकता पिछले आठ वर्षों में काफी गिर गई थी। जो पड़ोसी चीन की तुलना में काफी कम थी। हालाँकि इस गिरावट के लिये भारत के जटिल श्रम कानूनों को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

महामारी के प्रभावों से उबरना

- महामारी के सदमे से व्यवसायों को उबरने में मदद करने एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों को राज्य सरकारें एक अवसर के रूप में देख रहीं हैं।
- व्यापार संघर्षों के कारण चीन से उत्पादन को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिये विदेशी निवेश को आमंत्रित करने हेतु कई राज्य सरकारें, जैसे– महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने अपने श्रम कानूनों को निलम्बित कर दिया है।
- हाल के महीनों में इन नीतिगत परिवर्तनों ने श्रमिक अधिकारों को कम करके और दशकों पुराने सुरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर दिया है, जिन्हें ILO सम्मेलनों और संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिये तैयार किया गया था।
- कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों को भेजे गए एक पत्र में श्रम मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) में एक हस्ताक्षरकर्त्ता है और कुछ बदलाव आई.एल.ओ. के सम्मेलनों के विरुद्ध हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- महामारी के प्रभाव और प्रस्तावित परिवर्तनों ने महामारी और उसके पुनरुत्थान को गैर आनुपातिक रूप से श्रमिकों पर डाल दिया है।

- एक ओर जहाँ श्रमिक अधिकार दुष्प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम विस्थापन जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को रोज़गार की हानि हो रही है।
- यह अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश का विस्तार करने के लिये उपयुक्त और व्यवहार्य विकल्पों की खोज के बिना किया गया है, जिसे सम्पत्ति कर को लागू करने जैसे उपायों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।
- सकल मांग को उत्तेजित करके एवं क्रय शक्ति बढ़ा कर अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के लिये सरकार द्वारा संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

मानव बलि, सजा निर्धारण एवं मृत्युदंड

- हाल ही में ईश्वरी लाल यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय प्रस्तुत किया है। इस निर्णय से मानव बलि एवं आपराधिक कानून के सम्बंध में कुछ मूलभूत प्रश्न या विचार के मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। वस्तुत: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 वर्ष के बच्चे की मानव बलि के संदर्भ में आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनिश्चित की है।
- मानव बलि और आपराधिक कानून में दंड के सम्बंध में न्यायिक विमर्श में स्पष्ट कमियाँ प्रतीत होती है। उपयुक्त मामले (ईश्वरी लाल यादव) एवं इस तरह के अन्य मामलों में व्यक्तिगत दंड के सिद्धांत में स्पष्टत: विचलन देखा जा सकता है। वस्तुत: व्यक्तिगत दंड का सिद्धांत न्यायालय से ऐसे दंड की अपेक्षा करता है जो किसी मामले विशेष की सम्पूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित एवं उपयुक्त हो। परंतु इस मामले में परिस्थिति को अनदेखा किया गया है। इस निर्णय में मनोवैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय (मानव विज्ञानी) साक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया है।

सांस्कृतिक संदर्भ की अनुपस्थिति

- इस निर्णय में न्यायालय साधारण योजनाबद्ध हत्या एवं ईश्वर/देवता के लिये बलि हेतु हत्या के अंतर को समझने में असफल रहा है। वस्तुत: न्यायालय ने हत्या की प्रकृति या प्रक्रिया के आधार पर आरोपियों के चरित्र का निर्धारण कर लिया परंतु सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का प्रयास नहीं किया। ऐसा न्यायिक दृष्टिकोण मानव बलि के सामाजिक और मानव शास्त्रीय पक्ष की समझ से विरोधाभासी प्रतीत होता है।
- मानव शास्त्रीय अध्ययन के अनुसार, पशु एवं मानव बलि में संलग्न समाज प्राचीन या पुरातन होता है। वस्तुत: ऐसे कार्यों में लिप्त व्यक्ति खलनायक या दुष्ट नहीं होता, बल्कि वंचित सामाजिक एवं आर्थिक तबके से होता है। ऐसे व्यक्ति ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों से सम्बंधित होते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो कानून का पालन करता है, वह भी केवल अपनी मूल संस्कृति से प्रेरित होकर अपराध कर सकता है। ऐसे में न्यायिक प्रणाली को उनके लिये दंड का निर्धारण करते समय व्यक्ति विशेष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पर अनिवार्यत: विचार करना चाहिये।
- प्रस्तुत मामले (ईश्वरी लाल यादव मामला) में न्यायालय ने दंड का निर्धारण करते समय आरोपी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पर विचार नहीं किया है, जबकि ऐसा करना व्यक्तिगत दंड के सिद्धांत के अनुपालन के लिये अनिवार्य है।

मृत्युदंड के संदर्भ में

- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय लिया था कि वैसे जघन्य अपराध में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिये, जिसमें आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से समाप्त हो चुका हो, परंतु इस मामले में अदालत बचन सिंह मामले की मूल भावना से विचलित हुई है एवं उसका अनुपालन नहीं हुआ है।

- मामले की गम्भीरता को कम करने वाले तत्त्व जैसे आरोपी के सामाजिक-सांस्कृतिक, जैविक व मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत मामले की गम्भीरता बढ़ाने वाली परिस्थितियों, जैसे- हत्या की क्रूर प्रकृति तथा समान अपराध में पूर्व संलिप्तता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इस मामले में निर्णय करते हुए पूर्व के अन्य मामलों जैसे सुशील मुर्मू मामला आदि को संदर्भित किया गया है, परंतु इन मामलों में भी न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को कम करने वाले तत्त्वों की अनदेखी ही की, ऐसे में स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत निर्णय भी त्रुटिपूर्ण ही रहेगा।

निष्कर्ष

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्याय प्रणाली की कुछ चुनौतियों को रेखांकित करता है। अंधविश्वासों एवं मूल सांस्कृतिक विश्वास से प्रेरित अपराध को समझना एवं निर्णय करते समय उस पर विचार करना चुनौतीपूर्ण है। कानून एवं सामाजिक विज्ञान का अंतर व्यापक और स्पष्ट है, इसलिये इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये। मानव बलि पर न्यायालय की अस्पष्ट समझ मृत्युदंड के अन्य मामलों में भी दोषपूर्ण निर्णय की ओर संकेत करती है। जिसमें अपराध की प्रकृति को कम करने वाले तत्त्वों पर सम्पूर्ण विचार न करना, आरोपी की सांस्कृतिक स्थिति को पूर्ण रूप से न समझना एवं धार्मिक हिंसा की मूल प्रकृति को नजरंदाज करना आदि शामिल हैं। न्यायालय को दंड निर्धारण के समय निश्चित रूप से आरोपी के व्यक्तिगत संदर्भ पर विचार करना चाहिये।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल — द्वारा - कुमार गौरव
इतिहास — द्वारा - अखिल मूर्ति

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- शंका-निवारण (Doubt Clearing) कक्षाएँ
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक महीने करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉरमेट में
- प्रत्येक वीडियो को 4 बार देखने की सुविधा
- अगले 500 विद्यार्थियों के लिये फीस में 15% की छूट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

श्री अखिल मूर्ति — इतिहास, कला एवं संस्कृति
श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) — एथिक्स
श्री ए.के. अरुण — भारतीय अर्थव्यवस्था
श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) — भारतीय राजव्यवस्था
श्री कुमार गौरव — भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन
श्री रीतेश आर जायसवाल — सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) — सामाजिक मुद्दे
एवं टीम

नोट
नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से
SANSKRITI IAS
का एप डाउनलोड करें

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube